राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 14

मंगलवार,

23 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्‌वारा सम्बोधन

प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान रूल 31 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। Rule 31 says, 'Time for Starred Questions.-

(2) Ordinarily asking and answering of a question should not take more than 5 minutes and endeavour should be made that at least 12 questions are taken up each day.

यह राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया, नियम, कानून के अंतर्गत 31 रूल हैं। मैंने अध्यक्ष की हैसियत से यह प्रयत्न किया है कि सदन की गरिमा बनी रहे। सदन में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं। मेरी दृष्टि से जैसा मैंने ठीक समझा, प्रश्नकर्ता को 2 सप्लीमेंट्री पूछने के लिए अलाउ किया। उससे मेरा अनुभव यह रहा कि कम से कम हम 10 प्रश्न से ज्यादा पर-डे डिसकस कर रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, उनके मन में है कि हमें सप्लीमेंट्री भी और अलाउ की जानी चाहिए। जब मैंने यह प्रारम्भ किया तो मैंने लीडर आफ अपोजिशन को सप्लीमेंट्री करने के लिए अलाउ किया। अभी भी मैं सोचता हूं कि मेरे जो सोचने की प्रक्रिया है, वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकती। उसमें भी बदलाव करके हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए एंडेवर किया जाना चाहिए। यह मेरा प्रयत्न रहेगा।

मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मेरे इस प्रयत्न में आप सहायक बनें जिससे इस सदन की गरिमा बने, नये सदस्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सकें, सरकार के अधिकारी अकाउंटेबल हों, हम सब

(श्री अध्यक्ष)

मिलकर सार्थक रूप से सदन में चर्चा कर सकें। मेरा प्रश्न काल प्रारम्भ करने से पहले माननीय विपक्ष के नेता से निवेदन है कि आप और हम और जितने भी साथी हैं अलग-अलग दलों के, वे बैठकर चर्चा करेंगे कि इससे भी बेहतर और कौनसा तरीका हो सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकें। इस प्रयत्न को करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन इस सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए और सारी व्यवस्था को सुचारु करने के लिए मैंने सदन के प्रारम्भ होने से पहले सभी दल के नेताओं को बुलाकर चर्चा की थी कि हम सदन में सुव्यवस्था कैसे कर सकें। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने कठिन निर्णय लिए, लेकिन आज सदन की व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है। नये सदस्यों को कट मोशन, शून्य काल के अंदर 131, स्थगन प्रस्ताव, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। तरीके और भी हैं, जिससे हम नए सदस्यों को जानकारी दें कि प्रिविलेज कैसे डिसकस होता है, पिटीशंस कैसे होती हैं। यह जानकारी यदि पहले ही सत्र में हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा 5 साल का सत्र प्रभावशाली ढंग से रहेगा। यह मेरा प्रयत्न रहा है।

मैं अभी भी सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में जो कुछ मैंने निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को प्रभावशाली करने में आप मेरी मदद करें। फिर मैं आपसे चर्चा करके, उसमें जो भी और परिवर्तन करने हैं, वह करेंगे जिससे इस सदन की गरिमा बनी रहे और हम सब मिलकर जिस जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, वह काम कर सकें। यदि मेरी भावना को समझकर, मैं विपक्ष के नेता, माननीय कटारिया साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपने सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए परमिशन दें, जिससे हम प्रभावशाली ढंग से प्रश्न काल कर सकें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस बात से किसी का भिन्न मत नहीं है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आने चाहिए। इसमें किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। हम स्वयं भी चाहते हैं कि इस प्रकार से हो। लेकिन विषय इस पर आ रहा है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो पूछने वाला है, वह 2 सप्लीमेंट्री पूछता है, यह तो नियम के तहत है।

लेकिन अब तक की व्यवस्था यह थी कि चूंकि वह प्रश्न पूछने के बाद हाउस की प्रोपर्टी बन जाता है, अगर आपको आपस में ही दोनों को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलना है तो आप अलग बैठकर के बता दोगे कि यह प्रश्न है और यह जवाब है। वैसे भी आप लिखकर के भेज देते हो सदस्य के पास, तो उसके पास तो आ ही गया। फिर यह पढ़ने के लिए समय क्यों खराब करते हैं? वह सीधा ही आपसे 2 प्रश्न पूछ ले और आपका काम पूरा हो गया, यह स्थिति नहीं है। 2 क्वेश्चन कम से कम कोई भी माननीय सदस्य, अब आसन किसको ठीक समझे और किसको ठीक नहीं समझे, वह अलग है। अगर इससे भी कम में आप चाहोगे क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं है।

जब क्वेश्चन आवर होता है तो हाउस की प्रोपर्टी बनने के बाद, हरेक का राइट है, केवल प्रतिपक्ष के नेता का ही नहीं है। हमारा इतना ही विरोध है। हम यह नहीं चाहते हैं कि इसको आधे घंटे तक चलाते रहो या 20 मिनट तक चलाते रहो। नहीं, आप 5 मिनट में कहते हो तो 5 मिनट में खतम करिए, 7 मिनट में कहते हो तो 7 मिनट में खतम करिए। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम आपका हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे। लेकिन इस बात को हम मानने को तैयार नहीं हैं कि प्रश्न पूछने वाले के अलावा इस सदन में कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। यह हाउस की प्रोपर्टी वाले प्रश्न का अर्थ क्या निकला। अब तक की, इतने सालों की जो प्रक्रिया है और जो हमारा यहां का क्रम चलता रहा, यह उससे बिलकुल विपरीत होगा जिसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी इच्छा है। मैं फिर एक और ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, रूल 46 में, “Any member when called by the Speaker may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given:

Provided that the Speaker shall disallow any supplementary question, if in his opinion, it infringes the rules regarding questions:

Provided further that priority to ask supplementary question shall be given to the member in whose name the question stands.”

परम्परा के बाद नियम बनते हैं। ये कानून मैंने नहीं बनाए हैं। यह मेरे अध्यक्ष बनने के पहले राजस्थान विधान सभा के कानून और नियम बने

(श्री अध्यक्ष)

हुए हैं। मैं नियम और कानून की प्रक्रिया की पालना करने का काम कर रहा हूं। हो सकता है, उसमें वे सब परम्पराएं जो आज लोक सभा में भी टूट गई, पहली बार लोक सभा में सदस्य जो वहां का है, निर्वाचित सदस्य जिसकी डैथ हुई है, उसके बाद भी हाउस चल रहा है। यह नई परम्परा लोक सभा में भी स्थापित हुई है। परम्पराएं तो टूटेंगी। परम्पराएं नहीं टूटेंगी तो कानून नहीं बनेंगे। मेरा काम है कानून का पालन करवाना। ये जो नियम और कानून बने हैं, इसका पालन करने का काम मैं कर रहा हूं। हो सकता है उसमें परम्पराएं टूट रही हों, लेकिन परम्पराएं टूट रही हैं। ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें और सरकार अकाउंटेबल हो सके, इसके लिए मैंने यह काम किया है।

मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यह करूंगा कि सबकी भावना को लेकर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे ले सकें। अब आपको इसमें नहीं लग रहा है तो मैं अपना क्वेश्चन आवर प्रारम्भ करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भिन्न विचार है ही नहीं। इस आसन को पूर्ण अधिकार है कि किसको अलाउ करे, किसको नहीं करे। किसके प्रश्न पर अलाउ करें, नहीं करें, यह भी आसन का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार पहले से ही किसी किताब में नहीं लिख दिया कि क्वेश्चन पूछने के बाद, हाउस की प्रोपर्टी बनने के बाद कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। यह जो नियम है, यह इस नियम के तहत नहीं आता है। इतना-सा आप करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय लीडर आफ अपोजिशन, मुझे क्षमा करें, मैंने सदन प्रारम्भ होने से पहले जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियों के लीडर हैं, उनकी मीटिंग बुलाई। आपकी पार्टी की तरफ से आपके स्थान पर राजेन्द्र जी राठौड़ मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी भी आए थे। अलग-अलग पार्टियों के लीडर भी आए थे। वहां मैंने सबके सामने यह कहा कि सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 2 सप्लीमेंट्री अलाउ होगी। सुन लें आप, आपके यह कहने से कुछ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'm on leg. I'll not allow you. I'm on leg. I'll not allow you. I'll not allow you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह नहीं कहें आप ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं भी था उस मीटिंग में।

श्री अध्यक्ष: Please sit down. I'll not allow you. You can't dictate me. सदन को आप चलाएंगे क्या? यह परम्परा गलत कर रखी है आपने कि सदन आपका ही है, और किसी का नहीं है। यह निर्णय करने के बाद 4 दिन सदन चला है। 4 दिन में 2 सप्लीमेंट्री हुई हैं। कटारिया जी ने प्रश्न पूछा। यह प्रश्न कभी नहीं आया। जब आपको रोका है, तब आपने प्रश्न उठाया है। यह सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। सदन नियम और कानून के अंतर्गत चलेगा। कोई भी सदस्य कितना भी सीनियर हो, यदि अध्यक्ष को डिक्टेट कराने के लिए अपनी पार्टी को यूज करना चाहे तो अध्यक्ष डिक्टेट नहीं होगा।

मैं नियम और कानून के अंतर्गत सदन चलाऊंगा और आज नहीं, कल भी चलाऊंगा। कोई आपके हाथ के इशारे से सदन नहीं चलेगा। आपको भी सदन की गरिमा बनाये रखनी पड़ेगी। आपको नहीं पसंद है, कोई तकलीफ नहीं। मैं सत्य बोल रहा हूं। मीटिंग बुलाई है, जिसमें मुख्य मंत्री जी आए थे, आप स्वयं आए थे। हर पार्टी का लीडर आया था, उसमें फैसला किया था। मैंने कहा था कि मंत्री जी के पी.ए. लाबी में नहीं आएंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा है कि जीरो आवर में मंत्री बैठने चाहिए। सब निर्णयों की मैंने आपके सामने चर्चा की है। आप अपने सदस्यों को नहीं कहें, यह अलग बात है। जो मैंने कहा, उसके बाद सदन चला है। 3 दिन तक सदन में 2-2 सप्लीमेंट्री हुई हैं। कटारिया जी ने प्रश्न पूछा, किसी को आब्जेक्शन नहीं था। जब आपका प्रश्न आया और आपको मैंने रोका, तब जाकर यह प्रश्न उठा कि मेरा अहम इतना ज्यादा है कि मैं चाहूंगा वैसा चलेगा। पार्टी में चल सकता है, सदन में नहीं चलेगा। नमस्कार।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। संसदीय मंत्री का अधिकार है। आप सीनियर आदमी हैं। लीडर आफ अपोजिशन और संसदीय मंत्री का पूरा अधिकार है कि सदन में बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो बैठक आपने बुलाई थी, निश्चित तौर पर वहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के सारे लोग मय मुख्य मंत्री जी के हाजिर थे। जो आपने वहां पर प्रस्ताव रखा था, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था कि मैं इस तरीके से इस सदन को चलाना चाहता हूं, नियमों के तहत। नियमों में जो चीज दे रखी है, अगर नियमों में परिवर्तन विपक्ष चाहता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के साथ जाइए। अध्यक्ष की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अध्यक्ष ने जो रूलिंग दे दी, वही अंतिम रूप से अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं उस बैठक में नहीं था और राजेन्द्रजी उस बैठक में थे। वास्तव में उनको अपनी बात नहीं कहने देने का मतलब यह है कि क्या उनकी भी इसमें सहमति थी? सुनेंगे भी नहीं?

श्री अध्यक्ष: मैं अध्यक्ष, मैं स्वयं असत्य बोल रहा हूं? आप मेरी इंटिग्रिटी पर डाउट कर रहे हैं? आप मेरी इंटिग्रिटी पर डाउट कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं असत्य बोल रहा हूं? सदन में मैं बोल रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं? आपके उप नेता पर इतना विश्वास है, वह सत्य बोलेंगे? मुझे क्षमा करें।

प्रश्न काल, श्री बिहारीलाल।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 276

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, स्थगित।

प्रश्न संख्या 277

(स्थगित)

अगला प्रश्न, लाखन सिंहजी।

किसानों को पशु क्रय करने हेतु ऋण देने की योजना

278. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा पशु जीवन उत्थान हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री लाखन सिंह)

(2) क्या सरकार ने किसानों को पशु क्रय करने हेतु ऋण देने की कोई योजना बना रखी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र करौली में सरकार द्वारा विगत पांच वर्ष में कितना बजट किस-किस कार्य के लिए आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में सरकार द्वारा पशु जीवन उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पशुपालन व्यवसाय से रोजगार सृजन एवं पशुपालन को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए पशुपालकों को भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत पशु क्रय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

(3) पशुपालन विभाग में विधान सभा क्षेत्र अनुसार पृथक से बजट आबंटित नहीं किया जाता है।

गोपालन विभाग की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में अवस्थित श्री यादव वाटी गोशाला को योजनावार गत 5 वर्ष में उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से प्रश्न पूछा है, नाबार्ड के माध्यम से करौली जिले में पिछले पांच वर्षों में किन-किन लोगों को पशु क्रय हेतु ऋण दिया गया है? क्या राजस्थान सरकार भी पशु क्रय हेतु लोन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कार्य योजना है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु व्यवसाय से रोजगार सृजन एवं पशुपालन को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए पशुपालकों को पशु क्रय करने हेतु भारत सरकार की नाबार्ड की डेयरी उद्यमिता एवं विकास योजना, उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत पशु क्रय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है जिसमें भारत सरकार के द्वारा सीधे ही नाबार्ड को अनुदान दिया जाता है जिसमें उनके ही स्तर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 33.33 प्रतिशत व

(श्री लालचन्द कटारिया)

अन्य जाति के पशुपालकों को 25 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। रही बात करौली जिले की, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, करौली ने दूरभाष पर अवगत कराया है कि गत पांच वर्ष में किसी भी पशुपालक को उक्त योजना अंतर्गत नाबार्ड बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है कि क्या राजस्थान सरकार पशु क्रय करने हेतु लोन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कार्य योजना है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा पहले बता चुका हूं उत्तर में कि गोपालन विभाग के द्वारा ही लोन देने का प्रावधान है, और कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में सीवर लाइन डालने की योजना

279. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय होगी तथा योजना का कार्य कब से प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): नगरपालिका देवली-उनियारा में सीवर लाइन डालने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नगरपालिका देवली में नेकचाल बालाजी स्थित तालाब में गंदे पानी के ट्रीटमेन्ट हेतु STP की विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें लगभग राशि रुपये 8.50 करोड़ व्यय होगी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति बहुत समय से पैंडिंग है, सिर्फ टैक्नीकल सैंक्शन सरकार के पास पैंडिंग है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कब तक इसकी टैक्नीकल स्वीकृति दे देगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्र देवली में सीआईएसएफ के कैम्पस में जल भराव होता है। सीआईएसएफ ने क्या किया कि कच्ची दीवार इस तरीके की बना दी उससे पानी सारा का सारा देवली शहर की तरफ जाने लगा। मोटी बात है कि उसको कैसे निकाला जाए। इस बाबत नाले पर जो कच्ची दीवार बनी है, उसके लिए तो सीआईएसएफ को कहा जाए कि इसको तोड़ दिया जाए। दूसरा, यह कि निचले क्षेत्र में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके लिए सीवर, गंदे पानी को साफ करके जल भराव क्षेत्र, झील में डालने के लिए तथा जल भराव क्षेत्र के चारों तरफ पाथवे निर्माण करना, बैंच पर रेलिंग लगाना, अन्य सौन्दर्यीकरण हेतु राशि साढ़े आठ करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। उक्त क्षेत्र सीआईएसएफ का होने के कारण एसटीपी निर्माण के लिए सीआईएसएफ से भूमि उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त करने पर ही यह कार्य पूर्ण हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, समाप्त?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा सवाल पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि सीआईएसएफ से कहा जाए, सीआईएसएफ से राज्य सरकार कहेगी या हम नागरिक कहेंगे, कौन कहेगा? यह कार्य किसका है? मेरा आग्रह है कि नागरिकों को सुविधा मिले और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सीसआईएसएफ के अधिकारियों से मैंने बातचीत की थी, वह कहते हैं कि हम तो तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि आप राजस्थान के पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो सीआईएसएफ से आपके ताल्लुकात होंगे, निश्चित तौर पर आप दिलवा देंगे लेकिन आज तक सीआईएसएफ का कागज हमें नहीं मिला है। वहां से पत्र भिजवा दें आप तो इसका काम चालू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उनका पत्र आने के बाद इसके तकनीकी परीक्षण के लिए रुडसिको को भिजवाया जाएगा ताकि तकनीकी परीक्षण होने के बाद में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस पर काम किया जाएगा और काम इस तरीके से किया जाएगा कि पांच वर्ष तक की अवधि तक संचालन और संधारण का प्रावधान उसमें रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविंद राम।

बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना

280. श्री गोविंद राम (खाजूवाला): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने हेतु एक अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अन्तर्गत शोभासर जलाशय, बीछवाल जलाशय से शोभासर, हुसंगसर, जालवाली, बदरासर, पेमासर, उदासर, कावनी, नाल, भरूपावा, भरूखीरा को पाइप-लाइन से जोड़कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) बीकानेर जिले के 857 ग्राम एवं 2 कस्बे क्रमश: देशनोक एवं श्रीडूंगरगढ़ की पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य वर्तमान में 2 खण्ड कार्यालयों क्रमश: जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, बीकानेर एवं जिला ग्रामीण खण्ड-द्वितीय, बीकानेर के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

बीकानेर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जल योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं उचित प्रबन्धन हेतु एक अतिरिक्त ग्रामीण खण्ड कार्यालय का प्रावधान लेकर बनाए गए पुनर्गठन प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इन पुनर्गठन प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समुचित निर्णय लिया जाकर तद्नुरूप नवीन खण्ड कार्यालय के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(2) बीकानेर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु रॉ-वाटर संग्रहण के लिए 2 जलाशय क्रमश: (अ) कंवरसेन लिफ्ट नहर पर ग्राम बीछवाल में एवं (ब) गजनेर लिफ्ट कैनाल की कानासर वितरिका पर ग्राम शोभासर में निर्मित किए

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गए हैं। बीकानेर शहर की वर्ष 2021 तक की पेयजल मांग की आपूर्ति हेतु इन जलाशयों सहित जल योजना के अन्य अवयवों का अभिकल्पन किए जाने के कारण, इन जलाशयों से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के वर्णित ग्रामों सहित अन्य ग्रामों को जोड़ा जाना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के वर्णित 10 ग्रामों में से ग्राम शोभासर एवं नाल (नाल बड़ी एवं नाल छोटी) गजनेर लिफ्ट कैनाल तथा शेष ग्राम कंवरसेन लिफ्ट कैनाल आधारित वितरिकाओं से निर्मित जल योजनाओं से लाभान्वित हैं। इन जल योजनाओं से वर्णित ग्रामों में स्वच्छ नहरी जल की पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल फिलहाल जालवाली, बदरासर, कावनी, नाल, भरूपावा, ये बदरासर से संचालित हो रहा है, वहां पर फिल्टर खराब है, स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आप अगर शोभासर से नहीं जोड़ सकते हैं और बीछवाल से हुसंगसर को नहीं छोड़ सकते हैं तो रामनगर और खारा, दो हमारी जल योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं, प्लस बदरासर का जो जलाशय बना हुआ है, उसकी स्कीम बनाकर यहां स्कीम आई हुई है, ढाई करोड़ की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, सिर्फ प्रश्न।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अगर वह स्वीकृत हो जाती है तो भी पेयजल प्रोब्लम दूर हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): प्रश्न यही है कि बदरासर में जहां से सप्लाई है उसको आप सही करने के लिए क्या मंशा रखते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बदरासर के फिल्टर में कई बार दिक्कतें आती हैं इसके लिए रामनगर की 2.63 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है, उसे फाइनेंस कमेटी के पास भिजवाया जाएगा। खारा ग्राम की 2 करोड़ 90 लाख रुपये की योजना पूर्व में अनुमोदित है, इसकी वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावाधीन है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): बदरासर में भी 2 करोड़ की स्कीम आई हुई है फिल्टर को ठीक करने के लिए, अगर वह भी ठीक हो जाए तो हमें काफी सहयोग मिलेगा। 576 करोड़ की डीपीआर पूरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की आई है, चूंकि वहां नहर से पानी की सप्लाई है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, यदि वह 576 करोड़ की डीपीआर, अगर आप मंशा रखते हैं तो उसके सम्बन्ध में भी बताएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो 576 करोड़ रुपये की परियोजना का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, इसका पानी 609 आरडी से देना प्रस्तावित है। जनवरी, 2019 में तकनीकी परीक्षण हेतु यह प्रक्रियाधीन था। जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होगा, इसके ऊपर आगे कार्यवाही की जाएगी। बदरासर योजना के बारे में भी, मैं इसका परीक्षण करके कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

प्रश्न संख्या 281

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

प्रश्न संख्या 282

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

प्रश्न संख्या 283

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

प्रश्न संख्या 284

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना के लम्बित आवेदन

285. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिए लागू करते हुए वर्तमान सीमा को 69 प्रतिशत से बढ़ाकर 100

(श्री सुरेश टाक)

प्रतिशत किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बीपीएल परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करा रही है? यदि हां तो माह जनवरी, 2019 से 30 अप्रैल, 2019 तक कितने बीपीएल परिवारों को उक्त दर से गेहूं उपलब्ध करवाया गया है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने हेतु कितने आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत की चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक लाभार्थियों का प्रतिशत 79.40 है। सभी वर्गों के पात्रताधारियों को सतत रूप से चलने वाली अपीलीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 01 मार्च, 2019 से बीपीएल परिवारों को 1 रु. प्रति किलो की दर पर गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। माह मार्च, 2019 में 18,09,870 एवं अप्रैल, 2019 में 18,38,254 बीपीएल परिवारों को 1 रु. प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया गया है। माहवार जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोडने हेतु कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरा आपसे निवेदन था कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 05.11.2015 को एक सर्कुलर निकाला गया था। इसमें पांच नम्बर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन दिया गया है। मैं यह चाह रहा हूं कि इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिये आप एक बार सभी संबंधित जो नोडल अधिकारी हैं, उन्हें वापस पत्र लिखें। कई अपात्र व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिसके कारण पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पा रहा

(श्री सुरेश टाक)

है। क्या आप ऐसा कोई आदेश निकालने वाले हैं जिससे इस सर्कुलर की पालना हो जाए और पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले और अपात्र व्यक्ति इससे बच जाए? यदि हां, तो ऐसा कब तक आप कर देंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य एक्ट 2013 में एक अपीलीय प्रक्रिया है, जो अर्धनायक प्रकृति की प्रक्रिया है। बाद में अपात्र को हटाया जाता है, पात्र को जोड़ा जाता है। पिछले कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा योजना में सैनिटाइजेशन के नाम पर बिना अपीलीय प्रक्रिया के लगभग एक करोड़ लोगों के नाम हटा दिये गये। इस प्रक्रिया में जो पात्र लोग हैं, इन्हें अपीलीय प्रक्रिया से हटा दिया गया, हम उन्हें जोड़ रहे हैं। जो भी पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सरकार के घोषणा पत्र में यह था कि पात्रता की प्रतिशत बढ़ायी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्र में 69.9 है। क्या सरकार इस पात्रता को बढ़ाने के लिये कोई योजना बना रही है और बना रही है तो कब तक बना रही है? मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो प्रतिशत है, यह बढ़े और आप इसमें शिथिलता प्रदान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।

ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर कार्ड ही एक ऐसा है, जिससे लोगों को फायदा मिल पा रहा है। उसके अलावा कोई और फायदा नहीं ले पा रहा। मजदूर कार्ड बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी पैंडेंसी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है इसमें। इसमें आप अगर बढ़ाएंगे तो दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे, यह बता दें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सतत प्रक्रिया है। As per norms अपील करते हैं सब। समावेशी आधारभूत दस्तावेज आप डीएसओ के यहां, उप-खण्ड अधिकारी के यहां, एसीएम के यहां, एसीओ के यहां पात्रता रखने की आप एप्लीकेशन देंगे और पात्रता की जांच के लिये नीचे तक ग्राम सेवा तक, ग्रामीण विकास में बीडीओ विकास अधिकारी है, अरबन एरिया में आपका आयुक्त है, कमिश्नर है, इनके पास जाने के बाद जो पात्र व्यक्ति है, उसे हम रेगुलर जोड़ रहे हैं।

(श्री रमेश चन्द मीना)

आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, 69.09 प्रतिशत को हम बढ़ाते हुए 79.40 प्रतिशत पर लेकर आये हैं तो आगे भी जो लोग अपील करेंगे, उन्हें हम उनकी पात्रता के आधार पर जोड़ेंगे। सरलीकरण की बात आपने कही है तो हमने सभी लोगों को कहा है कि जो अधिकारी हैं, उनके पास जाएं और कहीं आपको कोई प्रोब्लम है कि यहां नाम नहीं जुड़ रहे हैं तो स्पेशली आप हमें बता दें, उन्हें यदि वे पात्रता रखते हैं तो हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, मैं यह पूछ रहा हूं कि जन घोषणा पत्र में जो आपने लोगों से कहा है कि इसका प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, वह कब तक करना चाहते हैं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह तो सतत प्रक्रिया है, 79 प्रतिशत पर पहुंचा है तो इसी तरह 100 पर भी पहुंचेगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या 69 परसेंट से ऊपर करेंगे क्या आप?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 79 परसेंट पर पहुंच गया है, धीरे-धीरे आगे भी पहुंच जाएगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): शहरी क्षेत्र में 53 परसेंट है सर।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 53 हैं उसमें। लोग अभी जो जुड़ेंगे, जो पात्रता रखते हैं, उनका जोड़ा जाएगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं ज्यादा करने की बात कर रहा हूं सर। क्या परसेंटेज बढ़ाया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर सुन लें। बैठ जाएं, मंत्री बोल रहे हैं।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी सर।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलें मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह एक सतत प्रक्रिया है। जो भी पात्रता रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। आज 69 परसेंट से हमने 79.40 हो गया है। यह बढ़ता जा रहा है और 100 परसेंट भी होगा। निश्चित रूप से हम जोड़ेंगे। अरबन एरिया में 53 परसेंट भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, उसे भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

(श्री रमेश चन्द मीना)

जैसे-जैसे पात्र व्यक्ति ये समावेशी आधारभूत दस्तावेज जमा कराएंगे और जो सिस्टम है, उसके द्वारा हम उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया था, वह 69 परसेंट का दिया था और मेरे यहां से जो रिपोर्ट आयी है किशनगढ़ से, उसमें भी 69 को मानते हुए ही उन्होंने पैंडेंसी को जीरो बताया। आप कह रहे हैं 79 पर पहुंच गयी। मैं बस यही जानना चाह रहा हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो अपील है आपके यहां की, 1095 अपीलों की संख्या है। निस्तारित अपीलों की संख्या, उसमें 550 लोग पात्र थे, उन्हें जोड़ दिया तो आपकी जीरो हो गयी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

प्रश्न संख्या 286

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

प्रश्न संख्या 287

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री गोविन्द प्रसाद।

प्रश्न संख्या 288

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री अशोक लाहोटी।

प्रश्न संख्या 289

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर में मनरेगा में पक्के निर्माण का बकाया

290. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मई, 2019 तक मनरेगा योजना में निर्मित पक्के निर्माण कार्यों का कितना भुगतान बकाया है? कार्यवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(2) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों के पेटे बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) बीकानेर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से मनरेगा योजना में पक्के निर्माण कार्यों का रु. 117.85 करोड़ का भुगतान बकाया है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**बकाया राशि (रु. करोड़ों में)**
2016-17	2.29
2017-18	11.95
2018-19	94.19
2019-20	9.42
कुल	**117.85**

कार्यवार एवं पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर तुरंत भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को राज्य सरकार के स्तर से दिनांक 23.01.2019, 18.02.2019 एवं 08.05.2019 को पत्र प्रेषित किये गये हैं (परिशिष्ट-2)।

भारत सरकार द्वारा सामग्री एवं प्रशासनिक मद के अंतर्गत दिनांक 09.07.2019 को रु. 399.53 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है (परिशिष्ट-3), जो राज्य सरकार के राजकोष में दिनांक 18.07.2019 को जमा हुई है। उक्त राशि को विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग को राशि प्राप्त होने पर लम्बित दायित्वों के भुगतान की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सदन में भी मैंने 22 जनवरी को यह प्रश्न रखा था। तब भी यही सेम जवाब सरकार की ओर से आया था। जब भी केन्द्र से भुगतान मिलेगा तो भुगतान कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ग्राम पंचायतों के साढ़े चार वर्ष होने

(श्री गिरधारीलाल)

जा रहे हैं और जो ये पक्के निर्माण कार्य हैं, जैसे कि जो कुंड बने हुए हैं, कैटल शेड बने हुए हैं, ये लगभग कमजोर, पिछड़े वर्ग के हैं। आज भी वे अटके हुए हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक भारत सरकार से इस भुगतान को निश्चित समय पर करवा देंगे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि नरेगा में जो काम हैं, उसका लेबर कंपोनेंट राज्य सरकार देती है और मैटेरियल कंपोनेंट केन्द्र सरकार देती है। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को 1500 करोड़ रुपये मिलने थे। हाल ही में 400 करोड़ रुपये मिले हैं, उसका तुरंत वितरण हम करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नरेगा की लेबर कंपोनेंट है राजस्थान में, 85 से 99 परसेंट उसका पेमेंट हम within 15 days कर रहे हैं, लेकिन जो पक्के काम के निर्माण का भुगतान है वह जैसे ही केन्द्र सरकार हमको पैसा देगी, हम तुरन्त करेंगे। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं कि जिन लोगों का बकाया है वो जल्द मिलना चाहिए लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत सरकार बाकी जो 1100 करोड़ रुपये बकाया है, वह कब हमें दे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा क्वेश्चन से हटकर आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में धनेरू गांव पड़ता है उसमें नरेगा के तहत श्रमिक लगे हुए हैं जिनकी लिस्ट मेरे क्षेत्र के सम्बन्धित मजदूरों ने भेजी है। इसमें उनके नाम भी हैं, जाब कार्ड संख्या है, नेमाराम, नानू देवी, मनोहरी देवी, भानाराम हैं और इन सबके आधार कार्ड भी जुड़े हुए हैं पर इनका पेमेंट नहीं आने के कारण जब वे पंचायत समिति में जाते हैं कि आपकी खाता संख्या गलत लिख दी गई है। 5 महीने के बाद भी वे लोग चक्कर काट रहे हैं इसलिए इसकी जांच कराएं और अगर कोई सम्बन्धित अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाए।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह जानकारी मुझे दें लेकिन मैंने आपको भी और सदन को सूचित किया है कि प्रदेश में जो लेबर कम्पोनेंट का पैसा है वह लगभग 95 परसेंट समय पर पहुंच रहा है। कई बार क्योंकि खाते में इलैक्ट्रोनिक ट्रांसफर से आते

(श्री सचिन पायलट)

हैं और उनका विवरण मैच नहीं कर पाता। अगर किसी पर्टिकुलर लेबर का डिटेल मुझे देंगे तो मैं तुरन्त प्रभाव से पेमेंट भी करवाऊंगा और अगर कोई ऐसा अधिकारी है जिसने जान-बूझकर या ओवरसाइट से कोई कमी हुई है तो उस पर हम कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

पांचना बांध की नहरों की सफाई एवं मरम्मत पर व्यय

291. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पांचना बांध की कुल भराव क्षमता क्या है? पिछले पांच वर्षों में बांध में कितना-कितना भराव रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध का कुल कमाण्ड क्षेत्रफल क्या है? कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में सिंचाई व पेयजल हेतु कितने वर्षों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? पानी नहीं छोड़े जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले पांच वर्षों में नहरों की सफाई व मरम्मत पर कितना-कितना व्यय हुआ?

(4) क्या सरकार पानी नहीं छोडने के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) पांचना बांध की कुल भराव क्षमता 2100 मि. घन फीट है। विगत पांच वर्षों में बांध में पानी के भराव का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बांध का कुल सी.सी.ए. 9985 हैक्टेयर है। बांध के कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में वर्ष 2006 से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, वर्ष 2005 में बांध के निकटवर्ती किसानों की गुड़ला संघर्ष समिति द्वारा बांध से पानी नहीं छोड़े जाने हेतु आंदोलन किया गया। तत्पश्चात् बांध से सिंचाई हेतु कमाण्ड के किसानों एवं गुड़ला संघर्ष समिति में सहमति नहीं होने के कारण बांध से सिंचाई हेतु पानी तथा पेयजल हेतु पानी का आरक्षण नहीं होने से पानी नहीं छोड़ा गया।

(3) विगत पांच वर्षों में नहरों की सफाई एवं मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी नहीं। गुडला संघर्ष समिति के प्रतिरोध एवं लगातार आंदोलन के कारण जल प्रवाहित नहीं होने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का नियमों में प्रावधान नहीं होने से, कोई कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध 2004 में बनकर तैयार हुआ और पांचना बांध का डैड स्टोरेज 250 एमसीएफटी है और कुल भराव क्षमता 2100 एमसीएफटी है। पिछले पांच वर्षों में वर्ष 2014 में बांध में 1512 एमसीएफटी पानी रहा, 2015 में 1140 एमसीएफटी रहा, 2016 में 1751 एमसीएफटी रहा और 2018 में 1971 एमसीएफटी पानी बांध में रहा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इतना पानी बांध में रहने के बाद में क्या कारण रहे कि पिछले 13 साल से बांध में से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? क्या वजह रही? आप मुझे अवगत कराएं। आपने मुझे अभी जो बताया....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री रामकेश (गंगापुर): मेरा यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे बोलने का मौका दो।

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): 13 साल से हमारे किसान, पूरे कमांड एरिया के किसान बेहद परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): कुछ लोगों ने वहां पर गिरोह बनाकर संघर्ष समिति बना रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह संघर्ष समिति क्या रेगुलेशन कमेटी है? बांध से पानी छोड़ने का निर्णय क्या रेगुलेशन कमेटी से बिना पूछे हो सकता है? यह संघर्ष समिति क्या अधिकृत समिति है? क्यों इसके कहने से पानी रोका गया है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिलकुल ठीक, प्रश्न पूछो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गुड़ला संघर्ष समिति और सिंचाई हेतु कमांड के किसानों में आपस में सहमति नहीं होने के कारण पिछले कई वर्षों से सिंचाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर मैं आपको

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

और सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो गुड़ला गांव है उसमें लिफ्ट से पानी देना पड़ता है और उसका कार्य भी दो ठेकेदार छोड़ चुके हैं, तीसरा छोड़ने की स्थिति में है। इस कारण से विवाद होने के कारण से पिछले कई वर्षों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुड़ला संघर्ष समिति और हमारे कमांड एरिया के किसान, इनमें सहमति हो गई थी और सहमति होने के बाद में जान-बूझकर उस पानी को रोका जा रहा है। 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री और भाजपा की सरकार ने, उस समय वहां के नेताओं ने आपस में लड़कर, इसमें राजनीति चलाकर किसानों का गला घोंटा और वह प्रक्रिया सतत चलती आ रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब रेगुलेशन कमेटी में भरतपुर के हमारे संभागीय आयुक्त वहां के चेयरमैन हैं, कलेक्टर सवाई माधोपुर और कलेक्टर करौली उसमें मैम्बर हैं और उनकी जब सहमति बन गई उसके बाद में पानी क्यों रोका हुआ है? गुड़ला संघर्ष समिति पानी रोकने के लिए अधिकृत नहीं है मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ठीक है, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सम्भागीय आयुक्त से चर्चा करके अच्छी बरसात हो, बांध में पानी आये तो मैं समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब पिछले वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो स्वयं माननीय सदस्य ने बता दिया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वस्त होना चाहता हूं कि अगर बांध में पानी आये और डैड स्टोरेज से ज्यादा पानी अगर पांचना बांध में रहता है तो सरकार की तरफ से हमारे कमांड एरिया के किसानों को यह आश्वासन मिले तो मैं आभारी महसूस करूंगा कि अगर पानी आता है, बांध भरता है तो जो 13 साल में हुआ, पिछली सरकार ने क्या किया, क्या राजनीति की, उसको छोड़ते हुए.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामकेश (गंगापुर): अब तो कम से कम कमांड एरिया के किसानों को पानी देने का आश्वासन दो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, मैं सम्भागीय आयुक्त को कहूंगा कि आपस में सहमति बनाकर यदि पांचना बांध में पूरा पानी आता है तो उसको कमांड एरिया में देने के लिए वे आगे कार्यवाही करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): सहमति से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। बैठें। अगला प्रश्न, श्रीमती कृष्णा पूनियॉ। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठें। यह तरीका नहीं है। बैठिये आप। आप मंत्री रहे हुए हैं। बैठिये आप, प्लीज। आप मंत्री रहे हुए हैं। अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें माननीय सदस्य, नीचे बैठें आप। नीचे बैठें। मंत्री रहे हुए हैं आप। आसन पैरों पर है और बोले जा रहे हैं। आप मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार के। आपने क्वेश्चन पूछ लिया। संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे तरीके से हाउस में लेकर आएं। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

ओपन खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को नियुक्तियों में वरीयता देने की कार्ययोजना

292. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं ओपन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए क्या-क्या मानदंड निर्धारित हैं? सरकार द्वारा उक्त खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस विभाग व अन्य विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में वरीयता/बोनस अंक/आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को यह लाभ दिये जा रहे हैं?

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

(3) क्या यह भी सही है कि ओपन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सरकार शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में वरीयता/बोनस अंक/आरक्षण नहीं दिये जा रहे हैं, जबकि विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को यह लाभ दिये जा रहे हैं?

(4) क्या सरकार विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को एवं ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समान अवसर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं के समान प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार खेलकूद को स्कूल/कालेज स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार ओलिम्पिक/कामनवैल्थ/एशियाड खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं अर्जुन अवार्ड के विजेताओं के समान द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेताओं को भी विकसित भूखंड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के मानदण्ड एवं इनमें विजेता खिलाड़ियों को विभाग द्वारा देय सुविधाओं का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

प्रदेश में ओपन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 की धारा 28 व 29 में प्रावधान निहित है। सम्बन्धित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के मानदण्ड सम्बन्धित महासंघ व राज्यसंघ द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। राज्य में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम 2016 विद्यमान है, जिसके अनुसार ओपन प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार, अनुदान व सुविधाएं दी जा रही हैं। नियम की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग, गृह विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, कालेज शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विजेता खिलाड़ियों को सुविधाएं, रियायत व पुरस्कार दिये जाते हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कार्मिक (क-2/नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत अधीनस्थ व मंत्रालयिक संवर्ग की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में 2 प्रतिशत की सीमा तक दण्डवत आरक्षण दिया जाता है। जिला व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों के आधार पर उक्त आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

पुलिस विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्तियों में दी जाने वाली वरीयता/बोनस अंक/आरक्षण का विवरण परिशिष्ट-5 में वर्णित है।

(3) जी हां। राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियों के लिये अधिकतम 40 अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ओपन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को यह लाभ देय नहीं है।

(4) ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं के समान बिन्दु संख्या 3 में वर्णित भर्ती परीक्षा में अंक दिये जाने के प्रावधान का प्रस्ताव विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(5) ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुरूप राशि दी जाती है। इसमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) स्कूल एवं कालेज स्तर के पाठ्यक्रम में खेलकूद विषय को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खेलकूद को कालेज स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय सम्बन्धित विश्वविद्यालय की एकेडमिक कौन्सिल की मीटिंग में लिया जाता है।

(7) राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

के नियम 17-ए के अन्तर्गत ओलिम्पिक/कामनवैल्थ/एशियाड खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं अर्जुन अवार्ड के विजेताओं को रियायती दर पर भूखण्ड देने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट "6" पर संलग्न है।

ओलिम्पिक/कामनवैल्थ/एशियाड खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं अर्जुन अवार्ड के विजेताओं के समान द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेताओं को भूखण्ड देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 3 पर सम्माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहती हूं कि जो ओपन प्रतियोगिता है, वो इंडियन ओलिम्पिक संघ और संबंधित जो खेल विभाग है इंडियन फैडरेशन से संबंधित, वो इस प्रतियोगिता को करवाती है और इन्हीं के नियम के अनुसार ये प्रतियोगिताएं होती हैं। जिसमें ओपन प्रतियोगिता में इंटरनेशनल एथलीट चाहे वह एशियाड पदक विजेता हो, ओलिम्पिक हो या कामनवैल्थ विजेता हो या फिर नेशनल लेवल का एथलीट हो, जिसमें ओपन एथलीट पार्टीसिपेट करते हैं। ये इतने बड़े कम्पीटिशन हैं, बावजूद इसके इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मेरा सम्माननीय मंत्री जी से सवाल है क्या ओपन प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को भविष्य में शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में बोनस अंक देने का विचार करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मैं समझता हूं प्रदेश के सभी लोग यह चाहते हैं कि खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए और खेल से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है और आज हमारा जो खेल में स्तर है वो मैं समझता हूं, और देशों से बहुत कम है।

इसलिए जो यह प्रश्न पूछा लेकिन ये जो ओपन खेलकूद प्रतियोगिता का है तो यह राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 के तहत होता है। इसके लिए खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे राज्य क्रीड़ा सहायता नियम, 2016 के तहत दी जाती हैं। यह तीन, चार, पांच विभागों से संबंधित था, चूंकि खेल विभाग भी इसमें है, अलग-अलग विभाग अपने-अपने हिसाब से नियम बनाकर के, अपने-अपने हिसाब से बजटरी प्रावधान करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रहते हैं। उनके आरक्षण की व्यवस्था भी नियमों के तहत होती रहती है, उसका लाभ भी उनको मिलता है। जो माननीय सदस्य ने पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसके बारे में आज केवल यह कहना कि यह प्रावधान नहीं है, यहां तक तो जवाब इनको मिल गया लेकिन, इनकी भावना यह है, प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि क्या इसमें और गुंजाइश है क्या? मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस विभाग का भी इसमें इंवाल्वमेंट है। उन सभी की एक संयुक्त समिति बनाकर समीक्षा करनी चाहिए कि क्या अपने खेल को और बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी कहें, क्योंकि ये सब मिलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त विभाग के वित्त मंत्री भी हैं तो ये सारी चीजें वित्त से जुड़ी हुई होती हैं। ये खेल के जितने भी खिलाड़ियों को देने वाले जितने भी विभाग हैं, वे भी अपनी समीक्षा कर लेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी को आप भी बताएंगे तो मैं समझता हूं इसमें कुछ न कुछ निकलकर आएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड 7 पर मैं सवाल पूछना चाहती हूं। द्रोणाचार्य अवार्ड में जो सुविधाएं हैं, सरकार मानती है कि द्रोणाचार्य अवार्ड को वे सुविधाएं नहीं दी जातीं, जबकि जो भी कामनवैल्थ गेम, एशियाड या ओलिम्पिक की मैं बात करूं या राष्ट्रीय स्तर की भी बात करूं तो खिलाड़ी कैसे मैडल जीतता है, कोच की गाइडेंस के ऊपर और महाभारत काल से ही जाना जाता है कि गुरू का पद बड़ा होता है जिसमें गुरु गोविन्द दोऊं खड़े, काके लागूं पायं, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाय। हमारी परम्परा भी है, हमारे संस्कार भी हैं कि गुरु बड़ा है और द्रोणाचार्य अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। सम्माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं को भविष्य में भूखण्ड व 25 बीघा जमीन व अन्य सुविधाएं जो अर्जुन अवार्ड, ओलिम्पिक कामनवैल्थ गेम और एशियाड पदक विजेताओं के समानान्तर दिये जाने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो भूखण्ड या जमीन देने का काम है, यह राजस्थान सुधार न्याय नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 274 के तहत किया जाता है और वह यूडीएच डिपार्टमेंट करता है। मैं समझता हूं कि मेरा जो पहले का जवाब था, उसमें सब कुछ आ गया कि हम इस सदन के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से मैं संबंधित जो भी विभाग है। उनको निर्देश मेरी ओर से भिजवाऊंगा कि इसमें दुबारा समीक्षा करें और समीक्षा के उपरान्त, जो भी निर्णय निकलकर के आएगा। आपसे पुन: आग्रह करूंगा कि वित्त के बगैर कुछ भी सम्भव नहीं होता है। इसलिए आप माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलें, क्योंकि हमारी सरकार निश्चित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में पारदर्शिता भी रखती है और संवेदनशील भी है।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष जी, आप भी खेल से जुड़े रहे हैं, वित्त मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यहां पर विराजमान हैं और मैं आग्रह करती हूं इस सदन के माध्यम से और सभी सदन के सदस्यों की तरफ से जो बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, बड़े अवार्ड हैं, उनको समान अधिकार दिलाये जाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप जवाब देंगे इसमें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने दे दिया, संतुष्ट होकर ताली भी बजा दी माननीय सदस्या ने।

श्री अध्यक्ष: सदस्य का प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आप स्वयं कह रहे हैं कि अलग-अलग विभाग के अलग-अलग नियम हैं। माननीय सदस्य कह रहीं हैं कि उनको एक किया जाना चाहिए, तो सरकार अलग-अलग विभाग के साथ बैठकर एक नीति बनाए, जिस नीति से सबको यूनिफार्म लाभ मिले, इस पर इनिशिएटिव लें, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो उन्होंने बात कही है कि द्रोणाचार्य अवार्ड वालों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो एशियाड और ओलिम्पिक वालों को मिलनी चाहिए। सरकार इस बारे में विचार करे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): थैंक यू, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश और मैंने पहले कहा था कि एक समीक्षा सब विभाग मिलकर करें तो उसमें जो चीज आएगी वो फिर हम लोग...

श्री अध्यक्ष: करें नहीं, करना है। करें में कौन करेगा, सरकार को करना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं-नहीं, आपने तो आदेश दे दिया।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दें, इसलिए मैंने बोला है। कौन करेगा, आप सरकार हैं। सरकार को करना है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये ही तो कर रहा हूं, सर। अब आपका आदेश हो गया है तो फिर समीक्षा तो निश्चित रूप से करेंगे, निर्णय फिर लिया जाएगा समीक्षा के ऊपर।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): खेल मंत्रीजी, जवाब देना चाह रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही पाइंट उठाया है कि जो अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी होते हैं, उनका परिश्रम इंटरनेशनलिस्ट मैडलिस्ट के बराबर ही होता है और इसके ऊपर जितनी भी आउट आफ टर्न की नौकरियां और जो भूखण्ड वाले, जो हमारे प्रावधान हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर विचार रखे और बहुत जल्दी माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने ये प्रस्ताव भी हम लोग रखेंगे कि अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी को उसमें इंक्लूड किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। निर्मल कुमावत।

प्रश्न संख्या 293

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

प्रश्न संख्या 294

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ

प्रश्न संख्या 295

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

प्रश्न संख्या 296

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

प्रश्न संख्या 297

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल मीना।

जमवारामगढ़ को बीसलपुर योजना से पेयजल आपूर्ति

298. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, चाकसू, फागी एवं चौमूं को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ को उक्त परियोजना से पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल की गंभीर समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) बीसलपुर बांध आधारित वृहत् पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बस्सी के 237 ग्राम तथा विधान सभा क्षेत्र चाकसू के 324 ग्राम (तहसील चाकसू एवं फागी के क्रमश: 240 एवं 84 ग्राम) सम्मिलित हैं। इनमें से बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र के क्रमश: 237 एवं 314 ग्रामों में बीसलपुर से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा शेष 10 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

तहसील फागी के शेष 85 ग्रामों में से 81 ग्रामों को बीसलपुर-दूदू-फागी परियोजना से लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 4 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार की नीति एवं दिशा-निर्देशों की अनुपालना में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर बांध से जल आरक्षण अनुरूप परियोजनाओं की स्वीकृतियां

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चरणबद्ध रूप से जारी की गई हैं। तदनुरूप विधान सभा क्षेत्र चौमूं एवं जमवारामगढ़ के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की जल मांग बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण इन क्षेत्रों को बीसलपुर बांध से लाभान्वित नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2019 से माह जून, 2019 की अवधि में पेयजल संबंधी विकास कार्यों के अंतर्गत 5 संवर्धन/परिवर्तित/ पुनर्गठित जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 408.91 लाख तथा 1 हैण्डपम्प के निर्माण हेतु रुपये 1.30 लाख, इस प्रकार कुल 6 योजनाओं हेतु राशि रुपये 410.21 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर इनके कार्य कराये जा रहे हैं। क्षेत्र के पेयजल की कमी वाले 14 ग्राम एवं 49 ढाणियों में अधिकतम 88 टैंकर ट्रिपों द्वारा पेयजल परिवहन का कार्य भी वर्तमान में किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित पेयजल योजनाओं, पर्याप्त रूप से स्थापित हैण्डपम्प/सिंगल फेज नलकूपों से भू-जल उपलब्धता अनुरूप उक्त क्षेत्र में की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

सतही जल स्रोत को लेकर किसी भी वृहत् पेयजल योजना का निर्माण, योजना हेतु आवश्यक जल आरक्षण, तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किया जाता है। बीसलपुर बांध में जयपुर जिले हेतु आरक्षित जल मात्रा के अनुरूप पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन किये जाने के फलस्वरूप विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ को बीसलपुर बांध आधारित परियोजना से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, वर्षों तक जयपुर की प्यास बुझाने वाला बांध आज सूखा पड़ा है 15-20 वर्षों से। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ बांध से जयपुर शहर तक पेयजल आपूर्ति लाइन डाली हुई है, जब तक कोई बड़ी योजना, पिछली बार 1068 करोड़ की मेज नदी से जयपुर जमवारामगढ़ बांध तक योजना थी, उसको नहीं जोड़ा जाता है तब तक इसी लाइन का उपयोग करते हुए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): इसका उपयोग करते हुए

(श्री गोपाल लाल मीना)

बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी जमवारामगढ़ में डाला जाना सम्भव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पानी उसमें डाला जाए और मैं निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या प्रश्न है आपका?

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): बीसलपुर बांध का पानी जमवारामगढ़ बांध में डालने का सरकार विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, वैरी गुड।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा कि अभी कोई विचाराधीन नहीं है। जमवारामगढ़ के टोटल 242 गांव हैं। 234 तो आबाद हैं 8 गैर आबाद हैं और उनमें अलग-अलग तरीके से पीने का पानी कहीं हैंड पंप से, कहीं पाइप लाइन से, कहीं टंकियों से दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में बीसलपुर से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि कहीं से जोड़ रहे हैं। 88 टैंकर चला रहे हो अभी। पानी है ही नहीं जमवारामगढ़ में तो आयेगा कहां से? अब हमारी योजनाएं भी दी हुई हैं, 15-20 योजनाएं दी हुई हैं। करीबन 10-15 करोड़ की योजनाएं आपको पेश की हुई हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को चालू करो या बीसलपुर का पानी जमवारामगढ़ में लाओ या मेज नदी की जो योजना है उसको पुन: दुबारा से जो पिछली सरकार के बजट में पास हुई उस योजना से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाएं क्योंकि जयपुर में भी उस बांध से पानी आता रहा है और 15-20 वर्ष से...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं कहना चाहता हूं रामगढ़ बांध में पानी लाने की योजना को लागू करें। बजट में पेश करवाएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ में पानी कहां से लायें बड़ी चिन्ता की बात है। अभी तो बीसलपुर में स्वयं में ही पानी इतना कम है कि हम एक महीने की मांग की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं और जैसा मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं कि इनके 38

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

गांवों में पाइप जल योजनाएं हैं। 12 पंप एंड टैंक जल योजनाएं चल रही हैं। 184 गांवों में हैंडपंप जल योजनाएं हैं। जब कोई एक्स्ट्रा पानी उपलब्ध होगा या ब्राह्मणी से बीसलपुर को जोड़ा जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पानी जब उपलब्ध होगा, उस समय विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। प्लीज।

टोल सड़कों के गुणवत्ता के नियम

299. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में एनएचएआई की कितनी सड़कें हैं जिन पर टोल वसूल किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोल वसूल करने के संबंध में सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्या कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नेशनल हाई वे-27 कोटा-बारां जिले की 104 कि.मी. सड़क अत्यन्त खराब है, यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत करवाने तक टोल वसूली बन्द करने की मांग जिला परिषद् कोटा में लगातार उठाई जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(5) क्या सरकार ने इस संबंध में एनएचएआई-भारत सरकार को पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो पत्रों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) प्रदेश में एनएचएआई की 40 सड़कें हैं, जिन पर टोल वसूल किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) सड़क के रखरखाव एवं मरम्मत इत्यादि के कार्यों में गुणवत्ता का निर्धारण सम्बन्धित परियोजना के अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में एनएचएआई की एक परियोजना के अनुबन्ध में समाहित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(उप मुख्य मंत्री)

(3) उक्त सड़क के रखरखाव के लिये जिम्मेदार रियायतग्राही द्वारा अनुबन्धानुसार कार्य नहीं करने पर अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार टर्मिनेशन की कार्यवाही की जा चुकी है।

सड़क पर वाहनों के सुगम आवागमन हेतु पाट होल रिपेयर एवं पेच-वर्क का कार्य प्राधिकरण स्तर पर हाल ही में हाथ में लिया जाकर सड़क की सतह को संतोषजनक स्थिति में रखने के सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

सड़क की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा उक्त रियायतग्राही/संवेदक के रिस्क एण्ड कोस्ट पर जून, 2019 में रु. 204.99 करोड़ का सड़क की विशेष मरम्मत (स्पेशल रिपेयर) जिसमें सड़क सम्पूर्ण लम्बाई में डी.बी.एम. एवं वी.सी. द्वारा नवीनीकरण तथा अन्य रखरखाव के लिये कार्य अवार्ड किया जा चुका है। नये संवेदक द्वारा उक्त कार्य हेतु अपने संसाधन स्थापित कर दिये गये हैं। उक्त कार्य अवार्ड अनुसार 9 महीने में सम्पादित किया जाना है। (परिशिष्ट-3)

(4) जी हां। जिला परिषद् कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला परिषद् कोटा की सामान्य बैठक में दिनांक 27.01.2018 एवं 24.08.2018 में उठाई गयी है, जिसका कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.05.2019 को एनएचएआई, मुख्यालय को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हाल ही में भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक वक्तव्य दिया था कि अच्छी सड़कें चाहिये तो टोल देना होगा। उन्होंने नेशनल हाईवे के रोड्स के संबंध में यह कहा था। अच्छी सड़कों पर टोल देना ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, एनएच-27 की मैं बात कर रहा हूं कि सड़क अत्यन्त खराब होने पर भी क्या लोगों को टोल देना अनिवार्य है? मेरा पहला प्रश्न तो यह है और दूसरा कि एनएचएआई के एक टोल से दूसरे टोल तक का फासला कितना होता है? और कोटा की एनएच-27 में 120 किलोमीटर में धनेश्वर से किशनगंज के बीच में

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

चार टोल कैसे हैं और खराब सड़क पर सरकार क्यों टोल ले रही है और राजस्थान सरकार क्यों दर्शक बनकर इस टोल वसूली को देख रही है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात बोली है वह प्राइमाफेसी लोजिकल लगती है कि अगर सड़क खराब है तो उपभोक्ता उस पर टोल क्यों दे, लेकिन नेशनल हाईवे आथोरिटी आफ इंडिया के अलग मापदंड हैं, कानून हैं। टोल वसूली उनके कार्यक्षेत्र में आता है। राजस्थान सरकार का इसमें एक पत्र गया है केन्द्र सरकार को। हमने कहा है कि सड़क बहुत खराब है तो टोल वसूली शायद कारगर नहीं होगी, लेकिन एनएचएआई का कोई जवाब हमें मिला नहीं है लेकिन सैद्धांतिक रूप में जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं और जो अंत में इन्होंने सवाल पूछा था कि कितनी जगह टोल लिया जा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में लिखा होता है, जब ठेका किसी को मिलता है तो वह कितने टोल मिलेंगे, कितनी अवधि तक मिलेगा यह सब उस एग्रीमेंट में होता है, उसके तहत ही सारी कार्यवाही होती है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि कोटा की चम्बल नदी पर एक पुल बना जो टूट गया था और पांच साल बाद बना, उस टोल पर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह ब्रिज बन रहा था तो क्या वहां टोल प्रस्तावित था उस समय?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जिस पर्टिकुलर टोल की बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लाकर मैं माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा।

प्रश्न संख्या 300

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 300

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक

301. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाये जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से स्पष्ट आदेश/सर्कुलर

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

जारी किया हुआ है? यदि हां, तो कब से? इस बाबत अब तक जारी सभी आदेशों, संशोधित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी शिक्षकों के आदेश के उपरान्त भी अध्यापक-अध्यापिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए बाध्य किया जाता रहा है? यदि हां, तो क्यों? ऐसे कौन-कौन से शैक्षणेत्तर कार्य हैं जो शिक्षकों से सम्पादित करवाए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें?

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षक संघों, अध्यापक-अध्यापिकाओं, अभिभावकों, छात्र-छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों ने गैर शैक्षणिक कार्य बंद कराने के लिए लिखित-मौखिक व अन्य माध्यमों से सरकार को अवगत कराया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें?

(4) क्या सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। पढ़ लीजिये आप।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाये जाने के लिए कोई आदेश/परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश/परिपत्र जारी किया गया है और न ही विभागीय शिक्षकों को गैर-अनुमत, गैर शैक्षणिक कार्य के लिए बाध्य किया जा रहा है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत व विभिन्न प्रकार के चुनाव कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के अतिरिक्त वित्त विभाग की सहमति से विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति से पदस्थापन के लिये विभिन्न संवर्गों के पद निर्धारित किये गये हैं, जिन पर शिक्षकों को लगाया जाता है। शिक्षा व शैक्षणिक व्यवस्था संचालन की दृष्टि से आवश्यक कार्यों में सक्षम स्वीकृति से लगाया जा सकता है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) जी हां। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराये जाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। शिक्षकों से गैर-अनुमत, गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करवाये जाने के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान, विभागीय शासन सचिव एवं निदेशकगण द्वारा आदेश एवं परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को गैर-अनुमत, गैर-शैक्षणिक कार्यों में नियोजित नहीं करने/ऐसे कार्यों से मुक्त रखने के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 21.06.2019 जारी किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि इनके विधान सभा क्षेत्र में अगर किसी तरह की प्रतिनियुक्ति कोई गैर शैक्षणिक कार्य में की गई है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मानसून की बेरूखी के कारण अकाल पड़ने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमंद में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहे मार्बल व्यवसायियों को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में।

(3) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सड़कों व पुलियाओं का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहौर में कतिपय बस सेवाओं का संचालन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से घग्घर नदी का पानी अनूपगढ़ बैल्ट के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से मानसून की बेरूखी से पाली जिले के मुख्य पेयजल स्रोत जंवाई बांध में सिर्फ 4 से 5 दिनों तक का पानी ही शेष रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से खानपुर उप खण्ड मुख्यालय पर स्थाई बस स्टैण्ड के लिये जमीन आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से मानसून की बेरूखी से जयपुर, दौसा एवं अजमेर आदि जिलों के मुख्य पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर हो रही सेना भर्ती में अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना जसरासर में मृतक श्याम सुन्दर हत्याकाण्ड प्रकरण में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री हमीर सिंह भायल एवं श्री नारायण सिंह देवल, सदस्यों की ओर से प्रदेश में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से वर्ष 2018 में हनुमानगढ़ जिले की छानीबड़ी व सीकर जिले की भुंवाला तथा बोसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों की समर्थन

(श्री अध्यक्ष)

मूल्य पर खरीद सीमा 25 क्विंटल तक फिक्स किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हमीर सिंह भायल, श्री नारायण सिंह देवल, श्री बलवान पूनियां एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियमानुसार 6-D में समायोजित किये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्री विजयनगर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कतिपय गांवों में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे से सी.सी. सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(5) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना (झालावाड़) में विद्युत विभाग की लापरवाही से स्थानीय निवासियों की जान का खतरा होने के संबंध में।

(6) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश में मदरसा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाने एवं नियमित किये जाने के संबंध में।

(7) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित किये जाने के संबंध में।

(8) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाने के संबंध में।

(9) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल का पुनर्गठन कर पुष्कर को टैम्पल टाउन घोषित किये जाने के संबंध में।

(11) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सभी प्रस्ताव सदन पटल पर रखे हुए माने जाएंगे।

(पढ़ी मानी गयी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य द्वारा मावली व उदयपुर में पेयजल योजना में अनियमितताओं के संबंध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य द्वारा बीसलपुर में पानी की कमी से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में।

(3) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से भू-माफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर अवैध तरीके से बसाई जा रही कालोनियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने से नागरिकों को हो रही परेशानी के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री हमीर सिंह भायल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने आसन से कुछ व्यवस्था दी थी। आपने बात की कि सर्वदलीय बैठक में कुछ निर्णय हुए थे। अभी जो आपने प्रोसीडिंग भेजी है उसमें मेरा विरोध दर्ज है कि आप सप्लीमेंट्री पूछने दें। फैसला आसन ने कर दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको नहीं दिया। बैठें आप, प्लीज, मैंने आपको नहीं भेजी है, बैठें आप। माननीय हमीर सिंह भायल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की विद्वता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं आसन की सत्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। मैं हाइपोथैटिकल चीजों का जवाब नहीं देता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप प्रोसीडिंग पढ़ लो।

श्री अध्यक्ष: मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड पर बात तो सही जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलना

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधान मंत्री सम्मान निधि के तहत मेरे बाड़मेर जिले में 232 गांव पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। 32 गांवों के डुप्लीकेट पटवार मण्डल बता रहे हैं। 25 पटवार मण्डल डुप्लीकेट आरआई सर्किल बता रहे हैं। 3 पटवार मण्डल प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। सैकड़ों किसान इस प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित हो रहे हैं। इसमें सेड़वा तहसील के 49 गांव, समदड़ी के 9 गांव, गुढामालानी के 5 गांव, सिणधरी के 21 गांव, गडरा रोड के 92 गांव, धोरीमना के 31 गांव, गिड़ा के 22, चौहटन के 2, शिव के 2, बायतू के 4 गांव हैं। मेरा निवेदन था कि बरसात नहीं होने की वजह से किसानों के खाते में यह पैसे कभी के आ जाने चाहिये थे, पर पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। किसानों को इससे कैसे राहत मिलेगी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया चर्चा नहीं, प्लीज अपने स्थान पर जाएं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जिले में 232 पंचायतों में हजारों किसानों को इस

(श्री हमीर सिंह भायल)

सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ रहा है। माननीय सदस्य पूरे राजस्थान से पधार रहे हैं, पूरे राजस्थान में इसी तरह से पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने की वजह से लाखों किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि के जो रुपये आये हुए पड़े हैं, वह किसानों के खाते में जमा नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): किसानों की दशा, बरसात नहीं होना या कम होना। किसानों को आज की तारीख में सहकारी समितियों से लोन भी स्वीकृत नहीं किया गया है। इस वजह से 31.07.19 को फसल बीमा की जो तारीख है, वह समाप्त हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में लाखों किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, उनकी फसल का बीमा भी नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करें, क्योंकि किसानों के लिये सात दिन ही बचे हैं। इसलिए लोन नहीं हुआ था, फसल बीमा नहीं कटेगा और किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई गांव जो ई-धरती पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं। देश के प्रधान मंत्रीजी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ देने की घोषणा की। इससे लाखों किसान आज वंचित हो रहे हैं। किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने 1 दिसम्बर, 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की और वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया और इस राज्य सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत देश में 14 करोड़ 50 लाख किसान आएंगे और राजस्थान में 76 लाख 50 काश्तकार इस योजना में लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से राजस्थान में प्रतिवर्ष 400 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्राब्लम पर बोलें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि ऐसे कई गांव हैं, जो ई-धरती पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। अभी बाड़मेर का ही जिक्र हुआ। मैं जालौर की बात करूंगा। जालौर जिले के चितलवाना पंचायत समिति के 60, सांचौर तहसील के 14 गांव और जसवंतपुरा के कई गांव इसमें शो नहीं हो रहे हैं, इससे किसानों को भारी समस्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ई-धरती पोर्टल की जो भी खामियां हैं, उनका तुरंत प्रभाव से सुधार किया जाए। इस पोर्टल और पटवारी के रिकार्ड का मिलान नहीं होने के कारण भी समस्या आ रही है। इसलिए आप इनमें सुधार करें, ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

हनुमानगढ़ की छानीबड़ी व सीकर की भुंवाला तथा बोसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति में भ्रष्टाचार

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, 2017 की रात एक बजे गत सरकार ने किसानों के 50 हजार रुपये तक ऋण माफी की वार्ता के साथ समझौता किया था। 2018 में जब यह ऋण माफी फरवरी - मार्च में लागू हुई तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की भादरा तहसील, छानीबड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति और सागड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति और सीकर जिले की धोद की भुंवाला और बोसाना, इन चार पंचायत समितियों की शिकायत किसानों ने की। इन चारों पंचायत समितियों में किसानों की मांग यह थी कि अऋणी व्यक्तियों का ऋण माफ कर दिया। राजकीय सेवा में हैं और जो पेंशनर हैं, उनका गलत नियम से ऋण माफ कर दिया, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो बार ऋण माफ कर दिया। मृत व्यक्तियों के नाम से ऋण माफ कर दिया। सहकारी समितियों द्वारा कुल बकाया राशि से कई गुना ज्यादा ऋण माफ किया। सहकारी समिति के सभी पदाधिकारी के परिवारों के सभी सदस्यों के नाम से ऋण माफ किया। सवाल यह था कि ये ऋण माफ किये या नहीं किये गये, ये भ्रष्टाचार किये गये। इसलिए आपके मार्फत मेरी सरकार से मांग है कि चारों समितियों की गहन जांच कराएं। सागड़ा का व्यवस्थापक तो जेल भी होकर आया है, लेकिन उसके बाद भी हनुमानगढ़ के एमडी ने उसके खिलाफ अभी तक जांच नहीं की है। जांच की जाए और कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीद सीमा का 25 क्विंटल तक निर्धारण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, फरवरी-मार्च में केन्द्र सरकार की तरफ से नैफेड को डायरेक्शन जारी हुए कि तिलहन और दलहन की फसल, खरीफ की फसल सरसों, चने, मूंगफली की फसल है, उसमें किसान से 40 क्विंटल की खरीद की जाएगी। यह सीमा निर्धारित कर दी। जब खरीद अप्रैल में चालू हुई तो घटाकर दुबारा डायरेक्शन जारी हुए कि ये 25 क्विंटल ही खरीदी जाएगी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक लैटर लिखा है कि लिमिट हटायी जाए। मैं आपके माध्यम से दुबारा मांग करता हूं कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखे कि इस लिमिट को हटायें, क्योंकि इससे पहले राजस्व विभाग के अधिकारी, एग्रीकल्चर के अधिकारी, को-आपरेटिव के अधिकारी की कमेटी मिलकर, वहां के अलग-अलग एरिया में जो उपज होती थी, उसमें एवरेज निकालते हैं, उसके बाद निर्धारित करके फसल खरीदी जाती थी। लेकिन अभी इसको कम कर दिया गया है। इसमें लिमिट लगा दी गयी, उसको हटाएं।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि राजफैड है, उसमें स्टाफ और संसाधनों की कमी के कारण और गोदाम की कमी के कारण जो खरीद होती है उसमें टाल-मटोली की जाती है, पूरी खरीद नहीं होती हे। इसलिए समय रहते हुए स्टाफ और संसाधन बढ़ाए जाएं और अनाज मण्डियों में गोदाम बनाए जाएं और हफैड, जैसे हरियाणा में समुचित खरीद होती है, वैसे ही किसानों की पूरी उपज को खरीदा जाए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान वैसे ही बेहाल हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसान के प्रति अच्छा भाव रखें। पहले 2013 में पूरी खरीद हुई थी। इस बार मूंगफली की फसल होगी उसे पूरी खरीदें और केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं कि यह जो लिमिट लगायी है, उसे हटाएं, वर्ना किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर, श्री धर्मनारायण जोशी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मावली व उदयपुर में पेयजल योजना में अनियमितता

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। मैं जल मंत्री

(श्री धर्मनारायण चौधरी)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बागोलिया कई वर्षों से नहीं भरा है। उदयसागर से नहर से पानी ले जाकर बागोलिया को भर सकते हैं। नहर की डीपीआर भी बन गयी है और उसका सर्वे भी हो गया है। उसका 57 करोड़ रुपये का बजट है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने माध्यम से इसकी परमिशन दिलाएं। मावली की ऐसी स्थिति है कि उदयसागर से मावली क्षेत्र में होकर पाइप से हिन्दुस्तान जिंक दरीबा को पानी मिल रहा है और मावली में पीने के पानी की समस्या है। 11 पंचायतें भयंकर जल संकट में गुजर रही हैं। 11 पंचायतें वे हैं, जो उदयसागर के नीचे हैं। वहां जिंक स्मेल्टर के पानी से 11 पंचायतों का अंडरग्राउंड पानी खतम हो गया है। वह पीने के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उनको और हिन्दुस्तान जिंक को जो पानी जाता है। हमने कई बार उनसे निवेदन किया कि आप कितना पानी दे रहे हैं। वहां पर मीटर तो लगाइये। कोई मीटर भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।

एक और विनम्र प्रार्थना है। मावली क्षेत्र में पानी की टंकियां बनी हुई हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 15 वर्ष पहले साकरोदा (मावली) में 47 लाख रुपये में एक टंकी बनी। उसमें बाल्टी पानी भी नहीं डाला। वह टंकी यूं की यूं ही पड़ी है। एकलिंग जी के पास सरे कलां और सरे खुर्द में 77 लाख की पांच टंकियां बनीं और अभी वहां एक टंकी काम आ रही है। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है।

मैं उदयपुर के बारे में भी दो बातें बताना चाहूंगा। उदयपुर के वासी बहुत खुश हैं कि बड़ी से पानी उदयपुर में आ रहा है। पाइप लाइन पड़ रही है। आपको आश्चर्य होगा कि दस साल पहले पाइप लाइन पड़ चुकी है और अभी वहीं पर नई पाइप लाइन पड़ रही है। हमारे उदयपुर में पेयजल के लिये एक और निवेदन है। झामरी बांध से पानी आना था। पांच करोड़ रुपये की पाइप लाइन डाली। वह पाइप लाइन वहीं है, एक बूंद पानी उदयपुर में नहीं आया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक गैंग बनी हुई। 10-15 वर्षों से गैंग बनी है। ठेकेदार भी वही, अधिकारी भी वही। सम्पूर्ण जांच करके इसका समाधान करें और मावली को पानी दिलाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

बीसलपुर में पानी की कमी से पेयजल संकट

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की पानी की व्यवस्था के लिये बीसलपुर बांध बना था। धीरे-धीरे

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसके साथ जयपुर, दौसा, टोंक जुड़ते गये। आज चार जिलों की 90 लाख जनता बीसलपुर बांध पर निर्भर है। बीसलपुर बांध की क्षमता 38.7 टीएमसी रही। लेकिन बरसात न होने कारण धीरे-धीरे आज वह सूखता गया और उसमें केवल 2.25 टीएमसी पानी बचा है, जिसके आधार पर आपके चीफ इंजीनियर ने सारे अधिकारियों को पत्र लिखा है कि अब केवल 9 दिन का पानी बचा है, इसके आधार पर अजमेर की जनता का क्या होगा? अजमेर शहर की जनता की तो पिछले छह माह से कटौती की जा रही है। मेरे क्षेत्र और अजमेर में काफी समय से 72 घंटे के अंतराल से पानी दिया जा रहा है। 30 मिनट भी पानी नहीं आता। केवल एक-दो बाल्टी भरी जाती है। प्रेशर नहीं मिलता है। ऐसे समय मेरी सरकार से मांग है कि इसका वैकल्पिक प्रबंध किया जाए, नहीं तो हम कहां जाएंगे, कितने अंतराल पर पानी मिलेगा, इस पर मेरा सरकार से कुछ आग्रह है।

पहला आग्रह यह है कि हमारी सरकार के समय जो ब्राहमणी नदी से बीसलपुर में पानी डालने की 6 हजार करोड़ रुपये की योजना बनी थी, उसे आप तुरंत क्रियान्वित करें। दूसरा, शहर में आनासागर और फाई सागर झील है, उनमें से ट्यूबवैल खोदकर पानी कैसे लिया जा सकता है। कुछ परम्परागत स्रोत कुंए और बावड़िया हैं, उनको साफ करके पानी का उपयोग। ट्यूबवैल और हैंडपम्प खोदे जाएं। खराब हैंडपंप में पाइप डालकर उनको ठीक करें। लीकेज बंद करें। सावर, सरवाड़ और अन्य स्थानों पर जो अवैध कनेक्शन हैं, उन्हें खतम किया जाए। अंदरूनी क्षेत्र में जब हमारे समय हैंडपंप स्वीकृत किये थे, छोटी मशीन के अभाव के कारण आज तक नहीं खोदे हैं, उनको खोदा जाए। जयपुर के लिये 288 करोड़ रुपये कंटिंजेंसी प्लान बनाया है, अच्छा है। अजमेर के लिए जो 80 करोड़ का कंटिंजेंसी प्लान बनाया है, उसके साथ सौतेला व्यवहार न करें। अजमेर को पानी दें, यह मेरा सरकार से निवेदन है। नहीं तो जनता क्या करेगी? कैसे जीएगी? यह हमारे लिये बड़ी समस्या है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

भू-माफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर अवैध तरीके से बसाई जा रही बस्तियां

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर बहुत पुराना बसा हुआ शहर है। अंग्रेजों के शासन में रहा। लेकिन धीरे धीरे अवैध कालोनियां जो बसाई हैं, भू-माफियाओं ने, उससे आज अजमेर शहर की हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़कें इतनी छोटी हैं कि निकल नहीं सकते। लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। भू-माफियाओं की इतनी पौबारह है कि उनको किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। बहुत सारे नियम यूडीएच ने समय-समय पर निकाले हैं कि आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद में ले-आउट प्लान पास कराना पड़ेगा। लेकिन मास्टर प्लान को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूख अख्तियार किया है, उसके बावजूद भी भू-माफियाओं पर किसी प्रकार की कोई नकेल न तो रेरा के माध्यम से और न यूडीएच और एडीए के माध्यम से लगाई जा रही है।

मेरा निवेदन है कि अजमेर शहर के कल्याणीपुरा, विराटनगर, बालूपुरा और जवाहर की नाड़ी के मिसिंग लिंक के दोनों ओर बिना किसी एप्रूवल के, बिना किसी योजना के भू-माफियाओं द्वारा 500-500 प्लाटों की अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं। मोटाम लगाये जा रहे हैं और जो एग्रीकल्चर प्लाट्स हैं बड़े-बड़े, उन एग्रीकल्चर प्लाट्स को 150-200 गज की रजिस्ट्री करके बेचा जा रहा है। अब वह जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, चूंकि 150-200 गज पर एग्रीकल्चर तो होगा नहीं। उस पर तो अल्टीमेटली प्लाट ही होगा और उस पर मकान ही बनेंगे लेकिन जन-सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। न तो कोई पार्क है, न अग्निशमन यंत्र वहां जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में न चौड़ी सड़कें हैं। अभी भू-माफिया तो प्लाट काटकर चले जाएंगे। अपना कमीशन लेकर चले जाएंगे। बाद में परेशानी होगी उन प्लाट खरीददारों को जिन्होंने आनन-फानन में वह प्लाट खरीद लिए हैं, कम कीमत पर खरीद लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि वह सारी चीजें देखने में आती हैं। जब हम लोग देख सकते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं देख सकता? 500-500 प्लाटों की कालोनी कट रही है। पूरी-पूरी कालोनी अवैध कट रही है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरा आग्रह है कि उन कालोनियों पर कम से कम रोक लगाई जाए ताकि जो नियोजित विकास की हम बात करते हैं, जो स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं, वह नियोजित विकास आने वाले भविष्य में हो सके। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

इसलिए मेरा पुन: आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो मैंने

(श्रीमती अनिता भदेल)

उल्लेख किया है कि कल्याणीपुरा, विराटनगर, जवाहर की नाड़ी और बालूपुरा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी..

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अंतिम बात कह रही हूं सिर्फ मैं निवेदन करती हूं कि जवाहर की नाड़ी के यहां जो एडीए ने रीको को पन्द्रह साल पहले जमीन दी थी, उस रीको की जमीन पर भू-माफियाओं ने प्लाट काट दिए और लोगों ने मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद में हमारे माननीय उप-मुख्य मंत्री सचिन पायलट जी, जब वह सांसद थे और केन्द्र में मिनिस्टर थे, उनके निर्देश पर उन मकानों को तोड़ा भी गया लेकिन तोड़ने के बाद आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मेरा निवेदन है आपसे यदि हम शहरों का उचित और नियोजित विकास चाहते हैं तो इस प्रकार की जो अवैध कालोनियां बन रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने से नागरिकों को परेशानी

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय वह भी था जब सामान्य नागरिक कोई भी सरकारी दस्तावेज मांगता तो यह कह कर उसको मना कर दिया जाता था कि यह गोपनीय है। इस बात का कोई रास्ता नागरिकों के पास नहीं था कि उसकी मेहनत के पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है लेकिन समय आया और यूपीए-1 जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, तब यूपीए चैयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार मिला। यह अधिकार मिला कि किसी भी तरह के दस्तावेज को वह प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से रोजगार का अधिकार भी मिला, शिक्षा का अधिकार भी मिला, खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी मिला लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत खेद के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आज जयपुर के अंदर कोर्ट नंबर एक बिलकुल बंद पड़ा हुआ है। किसी भी तरह की आरटीआई एप्लीकेशन की कोई सुनवाई

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं हो रही है। नौ हजार एप्लीकेशन पैंडिंग पड़ी हुई हैं। जनता परेशान है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ रही है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद गत सात महीने से खाली पडा हुआ है और मुख्य सूचना आयुक्त का चार्ज भी किसी को दिया हुआ नहीं है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब पिछले साल चुनाव होने वाले थे। आचार संहिता से ठीक एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आनन-फानन में दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। तीन पद थे, बढ़ा कर चार कर दिए। चयन समिति के अंदर विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं। रामेश्वर डूडी साहब सदस्य थे। वह उस बैठक में गए नहीं और गवर्नर ने शपथ दिलाई नहीं तो चीफ सैक्रेटरी से आनन-फानन में शपथ दिलवा दी। एक ऐसे व्यक्ति का मनोनयन कर दिया जो पात्र नहीं था। आरईआरसी एक्ट में प्रोविजन है कि जो आरईआरसी में मैम्बर होता है, वह अगले दो साल तक किसी भी सरकारी पद को प्राप्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन ऐसे व्यक्ति को सदस्य मनोनीत कर दिया जो आरईआरसी में मैम्बर थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारियों पर सवा करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया जाना है, राज्य सूचना आयोग के द्वारा। वहां रिटायर्ड एम्पलोई हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज वाइंड अप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डिप्टी सैक्रेटरी रिटायर, अकाउंट्स आफिसर रिटायर। कोई किसी काम में रुचि नहीं लेता। एक महान संघर्ष, लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुआ..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज उस अधिकार का हनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार नियुक्ति अपनी प्रक्रिया से करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): राजस्थान सरकार ने आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है, जो जयपुर में स्थापित है। 21 जनवरी, 2019 को राज्य सरकार को....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी सीधा प्रश्न है कि खाली यह भरना है या नहीं भरना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं यह बता रहा हूं कि हमने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये, जनवरी, 2019 में विज्ञापन प्रसारित कर दिया था। फिर चुनाव आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद में हमने लोक सभा चुनाव के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। 20 जुलाई लास्ट डेट थी। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के रिक्त पद के लिए 100 से अधिक आवेदन आए हैं। उनकी समीक्षा की जा रही है। आईबी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद प्रक्रिया पूरी करके कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131. श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सिरोही के बनास में वाणिज्यिक भूमि का नियम विरुद्ध रूपान्तरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक वाणिज्यिक भूमि रूपांतरण कर भूमि अवाप्ति में करोड़ों रुपये हड़पने के षड्यंत्र एवं नियमों की अवहेलना कर भूमि के रूपांतरण के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1 जारी परिपत्र की...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खाली इसमें प्रश्न आंसर नहीं हैं। आप जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में बताएं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): जो उत्तर दिया है, वह भी मैं सदन को बताना...

श्री अध्यक्ष: नहीं, खाली प्रक्रिया है, प्रश्न-उत्तर नहीं है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के अंदर संभागीय आयुक्त, जोधपुर जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। टर्म्स आफ रेफरेंस में कुछ बदलाव आए। वापस उनको जांच रिपोर्ट के लिए जांच दी गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग ने राजस्थान विधान सभा को जो जवाब दिया है, इन्होंने खुद मान लिया है जवाब में कि 75 मीटर का पैरामीटर है, कामर्शियल कन्वर्जन के लिए और इसी आधार पर कन्वर्जन हो रहे हैं। आपने उत्तर में यह भी स्वीकार कर लिया है कि आपने 75 मीटर से कम में कन्वर्जन किये हैं। 40 मीटर पर कन्वर्जन किये हैं और जो नक्शा आपने खसरा नंबर 18/3 का लगाया है, 223 का उसमें 30 मीटर पर आपने कामर्शियल कन्वर्जन कर दिया है। उसके बाद आप कौन-सी जांच करा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस कामर्शियल कन्वर्जन को निरस्त कीजिए। करोड़ों रुपये लूटने का जो षड्यंत्र अधिकारियों के साथ मिलकर हुआ है उन सारे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही की घोषणा कीजिए। यही आपसे विनती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कुछ बोलना है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कुछ और टर्म्स आफ रेफरेंस के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। ध्यानाकर्षण किया गया था। आज कामर्शियल कन्वर्जन के लिए 75 मीटर के अंदर, जो कामर्शियल कन्वर्जन हुआ है, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात की है। माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि तीस मीटर के अंदर कंवर्जन हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी कन्वर्जन हुआ है कानून के विपरीत, तो उस कन्वर्जन को रद्द किया जाएगा। जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री वाजिब अली, 131.

मदरसा/पैराटीचर्स का नियमितीकरण

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं मदरसा पैराटीचर्स के स्थायी/नियमित करने के संबंध में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पैराटीचर्स स्थायी करने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 के अंदर पंजीकृत मदरसों के शिक्षा सहयोगी थे उसमें 1400 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर सेवाएं देने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसमें 1395 को नियुक्ति दे दी गई थी। इसके अलावा, अन्य पैराटीचर्स के मामले हैं, उसमें अभी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट घोषणा में बिन्दु संख्या 116 पर मदरसा आधुनीकरण योजना के अंदर मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए उन्होंने दस करोड़ रुपये की घोषणा की है।

मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मदरसों को और अच्छा बनाने के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में मदरसा पैराटीचर्स के लिए, मुख्य मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों की समस्या निर्वहन में, पैराटीचर्स भी उनके साथ आते हैं, एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन हुआ है। मदरसा पैराटीचर्स के नियमितीकरण का था, वह प्रकरण भी इस समिति में विचाराधीन है। जैसे ही कमेटी निर्णय करेगी, पैराटीचर्स को भी उसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वाजिब अली (नगर): धन्यवाद, मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिया गया है। बजट में पेज 116 पर कम्प्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम आदि को बढ़ाने की बात कही गई है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक इतने कम वेतन में वह लोग अपने घर से 700-800 किलोमीटर दूर अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी हो तब तक एट लिस्ट उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाए। उनका मानदेय कम से कम इतना बढ़ाया जाए कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभा सके, पालन पोषण कर सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी न्यूनतम मानदेय 7202 रुपये है और अधिकतम 9075 रुपये प्रतिमाह।

(श्री शाले मोहम्मद)

हर साल 400 रुपये की वृद्धि होती है। मैंने पहले भी सदन को जानकारी दी थी। समय-समय पर जो मानदेय बढ़ा है वह जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। मंत्रिमण्डल की समिति के अंदर प्रकरण विचाराधीन है जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जैसे निर्णय होगा, इसमें संविदाकर्मी सबका साथ में, तो मदरसा पैराटीचर्स भी उसमें साथ आएंगे, अच्छा निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल। अधिसूचना वित्त विभाग।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-IV-38 दिनांक 18.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-IV-39 दिनांक 18.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-05 दिनांक 23.4.2019 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा।

याचिका

सूखनी नदी पर निर्मित पुलिया में घटिया निर्माण सामग्री

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से करवाड़ से डूंगरली (इटावा, जिला कोटा) के मध्य सूखनी नदी पर निर्मित पुलिया में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग होने से पुलिया के बार-बार क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजन को आवागमन में हो रही परेशानी बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

सूरसागर में माचिया सफारी पार्क तक नगरीय परिवहन सेवा व बड़ली भैंरूजी तक बीआरटीएस की मांग

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र स्थित माचिया सफारी पार्क तक सीधे नगरीय परिवहन सेवा तथा बड़ली भैंरूजी तक बी.आर.टी.एस. का रूट प्रारम्भ करने के संबंध में एक याचिका उपस्थापित करती हूं

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

सिरियारी से देसूरी तक राजमार्ग की स्वीकृति

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजमार्ग-62-बिलाड़ा-सोजत-देसूरी के अन्तर्गत सिरियारी से देसूरी तक 51 किलोमीटर के शेष रहे राजमार्ग की तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: संदीप शर्मा।

कोटा में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा शहर के औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगरी होने के महत्व को देखते हुए हवाई सेवाओं के विस्तार के लिये जमीन उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

चौहटन के ग्राम प्रेमसिंह की ढाणी से मते का तला की अधूरी सड़क का निर्माण

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन के ग्राम प्रेमसिंह की ढाणी से मते का तला की अधूरी सड़क को पूर्ण करने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

चीरवा के ग्राम सरे कलां व सरे खुर्द में बनी पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उदयपुर ज़िले की चीरवा पंचायत के सरे कलां एवं सरे खुर्द गांवों में बनी हुई पानी की टंकियों से गांवों को पीने का पानी सप्लाई कर जनता को राहत प्रदान करने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल मीना।

जमवारामगढ़ बांध के लिए चम्बल की सहायक मेज नदी से पानी लाने की कार्ययोजना

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जमवारामगढ़ बांध के लिये चंबल नदी की सहायक नदी मेज से पानी लाने हेतु बनाई गई कार्य योजना की शीघ्र क्रियान्विति कर जनता को राहत प्रदान करने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019. श्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019, भंवर सिंह भाटी, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

व्यवस्था का प्रश्न

मांगों पर कटौती प्रस्ताव के जरिये चर्चा की व्याप्ति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रियाओं के नियम 294(2) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर लोक निर्माण मांग संख्या-19 और ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम मांग संख्या-28 पर अभी चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण के समय में निश्चित तौर पर सड़कें और पुल, यह मांग संख्या 21 में है। कार्य सलाहकार समिति में जब यह विचार हो रहा था तो मोटे तौर पर यह विचार हुआ था कि इस मांग के माध्यम से हम सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से अपनी बात कह पाएंगे। श्रीमान् ने बिलकुल ठीक किया। माननीय सदस्यों ने ज्यादातर अपने प्रस्ताव सड़क और पुल के संबंध में दिए। कटौती के प्रस्ताव का निरसन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, परन्तु मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप इसमें रूल को रिलेक्स करके, क्योंकि उस समय कार्य सलाहकार समिति में जब लिखा जाना था, सचिवालय के बारे में मैं कोई बात नहीं कह सकता, मुझे कहनी भी नहीं चाहिए पर उस समय मंतव्य सबका, श्रीमान् उस समिति की आप सदारत कर रहे थे, मंतव्य यही था कि सार्वजनिक निर्माण की मांगों पर हम विचार करेंगे। यह टैक्नीकली 19 नम्बर मांग लिखी गई और इसमें 21 नम्बर मांग सड़क व पुल है वह लिखी नहीं गई। मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा रिलैक्सेशन देकर, आज जब मांगों पर चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं तो आप यह अनुमति फर्मा दें कि माननीय सदस्य, सड़क, पुल, आवास और लोक निर्माण के बारे में सम्मिलित रूप से अपनी बात कह सकेंगे क्योंकि एक टैक्नीकल फाल्ट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी चर्चा चली है उसमें हमेशा लिखा जाता रहा है मांग संख्या 21 के बारे में। चूंकि सचिवालय के बारे में कोई सवाल करना उचित नहीं है, अगर सचिवालय लिख देता तो यह बात नहीं होती। माननीय सदस्य डिप्राइव हो जाएंगे इसलिए मेरा आसन से आग्रह है कि आप रिलैक्सेशन देकर सड़क व पुल पर भी माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें इस बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजें।

व्यवस्था

मांगों के शीर्षक के अनुसार ही कटौती प्रस्ताव व चर्चा की अनुमति

माननीय सदस्य, आपका पाइंट आफ आर्डर मैंने सुना। पाइंट आफ आर्डर का औचित्य इस स्टेज पर नहीं है, क्योंकि हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। स्पीकर का निर्णय हो गया है, इसलिये उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

यह निश्चित तौर पर एक जानकारी, ट्रेनिंग भी है कि यदि बजट आपको दिया है तो बजट के हैड को, सबको देख लेना चाहिए था कि लोक-निर्माण कार्य क्या हैं, सड़क और पुल क्या हैं। अब किसी गलती से जो मांग 19-लोक निर्माण कार्य की आई है, आज चर्चा लोक निर्माण पर ही होगी और जो हमने सारे कटमोशंस रिजेक्ट कर दिये हैं, आइन्दा जब भी होगा तो हर सदस्य को यह ध्यान रहे कि बजट के जो हम कागज देते हैं, उसको ध्यान से देखें, जिससे ध्यान रहे कि लोक निर्माण क्या है और सड़क पुल क्या है, यह ट्रेनिंग हो जाए। इसलिये हमने सोच-समझकर उनको रिजेक्ट किया। आज चर्चा केवल लोक निर्माण पर होगी। मैं माननीय श्री सचिन पायलट से निवेदन करूंगा कि वे अपना मांग प्रस्ताव रखें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,61,43,43,000/- (तेरह अरब इकसठ करोड़ तियालीस लाख तियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख। एक मिनट, सर, दूसरी मांग भी रखनी है।

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,48,89,000/- (नौ अरब तिरेपन करोड़ अड़तालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव नहीं हैं। पर कोई माननीय सदस्य चाहें तो उसमें विचार व्यक्त तो करने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नहीं, नहीं, जो चीज नहीं हो सकती है, वह नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): विचार व्यक्त तो करने दें, हुकुम, जब पूरा ...(व्यवधान) तो काहे पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, नहीं। जो चीज नहीं हो सकती, वह नहीं। माननीय सदस्य, बिलकुल नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, काहे पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं खड़ा हूं। आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रार्थना तो सुन लें एक बार।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी सुन ली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, एक बार सुन लें।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी सुन ली। मैं चार बार सुन चुका हूं आपकी बात। नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज।

लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जो कट मोशंस स्वीकार होने हैं, अस्वीकार करने हैं, उनकी जानकारी कल सबको दे दी थी। सबको जानकारी है कि लोक निर्माण के ही कट मोशंस असैप्ट किये हैं, बाकी नहीं किये हैं। यह जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है। इसलिये इस स्टेज पर चर्चा नहीं

(श्री अध्यक्ष)

होगी। लोक निर्माण पर ही चर्चा होगी। जिन सदस्यों को बोलना है, वे लोक निर्माण पर बोलें। बाकी जो दूसरी मांग 28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, उस पर बोलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): है क्या लोक निर्माण में?

श्री अध्यक्ष: है क्या, पढ़ कर आएं। क्या है, मुझे मालूम नहीं। कटारियाजी, अब नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने इतना गौर से नहीं देखा। पर जब हमारी चर्चा हुई थी बिजनस एडवाइजरी कमेटी में, उस समय हमने इस बात को कहा था कि इन विषयों को भी टच करते हुए होगा। इस बात को मानने में तैयार हैं कि जब आपके यहां से सूची आई, उसमें इस मांग को इसके अन्दर जोड़ते हुए नहीं रखा। लेकिन जो अपनी बात हुई उस समय जो तय हुआ, उसमें उसको जोड़ते हुए मांग पर डिस्कशन करने के लिये सबकी सहमति बनी थी और सबने इसको जोड़ने के लिये कहा था लेकिन अब आपके यहां से इसकी जो मांग संख्या है, वह केवल एक लिमिटेड पर ही रह गई। अब उसके कारण से, सामान्यत: हमने भी इतना गौर नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, एक मिनट, माननीय कटारिया जी।

माननीय राजेन्द्र राठौड़, आप बहुत विद्वान हैं। बिजनस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव हाउस में पास हुआ। उसमें मांग संख्या 19 लिखी हुई थी, लोक निर्माण लिखा हुआ था। आप तो बहुत सजग विधायक हैं न, क्या आपको नहीं मालूम था कि 19-लोक निर्माण में क्या आता है। क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि जैसे ही सदन में पास हुआ, हमको पाइंट आउट कर लेते। लोक निर्माण के बारे में बिजनस एडवाइजरी के प्रस्ताव में पास हो गया, उसमें लिखा हुआ था, तब किसी ने पाइंट आउट नहीं किया। नहीं, अब चर्चा नहीं करेंगे। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं थी इसके अन्दर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं इसमें रूलिंग दे चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं होगा, नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं तो होगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं होगा। सीखेंगे लोग। सीखेंगे बजट को। आप जैसा सदस्य..., माननीय सदस्य, बैठें आप। प्लीज, बैठें। आप बैठें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके रहते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन हो रहा है हमारा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। अब कोई तरीका नहीं है। अब हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह कोई तरीका नहीं है। आप सबसे सजग विधायक हैं। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में पास हुआ, बिजनस एडवाइजरी कमेटी के बाद सर्कुलेट हुआ कि कौन-कौन सी मांगें होंगी। मांग संख्या 19 लिख रखी थी, लोक निर्माण लिखा हुआ था, क्या वह समय नहीं था, जब लोक निर्माण के सम्बन्ध में हम इन चीजों को नोटिस में लाते? आज जब चर्चा प्रारम्भ हो गई और कट मोशंस को रिजेक्ट कर दिया। यह स्टेज नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। इस रूलिंग में चेंज नहीं करूंगा। लोक निर्माण पर ही चर्चा होगी। लोक निर्माण का मतलब डाक बंगले और जो भी सर्किट हाउस हैं, उनके सम्बन्ध में आप चर्चा करेंगे, बाकी मांग पर चर्चा करेंगे। सड़क पर चर्चा नहीं होगी। माननीय श्री ज्ञानचंदजी पारख।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिजनस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय बैठ जाएं, प्लीज, अलाउ नहीं है। Please, I stand. अलाउ नहीं है। बैठें आप। (व्यवधान) ज्ञानचंदजी पारख।

मांग संख्या 19 व 28 पर विचार

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है। चाहे हमारी संस्कृति हो और चाहे हमारी पहचान हो, यह गांवों की वजह से जिंदा है पर हम नजर डालेंगे न, गांव में और शहर में, तो बहुत बड़ा अंतर गांव और शहर के बीच में हमको स्पष्ट दिख जाएगा। चाहे विकास का कोई काम हो, सड़कें हों, पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, शहरी क्षेत्र में हमने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं और ग्रामीण बेल्ट को हमने कितना अनदेखा किया। हम किस प्रकार इस अंतर को धीरे-धीरे कम करके समाप्त कर सकें, यह सदन का पूरा का पूरा दायित्व बनता है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र विकास ही नहीं, रोजगार की बात भी करें न, तो वहां भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहर की ओर आता है। गांव की इस हालत का जिम्मेवार कौन, थोड़ा अपने-आपको टटोलना पड़ेगा। जिसने ज्यादा शासन किया, वह ज्यादा जिम्मेवार। जिनके हिस्से में कम काल आया, जिम्मेवार वह भी, लेकिन उनके काल में कितने काम हुए और जिनका ज्यादा शासन था, उनके काल में कितने काम हुए एक बार आप उसको भी ध्यान से देखो तो आपको महसूस हो जायेगा कि जितना काम हमको करना था उसकी तुलना में काम कम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे गांव आज भी जितने विकसित होने चाहिए, जितने सुविधा युक्त होने चाहिए, उसकी तुलना में बहुत कम हैं।

मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री को, जिन्होंने 1952 में गांव की सरकार की पहल की। वह भी राजस्थान की पवित्र भूमि से नागौर में, कि यह पंचायती राज सिस्टम लागू करके हम गांव के व्यक्तियों को भी शहर की भांति पहली पंक्ति में खड़ा करेंगे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान भी किया। पंच होंगे, सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, सारी व्यवस्था की। कर तो दिया, पर विकास के लिये कितनी राशि देंगे, कोई प्रावधान नहीं किया। जो ग्रामीण बैल्ट प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे में है, उनको कब्जे से बाहर लाकर गांव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार कैसे देंगे, इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया। क्या हालत थी, पहले वर्षों तक एक ही व्यक्ति, जो प्रभावशाली था, या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य गांव का सरपंच बनकर, उसी गांव में, जो अंग्रेजों के काल में जिस तरह की व्यवस्था थी, उसको परम्परा के तौर पर वह आगे बढ़ा रहा था। कभी उन्होंने इस दिशा में प्रयास नहीं किया।

(12.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उसके बाद में लम्बे अंतराल बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी ने जरूर इस पंचायती राज के बारे में कुछ सोचा। उनकी बहुत पीड़ा भी थी जो उन्होंने पंचायती राज सम्मेलन 1989 में दिल्ली में कही थी कि दिल्ली से हम विकास के लिये ग्रामीण बैल्ट में एक रुपया भेजते हैं और गांव तक मात्र 15 पैसा पहुंचता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। देश के प्रधान मंत्री ने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

यह बात खुद दिल्ली के पंचायती राज सम्मेलन में 1989 में कही थी। गांव तक पहुंचता है 15 पैसा, माननीय सभापति महोदय, उस 15 पैसे में भी गरीब के घर पर कितना पैसा पहुंचता है, शायद उससे भी कम पहुंचता है। उन्होंने प्रयास भी किया कि किसी प्रकार जो भ्रष्टाचार है, चाहे पूरा सिस्टम है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाऊं। उन्होंने एक प्रयास यह भी किया कि 1985 के चुनाव थे, जिन-जिन दिग्गज नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए थे, उस व्यक्ति ने साहस दिखाया, हिम्मत की और कइयों के टिकट उन्होंने काटे। पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, कहां पर उनको समझौता करना पड़ा? क्यों वह चुप हो गये, क्यों उन्होंने वह सिलसिला चालू नहीं रखा? जो साहस उन्होंने दिखाया था अगर वह साहस निरंतर दिखा देते तो भ्रष्टाचार का जो खेल, जिसका परिणाम गांव भुगत रहा है, शायद उससे मुक्ति मिल जाती।

उन्होंने प्रयास करके 1989 में पंचायती राज का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया ताकि पंचायती राज को और शक्तिशाली बना सकें। यह लोक सभा में पास भी हो गया पर राज्य सभा से वह वापस लौट गया और उसके बाद में नरसिम्हा रावजी के कार्यकाल में 1993 में यह पास हुआ।

माननीय सभापति महोदय, यह चलता रहा लेकिन पंचायतों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और पंचायतों को सशक्त करने का यदि सबसे बेहतरीन काम अगर किसी ने किया तो उसमें भी हमारे यहां के दिग्गज नेता तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। उन्होंने क्या अधिकार दिये? जो पंचायती राज वर्षों से किसी के कब्जे में था, उसको कब्जे से बाहर निकालकर गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो वह भी चुनाव लड़कर पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख बन जाए और 26 जुलाई, 1994 को इस स्वर्णिम अध्याय की शुरूआत माननीय भैरोंसिहजी शेखावत के हाथों हुई।

महिलाओं को भी 33 परसेंट आरक्षण मिले, उसका प्रावधान भी किया। जो गरीब आदमी चाहे वह एस.सी. का हो, चाहे वह एस.टी. का हो, चाहे वह ओ.बी.सी. का हो और चाहे हमारी महिला बहन हो, कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था और न उसको कल्पना थी कि मैं भी कभी सरपंच बनूंगा या सरपंच बनूंगी पर भैरोंसिंहजी शेखावत ने उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया

(श्री ज्ञानचंद पारख)

और उस व्यक्ति को यह सम्मान दिया कि जीतकर आ जाओ, आपका भी इसमें बराबर हक बना रहेगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने राजस्थान में एक नई पहल की शुरूआत की।

माननीय सभापति महोदय, चाहे प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, यह सारी रचना उनकी थी और पहले का जो सिस्टम था, उसको भी बदला। पहले एक प्रधान बनता था तो प्रधान के लिए वह सरपंच ही वोट देता था। प्रमुख बनता था तो भी प्रमुख के लिए वोट देने का अधिकार सरपंच को था। उन्होंने नया सिस्टम चालू किया, ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ज्यादा लोग मिलकर गांव की इस विकास की भूमिका में अपनी भूमिका निभा सकें, पंचायत समिति सदस्य और जिला प्रमुख का भी प्रावधान किया।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों को विकास के लिए जो राशि मिलती थी, प्रति व्यक्ति राशि भी माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में बहुत ज्यादा बढ़ाई ताकि उस राशि के माध्यम से गांव की चुनी हुई सरकार अपने गांव में विकास के कार्य करवा सके।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज को तो सशक्त किया पर साथ में गांव का विकास हो जाए, उस दिशा में भी काम किया। पहली बार माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत को पक्की डामर की सड़क से जोड़ने का काम, वह काम भी उनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ। उसके पहले नेताओं की मनमानी चलती थी। कोई प्रभावशाली है, चाहे आबादी कितनी ही है, चाहे जनसंख्या कितनी ही है, गांव छोटा है या बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, जिस नेता की चल गयी, सड़क मंजूर करवा दी, अपने गांव तक सड़क पहुंचा दी पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को भैरोंसिंहजी ने यह अधिकार दिया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय है तो पक्की सड़क से जुड़ेगा।

चार हजार की आबादी से बड़ा कोई भी गांव है तो वहां पर घर-घर पानी पहुंचाने का काम भी माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में हुआ, उन्होंने नल योजना का यह प्रावधान किया।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने भी इसको और सशक्त बनाने के लिए, इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए अपने पिछले कार्यकाल में इस चुनाव को शिक्षा के साथ भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जोड़ा। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता है कि कई सरपंच जो निर्दोष थे, पढ़े-लिखे नहीं थे, ग्राम सेवकों ने क्या किया? मनचाही जगह पर अंगूठा लगवा दिया। बेईमानी खुद ने की, भ्रष्टाचार खुद ने किया और दोषी गुनाहगार कौन हो गया? हमारा वह अनपढ़ सरपंच। आज के समय में चाहे गांव के विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं और चाहे व्यक्तिगत लाभ की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर जन-प्रतिनिधि पढ़ा-लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा तो, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि आपकी योजना का लाभ, वह न तो गांव या गांव का जो पात्र व्यक्ति है, उस तक पहुंच नहीं पाएगा। यह जो आपने प्रावधान हटाकर गलती की है न, मेहरबानी करके प्रदेश के हित में, गांव के हित में आप इस गलती को सुधारें वरना आपकी योजनाएं पात्र व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाएंगी और पता नहीं आप क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हो? आप क्यों नहीं चाहते हो? पता नहीं। आपको यह डर लग गया कि जैसे-जैसे लोग शिक्षित होंगे तो वैसे-वैसे आपके वोटों की संख्या कम होती गई है। जगह-जगह आपके जो परिणाम आ रहे हैं वह माइनस जा रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ना चाहिए, गांव आगे बढ़ने चाहिए, हम चाहे कहीं पर भी खड़े रह जाएं पर उनका विकास होना चाहिए। इस प्रावधान को वापस मेहरबानी करके लागू करें ताकि जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे जन-प्रतिनिधि काम कर सकें।

वसुन्धराजी ने शक्ति दी और साथ में एक कदम और आगे भैरोंसिंहजी शेखावत के नक्शे कदम पर गांव में एक गौरव-पथ, गांव का जो मेन चौराहा है पंचायत मुख्यालय का जहां पर पहले कीचड़ रहता था, गंदगी रहती थी, शहरों में तो शानदार चमकती हुई सड़कें हैं और गांव में कीचड़ और गंदगी से भरे रास्ते तो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक किलोमीटर सीमेंट का गौरव-पथ दिया। पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल दिया ताकि वहां के बच्चे नजदीकी विद्यालय में अपनी शिक्षा भी ले सकें।

बेहतर शिक्षा हेतु पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वामी विवेकानंद माडल विद्यालय, एक नहीं ऐसे कई सारे काम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने भी किये और आपको भी वह सिलसिला चालू रखना होगा और आपने वादा भी किया है कि हम गौरव-पथ की तुलना में बेहतर विकास-पथ गांव में देंगे। यह आप कब देना चालू करेंगे? इसकी थोड़ी आज घोषणा कर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

देना ताकि गांव वालों को उम्मीद बने कि नहीं, वसुन्धराजी गई हैं तो विकास नहीं गया, विकास तो जारी रहेगा।

मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने गांव के विकास के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से भी जो कुछ किया जा सकता है, वह करने का प्रयास किया। घर-घर और ढाणी-ढाणी बिजली, 65 साल तक कई घर, कई गांव, कई ढाणियां अछूते थे। बिजली क्या होती है, यह सिर्फ देखते थे। कभी उनके मन में भी यह आशा थी कि मेरे घर में भी बिजली आए। दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने गांव-गांव घर-घर बिजली भी पहुंचाई।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि गांव में जो शौच की व्यवस्था है, वह सारा की सारा खुले में है, जंगल में जाओ। दिल्ली में

(13.00 बजे)

बैठा व्यक्ति गांव की उस महिला का, उस व्यक्ति का दर्द समझता है और वहां से इस बात की घोषणा करता है कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा, सरकारी खर्चे से हम शौचालय देंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि शौचालय के लिये सारा पैसा भारत सरकार दे रही है पर 2011 का जो सर्वे हुआ न, उसमें जो भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लगा हुआ था, सर्वे में कहीं न कहीं उसने चूक कर दी। अनेकों ऐसे मकान आज भी प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे, जहां शौचालय नहीं है, पर सूची में उनका नाम अंकित नहीं हो सका। थोड़ा वापस सर्वे करवा दो और कोई वंचित रह गया है तो उसको भी शौचालय मिल जाए। इसलिए दिल्ली सूची भिजवाओ और बात भी करो, हम भी बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी ग्रामीण महिलाओं को कभी कल्पना नहीं थी कि हमारे पास गैस कनेक्शन होगा। वही उनकी माथाफोड़ी कि सुबह जंगल से लकड़ी काटकर लानी या गोबर का छाना बनाना और उसी से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करना। पर उस व्यक्ति की दूरदृष्टि देखो कि गांव में बैठी महिला की कितनी चिन्ता है उसको, कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी उसने ग्रामीण क्षेत्र में लगभग प्रत्येक घर तक गैस कनेक्शन दिलवा दिया।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, 2024 तक प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंच जाए, उसकी घोषणा भी उस व्यक्ति ने कर दी और आने वाले कल में हमें गांव में भी प्रत्येक घर पर जल मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने भी ग्रामीण विकास के लिये प्रधान मंत्री सड़क योजना की शुरूआत की थी और आबादी के क्रम में मेरे गांव में डामर की सड़कों का निर्माण कराकर गांव के विकास का एक नया आयाम स्थापित किया, क्योंकि बिना सड़कों के निर्माण के विकास कहीं नजर नहीं आता। विकास की अगर पहली कोई कड़ी है तो वह सड़कें हैं, जिससे विकास दिखता है। उन्होंने उसकी शुरूआत की।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि विकास के काम तो हमको करने हैं, पर विकास के काम का माध्यम हमारा जन-प्रतिनिधि हो, आपका अधिकारी नहीं हो, यह बात भी आपको तय करनी होगी। कितनी शक्ति है आपके प्रधान के पास और कितनी शक्ति है आपके बी.डी.ओ. के पास, थोड़ी तुलना कर लो। बी.डी.ओ. सुनता ही नहीं है प्रधान की। पंचायत समिति की जो कमेटियां होती हैं, उसका निर्णय भी बी.डी.ओ. मानता नहीं है। सरपंच अपने काम के लिये बी.डी.ओ. के आगे गिड़गिड़ाता है और कोई काम कर दिया, उसका पेमेंट लेना होता है, तो एक जन-प्रतिनिधि को एक नौकरशाह को पैसे देने पड़ते हैं कमीशन के रूप में, जब उस जन-प्रतिनिधि को राशि मिलती है, ऐसी दुर्दशा हो गयी है। आप पूछ लेना अपने सरपंचों को कभी। जब पेमेंट लेना होता है न, तो कितना कमीशन बी.डी.ओ. लेता है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि पैसा दे रहा है। मैं पुन राजीव गांधीजी की उस बात को आपको याद दिलाना चाहूंगा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, कि हम गांव में एक रुपया भेजते हैं, पन्द्रह पैसा पहुंचता है। यह जो पिचासी पैसे की गड़बड़ है न, इसको कौन ठीक करेगा, कौन रोकेगा? सीधी-सीधी जिम्मेदारी आपकी बनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बीच के भ्रष्टाचार को बंद कराओगे। क्या हालत हो गयी है? हमारा गरीब, जिसको प्रधान मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री आवास भेजा है। किश्त में कमीशन तय, पहली किश्त जारी होगी, यह हकीकत है, हमारे काल में भी होता था, अब कुछ बढ़ गया। पर कमीशन के बिना आपका ग्राम सेवक और आपका बी.डी.ओ. उसका पैसा पास नहीं करता। प्रावधान आपने कर रखे हैं कि पहली किश्त कब

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मिलेगी, दूसरी किश्त पर कब उसको भुगतान होगा और तीसरी पूरी किश्त कब मिलेगी। आपके प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हैं आपके अधिकारी और कर्मचारी और उसका खामियाजा गांव का वह गरीब भुगतता है। आपको तो याद नहीं पिछले कार्यकाल में कुछ सरपंच अपनी पीड़ा लेकर यहां आये थे, जब आपका शासन था। आपने सरपंचों के साथ क्या किया? जो पुराने सदस्य बैठे हैं, उनको पता होगा। आये थे सरकार के पास अपनी पीड़ा को लेकर, कि हमारे ऊपर क्या बीतती है, हमारी क्या दुर्गति होती है। कुछ आस लेकर आये थे और आपको तो सब पता ही है कि उनको डण्डे मार-मारकर भगा दिया था। याद है न आपको, लट्ठ पड़े थे, डण्डे मार-मारकर उनको भगा दिया। जब जन-प्रतिनिधियों की भी आप नहीं सुनोगे तो आपके नौकरशाह हावी होंगे, इसलिए जन-प्रतिनिधि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसकी बात का सम्मान, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, यह मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री से आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम गांवों के विकास के लिये राशि भेजते हैं। यह सारे के सारे हमारे ऊपर आश्रित हैं। चाहे सरकार राशि दे, चाहे विधायक कोष से मिले और चाहे सांसद कोष से मिले, हमको यह प्रयास करना होगा कि हम आर्थिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये कोई न कोई प्रावधान करें। थोड़ी मानिटरिंग की जरूरत है, थोड़े प्रयास की जरूरत है और हम प्रयास कर लेंगे न तो हो सकता है कई सारी ग्राम पंचायतें बहुत बड़ी आय अपने लिये पैदा कर लेंगी। यह अंग्रेजी बबूल हैं न, जो हर गांव में आज की तारीख में एक परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर उसका भी ठेका ईमानदारी से दे दें पंचायत के जिम्मे, कि इसको काटकर बिकवा दो तो भी हर ग्राम पंचायत को लाखों रुपये की आय हो जाएगी, क्योंकि एक गांव में मैंने देखा है जहां 19 लाख की आय हुई है।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह लैण्ड कन्वर्जन का जो पैसा है न, जिसमें पंचायतों का अधिकार बनता है, हक बनता है। जमीन उनकी गयी, आधा पैसा आप मत रोको, आधा भी उनको ही दे दो आप। बात वही है। यहां से आप पैसा दे दोगे न, तो पैसा बच जाएगा आपका, सरकार का पैसा बच जाएगा। उसके अलावा ग्राम पंचायतों में, जैसे शहरी क्षेत्रों में जो सिवाय चक भूमि है, स्थानीय निकाय के हस्तान्तरित करते हैं, तो ग्राम पंचायत में यदि कोई सिवायचक भूमि है, सरकार अपना कब्जा छोड़े, क्योंकि नेहरू जी की भी इच्छा थी, माननीय राजीव गांधी जी की भी यह इच्छा थी, आप पढ़ लेना।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सरकार अपना हक छोड़े और जिस प्रकार नगर परिषद् सैक्टर में जितनी भी सिवाय चक भूमि नगर परिषद की होती है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत सैक्टर में जितनी भी सिवाय चक भूमि है, ठीक है, सरकारी काम के लिये आपको कुछ जमीन चाहिए, कोई रखो कोई दिक्क्त नहीं। पर जहां आपको वैसे ही मकानों के लिये या दुकानों के लिये देनी है, तो कम से कम उनको दे दो आप, ताकि वहां उस जमीन के जरिये वह अपनी कुछ इनकम कर सके। हम दुकानें बनाकर भी पंचायतों की आय बढ़ा सकते हैं और गांव में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर वहां भी अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो वहां हमारी आय बढ़ेगी। उनको अगर लोन देना है, सब्सिडी देनी है तो उसका प्रावधान भी करो, पर ग्राम पंचायत को थोड़ा शक्तिशाली बनाओ आर्थिक दृष्टि से।

माननीय सभापति महोदय, यह चरागाह की भूमि भी हमको बहुत बड़ी आमदनी दे सकती है। जो भी गोचर भूमि है, हम वहां पर चरागाह विकसित कर दें और बाद में चराई के लिये कोई शुल्क रख दें तो गांव में कम पैसों में चारा भी मिल जाएगा और पंचायतों को भी पैसा मिल जाएगा। हम चरागाह डवलप करते हैं, लेकिन कुछ उसमें होता नहीं है, इसलिए इसमें प्रयास करने की जरूरत है।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह जितने भी कौशल के केन्द्र हैं न, यह शहरी क्षेत्र में ही लगते हैं। रोजगार की समस्या गांव में ज्यादा है, कौशल ज्ञान की जरूरत उनको ज्यादा है तो ग्रामीण बैल्ट में भी आज कौशल शिक्षा के केन्द्र प्रत्येक गांव में एक खुल जाए, सरकारी स्तर पर प्रयास करो। माननीय प्रधान मंत्रीजी की योजना है, सारा का सारा पैसा, भारत सरकार से मिलेगा आपको। इसको आप ग्रामीण विकास मंत्रालय से जोड़ सकते हो, इसमें यह प्रावधान है और हर गांव में कोई न कोई कैम्प खोल रहे हैं तो हमारे जो युवा हैं न, कोई न कोई हुनर सीखकर अपने लिये रोजगार पैदा कर सकेंगे और यह स्वयं सहायता समूह है, उसकी भी गांव में आवश्यकता है, शहर में तो बहुत खोल दिये आपने। गांव में भी जो हमारी महिलाएं हैं वह कोई उत्पाद एक समूह के रूप में बनाकर उसका व्यापार कर सकें तो स्वयं सहायता समूह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप पांच मिनट में कन्क्लूड करेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, मुझे तो आधे घंटे का टाइम दिया है।

श्री सभापति: मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं आप पांच मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, बिलकुल।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो नरेगा है, वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं वो जिन्होंने नरेगा शुरू किया, उन्होंने गांव में रोजगार के अवसर दिये और शहरों की ओर जो पलायन हो रहा था उसको रोका। उसको हम और बेहतर कैसे बना सकें, नरेगा को विकास के साथ कैसे जोड़ सकें और उसके लिए यदि राज्य मद से कुछ बजट का प्रावधान करना पड़े तो एक्स्ट्रा बजट भी उसके लिए दें। यह जो 40:60 का रेशो यदि कम पड़ता हो तो जो शेष राशि है वो हम अपने बजट से दे दें न तो हम गांव में विकास के कई काम कर सकते हैं।

चाहे खरंजे की, अपने सीमेंट ब्लाक की सड़कें हों, चाहे आदर्श तालाब का निर्माण करना हो, चाहे खेल मैदानों को विकसित करना हो या अनेकों सरकारी भवन जिनकी चारदीवारी नहीं है, उनका काम करना हो, आप इसमें थोड़ा पक्के कामों को ज्यादा जोड़ें और आप कामों की इस प्रकार की रूपरेखा बना दें कि 40:60 के रेशो में इतने पक्के काम करवाने हैं, उसके अगेंस्ट में कितने कच्चे कामों की आवश्यकता होगी तो निकल जायेगा काम। गांवों में सड़कों के दोनों ओर बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी बबूल खड़े हैं जो दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं, उसमें कोई सामग्री नहीं जायेगी, सड़कों के दायें-बायें लगे अंग्रेजी बबूलों को अगर हम हटा देंगे तो कच्चे काम में वो बुकिंग हो जाएंगी और उसमें जो 40 परसेंट होगा वो आपके पक्के काम में काम आ जायेगा। चाहे पटरी मरम्मत करनी हो, ऐसे कई सारे काम आपको मिल जायेंगे कि जिसके माध्यम से हम कच्चे और पक्के कामों का यह रेशो बढ़ा सकते हैं, तो विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम पक्के कामों की ओर ध्यान दें। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा आपकी, सात महीने के शासनकाल में पाली की पंचायत समिति रोहट में पक्के काम की स्वीकृति मुश्किल से एक-दो निकली होंगी, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, उनको थोड़ा पाबंद करो कि पक्के काम ज्यादा दो। यह कच्चे कामों से, वो ही तालाब खोद दिया, वो ही इधर की मिट्टी उधर डाल दी, इससे कुछ विकास दिखेगा नहीं, आप पक्के काम ज्यादा दो।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, यह मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन

(श्री ज्ञानचंद पारख)

योजना है न इसको और किस प्रकार बेहतर रूप दे सकें, क्योंकि वो भी आपके विभाग के माध्यम से हैं, आप उसका प्रयास भी करो। मेरे इलाके में चार ग्राम पंचायतों में इसका काम हुआ था, आज पूरा इलाका अकाल के कारण पेयजल के संकट में है व जिन पंचायतों में यह काम हुआ, और गांवों की तुलना में वहां पेयजल संकट बहुत कम है, उसका इतना बेहतर परिणाम हुआ था तो आप इसको बढ़ाओ। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, इस योजना में जो टांकों का निर्माण हुआ था उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तो मेहरबानी करके वो भुगतान भी आप इनको करवा दें, एक साल पुराना भुगतान हो गया।

अब आपने पंचायत समितियों को कितने सारे काम सौंप रखे हैं। यह जो पारिवारिक पेन्शन है यह भी पंचायत समिति के माध्यम से है। आप पाली पधारे थे। मैंने आपको बताया भी था कि आपका शासनकाल आने के बाद में एक भी आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपने निर्देश भी दिये कि जितने आवेदन लम्बित हैं सात दिन में उनकी जांच करके स्वीकृति जारी कर दो। उस बात को एक महीना हो गया। आपके विभाग के अधिकारियों ने आपके आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दीं, आपके आदेशों की भी पालना नहीं की। ऐसे कैसे काम चलेगा?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पांच मिनट और है मेरा, मैं बराबर देख रहा हूं। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा है, चाहे विधायक कोष के काम हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करेंगे अब आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं लास्ट बात बोल देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: फिर माननीय सदस्य बोल नहीं पाते, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): लास्ट एक मिनट बस।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, जो बात मैंने शुरूआत की थी भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के चार-पांच बिंदु हैं, उससे ज्यादा कोई पेपर नहीं है मेरे पास। माननीय सभापति महोदय, मुझे कोई टोके नहीं।

श्री सभापति: एक मिनट में, हां, आप एक मिनट में बोल लें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां। यह जो तीन कोटेशन वाला खेल है न कि बैक डोर से सामान खरीद कर लो तीन कोटेशन लेकर, आप इस खेल को बंद करो। हमारे यहां प्रिंटिंग सामग्री है, पहले बहुत कम रेट में सामग्री आयी थी, उस टेण्डर से सामान नहीं लेकर तीन कोटेशन के जरिए उससे दोगुना से भी ज्यादा रेट से, यह 85 का जो घपला है न बीच में मेहरबानी करके उसको बंद करो।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट और है। बी.डी.ओ. कक्ष में ए.सी., प्रधान कक्ष में नहीं है और भेंट किसने किया, एक कांट्रेक्टर ने। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, बी.डी.ओ. कक्ष में अभी ए.सी. लगा है, भेंट करने वाला एक काट्रेक्टर, प्रधान के कक्ष में नहीं है, तो उस कांट्रेक्टर ने 40-50 हजार का ए.सी. लगाया होगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी दोनों ने मिलकर तभी लगा होगा, बाकी ईमानदारी से कोई लगायेगा नहीं और कोई दानदाता होगा तो अस्पताल में लगायेगा, स्कूल में लगायेगा। उसकी पूरी जांच कराओ।

यह प्रधानमंत्री आवास में कमीशन और एक सरपंच से दस परसेंट तक का कमीशन लेना, मेहरबानी करके यह सारा बंद कराओ। राजीव गांधी जी की मैं उसी बात पर...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 85 पैसे की जो गड़बड़ बीच में हो रही है, आपके नेता कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-19 और 28 लोक निर्माण कार्य और ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा है और यह दोनों ही विषय और जिसमें पंचायती राज अति

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा होता है। गांव की, खेत और खलियानों की और गांव के विकास की यह एक पहली सीढ़ी है।

'जहां पर पेड़ों पर कोयल, मोर बोले वो गांव होता है,
जहां पर सुबह घरों में घी, दूध, दही, छाछ मिले वो गांव होता है,
खेतों में फसल, धान, हरियाली मिले वो गांव होता है,
चौपाल पर पगड़ी वाले, मूंछों वाले वीर मिले वो गांव होता है,
कांग्रेस की सरकार से मनरेगा में नर-नारी नै रोजगार मिले, वो गांव होता है।'' (व्यवधान)

मैंने कहा न, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं मंत्री से कम नहीं हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप इधर देखकर बोलिये, आप उनसे बात मत करिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, अभी जो आज महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है, सरपंच बनना, पंच बनना, पार्षद बनना, जिला प्रमुख बनना, चेयरमैन बनना, उसका श्रेय हमारे पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय राजीव जी को जाता है। उनकी सोच थी दूरदर्शी कि हमारे भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए और वहीं से नीचे की सीढ़ी चढ़कर, सभापति महोदय, इसका उदाहरण मैं भी हूं, मैंने भी पहले पंचायती राज के जिला परिषद् का चुनाव लड़ा था। लेकिन आज बड़े-बड़े नारी और महिलाओं की चर्चा करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। भारत सरकार में पूर्ण बहुमत में एक देश के नेता बड़े-बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का सीना है तो क्यों नहीं महिलाओं को एम.पी. और एम.एल.ए. में 33 परसेंट आरक्षण दे देते? लेकिन इतना माद्दा नहीं है, सभापति महोदय, सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए हैं। इतना दम तो सम्माननीय राजीव जी में ही था।

हमारी योजना थी निर्मल भारत, सभापति महोदय, निर्मल भारत का पर्यायवाची शब्द है स्वच्छ भारत और सिर्फ नाम बदलकर इस योजना से नाम बदलकर और हाथ में झाड़ू लेकर के सड़कों पर झाड़ू लगा दी। अखबारों और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

टीवी में फोटो छपवा दी कि हम स्वच्छ भारत करेंगे। लेकिन कौनसा नया भारत होगा स्वच्छ भारत का नारा देकर। क्या धरती से यह एक-दो इंच अधर धरती होगी या आसमान नीचे आएगा? स्वच्छ भारत पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या भूल गए कि जिस भारत की नींव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने चाहे सरदार भगत सिंह हों, चाहे सुभाष जी हों, सरदार पटेल जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, जिन्होंने भारत का ही नहीं पूरे संसार का नक्शा बदला, उन नेताओं ने इस देश की नींव को पक्का किया, वही भारत है। भारत निर्माण किया। आज कौनसे नए भारत की बात करते हैं? कहीं ढूंढे से नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, शौचालय निर्माण की बात करते हैं। स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान चला दिया। सिर्फ कागजों में, अखबारों में एड देकर के पंचायतों का ओडीएफ कर दिया। पूर्ण पंचायत में कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर शौचालय नहीं है। एक जगह रंगाई, पुताई करा दी, उस पर लिखा दिया ओडीएफ। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। आधे घरों में बने ही नहीं। लेकिन आंकड़ों में ओडीएफ कर दिया, सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में पैसा ही नहीं आया। कहां गया, किसको बांटा? आंकड़ों में बांटा। आंकड़ों में फाइल बनाकर, पूरी करके भारत सरकार को भेज दी गई।

सभापति महोदय, काश, अच्छा होता देश के नेता की सोच ऐसी होती कि वह आलिया, मालिया, अड़ाणी, अंबानी का कर्जा माफ किया, इससे बढ़िया ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाकर के सरकार की तरफ से दे देते तो कोई काम बनता। लेकिन गांव के विकास की सोच नहीं है। बेईमानों के विकास की सोच है। आज तक गांवों में पैसा ही नहीं मिला।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार, सी.एम., डिप्टी सी.एम. सभी ने चर्चा करके सबसे बड़ा फैसला किया और पंचायती राज में शिक्षा को समाप्त किया। आज बात करते हैं कि विकास नहीं होगा। आपकी 7 पीढ़ियों का उठाकर देखें, तो क्या वह पढ़े-लिखे थे? लेकिन वे बुद्धिमान थे। आपसे ज्यादा समझदार थे, आपसे ज्यादा व्यावहारिक थे, आपसे ज्यादा ज्ञानी थे। क्या अनपढ़ आदमी ज्ञानी नहीं होता? इन्होंने फरमान जारी किया था और शिक्षा को पंचायत में रख दिया। नीचे की कड़ी में। अभी कह रहे थे कि पढ़े-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लिखों ने वोट नहीं दिया। यह शहर से जीतकर आए हैं रफीक भाई और यह सारे तो इनके यहां शहर में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं क्या?

श्री सभापति: बैठे-बैठे बोलने की आदत छोड़िए। कुछ अच्छे संस्कार भी ले लीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कितने सांसद बैठे हैं? कितने एमएलए बैठे हैं? इन्होंने शिक्षा का फरमान जारी करके सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया। डीईओ हो, बीईओ हो, पुलिस थाने हों, कितने महिला और पुरुष परेशान हुए। इन्होंने फर्जी टीसी का खेल चलाया। वह शिक्षा का खेल नहीं था। साल भर पहले बताते कि इस तरीके का होगा। लेकिन फर्जी टीसी का, भ्रष्टाचार का खेल चला था। यह पूरे राजस्थान में चला।

सभापति महोदय, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक हमारी रामपुर की महिला, जो बीए पास, उसने एक साल पढ़ाई छोड़कर के फिर दूसरी क्लास की पढ़ाई चालू की। उस पर केस कर दिया। उसमें कौन झूठा है? बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है? बीए की मार्कशीट लगाने के बाद उसको सस्पैंड कर दिया। इस तरह का यह घपला और भ्रष्टाचार हुआ, जो सरकार इसीलिए आज विपक्ष में बैठी है। मैं तो इनको पहले ही कहती थी कि इतना भ्रष्टाचार करोगे तो यहीं पर आकर के बैठोगे।

सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया। पीएम आवास योजना कर दिया। लेकिन बनाएं तो सही। पोर्टल खोल दिया। अब उसमें पता नहीं किस आधार पर लिए और किस आधार पर नहीं लिए, जो योग्य व्यक्ति हैं, वह सालों से चक्कर काट रहे हैं। वह ई-मित्र पर जा रहा है। पंचायत समिति में जा रहा है। ग्राम पंचायत घर में जा रहा है। लेकिन आज तक उसको घर नहीं मिला। फिर कहते हैं कि पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल बंद कर देते हैं और आदमी को घर ही नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इसमें जिक्र है पीएम आवास योजना। सभापति महोदय, इनको यह ही ज्ञान नहीं है कि यह कहां की योजना है? अब इनको क्या सिखाएं। इस परेशानी से ग्रामीण क्षेत्र को निकालने की जरूरत है।

सभापति महोदय, एक बड़ा काम किया पिछली सरकार ने पंचायती

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

राज में कि एक मशीन रखवा दी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक मशीन रखवा दी। उसकी हाइट शायद मेरे बराबर है। वह कलेक्ट्रेट में भी रखी है। अभी जब हम कलेक्ट्रेट गए, तो वह मशीन आवाज लगा रही थी कि मैं मिट्टी फांक रही हूं बीजेपी सरकार वालों, मेरा क्या उपयोग है, यह तो बता दो। पूरे राजस्थान में किसी भी ग्राम पंचायत में अगर एक भी मशीन काम में आ रही हो तो आप बताएं। उस पर मिट्टी चढ़ रही है। सिर्फ बजट को खर्च करना था। अगर करना ही था तो एक-एक ग्राम पंचायत में वाटर कूलर की मशीन लगा देते। कोई आया-गया पानी तो पी लेता उससे। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया। जनता का पैसा था, खर्च कर दिया। उसको खर्च करते जोर नहीं पड़ा।

सभापति महोदय, राजीव गांधी भवनों पर आए, एक डिब्बा रंग का लिया और उसकी पुताई कर दी। नाम बदल दिया। कुछ और बना देते लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं थी। पिछली सरकार बनाने का माद्दा नहीं रखती थी, सिर्फ नाम मिटाना चाहती थी। लेकिन उनका नाम मिट नहीं सकता। यह धरती और दुनिया, यह आकाश और जमीन जब तक रहेगी, राजीव जी का नाम रहेगा। आप मिटाने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति: आप 5 मिनट में कनक्लूड करें। 5 मिनिट्स ओनली।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, थोड़ा-सा तो इनकी सरकार का इनको ज्ञान करा दें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, तो किसी ने सोनिया जी को कहा कि यह अटल जी की नेम प्लेट लग रही है, इसे हटा दिया जाए कमरे से लेकिन सोनिया जी ने बड़ी सोच का परिचय दिया। उन्होंने कहा, नहीं, वह हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, जब मन करे तब अपने आफिस में आ सकते हैं। हम नहीं हटाएंगे लेकिन इनकी छोटी सोच है। जो दूसरों को मिटाने की कोशिश करते हैं, एक दिन समय आएगा कि खुद ही मिट जाएंगे।

सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मनरेगा चलाया। उनकी सोच थी कि पूरा भारत मेरा परिवार है। मेरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। बेरोजगार नहीं रहे। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में आज हर व्यक्ति इसमें काम कर रहा है। अब मैं कुछ काम तो गिनवा दूं। इतना समय तो देना।

नरेगा में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे जो गांवों में काम करते

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रहते हैं महिला और पुरुष, उनको नाप तौल करके पैसा देते हैं और सीधा आधा पैसा काट देते हैं। मेरे मुण्डावरा ग्राम पंचायत में अभी काम चल रहा है, वहां उनको सिर्फ 94 या 96 रुपये देते हैं। कहते हैं कि आपका इतने इंच यह डंडा कम रह गया। माननीय सभापति महोदय, अधिकारी अगर आधे दिन छुट्टी चला जाता है तो उनकी तनख्वाह कटती है क्या? उस गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की तनख्वाह नहीं काटी जाए, उनका वेतनमान और बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इतनी गर्मी और धूप में काम कर रहे महिला पुरुषों का इस तरह से पैसा काटते हैं। मैट से बात करते हैं तो कहते हैं कि ऊपर वाले अधिकारी कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह का अन्याय उनके साथ नहीं हो। इतने ज्यादा कानून और प्रक्रियाएं एक गरीब के लिए नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करवाकर कई सालों से पगडंडी के जो रास्ते हैं उनके कैम्प लगाकर उनको ग्राम पंचायत ही पट्टे दे दे जिससे कि परेशानी नहीं हो और नरेगा में उनको पक्का कर दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ काम हैं, वे भी मैं बताना चाहती हूं। ग्राम पंचायत की तरफ से जो तालाब खुदवाए जाते हैं ग्राम पंचायतों से नरेगा में उनको ज्यादा पैसा मिले जिससे कि कस्बे हैं, ग्राम पंचायत बड़ी हैं, वहां बड़े-बड़े नालों, नदियों, बावड़ियों की सफाई हो सके, नरेगा से उनको जोड़ें। ग्राम पंचायत समितियों में जो भी रिक्त पद हैं, बीडीओ, ग्राम सेवक आदि के, उनको भरने की आवश्यकता है। मनरेगा से गोशालाओं को भी जोड़ने का कष्ट करें जिससे कि गायों का उद्धार हो सके, वहां चारा मिल सके और भवन का निर्माण हो जाए। बीपीएल, स्टेट बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को पीएम आवास योजना में मकान मिले।

माननीय सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना जिसका कि पिछली बार कितना बजट आया, कहां गया, कोई हिसाब-किताब नहीं? आंकड़ों में आया और आंकड़ों में ही खाया, पिछली सरकार खा गई उसको।

माननीय सभापति महोदय, इस बार अपनी सरकार उसको प्रत्येक गांव और पंचायत समिति तक भेजे। सरपंचों का टीएफसी, एसएफसी बजट बढ़ाया जाए। रेवेन्यू विलेज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर 12-15 किलोमीटर तक कोई

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आवागमन नहीं है, ऐसी पंचायतों को, जैसे नाथूसर लोज है, इनको अलग से ग्राम पंचायत बनाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बानसूर तहसील में पीडब्ल्यूडी का एक गेस्ट हाउस या डाक बंगला बने जिससे वहां पर सुविधा हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट। स्कूलों में खेल मैदान और टूटे, जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवन और राजकीय भवन, सब सैंटर, पटवार घर, पंचायत घर, पीएचईडी, आरएसईबी भवन, इनका रंग-रोगन और मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। पिछले पूरे पांच साल से अलवर का मिनी सचिवालय का काम अधूरा पड़ा है, इसको भी पूरा करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)। श्री बाबूलाल नागर (अनुपस्थित)।

माननीय सचेतक महोदय, माननीय सदस्यों से कहें कि वे यहां रहें बोलने का नाम दिया है तो। श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे सवाई माधोपुर जिले में, विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा पिछली सरकार में जो अवैध बजरी का खनन बनास में हुआ, इस अवैध खनन की वजह से सवाई माधोपुर की सड़कों का सत्यानाश हुआ। रात और दिन हजारों की तादाद में अवैध वाहन बनास से निकलकर मेगा हाईवे पर चले, नेशनल हाईवे पर चले, पुलिस की सख्ती के कारण ओवरलोड वाहन जिसका वज़न मेगा हाईवे भी नहीं झेल सकता वे ग्रामीण सड़कों से होकर निकले और गांव की जो छोटी-छोटी सड़कें जो पंचायतों के माध्यम से बनी थीं, उन सारी की सारी सड़कों का सत्यानाश हो गया। आज की तारीख में यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। पंचायतों ने जो पैसा जिला परिषद् के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से देकर ग्राम पंचायत ने अपने फंड से जो सड़कें बनाईं वे सारी की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

(श्री रामकेश)

माननीय सभापति महोदय, गौरव पथ और मिसिंग लिंक्स के नाम पर पिछली सरकार में भारी भ्रष्टाचार हुआ। गौरव पथ को दो सड़कों को जोड़ने के लिए सरकार ने योजना बनाई थी, वह दो सड़कों को नहीं जोड़कर एक गौरव पथ को चार-चार जगह बना दिया। मिसिंग लिंक का नाम लेकर इसी तरह से टुकड़ों में सड़कें बनाई और उनकी क्वालिटी पूअर थी, पूअर होने से बजरी के वाहनों ने हमारे जिले की पूरी सड़कों का सत्यानाश कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर को अलग से बजट दिया जाए और पंचायत समिति और जिला परिषद, जिनके मार्फत ये सड़कें बनीं, उनके पुनर्निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना जो माननीय मनमोहन सिंहजी ने बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीबों के लिए मांग के आधार पर योजना का सृजन किया, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी तादाद में इससे रोजगार का सृजन हुआ। मेरा मानना है कि जिला परिषदों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से नरेगा योजना के तहत जो काम स्वीकृत हम लोग कर रहे हैं, मेरी सरकार से अपील है कि इसमें ऐसे कामों को स्वीकृति दी जाए जो स्थायी रूप से लोगों का जीवन सुधार सके, पानी की स्थायी रूप से व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से मांग करना चाहूंगा कि हमारे जो कुंडा निर्माण है, जहां माड क्षेत्र है, पीने और सिंचाई की कोई योजना नहीं है वहां पर नरेगा के तहत किसानों को बहुत बड़ी सुविधा मिली हुई है। अगर कुंडा निर्माण में उस राशि को नरेगा के तहत बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनमें 60:40 का रेशो है, इसको बढ़ाकर इसमें थोड़ा सुधार करें, इससे भी हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना जो पिछली सरकार ने लागू की, जिला परिषद् और पंचायतों को अनटाइड फंड जो मिल रहा था उस सारे

(श्री रामकेश)

के सारे पैसे को मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में ट्रांसफर कर दिया। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है। इसके मार्फत जल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन इसके साथ-साथ इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। एमएलए लेड और एमपी लेड, दोनों के पैसों का काम्बिनेशन करके अगर इस योजना का विस्तार किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिला परिषद् और पंचायत समिति में जो और दूसरे काम हैं, उनमें भी जो पिछली सरकार ने एक तरीके से पंचायत के जो जन प्रतिनिधि हैं, उनका गला घोंटने का काम किया, उन्हें षड्यंत्रपूर्वक अपना काम करने से रोका। उसमें मैं पंचायती राज मंत्री जी सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि उन जन प्रतिनिधियों का ध्यान रखा जाए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका दिया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की हो सके और लोगों को सुविधाएं मिल सकें। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। हमारा देश गांवों का देश है। 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और हमारा किसान का बेटा दिन-रात मेहनत करके अन्न उपजाता है और हम सब शहरी लोगों का पेट भरता है। मेरा आपसे निवेदन है कि योजना बनाते समय क्या आप शहर और गांव की जनसंख्या के अनुपात का ध्यान रखते हैं? माननीय मंत्री महोदय, मुझे शिकायत नहीं है कि शहर में मैट्रो बने। 11 हजार करोड़ रुपये शहर की मैट्रो बनाने में लगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परन्तु आज भी गांवों में लोग पानी के लिये तरस रहे हैं, बिजली के लिये तरस रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री महोदय उधर ध्यान दें।

विकास की जहां तक बात है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पंडित नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से

(श्री धर्मनारायण जोशी)

पंचायती राज का शुभारंभ किया था। माननीय मोहन लाल जी सुखाड़िया इस सदन के नेता थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री थे। उनके सान्निध्य में यह हुआ, परंतु 1982 में वे ही मोहन लाल जी सुखाड़िया, जब बीकानेर में पंचायती राज का कार्यक्रम था, उन्हें मंच पर नहीं बैठाया गया, उन्हें अपमानित किया गया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। यह भी हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है।

विकास 1977 से शुरू हुआ। भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने। वे 1977 में गोगुंदा आए। वहां से उन्हें झाड़ोल जाना था। नक्शा निकाला, उसमें देखा सड़क बनी हुई है गोगुंदा से झाड़ोल की। चीफ सैक्रेटरी साहब साथ में ही थे। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं बनी हुई है। नक्शे में जरूर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यह सड़क का पैसा डाक बंगले पर लगा दिया। तहसील केन्द्र पर बिजली का लट्टू 1977 में पहुंचा पहली बार। यह भैरोंसिंह जी शेखावत की सोच थी। 1977 के पहले हमारा अनाज गोडाउन में सड़ रहा था। भैरोंसिंह जी ने योजना प्रारम्भ की 'काम के बदले अनाज योजना'। हमारे अकाल राहत मंत्री जो भी रहे, गरीबों के लिये मई और जून में काम चलते थे। मेड़बंदी के काम चलते थे, सड़क खोदने के काम चलते थे। सड़क पर मिट्टी डालते थे और पहली बरसात में मिट्टी बह जाती थी और सड़क बेकार हो जाती थी। भैरोंसिंह जी ही थे, जिन्होंने तय किया कि एक किलोमीटर सड़क का पैसा है, एक किलोमीटर सड़क पक्की बनाइए। कच्ची सड़क नहीं बनेगी। पूरा विकास वहां से प्रारम्भ हुआ।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजिए, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए। क्या बार-बार खड़े होने की आदत डाल ली आपने।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। यह मेरी जिम्मेदारी है। आप बैठिए। विराजिए। आसन को पता है। आप बैठिए। हर बात में खड़ा होना ठीक नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आज गांव का आदमी शहर की तरफ क्यों भाग रहा है? क्या आवश्यकता पड़ी शहर जाने की? मैं किसान का बेटा हूं। सभापति महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि किसान का बेटा केवल खेती पर निर्भर है। वह बारह महीने भरपेट रोटी नहीं खा सकता। हमारे

(श्री धर्मनारायण जोशी)

पास अनेक माननीय सदस्य यहां किसान के परिवार से हैं। उन्होंने गरीबी भोगी है। मेरी प्रार्थना है कि उस किसान की तरफ ध्यान दें। यह पलायन रुक सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, नरेगा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। उसके कारण शहरों में पलायन रुका है। गांव का आदमी शहर की तरफ भागता था, वह रुका है, परंतु आज उसे नरेगा में पैसे कितने मिल रहे हैं? सवा सौ रुपये। माननीय सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना, अभी कोई कह रहा था कि इंदिरा आवास बंद कर दिया। इंदिरा आवास योजना में एक गांव में 40-42 हजार रुपये मिलते थे एक पंचायत में और पंचायत में दो-दो, तीन-तीन लोगों को मिलते थे। वे भी सरपंच की जैक से मिलते थे।

माननीय प्रधान मंत्री की योजना से 1 लाख 48 हजार रुपये उस गरीब के खाते में जमा होते हैं। शौचालय के लिये 12 हजार रुपये दिये। माननीय सभापति महोदय, मेरी माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना है, गांवों में सौ साल से, मेरे मावली क्षेत्र में बंजारे बसे हैं। जनजाति के, भील जाति के, चरागाह में बसे हैं, वन भूमि में बसे हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि सौ साल से जो आदमी बसा हुआ है, उसके पास पट्टा नहीं है और पट्टा नहीं होने के कारण वह सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसका क्या उपाय है? उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिये, कुछ नहीं हो सकता। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों के लिये क्या सुविधा कर सकते हैं? चार पीढ़ियां हो गयीं उनकी। वह वहीं बस रहा है और उसे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके पास पट्टा नहीं है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जो नरेगा का पेमेंट 12 हजार का पेमेंट, 1 लाख 48 हजार का पेमेंट, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की पिछले छह महीने से किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है। केन्द्र के 400 करोड़ रुपये, मेरी जहां तक जानकारी है, वे राजस्थान सरकार को मिल चुके हैं, राजस्थान सरकार अपने सौ करोड़ रुपये मिलाकर उन्हें पेमेंट करे, जो आदमी गांवों में भटक रहे हैं। अधिकारी को पूछते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है तो अधिकारी लाचारी व्यक्त करते हैं कि पैसा नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, गांवों में पानी की व्यवस्था के लिये तालाब हैं, हर गांव में कोई न कोई पुराना तालाब मिलेगा,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

परंतु तालाबों पर लोगों ने नाला फोड़कर कृषि पैदा करने के लिये कब्जे कर रखे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन नालों को पक्का करवाया जाए और पक्के करवाकर अवैध कब्जे हटाये जाएं। हर गांव में एक तालाब होने से पानी को रोका जाए तो जिस गांव में पानी की समस्या है तो वह गांव का पुराना तालाब, पुरानी बावड़ी उस पानी की समस्या का समाधान कर देगी।

गांवों में योजना बनी, मैं छोटा था, देखता था, बकरी के लिये लोन मिल रहा है, मुर्गी के लिये लोन मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से पता है, मुर्गी का जब लोन होता तो चार दिन बाद अधिकारी गाड़ी लेकर चला जाता, कि क्या हुआ तेरा लोन मिल गया, दस मुर्गियां मिल गयीं। एक मुर्गी तो उसी दिन चली जाती थी। मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारे पड़ोस में कोटड़ा ऐसा क्षेत्र है, जहां से डेढ़ किलोमीटर पर गुजरात प्रारम्भ होता है। हमारे उदयपुर जिले की वह अंतिम तहसील है। गुजरात सरकार ने, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने, उनके खेड़ब्रह्मा क्षेत्र में आदिवासी निवास करता है, यह तय किया कि आठवीं पास जो बच्चा होगा, वह अपनी जीप पर लोन ले, 25 परसेंट ब्याज पर लोन ले और वह लोन लेकर के अपनी जीप चलाए। मुर्गी और बकरी पर लोन नहीं दिया उन्होंने।

श्री सभापति: दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मेवाड़ में, गांव में मक्का होती है। अभी सरकार ने उद्योग नीति की घोषणा की, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गांवों में उद्योग लगाइये। आजकल शहरों में लहसुन का पेस्ट मिलता है, अदरक का पेस्ट मिलता है तो जहां अदरक होता है वहां छोटी इण्डस्ट्री लगाइये, किसी को प्रेरित करिये। लहसुन का पेस्ट उस गांव में जहां लहसुन होता है वहां बनवाइये।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, एक और निवेदन है। अभी शहरी क्षेत्र में जो गांव पैरीफेरी में आ गये हैं, आबादी भूमि, चरागाह भूमि, बिला नाम भूमि, सारी उसमें आ गई है। यानी जो पैरीफेरी के गांव हैं उसमें किसी भी सरपंच को पट्टा देने का अधिकार नहीं है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको भी ठीक किया जाए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

उदयपुर जिले में हमारे सी.ई.ओ. हैं कमर चौधरी, स्मार्ट हैं बिलकुल और अभी उनके पास बैठा था, मैं नया-नया विधायक बना तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या-क्या योजनाएं हैं उनके बारे में उनसे पूछने गया तो उन्होंने कहा कि देखिये, हमारे अकाउंट्स में कोई बाबू नहीं है। क्यों नहीं हैं, क्योंकि बिल पास करने में कमीशन लेते हैं, सब यहां से हट गए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरी दो मिनट की प्रार्थना है, दो मिनट में सुझाव दे देता हूं। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, राजसमन्द में एक ग्राम पंचायत है पीपलांत्री, उन्होंने उस गांव को कैसे डवलप किया यह आपको आश्चर्य होगा। स्कूल में उन्होंने बच्चों के घूमने के लिए चकरी लगाई और चकरी को हैण्डपम्प के साथ जोड़ा है जिससे बच्चे चकरी से खेलते हैं और हैण्डपम्प से पानी निकलता है, आप उसको देखिये। केन्द्र में बिहार के रघुवंश प्रसाद जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उनकी पूरी टोली और अभी बिहार के 32 आईएएस आकर प्रशिक्षण लेकर गये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री मुरारी लाल।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): दो सुझाव हैं मेरे। गांव के छोटे-छोटे सुझाव हैं, मैं आपसे विनती करता हूं। इसके साथ ही करोड़ों रुपये, लाखों रुपये सरकार खर्च कर रही है। माननीय, मेरे दो छोटे-छोटे सुझाव हैं। गांव में जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि उस आदमी के घर पर कोई मृत्यु हो जाती है तो आप 5 हजार रुपये उसको दीजिये। पंचायत की तरफ से उसको पांच हजार रुपये मिले अगर किसी घर में मृत्यु हो जाए तो। दूसरा, मेरा सुझाव है कि हमारे यहां त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्। ऐसे ही हमारे तहसील के अन्दर है। जिनकी जनसंख्या कम है और नगरपालिका के दायरे में नहीं आते हैं, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, उनकी चार स्तरीय व्यवस्था करिये, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्। क्योंकि यह जो छोटे-छोटे गांव तहसील के अन्दर हैं, आप एक आदेश से सारी तहसीलों को नगर पंचायत घोषित कर दीजिये। यह चार स्तरीय व्यवस्था हो जाएगी तो आप पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 28, लोक निर्माण एवं ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, हमारे देश की 70 से 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। ये दोनों विषय ऐसे हैं कि किसी प्रदेश, अगर किसी राज्य के विकास की गति को देखना है तो उस प्रदेश के गांव की स्थिति, वहां की सड़कों की स्थिति, वहां के भवनों की स्थिति को देखकर ही वहां का विकास परिलक्षित होता है।

मान्यवर, जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, पूरे देश के अन्दर गांवों की सरकार जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, राजस्थान में पंचायती राज का पूर्व प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को प्रदेश में गठन किया था। यह जो पंचायती राज का गठन था, यह हमारे प्रदेश के लिए एक विकास की धुरी बना। बाद में इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा, जो हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी, उन्होंने प्रदान किया।

जैसा अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारे प्रदेश में 1996 में अधिनियम सम्माननीय भैरोंसिंह जी ने लागू किया उससे हमारे गांवों की स्थिति मजबूत हुई। पंचायती राज को अधिकार मिले, विकास की गति मिली, समयबद्ध तरीके से चुनाव होने लगे। प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा फायदा इस अधिनियम को हुआ तो हमारे जो सामने माननीय सदस्य बैठे हैं और बोल रहे थे कि हमने यह किया, वह किया, इनको मिला। इनको फायदा क्या मिला, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पंचायती राज के चुनाव सिम्बल के आधार पर उस टाइम उस अधिनियम में रख दिये। उससे इनको फायदा क्या हुआ कि पहले गांवों में बीजेपी को एससी, एसटी और मुस्लिमों में एजेंट ही नहीं मिलते थे लेकिन उसके बाद मिलने लग गये। हरियाणा में टिकट नहीं बंटते, सिम्बल से चुनाव नहीं होते, यू.पी. में नहीं होते, बिहार में नहीं होते। 73वां संविधान संशोधन हम लाये थे, हमारी सरकार ने किया, राजीव गांधी जी का सोच था, नरसिम्हा राव जी ने लागू किया और आपके टाइम में प्रदेश में लागू हुआ तो उसका फायदा आपको हो गया कि आपको गांवों में एजेंट मिलने लग गये। एससी, एसटी, मुस्लिमों में एजेंट मिलने लग गये, नहीं तो पहले इनके एजेंट ही नहीं होते थे क्योंकि इन्होंने ढूंढ -ढूंढकर किसी न किसी को टिकट पकड़ा दिया, पकड़ा दिया तो उसने चुनाव लड़ लिया, हारा चाहे जीता पर बीजेपी को तो एजेंट मिल ही गया तो आपका तो उद्धार इस पंचायती राज से हो ही गया।

(श्री मुरारी लाल)

सबसे बड़ी जो हमारे लिए बाद में वरदान सिद्ध हुई वह नरेगा योजना हुई जिसको हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने लागू किया। अपन सबको पता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बरसात कम होती है और अधिकतर समय राजस्थान में अकाल की स्थिति रही है। जब अकाल पड़ता था तो लोग तरसते थे कि कब सरकार अकाल राहत के काम घोषित करे, कब अकाल घोषित करे, कब केन्द्र से सहायता मिले, कब क्या हो लेकिन जैसे ही नरेगा योजना चालू हुई गांव के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ और विकास के लिए, रोजगार के लिए शहरों की तरफ इससे पलायन नहीं हुआ। ये इसके लिए भी संतुष्ट नहीं है। इसके लिए भी आपको पता है कि आपके प्रधान मंत्री जी ने पिछली बार क्या कहा था। आज गांवों में सबसे ज्यादा यदि विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है तो एकमात्र मनरेगा योजना से है। मान्यवर, मेरा इस सम्बन्ध में विशेषकर सम्माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है ज्यादातर अपन ने देखा है कि नरेगा योजना ग्राम पंचायतों तक ही सीमित रह गई, पंचायती राज तक ही सीमित रह गई। जो सरकार के अन्य विभाग हैं जिसके मंत्री माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय भी हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, और मंत्री महोदय भी बैठे हैं, और विभाग इससे अपना पल्ला झाड़ते हैं और अन्य विभाग मनरेगा में भाग ही नहीं लेते। इसका बहुत बड़ा हम उपयोग कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उनकी ज्यादातर की पटरियों की हालत खराब रहती है तो मैं समझता हूं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देखें। इसके अलावा सिंचाई विभाग के बांधों की रिपेयर नहीं होती है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछली बार हमारी सरकार थी और हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, सड़कों पर वृक्षारोपण में काफी ध्यान देते थे। मैं समझता हूं कि सड़कों के दोनों साइड में वृक्षारोपण और जो कच्ची पटरियां हैं उनकी रिपेयर ज्यादा से ज्यादा मनरेगा से जोड़ा जाए तो हमारी सड़कें भी इस मामले में बहुत अच्छी हो जाएंगी, उनकी रिपेयर हो जाएगी लेकिन ज्यादातर इसको अवायड करते हैं। हमने देखा है कि पीडब्ल्यूडी में जैसे ही यदि आ जाता है कि मनरेगा से पटरियों की रिपेयर करनी है तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, सिंचाई विभाग वाले भी पल्ला झाड़ लेते हैं, फोरेस्ट वाले भी पल्ला झाड़ लेते हैं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा से यह कोशिश करें कि अन्य विभागों के अधिकारी भी इसमें काम करें।

(श्री मुरारी लाल)

दूसरा, इस योजना की बड़ाई आप लोग भी कर रहे थे लेकिन पिछली बार आपने इस योजना का क्या कर दिया? आप यह बताइये कि जब प्रदेश में हमारी सरकार थी तो मनरेगा के अन्दर प्रदेश के अन्दर कितनी लेबर थी? जब पांच साल के बाद में हमारी सरकार चली गई तो लास्ट के 2018 में मनरेगा में कितनी लेबर थी? हमारे टाइम में 30-35 लाख लेबर काम करती थी और इनके टाइम में मात्र 8-10 लाख लेबर टोटल प्रदेश में मनरेगा में रह गई। जैसे ही हमारी सरकार बनी और सम्माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय के पास चार्ज आया तो आज हमें खुशी इस बात की है कि वापस प्रदेश के अन्दर 25 से 30 लाख लेबर मनरेगा में काम कर रही है। आप चाहते ही नहीं हो कि गांवों में लोगों को रोजगार दें।

दूसरा, शिक्षा का मामला है, कई साथी बता रहे थे कि हम तो पढ़े-लिखे लोग चाहते हैं। आप यह बताओ कि गांवों में कितने शिक्षित लोग हैं? आपने लोगों को अपने मूल अधिकारों से वंचित कर दिया दसवीं और आठवीं पास का नियम लगाकर। हमारी सरकार ने वापस आते ही उसमें संशोधन किया इसलिए मैं इस मामले में उप मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(14.00 बजे)

तीसरा है, अभी बजट में हाल ही में किया है कि शहरों की तर्ज पर गांवों के भी मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। गांवों की स्थिति बड़ी खराब है और यह सही बात है कि अधिकतर लोग गावों में रहते हैं। मुख्य मंत्री महोदय से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके टाइम में प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान जरूर बनेगा और मास्टर प्लान बनकर वहां पर सारी बातें ऐसी होंगी, जैसी शहरों में होती हैं। हाल ही में हमारे यहां चल रहा है पुनर्गठन ग्राम पंचायतों का, इसमें अभी आपने 4 हजार का टार्गेट ले रखा है कि 4 हजार पर ग्राम पंचायत बननी चाहिए और 1 लाख की आबादी पर पंचायत समिति बननी चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस निश्चित 4 हजार के टार्गेट को 3 हजार करें, क्योंकि ये तो जब भी आते हैं नियम को तोड़कर अपने हिसाब से पुनर्गठन कर लेते हैं। आज हैं नहीं नेता प्रतिपक्ष महोदय, पिछली बार इन्होंने पुनर्गठन किया तो इनके जिलों में तो कई जगह 10-10, 12-12 पंचायतों में

(श्री मुरारी लाल)

कौनसा नियम लगाकर कर दिया। वार्डों का पुनर्गठन हुआ तो मेरे दौसा के अंदर ही एक लवाण इन्होंने अलग से पंचायत समिति एक कोने में बना दी और उसमें 25 ग्राम पंचायतें थीं, 25 को ही फिर वार्ड बना दिए। हमारे टाइम पर पता नहीं कहां से कानून आ जाते हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर जरूर बारीकी से ध्यान देंगे, ताकि हमारी आम जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

दूसरा, लोक निर्माण का जहां तक मामला है। हम सभी को पता है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे डाक बंगले हैं, हमारे पुराने भवन हैं, हमारी बिल्डिंगें, इतनी प्रोपर्टी पड़ी है हमारे पास में, लेकिन समय-समय पर विधिवत रूप से रिपेयर नहीं होने की वजह से उनकी स्थिति भी काफी खराब है। हम कह तो देते हैं कि बिल्डिंग में हर साल उसकी कोस्ट का दो परसेंट पैसा उसकी मैंटीनेंस में खर्च किया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादातर पैसा उस मैंटीनेंस पर खर्च होता हो। पैसा तो आता है, लेकिन ज्यादातर पैसा, जो हायर आफिसर्स होते हैं, जैसे कलेक्टर हैं, एसपी हैं या ज्यादा से ज्यादा सर्किट हाउस हैं, उनके ऊपर तो पैसा खर्च हो जाता है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): लेकिन हमारे प्रदेश के जो डाक बंगले हैं, उन पर ज्यादातर वह पैसा खर्च नहीं होता। मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो कई जगहें, हमने देखा है कि कई बड़े-बड़े डाक बंगले बने पड़े हैं, वे खण्डहर टाइप हो गये हैं, कई जगह ऐसी स्थिति है, इसलिए उन पर भी हम ध्यान दें, पहले तो लोग इन पर काफी ध्यान देते थे और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हमें इस बात का फायदा मिलेगा।

दूसरा, विशेषकर आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्तमान में, वैसे तो अध्यक्ष महोदय मना कर रहे थे कि सड़कों के ऊपर, देखो लोक निर्माण में सभी चीजें आ जाती हैं। सड़क भी आती है, बिल्डिंग भी आ जाती है, पुलिया भी आ जाती है, भवन भी आ जाते हैं। इनके टाइम पर सबसे बड़ी गड़बड़ इन्होंने क्या की, इनके टाइम पर एक तो बजट 2013 में हमारी रोड की लास्ट की घोषणा थी, उन रोड्स को ही कैंसिल कर दिया, पानी के प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। हमारे दो बड़े प्रोजेक्ट दौसा में थे, एक तो बांदीकुई

(श्री मुरारी लाल)

से सिकन्दरा, सिकन्दरा से गंगापुरसिटी जो लास्ट के टाइम में, बजट 2013 में जिनकी घोषणा की गई थी। मैं आशा करूंगा सम्माननीय कि इन्होंने जो उस टाइम इसको इस तरह से कैंसिल कर दिया, पैंडिंग कर दिया, उस प्रोजेक्ट को दुबारा हाथ में लिया जाए। दूसरा एक प्रोजेक्ट और था कि दूदू से लेकर तूंगा होकर लवाण दौसा, उसकी भी घोषणा उस बजट में की गई थी, उसको भी पता नहीं इन लोगों ने कहां गायब कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों प्रोजेक्टों को आप इस बार पुन: हाथ में लेंगे और आने वाले टाइम में इन दोनों सड़कों को बनाने की व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही, सबसे बड़ी इन्होंने, मुझे पता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग, दूसरा सबसे बड़ा जो आपने किया था लास्ट के टाइम पर। पता है क्या किया आप लोगो नें...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आसन का आर्डर...

श्री मुरारी लाल (दौसा): बैठ जाओ, बैठ जाओ। पता है मेरे को, लोक निर्माण वह भी आ जाता है। पहले तो एक लोक निर्माण ही था जिसमें पीएचईडी भी आता था, इर्रिगेशन भी आता था, सारे डिपार्टमेंट इसी में आते थे पहले तो। मेरा निवेदन है कि आपने पिछली बार पता है क्या किया...

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): लास्ट टाइम में, आप बिना बजट प्रबंधन के...

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री मुरारी लाल (दौसा): आज स्थिति पूरे प्रदेश की खराब है, रोज आप बोलते हो, सड़कों के ऊपर बोलते हो, काम नहीं हो रहे, पेमेन्ट नहीं हो रहे, इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो। आपने बजट प्रबंधन 30 परसेंट किया...

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री मुरारी लाल (दौसा): और लास्ट में, सड़कें दुनिया भर की सैंक्शन कर गए, आज स्थिति प्रदेश की ऐसी है, न वे सड़कें बन रही हैं, सारे काम बंद पड़े हैं, न कान्ट्रेक्टर्स को पेमेन्ट हो रहे हैं...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा): हालत है खराब, ये सब आपकी व्यवस्था की वजह से हैं।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। विराजिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा): आप ऐसी स्थिति कर जाते हो लास्ट में, कि सारे मामलों को खराब कर जाते हो और जैसा कि मैंने बताया, आपको तो फायदा हो गया पंचायती राज का, नहीं तो आपको एजेन्ट भी नहीं मिलते थे श्रीमान् जी, एससी, एसटी, मुसलमानों के? आपको एजेन्ट नहीं मिलते थे...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): आप थोड़ा घुमा गए इसको, जो आपके एजेंट तैयार हो गए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा): 000

सूचना

राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत संघ द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में एक बात कहना चाहता हूं राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत संघ के बैनर पर हजारों एएनएम बहनें आई हुई हैं जो 6719 पद पर नियुक्ति बाकी है, एक आशा सहयोगिनी उनकी मांग सरकार पूरी करे।

श्री सभापति: विराजिए आप। श्री सुरेश टाक।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 28 पर विचार

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मांग संख्या 19 और 28 लोक निर्माण, ग्रामीण विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी विराज रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा उप मुख्य मंत्री महोदय को, ग्रामीण विकास के तहत मैं यह चाहता हूं कि गांवों में सफाई की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे काम है जो नरेगा के तहत नहीं किए जा रहे हैं लेकिन 14वां वित्त आयोग और 5वां राज्य वित्त आयोग, इसके तहत हम उन कामों को कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सुझाव के तौर पर आपको देना चाहूंगा।

मुझे उम्मीद है कि आप ये काम लिखेंगे, इन पर अमल भी होगा और ये काम शायद गांवों में शुरू भी हो पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या गांवों में सफाई को लेकर है और मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना

(श्री सुरेश टाक)

चाहूंगा सभापति महोदय के माध्यम से 14वें वित्त आयोग में स्पष्ट उल्लेख है, 5वें राज्य वित्त आयोग में भी उल्लेख है कि अगर हम नरेगा से नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों में फंड एलोकेटेड है और इस कार्य के लिए पंचायत समिति को अनुमत कराएं ताकि गांवों में सफाई की व्यवस्था हो सके। गांवों में बड़ी हालत खराब है, गांवों में हर तरफ कीचड़ है, सड़कें भले ही बन गई हैं, पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं, जिसका कोई अनुमान नहीं है और अगर गांवों में सफाई की व्यवस्था हो गई तो बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, लोगों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़े इस पर काम कर सकते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से इन कामों को प्राथमिकता दी जाए और यदि आप राशि अलाट भी कर रहे हैं 14वें वित्त आयोग में और 5वें वित्त आयोग में तो सरपंचों को विशेष तौर पर यह आदेश दिया जाए कि यह राशि केवल और केवल इस विशेष उपयोग के लिए ही खर्च की जाए, चाहे इसके लिए मानिटरिंग हो। कई बार देखा गया है मैंने बहुत सारी जगह बात की है, ये लोग कहते हैं कि 20 लाख आने वाले हैं हमारे इस आयोग में, 14वें वित्त आयोग में आने वाले हैं, परन्तु उन्होंने पुराना पेमेन्ट चुकाने के पहले से व्यवस्था कर रखी है कि वह पैसा आएगा तो जो हमारा पुराना बकाया है, पंचायत का उसको पूरा कर देंगे।

मेरा निवेदन है कि जो ये पैसा अलाट करें, उस पैसे पर पूरी मानिटरिंग हो और वह उसी काम पर खर्च हो, सफाई के लिए हो, चाहे श्मशान की चारदीवारी बनाना हो, चाहे उसका शैड बनाना हो, चाहे हमें कोई और निर्माण कार्य कराना हो, खेल मैदानों की चारदीवारी करानी हो, इसके लिए आप विशेष रूप से आदेश जारी कराएं जिससे हमारे ये काम अच्छी तरीके से हो सकें और गांवों का भी डवलपमेंट हो सके, गांवों में भी सफाई की व्यवस्था हो सके, पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण विशेष तौर से इसमें लिया जाए, ताकि पानी की निकासी व्यवस्थित हो सके। पानी की निकासी नहीं होने से ही जो बनी हुई सड़कें हैं, वे भी टूट रही हैं और गांवों में कीचड़ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, कीचड़ को भी सुधार नहीं पा रहे हैं, नियमित सफाई व्यवस्था बने, इसके लिए चाहे श्रमिक लगाने पड़े, चाहे सफाई कर्मचारी लगाने पड़े, पर गांवों की दशा सुधरे, इस ओर हमें विशेष कदम उठाने चाहिए।

(श्री सुरेश टाक)

मेरा एक सुझाव है आपसे, अगर हो सके तो पूरे राजस्थान की सभी विधान सभा क्षेत्रों में प्रति वर्ष अगर एक-एक गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाए, क्यों नहीं इस पर काम किया जाए? हम एक-एक गांव को एक-एक साल में स्मार्ट विलेज की तरफ ले जाएं तो बहुत सारे गांवों को हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। उन गांवों के आमजन जीवन को जीने का अवसर मिल सके। जहां पर उस गांव में अच्छी सड़क हो, अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, एक छोटा सा पार्क भी हो, छोटा सा सामुदायिक भवन भी हो, सफाई की नियमित व्यवस्था हो, ऐसे एक-एक गांव को चुनें, चाहे एमएलए फंड, एमपी फंड और आपके द्वारा जो दिया हुआ 14वें वित्त आयोग का फंड या पीडब्ल्यूडी से आया हुआ फंड, उस फंड से हम गांव को हम अच्छे तरीके से स्मार्ट विलेज बना सकते हैं और ऐसा करके पूरे कार्यकाल में पांच गांव एक विधान सभा क्षेत्र में, स्मार्ट विलेज होते हैं तो एक हजार गांव स्मार्ट विलेज बन सकते हैं। मेरा यह सुझाव है आप इस पर विचार करें।

गांवों में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। चरागाह हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे श्मशान घाट हो, श्मशान की भूमि हो, आये दिन ये शिकायतें देखने को मिलती हैं। मैं चाहूंगा कि नरेगा के अंतर्गत मैंने पहले भी रेवेन्यू की जो बहस थी, उसमें भी बोला था। आज आप विराज रहे हैं और आपका यह विभाग है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा के अंतर्गत अगर आप जो चरागाह हैं, उनका सीमा ज्ञान कराकर, उनकी मेड़बंदी अगर करा दें और उस मेड़बंदी के ऊपर 5-10 फुट के पेड़-पौधे लगा दें तो उससे चरागाह का अतिक्रमण रुक जाएगा। उस चरागाह में पानी रुकना शुरू हो जाएगा और आगे से कोई अतिक्रमण भी नहीं होगा और गांवों में पेड़-पौधे लगने से शायद बरसात भी अच्छी तरह से आएगी। जो जानवर हैं उनके पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों के स्कूल के खेल के मैदान पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं। अगर उन पर बाउण्ड्रीवाल हो जाये या वायर फैन्सिंग हो जाये इस नरेगा मद से या पांचवें राज्य वित्त आयोग के द्वारा हो जाये तो इस तरह की एक योजना बने जिससे हम इन गांवों की, इन स्कूलों के खेल मैदानों की चारदीवारियों की, चरागाहों की, सरकार की जो बिलानाम जमीन है उनकी सुरक्षा कर पायें।

(श्री सुरेश टाक)

मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि सामुदायिक भवन हर गांव में एक बड़ी समस्या है। हर कोई चाहता है कि हमारे गांव में सामुदायिक भवन हो और उस सामुदायिक भवन के लिए भी मैं राज्य वित्त आयोग की तरफ से यह चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से ऐसे आदेश निकालें ताकि पंचायत समिति अनुमत हो जाये, इस बात के लिए आदेशित हो जाये कि किसी गांव में सामुदायिक भवन नहीं है तो वहां सामुदायिक भवन बन जाये, ताकि गरीब आदमी अपने छोटे-मोटे कार्यक्रम, छोटी-मोटी शादी या और कोई फंक्शन उस सामुदायिक भवन के माध्यम से कर सके। उनको यह सुविधा मिल जाये।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे वहां पर किशनगढ़ में एक डाक बंगला बना हुआ है। बहुत वर्षों पुराना है। आपने देखा भी होगा। उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बड़ी जमीन वहां पर पड़ी है। अगर उसका पुनर्निर्माण कराया जाये तो सब जो आने वाले हैं, जो भी अधिकारीगण या कोई भी आये तो उसमें ठहर सके और उसका उपयोग हो सके। अभी उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे कमरे बने हुए हैं कि वहां पर कोई रुक भी नहीं सकता और बहुत बड़ी जमीन है, उसमें बड़ा गार्डन विकसित हो सकता है और आपके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस बात के लिए कि मुझे आपने वहां एक पानी की टंकी नहीं बन पा रही थी किसी सामाजिक विरोध की वजह से तो डाक बंगले में उसकी जगह अलाट करके और उस शहर को जो एक सुविधा उपलब्ध करायी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पीडब्ल्यूडी से वह जमीन नहीं मिल पा रही थी पर आपको मैंने निवेदन किया। आपने तुरन्त उस पर गौर किया और वह जमीन मिलने के बाद आज टंकी निर्माण वहां पर हो रहा है। वह निर्माण होने के बाद कम से कम सत्तर किलोमीटर का जो एरिया है वह पानी की एक नयी लाइन से जुड़ जाएगा, उनको पीने का पानी मिल जाएगा।

इसी तरह से अगर हो सकता है तो वहां पर शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव है और वह जो डाक बंगला है वह मैन लोकेशन पर है। अगर आगे की जमीन थोड़ी सी मिल जाये नगर परिषद् को तो नगर परिषद् अपने स्तर पर निर्माण कर लेगी। अगर वहां मल्टीस्टोरी पार्किंग की सुविधा के लिए जमीन दे सकें हमें तो शहर के यातायात के लिए एक बहुत-बड़ी समस्या जो है उससे निजात मिल सके और हम उस पर एक मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाकर शहर को एक नया आयाम दे सकें।

(श्री सुरेश टाक)

अराईं उपखंड और किशनगढ़ उपखंड है, वहां पर एईएन, एक्सईएन के आफिस नहीं हैं पीडब्ल्यूडी के। आपसे अनुरोध करूंगा कि दोनों जगह ऑफिस निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करें, ताकि वहां आफिस बने और वो कर्मचारी/अधिकारी अच्छे ढंग से काम कर सकें।

पिछली सरकार में वहां पर ग्रामीण उप अधीक्षक कार्यालय खुल गया लेकिन अभी तक कार्यालय के अभाव में सीईओ की नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जमीन वहां उपलब्ध है। अगर आप वहां हमारे किशनगढ़ में ग्रामीण वृत्त के लिए सीईओ कार्यालय के लिए राशि स्वीकृत कर देंगे तो कार्यालय बनने के बाद वहां पर अधिकारी लग जायेगा और कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार होगा।

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को बोलना है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखी है। मैं इससे अधिक कुछ बोलता नहीं हूं। कल मुझे बोलने का मौका कम मिला था। हम लोग नये हैं। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप संरक्षण करेंगे तभी हम बोल पायेंगे और हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात रख पायेंगे। हम इससे बाहर अभी बोल भी नहीं रहे हैं इसलिए हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है और गांवों के विकास के बिना देश के विकास की परिकल्पना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं हैं और आजादी के 72 साल बाद आज भी गांवों में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और उसका परिणाम है कि लोग प्रतिदिन गांवों से पलायन करके शहरों में आ रहे हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि शहरों में आबादी का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया।

माननीय सभापति महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत हमारे राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर के बगदरी गांव से हुई। हमारे देश में 2018 तक 6 लाख 49 हजार 481 गांव हैं और 707 जिले हैं और वर्ष 2011 में देखें तो पिछड़े जिलों की संख्या करीब ढाई सौ है परंतु वर्ष 2014 में केन्द्र में भारतीय

(श्री नारायण सिंह देवल)

जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी और उन्होंने यह तय किया कि देश के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जाये और प्रत्येक गांव में पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य और शिक्षा हो इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उसी का परिणाम रहा है कि पांच वर्षों में जो अति पिछड़े जिले थे वो ढाई सौ से घट कर 101 रह गये हैं। हमारे राजस्थान में कुल 46,239 गांव हैं और 33 जिले हैं। नीति आयोग की जो 2018 की रिपोर्ट है उसमें पांच जिले अति पिछड़े जिले हैं उनमें हैं सिरोही, करौली, बारां, धौलपुर और जैसलमेर जिले हैं। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी विराजे हैं। नरेगा के तहत पिछले 7-8 महीनों में सामग्री मद का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ पैसा आया है और उसके कारण सारे विकास के काम 6 महीने से ठप हो गए हैं। किसी भी पंचायत में एक-दो काम को आप छोड़ दें तो सारे काम ठप पड़े हैं और नरेगा को भी आनलाइन कर दिया है और साफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा है जिससे आनलाइन प्रस्ताव जिला परिषद् तक नहीं जा पा रहे हैं तो सारे काम ठप पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक ये साफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता है आप पुरानी व्यवस्था के तहत काम चालू रखें ताकि गांवों का विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में अधिकांश लोग ढाणियों में रहते हैं, पुराने रास्ते हैं और सरकारी रिकार्ड में तरमीम नहीं होने के कारण वहां पर कोई भी ग्रेवल नहीं डाल सकते हैं। इसमें भी छूट देकर उन रास्तों में ग्रेवल डाली जाये। विधायक कोटे के सार्वजनिक हित के काम भी पिछले 7-8 महीनों से बिलकुल ही समय पर नहीं हो रहे हैं और उसमें सार्वजनिक काम में जैसे हम लोग कोई भी स्वीकृति देते हैं तो पूरा सदन जानता है कि किसी भी काश्तकार के लोन हो तो वह जमीन समर्पण नहीं हो पाती है तो इसके कारण से भी बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी आप छूट दें और जो विधायक फंड के काम नहीं हो रहे हैं, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अधिकारियों की जवाबदारी तय करें कि तय सीमा में ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने मांग की कि जो गुरु गोलवलकर योजना है इसमें काफी लंबे समय से पैसा नहीं है और आज भी हम गांवों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब, हमने लाख रुपया जमा करा दिया, हमारे कब तक स्वीकृति आयेगी तो इसमें फंड की स्वीकृति दें ताकि यह काम समय पर हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा कि नरेगा को किसानों के कृषि कार्य से जोड़ा जाए ताकि किसान को इसमें लाभ हो और नरेगा के कामों को पक्के कामों से जोड़ा जाये, जैसे कई गांवों में स्कूलें बन गई, पुरानी हो गई और उसमें पानी टपकता है तो उसको नरेगा से जोड़ा जाए। उप स्वास्थ्य केन्द्र में जैसे पानी टपक रहा है और किसानों के खेत में जैसे एनीकट टूटे हैं, गांव में जो पुराने बांध हैं जो सिंचाई विभाग ने पंचायती राज के सुपुर्द कर दिये हैं तो इन कामों को भी नरेगा के तहत जोड़ा जाये। गांव में जो पंचायत बनी हुई है और काफी पुरानी है उसकी भी मरम्मत इस नरेगा के तहत की जाये। पटवार भवन की मरम्मत की जाये और किसानों के खेत में पानी की टंकी और नालियों को भी नरेगा के तहत जोड़ा जाये। खेतों में मेड़बंदी को जोड़ा जाए।

गांवों के बीच में जो जीएलआर बना हुआ है, वह जर्जर हो जाता है, कई बार विभाग के पास पैसा नहीं होता है, नरेगा के तहत इसकी रिपेयरिंग की जाए। विधान सभा में कई माननीय सदस्य आये दिन यह मांग उठा रहे हैं कि गांवों में रोजड़े एवं सूअरों से किसानों की फसल को आये दिन नुकसान होता है, तारबंदी को इसमें अनुमत किया जाए। गांवों में इंटीरियर सड़कें हैं, बारिश के बाद काफी बबूल बढ़ जाते हैं उन बबूलों को भी नरेगा के तहत कटवाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के माध्यम से जितने भी हैंड पम्प खोदे जाते हैं और जब हैण्डपम्प खराब होते हैं पीएचईडी यह कह कर टाल देता है कि यह पंचायती राज का है। सरपंच के पास इतने संसाधन नहीं हो पाते हैं। इन हैंडपम्पों को भी पीएचईडी ठीक करे।

सभापति महोदय, गांवों में जो सड़क है पानी के भराव पड़ने के कारण टूटती है। कई मुख्य सड़कें हैं जिसमें पटरियां टूट जाती हैं। पीडब्ल्यूडी के पास बजट नहीं होने के कारण पटरियां बना नहीं पाते हैं जिसकी वजह से आये

(श्री नारायण सिंह देवल)

दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन सड़कों की पटरी निर्माण का काम भी नरेगा के तहत किया जाए ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके।

हमारे यहां ग्राम सेवकों की काफी कमी है। एक-एक ग्राम सेवक के पास दो-दो, तीन-तीन चार्ज हैं, वह ग्राम सेवक गांवों में जाते ही नहीं हैं। एक गांव वाला पूछेगा कि आप कहां हैं, जवाब आता है मैं दूसरी पंचायत में हूं। दूसरा पूछेगा, वह कहेगा मैं तीसरी पंचायत में हूं। इसलिए ग्राम सेवकों की भर्तियां भी की जायें और इन लोगों को पाबंद करें कि सप्ताह में तीन दिन आपको इस पंचायत में रहना है, तीन दिन इस पंचायत में रहना है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी।

जो पंचायत सहायक हैं, इनका स्थाईकरण किया जाए, इनकी सैलेरी बढ़ाई जाए, यह इन लोगों की लंबे समय से मांग है। पिछली सरकार के समय पंचायती राज के मंत्री आदरणीय राजेन्द्र राठौड़ थे। इन्होंने नरेगा के तहत विद्यालयों की चारदीवारी बनाने के लिये आदेश दिया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी ऐसे विद्यालय हैं जहां चारदीवारी नहीं है, वह सारी चारदीवारी नरेगा के तहत की जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जसवन्तपुरा का जो डाक बंगला है, वह काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसको ठीक किया जाये।

2017 की अतिवृष्टि में काफी पुल टूट गये हैं। उन सड़कों में 6-6, 7-7 महीने नेचुरल पानी चलता है। सूरजवाड़ा से रोडा के बीच में, आलडी से रोपसी के बीच में, भीनमाल से करड़ा, सूरजवाड़ा से धूलिया और कारलू से सुन्धामाताजी रोड, यहां 6-6 महीने पानी चलता है जिसके कारण से लोगों को आने जाने में भारी समस्या रहती है। यहां पुल की स्वीकृति देकर पुल बनाया जाये। रानीवाड़ा में उपखण्ड कार्यालय 1985 से बना हुआ है। वह काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इसके भी नये भवन की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रानीवाड़ा में बीडीओ का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है। आपने जालोर प्रवास के दौरान जालोर में मीटिंग भी ली। पूछा गया कि सबसे कम लेबर पेमेंट रानीवाड़ा में क्यों हुआ, उसका कारण है कि बीडीओ वहां नहीं है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक ग्राम सेवक है जिसके पास दो चार्ज हैं। रानीवाडा खुर्द और दहीपुर, वह किसी भी दिन किसी भी पंचायत में नहीं जाता है। 24 घंटे पंचायत समिति में बैठकर लोगों के साथ इतने अभद्र तरीके से पेश आता है, आये दिन लोग उसकी शिकायत करते हैं और एक भ्रष्टाचार का जाल फैला रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट ग्राम सेवकों को जिले से बाहर करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, मैं मांग संख्या 28-पंचायती राज पर माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान दिलाकर कुछ बातें रखना चाहूंगा। जो मैंने कटौती प्रस्ताव लगाये हैं मैं उन्हीं तक अपनी बात सीमित रखूंगा। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पंचायती राज से मेरा लंबा संबंध रहा है और जब यह विधान सभा चुनाव नहीं हुए थे तो मैं ग्राम पंचायत के एक पंच की हैसियत से पंचायत में काम करता था। 41 साल पहले मैं ग्राम पंचायत का सरपंच चुना गया था और मैंने पिछले चार सालों में जो अनुभव किया उसको आधार बनाकर ही मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव लगाये हैं। कुछ मैंने प्रश्न लगाये हैं, सिर्फ उत्तर प्राप्त करने के लिये नहीं, उन प्रश्नों के उत्तर तो मुझे मालूम हैं, मगर जो इस विभाग को नियंत्रित करते हैं उनका ध्यान उन बातों पर दिलाया है जिसके कारण पंचायती राज को क्षति हो रही है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायती राज में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया था। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव इसी संबंध में है कि पंचायती राज में फैले व्यापक भ्रष्टाचार को रोका जाए। इसको रोकने का कोई सीधा फ़ार्मूला तो है नहीं कि उसको लगा दे तो रुक जायेगा। मैं सिर्फ अनुभव के आधार पर एक बात पर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था में से हमारे चुने हुए सरपंच आते हैं उनका ज्ञान ग्राम अधिकारी, जिसको हम ग्राम सेवक कहते थे, आज ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, अधिकांश केसेज में हमारा जो ग्राम विकास अधिकारी है वह पंचायत के सरपंच पर हावी रहता है और हर कागज के ऊपर सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं और बहुत सरपंच, सरपंच नहीं रहते उसके बाद वह जेलों में इसलिए जाते हैं कि उनको जो लोग उस पंचायत के संचालन के लिये सरकारी तौर पर

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)

जिम्मेदार हैं, वह उनके हस्ताक्षर करवा लेते हैं और हस्ताक्षर करवाने के बाद वह तो दूर हो जाते हैं और वह सरपंच जेलों में बंद होते हैं। मैं अनुभव के आधार पर माननीय मंत्री जी, आपका इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि निर्माण काम से संबंधित हर कागज पर सरपंच के हस्ताक्षर तो हो, मगर जब जिम्मेदारी ठहराने का प्रश्न आये तो वह ग्राम विकास अधिकारी, वह जेईएन और वह विकास अधिकारी, जो गड़बड़ी होती है उसके लिये आप उनको जिम्मेदार ठहरायें तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, यह मेरा पहला सुझाव है क्योंकि अभी भ्रष्टाचार का मूल कारण यही है कि इनको रास्ता वह दिखाते हैं और बहुत जगह उनको बोलते हैं कि यह आपका परसेंटेज है और उस प्रलोभन में, उस दिशा में वह सरपंच चल जाता है और उसका नुकसान होता है।

मेरा दूसरा जो कटौती प्रस्ताव है कि जो हमारे जिला परिषद् के सीईओ हैं, उनका काम ही पंचायत समितियों के काम का निरीक्षण करना है। जब हमारी पंचायत समिति के सीईओ पंचायत समिति की बैठकों में जाएंगे नहीं, पंचायत समिति की बैठक क्या है सरकार के हर डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं, चाहे वह बिजली का महकमा हो, चाहे पीएचईडी का हो, सारे विभागों की योजनाओं का निस्तारण करने की जिम्मेदारी, चौकीदारी करने की, गांवों के विकास की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, उनको सुनने वाला पंचायत समिति तक पहुंचे नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि पंचायत समिति चलेगी कैसे। ऐसा कोई काश्तकार है जो खेती करता हो और अपने खेत में फसल देखने न जाये।

माननीय सभापति जी, पंचायती राज के बड़े अधिकारी यहां के दफ्तर छोड़ें, संभागीय मुख्यालय पर बैठकें लें। सरप्राइज जिला परिषद् की बैठकों में चले जायें, निश्चित रूप से सुधार होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस विभाग में कुछ समय काम करने का अवसर मिला था और मैं मेरे अनुभव से कहता हूं कि जो आपको सर कहते थे, वही जब आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो वह सिर पर बैठ जाएंगे। प्रश्न यह नहीं है कि आपके हुक्म की पालना करे, प्रश्न यह है कि जिस काम की जिम्मेदारी के लिये आपको कुर्सी पर बैठाया है, आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं, आप जाकर देखेंगे नहीं। आपने कलेक्टर को जिला कलेक्टर (विकास) नाम भी दे रखा है। समय नहीं है। हम

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)

सारी व्यवस्था को आनलाइन करने की बात कर रहे हैं, पर विभाग की व्यवस्था लाइन पर नहीं है। आनलाइन करने की बात तो सहज है, पर व्यवस्था को तो लाइन पर लाएंगे। माननीय मंत्री जी, जब मैंने भ्रष्टाचार की बात की है तो मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। मैंने एक आखिरी जो प्रस्ताव लगाया है कि आप जो विधायक कोष या सांसद कोष के काम देते हैं, इनमें बड़ी छूट होती है। विधायक कोष और सांसद कोष का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी कुछ कह रहा है। जब सत्ता पक्ष में हैं तो उसकी हां जी, हां जी करनी है, चाहे गलत काम क्यों न हो।

मैंने मिसाल के साथ कुछ बातें प्रश्न के माध्यम से आपके पास पहुंचायी हैं और मैं सदन में इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, दो साल में अगर कोई विधायक तीस लाख रुपये विधायक कोष से क्रिकेट के बल्ले खरीदने के लिये स्वीकृत कर दे और तीस लाख के बल्ले खरीद लिये जाएं। पंचायत समिति से जानकारी ली जाए कि किसी पंचायत में बल्ले बांटे हैं, तो जवाब आया कि बल्ले तो कहीं पर नहीं बांटे। विधायक कोष की बल्ले-बल्ले हो गयी। कोई देखने वाला नहीं है। तीस लाख रुपये के क्रिकेट के कितने बल्ले आते हैं, उनका वितरण कैसे हुआ? इसको कौन देखेगा? विधायक कोष के पैसे का उपयोग निजी कार्य के लिये नहीं किया जा सकता है। मगर आपको अपने व्यक्तिगत व्यक्तियों को लाभ देना है, काम करवा लिया। कोई कहां तक शिकायत करे? किससे करे? जिस गांव का पंच और पूरी ग्राम पंचायत शिकायत कर रही है, पर जांच करने वालों को सांप सूंघ रहा है। माननीय सभापति जी, यह चिंताजनक स्थिति है, इस बात को दिखाएं।

सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जब पुलिस पर चर्चा हो रही थी और महिलाओं पर अत्याचार की बात आयी, एक ही बात निकलकर आयी कि बहुत बड़े अत्याचार महिलाओं पर परिवार के सदस्यों के द्वारा होते हैं। इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। पंचायती राज के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार विभाग के, महकमे को देखने वाले जिम्मेदार लोगों के द्वारा हो रहे हैं। एक मिसाल मैं कोटा जिला परिषद की बता रहा हूं। खेत को खेत की बाड़ खा रही है। सीईओ, जिला परिषद्, कोटा और शिकायतकर्ता जिला प्रमुख, कोटा। शिकायत किस बात की कि पंचायतों में अटल सेवा केन्द्र, राजीव सेवा केन्द्र में पार्टिशन का काम कराना। काम पंचायत का है, जयपुर से आदेश होते

(श्री भरतसिंह कुन्दनपुर)

हैं। बिना कोई टेंडर, कोई फर्म जाती है, कोई अलवर की है या दूसरे की है। यह शिकायत कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। एडिशनल सीईओ, जिला परिषद् के निरीक्षण पर जाती हैं, देखती हैं और सीईओ से शिकायत करती हैं। दस महीने तक कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ है। साढ़े नौ सौ रुपये की एलईडी लाइट साढ़े तीन हजार रुपये में खरीदी गयी। प्रकरण एसीडी में दर्ज हुआ। किसने करवाया? जिला परिषद् के प्रमुख अपने सीईओ के खिलाफ एसीडी में प्रकरण दर्ज करवा रहा है। प्रकरण दर्ज है। मैंने जब उसके बारे में जब एसीडी के अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इसमें सरपंच मरेंगे। 29 पंचायतों के सरपंचों को शायद जेल की हवा खानी पड़ेगी, जबकि उनका उस भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसने इस प्रकार की व्यवस्था की कि कहीं किसी कागज पर दस्तखत नहीं किये। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी, यह मौका है। यह कुर्सी अस्थाई है, यह मौका है व्यवस्था को सुधारने का, ताकत देने का। हमने प्रश्नों के माध्यम से जिन लोगों के खिलाफ बात रखी है, उसका निरीक्षण कराएं।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। पत्राचार में कागज इधर से उधर और उधर से कागज इधर है। एक पुरानी कहावत है “One good look is better than thousand words spoken” मौके पर जाकर अवलोकन कर लीजिए, आपको सच्चाई दिख जाएगी और फिर कार्यवाही करके एकाध रावण को मारें तो राम जिंदा होंगे। आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 28 पर चर्चा करने के लिये आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भरत सिंह जी की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में जिला परिषद्, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और पूर्व जिला परिषद् मैम्बर वेतनमान और मानदेय की मांग करते हैं। एमएलए, एमपी को जिस तरीके से भीड़ घेरे रखती है। पंचायत के सरपंच से लेकर पंच तक और सारे जन प्रतिनिधियों को भीड़ घेरे रखती है इसलिए भी उनका हक बनता है कि उनको भी सरकार कुछ दे ताकि उनको जन प्रतिनिधित्व का अहसास रहे। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र ने जकड़ रखा है।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले छह महीने में नरेगा की संख्या 8 लाख से बढ़कर 32 लाख तक हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेगा के मजदूरों की संख्या आपने बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, पर पालना, मटका, टैंट, मेडिकल किट कहां पर है? सभापति महोदय, पेयजल की कहीं व्यवस्था नहीं थी। आप ताज्जुब करोगे, क्योंकि मैं जगह-जगह निरीक्षण करके आया हूं। मुझे याद है जब मैं जिला परिषद् का मैम्बर था, जब हनुमानगढ़ जिले में नरेगा का उद्घाटन हुआ था। पालने की, मटके की, टैंट की व्यवस्था हुआ करती थी। इतने बड़े-बड़े लोगों ने गड्ढ़े खोदे थे, जिसमें आज भी पानी सुरक्षित रहता है। मैं गत सरकार की मुख्य मंत्री जी की जल स्वावलंबन योजना की आलोचना इसलिए करता हूं, क्योंकि मैंने आंखों से देखा था कि नरेगा में मजदूरों ने लगकर जो गड्ढ़े खोदे, उसमें 100 रुपये की उन्हें दिहाड़ी मिली। काम के बदले दाम मिला। जल स्वावलंबन योजना ने पिछली बार ऐसा दम तोड़ा कि 2008 और 2009 की नरेगा का मुकाबला भी नहीं कर पायी। मेरे यहां मूंदड़िया बड़ा और कूजी पंचायत में जल स्वावलंबन योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ। मैंने बारबार इसकी शिकायत भी की। मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही हो। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने नरेगा में रोजगार दिया है। आप उन लोगों को पूरी दिहाड़ी भी दें। आज स्थिति यह है कि दस रुपये से लेकर अस्सी-सौ रुपये तक मिलते हैं, इससे फालतू दिहाड़ी नहीं मिलती है, इससे आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। काम के बदले दाम की योजना सही है, पर हमें इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं सदन में मांग करता हूं कि नरेगा को खेती से जोड़ने की बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि हर आदमी को सौ दिन से बढ़ाकर डेढ़ सौ दिन रोजगार भी दिया जाए।

हम मांग करते हैं कि जब पंचायत समिति के पुनर्गठन की बात चलती है, जब नये पुनर्गठन की बात चलती है तो 2011 की आबादी में नये पंचायतों के पुनर्गठन में तीन हजार लोगों की संख्या रखी जाए। चार हजार में पुनर्गठन की बात नहीं जम रही है। वे पंचायतें जिनका हम पुनर्गठन करना चाहते हैं, वे आ भी नहीं रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि पंचायतों को गत शासन ने ऐसा डुबोया था कि पंचायतों में ठेकेदारों के मार्फत... हम सरपंच चुनते हैं, गांव के लोग सरपंच चुनते हैं, बढ़िया मानकर चुनते हैं, उन पर भरोसा ही नहीं बचा। उसको रोड़ी, क्रेशर, बजरी, सारा सामान ठेकेदार के मार्फत लेना पड़ेगा। यह परम्परा बंद करो। सरपंच पर विश्वास

(श्री बलवान पूनियां)

करो। सरपंच पहले भी काम करते आये हैं। इस देश में पंचायती राज पहले भी मजबूत रहा है। इसलिए इस ठेकेदार की प्रथा को सरकार पूर्ण बंद करने का काम सरकार करे। हम चाहते हैं कि जो डीएलसी रेट पर काम होते हैं, आज जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह बनी, वह डीएलसी रेट भी है। बाजार में सरपंच को सामान कैसे मिलता है, ठेकेदार से मिलता है, इस वजह से कमीशन के चक्कर बढ़े।

मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि मेरे हनुमानगढ़ जिला परिषद् के सीईओ ने कल पंचायतों को कोई लैटर दिया कि आप सीसी निकलवाने के लिये पूरी फाइल लेकर हनुमानगढ़ आइये। मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 25 पंचायतों का जिक्र किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 32 पंचायतें ऐसी हैं, जिसमें तत्कालीन बीडीओ, जो एसीडी द्वारा पकड़ा गया और जो जेल भी गया। उसके खिलाफ एसीडी में मुकदमा है। उसने एक आदेश निकाला और सरपंचों को कहा कि सौर ऊर्जा की लाइन लेनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपकी यह जांच कर दूंगा, यह जांच कर दूंगा। उसमें सैक्रेटरी ने सौर ऊर्जा की महंगी लाइट खरीदी। आज उसको भ्रष्टाचार का नाम देकर सरपंचों को नोटिस थमा रहे हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उसकी जांच करिए। मैं सरपंचों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अगर वे गलत हैं तो उनको भी सज़ा दीजिए लेकिन जो असली अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको पकड़िये। मैं आपसे मांग करता हूं कि पंचायतों में यह जो सारी की सारी व्यवस्थाएं बन रखी हैं, पंचायत जैसे सिस्टम में जहां हिन्दुस्तान की असली आत्मा बसी है। गांधी जी ने कहा था कि पंचायतों को मजबूत करोगे तो ही देश मजबूत होगा। आप इस संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, पिछले शासन में जल स्वावलंबन में जो भ्रष्टाचार ठेकेदारी के जरिए हुआ था, आप उसकी जांच कराइये। बीडीओ बैठे हैं जमे हुए। यहां पूरे राजस्थान की पंचायत समितियों में वही बीडीओ जमे बैठे हैं, जो पिछले राज में थे। आज भी उसी तरह से लोगों का माल लूट रहे हैं। आज भी उसी तरह से लोगों की जेबे काटने का काम कर रहे हैं। आपको मैं कहां-कहां बताऊं। कैटल शेड में चलिए, आप टीन शेड में चलिए, आप चलिए हर काम में जहां हर काम में बंधी लगी हुई हैं। आज भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। कुंड निर्माण के नाम पर, प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम पर आज भी उनसे पैसे लेने का काम किया जा रहा है।

(श्री बलवान पूनियां)

(14.40 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आप इनकी जांच करवाने के लिए सरकार को कहें। मंत्री महोदय, बैठे हुए भी हैं। यह इस स्थिति को संभालेंगे। एंटी करप्शन में सरकार ने जिन लोगों को पकड़ लिया, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको दोबारा किसी भी सूरत में बहाल नहीं किया जाए, दोबारा किसी भी सूरत में किसी पंचायत समिति का बीडीओ न बनाया जाए, उस पर विश्वास न किया जाए। यह संगठित अपराध जो स्वच्छता अभियान के टायलेट में किया गया, प्रधान मंत्री आवास योजना में किया गया, इस संगठित अपराध को रोकने का आप काम करेंगे।

मैं अगर बात करूं लोक निर्माण की तो सभापति महोदय, लोक निर्माण में मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में एक पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, वहां दो एईएन बैठते हैं। उनके पास जेईएन नहीं है। उनके पास चपरासी तक नहीं है। उनके पास गाड़ी तक नहीं है। दफ्तर में दो एईएन बस, कैसे विभाग चलेगा? कैसे काम चलेगा? एक पुल बना था, बाड़ी मोड़ पर एक बहुत बड़ा पुल बना, ओवरब्रिज बना, 35 करोड़ का टेंडर हुआ। वह पुल टेढ़ा हो गया। मैं उसकी जांच की मांग करता हूं। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं, मंत्री महोदय बैठे हैं, आप इस चीज को नोट करें। जांच करने के बाद ही उस ओवरब्रिज के ऊपर से साधन शुरू करेंगे, उससे पहले शुरू नहीं करेंगे। यह प्रयास आप करेंगे।

मैं सदन का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि जो मांगें कटौती प्रस्ताव में हम समझ नहीं पाए थे। सदन के बहुत सारे साथी, सुबह सभापति महोदय ने कहा था, सड़क की बात भी हम लोग करने वाले थे। लेकिन सब लोग जो-जो समझ नहीं पाए, जो लोग हम आउट हुए हैं लेकिन सड़क पर भी हम बात को टेबल करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, जिनके जिम्मे पूरा का पूरा सिस्टम है, विकास का सिस्टम है, जिनके जिम्मे पर नरेगा का सिस्टम है। इस नरेगा को दम तोड़ते हुए हम देखना नहीं चाहते। इस नरेगा को मजबूत करने के लिए हम लोग लड़े हैं। इसकी पूरी दिहाड़ी के लिए हम लोग लड़े हैं। मैं एक बार फिर ध्यान इंगित कराना चाहूंगा कि इस नरेगा में जान फूंकिये। यह राजस्थान के उन दूर-दराज लोगों के लिए,

(श्री बलवान पूनियां)

उन गांव-ढाणियों में बैठे लोगों के लिए जिनके आज भी खेत में बरसात नहीं है, जिनके फसल नहीं है, टिड्डियां आने से जिनकी फसल नष्ट हो जाएगी, उनके पास एक ही सहारा है गांव में, वह है नरेगा। नरेगा को अगर मजबूती के साथ हम लागू करेंगे तो हम लाखों लोगों का, राजस्थान की जनता का भला कर पाएंगे। नरेगा में ग्रामीण विकास की बात भी ऐसी शानदार होती है कि नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे काम के अंदर दुनिया भर के काम भी किए जा सकते हैं। इसलिए नरेगा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एक-एक सुझाव को, एक-एक बात को यहां की सरकार लागू करने का प्रयास करेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास और मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य विभाग। हम सबको पता है कि ग्रामीण विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं हमारे राजस्थान में चल रही हैं। हम सबको यह पता है कि आजादी के बाद सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। इसकी शुरूआत माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने की। यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि राजस्थान में पंचायती राज की शुरूआत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास हो रहा है चाहे पंचायती राज के माध्यम से हो, चाहे और भी कई योजनाएं हों, विभागों की योजनाएं हों, वह सब योजनाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। सबको पता है कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से अभी-भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूरी बनी हुई है।

हमारे राजस्थान प्रदेश में कुल 46229 गांव हैं, 33 जिले हैं। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भी हमारे प्रदेश के 5 जिले बहुत पिछड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आजीविका योजना, मनरेगा, डीआरडीए, एमपी लैड, डीपी सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा भी कई योजनाएं जैसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, मेवात विकास,

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

मगरा विकास, डांग विकास, मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज, गुरु गोलवलकर योजना आदि योजनाएं चल रही हैं। हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम ग्रामीण विकास पर जोर दें। आज शहरी क्षेत्र के विकास में और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बहुत अंतर आ गया है। उस अंतर को कम करने और गांव में भी मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा हो। गांव के लोगों को भी रोजगार मिले। इस व्यवस्था पर सरकार को काम करना चाहिए।

हम सबको पता है कि महानरेगा योजना चल रही है परंतु इसमें लेबर पेमेंट में कई समस्याएं आ रही हैं। कारीगर और मैट इसमें काम कर रहे हैं। उनका कई महीनों तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जो यह बाधा आ रही है, इसको दूर किया जाए जिससे नरेगा योजना में लोगों को रोजगार मिल सके। नरेगा योजना से गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं। इस योजना के माध्यम से कृषि कार्य को भी जोड़कर जैसे मेड़बंदी हो, चाहे किसानों के खाले निर्माण हो, होदों का निर्माण हो, और भी जो काम है, खेतों के अंदर होने वाले काम को कैटल शेड बनाने का काम भी हम इस योजना के माध्यम से कर सकते हैं। गांव में जो विद्यालय हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। गांव में जो छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिए स्टेडियम हो, चाहे कक्षा कक्षों का निर्माण हो, चाहे मास्टर लोगों का पदस्थापन हो, यह सारी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए हम सबको एकजुट होकर लगना पड़ेगा। गांव को भी शहरों के बराबर मूलभूत आवश्यकताएं मिलेंगी। गांवों में भी रोजगार बढ़ेंगे तो गांवों से पलायन रुकेगा। शहरों में आज समस्याएं बढ़ रही हैं, वह भी कम होंगी। गांवों की समस्याएं भी दूर होगी। सिंचाई के लिए राजस्थान में जो सरफेस वाटर है, वह बहुत कम है। नरेगा योजना के माध्यम से एनीकट वगैरह, तालाबों का स्ट्रक्चर सुधार कर, नहरों को बढ़ावा देकर और भी कई योजनाएं बनाकर पानी का जलस्तर हम राजस्थान में बढ़ा सकते हैं। जिन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था हो। सभी गांव वालों को इसका लाभ मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): हमें राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग मिले। राजस्थान सरकार नरेगा योजना को पूर्ण रूप से और ढंग से लागू करे। आज स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राजस्थान में नरेगा के अलावा,

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

पंचायतों को, जिला परिषदों को, पंचायत समितियों को फंड की व्यवस्था करते हैं, उसके माध्यम से भी हो। आज एसएफसी के माध्यम से सिर्फ लाइट बिल और बिलों के भुगतान में ही पंचायतों का पूरा पैसा खर्च हो जाता है। इस व्यवस्था को भी सुधारा जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री खिलाड़ी बैरवा जी।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): आज डीएमएफटी, माननीय सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। आप विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): 000

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 28 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। सबसे पहले मैं इस सदन का, माननीय मुख्य मंत्री जी का, सरकार का बहुत-बहुत आभारी हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र की तरफ से धौलपुर की तरफ से और डांग क्षेत्र की तरफ से, जिसको बजट में कृषि महाविद्यालय की घोषणा की गई।

आज बसेड़ी और धौलपुर में ही नहीं पूरे संभाग में खुशी की लहर है। उस संभाग में जहां पर डांग क्षेत्र डकैत, चोरी, डकैती, लूट यह सब चीजें हुआ करती थीं, उस क्षेत्र में जब एक कृषि महाविद्यालय की घोषणा की गई तो पूरा समूचा क्षेत्र बहुत खुशी से सरकार की वाह-वाही कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं। आगामी पांच वर्षों में जो लिंक रोड का सरकार ने काम किया है कि पांच साल में मिसिंग लिंक पूरा करेंगे, यह बहुत ही अच्छा कार्य है। आबादी वाले गांव जो 500 लोगों से अधिक की जनसंख्या है, उनको भी सरकार ने जोड़ने की बात कही है, मैं उसके लिए भी साधुवाद धन्यवाद देता हूं। जो नया विकास पथ समस्त ग्राम पंचायतों से बनाने की घोषणा सरकार ने की है, मैं उसके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है गांव में मास्टर प्लान।

आज सबसे बड़ी समस्या गांवों में रेवेन्यू की है। झगड़े खेत के, पास

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

पड़ोस के हैं। खाद डालते हैं, जहां गोबर डालते हैं, घोड़ा बनाते हैं, ऐसी-ऐसी समस्या है। अगर मास्टर प्लान का कार्य गांवों में सरकार की मंशा के अनुरूप हुआ तो मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं कि आने वाली बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान होता है, आप जानते भी हैं, देखते भी हैं। अगर पांच फीट अपन ने बाहर निकाल लिया तो जेडीए या नगर निगम उसको तोड़ने की कार्यवाही कर सकती है लेकिन ऐसे पावर्स और ऐसी स्थिति गांवों में नहीं है। उसका यह कारण है कि गांवों में बहुत अच्छी जमीन है। बहुत अच्छे बसे हुए हैं लेकिन फिर भी जहां सड़क जा रही है उस सड़क की स्थिति ऐसी कर रखी है कि वहां निकलना दूभर हो रहा है, क्योंकि वहां एक कम्पीटिशन हो जाता है। इधर वाला जब दो फीट पत्थर लगाता है तो उधर वाला सोचता है कि मेरे इधर भी लगाऊं। आप कहीं भी चले जाइये, आपको गांव में सब जगह पर यही स्थिति मिलेगी कि निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। चार पहिया वाहनों के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई कि चार बार बैक करो तब गांव में से निकलना होता है, जबकि वहां जगह की कोई कमी नहीं है। मैं सरकार के इस काम की सराहना करता हूं, मास्टर प्लान का हर गांव में अभी से ही प्लान चालू कर दें ताकि समस्या का समाधान हो सके।

महोदय, अभी दो बातें आईं थीं, मेरे सम्माननीय साथी बोल रहे थे ओडीएफ। हम गांव में चुनाव के बाद गए तो हर गांव में यह समस्या आई। सराहना कर रहे थे कि ओडीएफ, बहुत शौचालय खोले गए। मोदी जी की यह प्लानिंग थी और यह हुआ। हमारे उप मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं सरकार की ओर से जो यह हुआ है, इसकी निश्चित रूप से जांच कराएं। यह केवल और केवल ओडीएफ नाम से खानापूर्ति वाला काम है। आज भी गांव में लोग परेशान हैं। अपने पैसे लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि यह पैसा कब मिलेगा। यह शौचालय कब बनेंगे, इसकी पूर्ति कब होगी। बहुत बड़ा इश्यू है। मैं यह नहीं कहना चाहता, सरकार कोई भी हो, सरकार को काम करना चाहिए, विकास के लिए काम होने चाहिए। जहां भी गलती है, कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। मैं इस मामले में इसलिए कहना चाहूंगा कि केन्द्र में सरकार मोदी जी की है, उन्हीं की प्लानिंग की हुई है, आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इस मामले को लेकर, जहां-जहां भी कमियां हैं, ओडीएफ के नाम पर लीपापोती होकर, लोगों को पैसा नहीं

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

मिला है और जो पैसा घर से खर्च करवा दिया है, आज भी वह इंतजार कर रहे हैं उसका समाधान होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए।

दूसरी, सदन में उज्ज्वला गैस योजना के बारे में बात हुई। मैं उसकी भी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छी योजना थी। आज स्थिति यह है कि गांवों में जो गैस चूल्हे दिए गए हैं उन गैस चूल्हों पर रखकर, नीचे से लकड़ी लगाकर रोटी बनाई जा रही है, ऐसे नक़्शे और फोटो हमने देखे हैं। हर चीज की केवल घोषणा करने से काम नहीं चलता है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, यह तय करना चाहिए कि इसमें कितना क्या हुआ है। उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस दे दिए, इसके बावजूद आज तक वापसी में 15 परसेंट सिलेण्डर वापस नहीं आए है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा क्योंकि यह पार्ट है, राजस्थान सरकार भी इसमें इन्वाल्व होती है, केन्द्र सरकार भी होती है। जहां कोई कमी है वहां यह तय करे कि उज्ज्वला योजना में आपने सिलेण्डर दे दिए तो 100 प्रतिशत सिलेण्डर वापिस आने चाहिए और उन लोगों को सिलेण्डर जाने चाहिए। इस कमी को ढूंढना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। एक बार सिलेण्डर दे दिए उसके बाद उन ग़रीबों के पास कहां पैसा पड़ा हुआ है। आज उस पैसे को भी काउंट कर रहे हैं कि आपको दिए हैं यह भी भरिएगा और सिलेण्डर भी 800 रुपये का लीजिएगा, यह नहीं हो सकता। आपको अगर इस योजना को पूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचाना है, वास्तविकता में फायदा देना है तो उन लोगों के लिए सिलेण्डर की कीमत कम कीजिए। ऐसी कोशिश कीजिए कि 300 -400 रुपये में सिलेण्डर मिले। हर आदमी उसको लेने में सफल हो। मैं निवेदन करूंगा कि उज्ज्वला योजना, गैस योजना है, उसकी भी समीक्षा की जाए।

तीसरा मेरा निवेदन है, सरकार आती और जाती रहती है। हर सरकार को अपना काम करने का अधिकार है। अपनी योजनाओं का अधिकार है। लेकिन दूसरी सरकार आती है उसको भी अधिकार है कि वह अपना काम करे। ऐसा काम नहीं करे जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो और नीचा देखना पड़े। ऐसा कार्य पूर्ववर्ती सरकार ने किया। हम सांसद थे, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत थे, राजीव सेवा केन्द्र बनाए, पूरे राज्य सरकार के पैसे से बने। हमने सबने उद्घाटन किए, मंत्रियों ने किए, एमएलएज ने, एम पी ने उद्घाटन किए। पूरा कमप्लीट काम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, बीजेपी सरकार ने आते ही उसका नाम बदल दिया। भई, आप नाम बदलने की बात क्यों करते हैं? अगर आपको

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

कोई काम करना है तो उसको तो छोड़िए, आप अपना कोई भी नया काम करके उसमें नाम जोड़िए ताकि लोग वाह-वाही भी करे और अच्छा भी कहे। आज तक इस पीरियड के बाद वहां से वहां तक, अटल सेवा केन्द्र नाम रखा, गांव में किसी ने भी यह नहीं कहा कि अटल सेवा केन्द्र है। सबने यह कहा कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र है। मैं सरकार को, मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा था कि अगर इसका नाम भी बदला गया तो हम राजीव अटल सेवा केन्द्र रखेंगे। मन में इतनी भावना और प्रेम था कि इतने बड़े आदमी जो प्रधान मंत्री रहे हुए हैं, इतने सज्जन और सिद्ध पुरुष हैं उनके नाम को नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर कहते हैं, जब यह चीज़ें हुईं तो यह नतीजे निकले।

मैं इस हाउस के फ्लोर पर निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आए कि नाम की अदला बदली हो। जो भी सरकार हो, वह जनता के हित में काम करे और आगे के लिए करे। पुराने नामों को चेंज करके ऐसी स्थिति नहीं लाए जिससे नीचा देखना पड़े। जनता को थू-थू नहीं करना पड़े।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, मैं इस मौक़े पर एक बात और कहना चाहूंगा। गांव में परिसीमन की बात चल रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह डाँग क्षेत्र है पूरा बसेड़ी, धौलपुर पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर बहुत समस्या है। यहां पर घर कम हैं और खेतों में बसे हुए हैं दूर-दूर बसे हुए हैं। परिसीमन का एक तरीका है, जो आप जनसंख्या के आधार पर करते हैं, उसके तहत यहां केवल आबादी के हिसाब से करें, तो मैं सोचता हूं कि ग्रामीणों को ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्यादा ग्राम पंचायत बनेगी तो सशक्त होगी, मजबूत होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट बहुत होते हैं।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): दो मिनट और। सभापति महोदय, मैं

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

निवेदन करना चाहता हूं डांग क्षेत्र है और एसडीएम हैडक्वार्टर है, बहुत लंबा बसा हुआ है। हमारा जीगरेरी जाने वाला आदमी जब बसेड़ी पहुंचता है तो उसको सवा सौ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरमथुरा में पंचायत समिति खोली जाए जिससे हमारे सब लोगों को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मुझे एक मिनट और दीजिए। हमने डकैती उन्मूलन का मामला चलाया था जब राहुल प्रकाश एस.पी. हुआ करते थे। आज पुन: उस क्षेत्र में डकैती उभरकर आ रही है। उसके लिए सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा अगर प्रोपर तरीके से हो जाए तो मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। वहां जंगल है, डांग है, जिधर से निकले, थोड़ा भी गड़बड़ किया, थोड़ा भी नीचे निकल गए तो पता नहीं चलता कि कहां एमपी में पहुंच गए, बहुत समस्या होती है। महोदय, कुछ सड़कें कनेक्शन के लिए हैं, इजाजत हो तो दो-तीन मिनट में बोल दूं।

श्री सभापति: फिर दो-तीन मिनट। अब समाप्त करें आप।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): एक मिनट। सभापति महोदय, यह मुद्दा सड़क से रिलेटेड नहीं है, अभी बात हुई थी। लेकिन मुझे इसलिए बोलना जरूरी है कि हमारा डांग क्षेत्र है उसमें अगर कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो 50 परसेंट तो डवलपमेंट हो जाएगा और 50 परसेंट डकैती उन्मूलन हो जाएगा। लोगों को फायदा भी होगा।

श्री सभापति: प्लीज, अब समाप्त करें। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): एक मिनट। सहेड़ी से देवीपुरा, लिंक रोड से खिदरपुर। रावतपुरा खेमरी से नगरिया। बोरेली से नगला रायजीत। खुर्दिया से धनोरा। धनोरा से बोरेली। एक्टा से यूपी बोर्डर। धोंध से बाड़ी। बिरजा से बिदरपुर। बल्लापुरा से मदनपुरगोलारी। जखा से गौलारी। कहारपुरा से चन्द्रावली। अतासूमा से एकटा। गुलावली से नगरा विधौरा। सांगोरी से मूडिक। धोर्य से कोटड़ा और मदनपुर से गुलावली यह वह लिंक रोड हैं अगर यह बन जाएंगे तो हमारा विकास होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19 लोक निर्माण, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर यहां सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

सभापति महोदय आपके माध्यम से लोक निर्माण में केवल मैं एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बस्सी के आफिस के बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। करीबन सात साल पहले वहां एक्सईएन पीडब्ल्यूडी का नया पद सृजित किया गया था लेकिन आज तक वहां निर्माण नहीं होने की वजह से एक्स.ईएन., पी.डब्ल्यू.डी. जयपुर में ही बैठते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो एक्स.ईएन., पी.डब्ल्यू.डी., बस्सी के कार्यालय भवन का निर्माण करवाया जाए।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बस्सी में नेशनल हाई-वे पर एक डाक-बंगला हुआ करता था, बहुत पर्याप्त जगह है। अच्छी बिल्डिंग थी। लेकिन उसका रखरखाव नहीं होने की वजह से उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। अगर उसको ठीक किया जाए तो काफी कीमती जमीन है, अच्छी बिल्डिंग है, वहां भी एक्स.ईएन., पी.डब्ल्यू.डी. का आफिस बनाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिससे गांवों के लोगों को रोजगार मिल रहा है, समावेशी विकास की तरफ गांव उन्मुख हो रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सभी माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा की है, वह मनरेगा है। मनरेगा में तलाई बनाई जाती है, कई कच्चे काम तो कराये जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ पक्के काम कराये जा रहे हैं, उनके जो सेमी-स्किल्ड मजदूर हैं, जो मैटेरियल लाया जाता है, उसके बहुत लम्बे समय से, दो-दो साल से पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसीलिये मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनका भुगतान कराया जाए और मनरेगा को खेती के कार्य से तो जोड़ा ही जाए, इसके साथ-साथ गांव में जो सफाई व्यवस्था है, बड़े कस्बों और गांवों में सफाई व्यवस्था को भी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ वहां की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक जन सहभागिता योजना है। इसमें पहले सभी काम लिये जाते थे। 10 प्रतिशत जनता का सहयोग होता था, 90 प्रतिशत सरकार देती थी। लेकिन अभी बीच में इसको चेंज करके केवल मात्र

(श्री लक्ष्मण मीणा)

श्मशानों और कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री तक सीमित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी कार्य हैं, वे जन सहभागिता योजना के द्वारा कराये जाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों द्वारा जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच के लिये ग्राम पंचायतों के अलावा कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, इसलिये उनका निर्माण बहुत ही घटिया स्तर का होता है। कई-कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि जो सी.सी. रोड बनाई जाती है, वह छह महीने और साल के अन्दर ही उखड़ जाती है। दो-तीन साल के बाद में तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां रोड बनाई ही नहीं गई हो। इस पर भी नियंत्रण करने के लिये एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, जो कि उनकी गुणवत्ता को देख सके। केवल मात्र ग्राम पंचायत और उनका जो इंजीनियर है, उन्हीं पर नहीं छोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाये गये, उनका अभी भी काफी लोगों का पेमेंट बकाया है, उनको भी जल्दी करवाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी सभी सदस्य बोल रहे थे कि पंचायती राज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और पंचायती राज के लोग ही अपनों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें जो 50 प्रतिशत महिला सरपंच हैं, उन महिला सरपंचों को तो पता ही नहीं है। कई जगह उनके हसबैंड सरपंच का काम कर रहे हैं, किसी का जेठ कर रहा है, किसी का ससुर कर रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है कि निश्चित रूप से जैसे माननीय भरत सिंहजी साहब बोल रहे थे कि जब उनकी जांच होगी, किसी ने शिकायत की तो उन महिलाओं को जेल में जाना पड़ेगा। पहले ऐसा भी हुआ है। इसके लिये जरूरी है, माननीय सभापति महोदय, कि इन ग्राम पंचायतों की डिटेल्ड आडिट करवाई जाए। पिछले पांच-पांच, छह-छह साल की अगर आडिट कराई जाती है तो जितने भी इनके घपले हैं, वे निकलकर आएंगे और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कुछ रुकावट आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समितियों की साधारण सभा की मीटिंग होती है। लेकिन उनके अन्दर जो ब्लाक स्तर के समस्त अधिकारी हैं, उनको आना चाहिए। जिला परिषद् की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स आने चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि 50 प्रतिशत आफिसर्स भी इन

(श्री लक्ष्मण मीणा)

मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं। इस वजह से जो जन प्रतिनिधि वहां विकास के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते हैं। इसके लिये पहले राज्य सरकार के आदेश हैं कि हर-एक मीटिंग में, जो जिला परिषद् होगी, उसमें एस.पी., कलेक्टर, जितने भी एक्स.ईएन. वगैरह, जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, वे उपस्थित होंगे। इसी तरीके से पंचायत स्तर पर भी सभी अधिकारी होंगे। तो उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिये जाएं कि वे इन मीटिंग्स में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक और है, एक जनता जल योजना चलाई जा रही है। पहले पी.एच.ई.डी. उसको एक्जीक्यूट करती है, पांच साल तक वह चलाती है, उसके बाद में उसको ग्राम पंचायतों को हैण्ड-ओवर कर दिया जाता है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कोई भी सरपंच इन योजनाओं को लेने से कतराता है। वे लेते नहीं हैं। दूसरे, जैसे आपके ये सिंगल फेज ट्यूबवैल्स बना रखे हैं, एम.एल.ए.-लैड फण्ड से बनाये हैं, एम.पी. के फण्ड से बनाये हैं, जिला परिषद् ने बनाये हैं, सरपंचों ने बनाये हैं, उनका जो भी पेमेंट करना होता है, वह ग्राम पंचायतों के फंड, जो उनको एफ.एफ.सी. से आता है, उसमें से कराया जाता है लेकिन कोई भी सरपंच उनको नहीं करता। बिजली के बिलों का पेमेंट नहीं करता। इसकी वजह से वहां जो ट्रांसफार्मर हैं, बिजली विभाग वाले वह उठाकर ले जाते हैं। इसके कारण गांव वाले लोग पानी से महरूम होते हैं। इसके लिये भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। यह निर्देश दिये जाएं कि अनिवार्य रूप से वे उनका भुगतान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं, इनकी आडिट तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा सोशल आडिट का भी प्रावधान होना चाहिए। जो भी इनकी ग्राम सभाएं होती हैं, जिनमें इन पर विचार होता है, ग्राम सभाएं, किसी भी ग्राम पंचायत में कोरम पूरा होने की वजह से नहीं होती हैं। केवल मात्र खाना-पूर्ति की जाती है, तो इस पर भी कोई विशेष प्रावधान किया जाए, ताकि उन पर गौर किया जा सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंहजी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण के अन्दर माननीय उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां आर.एस.ई.बी. का ए.ईएन. आफिस, समदड़ी के लिये भवन बना हुआ नहीं है। सिवाना में आर.एस.ई.बी. का एक्स.ईएन. आफिस है, एक्स.ईएन. बैठता है, पर वहां भी भवन नहीं है। डाक-बंगला विस्तार के लिये सिणधरी और सिवाना के अन्दर जर्जर अवस्था में है। समदड़ी तहसील हैड-क्वार्टर है, पंचायत समिति है। वहां डाक-बंगला नहीं है। जहां पटवार भवन नहीं हैं, उन सभी गांवों में पटवार भवन भी बनाने की आवश्यकता है। जहां आर.आई. सर्किल अधिक हैं, वहां भी आर.आई. या पटवारी का जो भवन नहीं होता है, तो ठहराव नहीं होता है तो किसानों के लिये हमेशा बड़ी प्राब्लम रहती है। ए.ईएन. क्वार्टर, उप स्वास्थ्य केन्द्र, जितने भी निर्माण पड़े हैं, वे भी करवाने की आवश्यकता है।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि सी.डी. वर्क, जैसे पुल, छोटे पुल हैं, ये जैसे सूकड़ी नदी और लूणी नदी आती है, तब कई गांवों का रास्ता कट जाता है। पुल तो छोटे हैं, सिर्फ खलतियामठ पुल से गोधों का बाड़ा, खलतिया नदी पर, मजल, दूनाड़ा, जो सूकड़ी नदी आती है, सामूजा के पीछे है, यह भी अति आवश्यक है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन भवनों का जो मैंने निवेदन किया है, सड़क में यह आवश्यक है। सड़कों का काम काफी हो गया है। आपकी मेहरबानी से अब जैसे एक सिवाना से समदड़ी-कल्याणपुर की रोड, 320 करोड़ की स्वीकृत है और वह काम भी चालू हो गया परंतु वह जो समदड़ी से करमावास, 10 किलोमीटर यह जो बाईपास शहर को छोड़कर जा रही है, वहां पर सी.आर.एफ. में एक 10 किलोमीटर की सड़क बनाएं। वह शहर से निकलती हुई रेलवे फाटक के पास है, इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मांग संख्या-19 में मैं यही निवेदन करूंगा।

मांग संख्या 28 पर निवेदन है कि गांवों का विकास कार्य पंचायती राज विभाग से होता है। 1952 में नागौर में राजस्थान प्रदेश में पंचायती राज का आगाज हुआ था। प्रधान मंत्रीजी और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने और

(श्री हमीर सिंह भायल)

पंचायती राज से गांव और ढाणी तक एक विकास होने का जो सपना देखा था, गांव तक और ढाणी तक विकास होना चाहिए। जैसे हमारा बाड़मेर और जैसलमेर जिला है, इस भू-भाग में ढाणियों में हमारी बसावट है। बाड़मेर से राजस्व मंत्री के तौर पर स्वर्गीय श्री गंगारामजी थे। यहां पर विराज रहे हैं आदरणीय श्री हेमारामजी, श्री रामनारायणजी, श्री अमरारामजी और अभी भी वर्तमान में राजस्व मंत्री हमारे बाड़मेर जिले के हैं इसलिए रेवेन्यू विलेज बनने की वजह से बाड़मेर में ग्रामीण ढाणियों को काफी राहत मिली है।

ग्रामीण विकास को अगर स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने, शहरों का जो बजट, जिस हिसाब से शहरों का विकास हो रहा था, स्कूलों में जो अध्ययन हो रहा था तो उन्होंने शहरों के विकास के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र का भी देखा तो उन्होंने 75 परसेंट गांवों में विकास करके स्कूलों से लगाकर, ग्राम पंचायतों से लगाकर काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना और उस हिसाब से वहां पर परिसम्पत्तियां भी बनीं, भवन भी बने और उसके बाद में गांवों में शिक्षा के क्षेत्र से लगाकर काम में भी काफी परिसम्पत्तियां बनीं।

गांवों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण, आरक्षण और भागीदारी पंचायतों में सबको देकर स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने एक पंचायती राज में 36 कौम के लिए इस पंचायती राज से विकास करने का और पद पर जाने का भी अवसर उनको मिला।

जिस समाज से सबको हक, गांवों का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला। विभाग में कई तरह की योजना है। योजना में एक मनरेगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिला, इससे भी एक बहुत ही बड़ा लाभ हुआ है। मनरेगा की जो स्थिति वर्तमान में है, श्रम मद में तो श्रमिकों को पेमेंट मिल गया है पर वर्तमान में स्वीकृत जितने भी काम हैं, रोजगार मद में तो मिल गया परंतु जितने भी सामग्री मद में हैं, सामग्री मद में कई महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसमें भी व्यवस्था कराने की कोशिश करें।

जैसे आज की तारीख में बाड़मेर जिले में 80 हजार के आस-पास लेबर मनरेगा में काम कर रही है जबकि जिले में 5 लाख 42 हजार 507 जॉब कार्ड बने हुए हैं। अगर जॉब कार्डधारी श्रमिक मांग करता है, कई पंचायतों में आज भी इक्के-दुक्के काम चल रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय उप मुख्य

(श्री हमीर सिंह भायल)

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इनमें भी रोजगार दें और इनके साथ में मनरेगा को खेती के लिए, आज की तारीख में किसान ने खेती करना छोड़ दिया। रोजड़े, आवारा पशुओं से लगाकर सूअर, इनकी वजह से इस मनरेगा को खेती से जोड़कर तारबंदी, तटबंदी करेंगे तो हर कोई किसान खेती कर सकेगा, इसके लिए माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर भी व्यवस्था कराएं।

पंचायती राज ग्रामीण में जितने भी विद्यालयों के भवन बने हुए हैं उनकी छतों से पानी टपकना, प्लास्टर टूटना, चारदीवारी, पेयजल व्यवस्था, शौचालय आदि की मरम्मत कराने की भी बहुत महती आवश्यकता है, इसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा।

पंचायत समिति समदड़ी की भूमि आबंटन, समिति भवन के लिए भूमि आबंटन हो चुकी है। बजट भी पूर्व में स्वीकृत हो चुका है लेकिन कार्य चालू नहीं हुआ है, इस पर भी थोड़ा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ध्यान दें।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन है कि मनरेगा में संविदाकर्मी लगे हुए हैं, उनको स्थाई करें। पिछले तीन माह से उनकी हाज़िरी भी नहीं ली जा रही है। वह आंदोलन भी कर रहे हैं तो इनकी तरफ भी आप ध्यान देने की मेहरबानी करें।

ग्रेवल सड़कें जो काफी समय से बनी हुई हैं, उनका भी अगर समय रहते डामरीकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा। यह मनरेगा में ग्रेवल सड़कें जितनी भी बन रही हैं, आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से किसानों के द्वारा बैंकों से लोन लिया हुआ होता है तो उनका कटान नहीं होने की वजह से कई जगह पर बाधा उत्पन्न हो रही है तो उनको भी दिखाएं। मतलब, वह काम भी हो जाए तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मेरे सिवाना का भू-भाग 40 परसेंट से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर जो भी कार्य हुए हैं, चेकडैम, एनीकट जो बने हैं, नजदीक वाले जितने भी कुएं थे, गांव थे, वहां पर तो पेयजल की सुविधा मिली है तो इससे मनरेगा को जोड़कर जल स्वावलंबन योजना, जल संरक्षण के माध्यम से भी अगर वह कार्य कराएं तो दो काम हो जाएंगे, एक तो जल भी उपलब्ध होगा और किसानों को भी राहत मिलेगी, यह भी मेरा निवेदन है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

कई माननीय सदस्यों ने अभी फर्माया कि जिले में समिति की जो मीटिंग होती है तो उसमें वास्तव में जिले के अधिकारी, कई विभाग के अधिकारी कई बार आते ही नहीं हैं और जब तक वह नहीं आएंगे, पेयजल से लगाकर जो भी चीज की आवश्यकता है और जिससे बात करनी है, सी.ई.ओ., जिला कलेक्टर से लगाकर कोई भी समिति की मीटिंग्स में नहीं आने का यह हमेशा कारण रहता है तो इनको भी पाबंद करें कि हर मीटिंग में वह आएं।

चरागाह जितना पड़ा है, चरागाह की जमीन की भी तारबंदी हो जाए और कोई अतिक्रमण है तो वह हटे। प्रधान मंत्री आवास जो बन रहे हैं, कई लोग गांव के सहारे वर्षों से बसे हुए हैं, उनको यह ध्यान था कि यह आबादी में है। अब वह आबादी में नहीं है तो उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं और पट्टे नहीं मिलेंगे तो उनको प्रधान मंत्री आवास योजना में आवास भी नहीं मिलेगा और वह इससे वंचित रह जाएंगे इसलिए इनके लिए भी आप थोड़ी व्यवस्था करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का टाइम लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता जल जो योजना है, इसमें पंचायतें वास्तव में इतनी परेशान हो रही हैं कि उनके पास न तो कोई इंजीनियर है और न ही कोई टेक्निकल मैम्बर है। जहां पर पम्प खराब हो जाता है तो बाहर निकालने के लिए न तो मशीन है, समय पर वह बिल भी नहीं भर पा रहे हैं तो इनको वापस पी.एच.ई.डी. को दे दिया जाए। माननीय मंत्रीजी भी विराजमान हैं और आप माननीय उप मुख्य मंत्रीजी उनसे कहकर वह वापस पी.एच.ई.डी. को दी जाए अन्यथा न तो पंचायतों से जल की आपूर्ति हो रही है और यह सारी परेशानी हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि सरपंच पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, प्रधान उनके भी वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। वह भी जनता के एक सेवक हैं और उनके पास भी जनता का आना-जाना लगा रहता है इसलिए उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री विजयपाल मिर्धा।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारतवर्ष गांवों का देश है और आज भी यहां पर आधे से अधिक लोगों का जीवन कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करता है। आजादी के बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति प्राप्त हुई है और राजस्थान आज अन्य राज्यों की तुलना में तीव्र गति से नियोजित विकास की ओर अग्रसर हो रहा है लेकिन विकास संतुलित नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस विकास में जो किसान पिछड़ा हुआ था, उसकी तरक्की उस अनुपात से नहीं हुई जिसकी उम्मीद वह सरकार और हमसे लगाये हुए बैठा था। किसान सबसे ज्यादा सरकार से सहयोग की अपेक्षा और उम्मीद करता है और शिक्षित युवक बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। इस बेरोजगारी का हल हम बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं अगर युवाओं को सरकार द्वारा गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाएं और शहरों की तरफ पलायन रोकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में किसानों और गांवों की मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करें। सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की बेहतर मानिटरिंग की जाए ताकि तुरंत किसानों को राहत मिल सके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राजीव गांधी जल संचय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात जल संग्रह के लिये टांके निर्माण एवं प्राचीन जल स्रोतों के रख-रखाव के कार्य शीघ्र करवाये जाएं जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट से राहत मिल सके व बरसात के पानी का सदुपयोग हो सके। मनरेगा के तहत एस.सी., एस.टी. वर्गों के लिये खेतों में बनाये जाने वाले सिंचाई टांकों के निर्माण की योजना का विस्तार करते हुए इसमें ओबीसी, जनरल व अन्य वर्गों को भी शामिल किया जाए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके।

(श्री विजयपाल मिर्धा)

सभी ग्राम पंचायतों को ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत आनलाइन किया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर टैक्निकल स्टाफ की कमी है। इनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, इससे पूर्ण कार्य बाधित हो रहा है, अत: जल्द से जल्द नियुक्तियां करवायी जाएं। पहले ग्राम पंचायतों के टेण्डर ग्राम पंचायत पर होते थे। सभापति महोदय, अब वह टेण्डर पंचायत समिति के स्तर पर हो रहे हैं, जिस कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इनको पुन: ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाए।

पिछले वर्ष जो हमारे कुटीर उद्योग धीरे-धीरे पूरी तरह से खतम हो गये थे, यह कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इनके खतम हो जाने के बाद पूरी व्यवस्था चरमरा गयी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण एफ.एफ.सी. के जो पैसे होते थे, उनसे नालियां और खरंजों का गांवों में निर्माण होता था और सरपंच करीब 30 परसेंट पैसा उन खरंजों और नालियों पर लगाता था परंतु इनके डिपार्टमेंट ने यह योजना बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पुन: आग्रह करना चाहूंगा कि इस योजना को चालू करें और गांवों में जो भी एफ.एफ.सी. का पैसा होता था, वह नालियों और खरंजों को बनाने के लिये पुन: चालू किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जब ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो हम श्रद्धेय पूर्व मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंह जी शेखावत को याद नहीं करें तो उनके साथ अन्याय होगा। सदन जो हमेशा उनका बखान करता है, सदन हमेशा उनको याद करता है, पूरा सदन भैरोंसिंह जी को, जो आज सरपंच, प्रधान, प्रमुख जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बन रहे हैं, अगर किसी की महिमा करें तो भैरोंसिंहजी शेखावत की करनी चाहिए। जो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने किया, उन्होंने किया, मैं पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी को इसका श्रेय दूंगा।

ग्रामीण विकास की बात करें तो पूर्व मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी

(श्री छगनसिंह)

को भी याद करना जरूरी है कि उन्होंने जो गांव में गंदगी पसर रही थी, उसका दर्द समझकर ग्रामीण गौरव पथ जैसी योजना को चालू किया और पूरे गांव में से गंदगी निकाली। वह अगर किसी की देन है तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी की है।

अब मैं विकास की बात करूं तो जिस प्रकार से मेरी ग्राम पंचायत की बात करूं तो मेरी ग्राम पंचायत में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर श्मशान होने चाहिए, जो भी विकसित रूप से टीन शैड बने हुए होने चाहिए, चारदीवारी हो और वह भी आबंटित करके हो। उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान मैं आकर्षित करूंगा, वैसे वो यहां विराजे नहीं हैं, फिर भी उनको मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जो श्मशान होता है ग्राम पंचायतों में, जो गांवों में अलाट नहीं होती, आबंटित नहीं होती, वह आबंटित करके उनको चारदीवारी बनाकर, टीन शैड बनाकर विश्राम स्थल बनाकर वह गांव को दी जाए, जिससे गांव का सम्पूर्ण विकास होगा।

एक सबसे बड़ी समस्या होती है पंचायत समिति स्तर पर, जिस विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगरपालिका नहीं होती, वहां हमेशा आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन वाहन नहीं होते तो मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति स्तर पर एक अग्निशमन वाहन अलाट किया जाए, आबंटन किया जाए जिससे उस क्षेत्र में होने वाली आगजनी की घटना को बचाया जा सके जिससे वहां की जनता, वहां के जान-माल की रक्षा की जा सके।

जब ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो गांवों में पेयजल का साधन मुख्य रूप से तालाब होता है। आज भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का मुख्य स्रोत तालाब है। तालाब में अगर आदर्श तालाब बनाया जाए, उसका सौन्दर्यीकरण किया जाए और उस तालाब के पानी की शुद्धता बनायी जाए तो वहां के गांव वाले आपको आशीर्वाद भी देंगे। जैसे नोरवा में, भरोनी में ऐसे कई गांव हैं, जिनमें आज भी पेयजल का स्रोत तालाब है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालाब का सौन्दर्यीकरण प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाए जिससे उन गांवों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए।

जब पेयजल की बात हो रही है तो पेयजल में मैं बात करूंगा कि पेयजल की अभी माननीय सदस्यों ने भी बात कही है जनता जल योजना की, जिसमें हमेशा पानी की समस्या रहती है। मैं देखता रहता हूं, मेरे पास गांव

(श्री छगनसिंह)

वाले समस्या लेकर आते हैं, उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं, क्योंकि वह बिल नहीं भरते हैं। ग्राम पंचायत वाले सरपंच होते हैं, उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता तो कनेक्शन काट देते हैं जिससे वहां पर महीने-महीने भर पानी की उपलब्धता नहीं रहती। मैं निवेदन करूंगा कि जो जनता जल योजना है, उसके लिये या तो उचित रुपये की व्यवस्था की जाए या फिर उसको पी.एच.ई.डी. में दिया जाए।

गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना चल रही है, उसमें 10 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का जन-सहभागिता से विकास होता है। उसमें भी मैं कहूंगा कि 2019-20 का बजट नहीं दिया है तो माननीय मंत्रीजी, उस बजट को अलाट करें जिससे विकास के कार्य में जो बाधा आ रही है, वह विकास का कार्य पूरा हो सके।

अभी फिलहाल परिसीमन चल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर परिसीमन का कार्य चल रहा है तो जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें तो वहां पर तीन हजार की आबादी के ऊपर एक ग्राम पंचायत किया हुआ है, लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र भी बाड़मेर से जुड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि मेरे यहां भी ग्राम पंचायत की आबादी तीन हजार की जाए, 2011 के हिसाब से कर रहे हैं, अभी 2019 चल रहा है तो आठ-नौ साल में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर भी अगर 2011 के हिसाब से भी तीन हजार की आबादी पर ग्राम पंचायत का परिसीमन हो जिससे वहां पर एक बाखली ग्राम पंचायत है, वहां पर 12 गांव जुड़े हुए हैं 12 गांव 28 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हैं, वह बहुत दूर-दूर क्षेत्र में हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि उनके भी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके दो भाग करके परिसीमन किया जाए। ग्रामीण गौरव पथ के जो कार्य स्वीकृत हैं, जो अधूरे पड़े हैं, उनको भी पूरा किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पदमाराम जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): एक मिनट साहब। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़ी समस्याएं हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो बड़ी समस्याएं हैं।

श्री सभापति: आप तो धीरे-धीरे बोल रहे हैं, जब इसको बोलना है तो फटाफट बोलो। मैंने पहले ही कहा था कि पहले अपने क्षेत्र की बात करो। इधर-उधर नहीं जाएं, पहले अपने क्षेत्र की बात करो।

श्री छगनसिंह (आहोर): दस मिनट का टाइम है।

श्री सभापति: नहीं बराबर, किसी के साथ कोई गड़बड़ करता नहीं।

श्री छगनसिंह (आहोर): मुझे विश्वास है आप पर। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: हां बताएं अपनी बात।

श्री छगनसिंह (आहोर): भूती और रोहल्या, जो 10 गांवों की बड़ी समस्या है, वहां पर पुल बनाना बहुत जरूरी है। वहां की आबादी हमेशा जब भी थोड़ी-सी भी बारिश होती है तो थोड़ी बारिश में 10 गांव एक जगह ही हो जाते हैं, वहां आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। भूती और रोहल्या का पुल बन जाए तो 10 गांवों की जो जनता रह रही है, उनकी समस्या हल हो जाए।

श्री सभापति: चलिए, धन्यवाद। श्री पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर मेरे को बोलने को मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है यह मांग ग्रामीण क्षेत्र की जनता से सम्बन्धित मांग है। गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो, उनको घर बैठे पूरा लाभ कैसे मिले और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कैसे कड़े, उचित कदम उठाये, उसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान पंचायती राज के कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले समय में मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जो कार्य हुए उन कार्यों के अन्दर भारी अनियमितता हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के मार्फत एक टांका जो 80 हजार में तैयार हो रहा था वो टांका मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत एक लाख और 26 हजार में तैयार हुआ है, क्या कारण हैं? उनके अन्दर कौनसा नयापन आया, उसके अन्दर क्या नई व्यवस्था हुई? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनकी गुणवत्ता की जांच कराएं।

(श्री पदमाराम)

जिन ग्राम पंचायतों में खड़ीन का काम हुआ है, अभी माननीय सदस्य हमीर सिंह जी फर्मा रहे थे, बिलकुल पहाड़ी क्षेत्र है, वहां एनीकट या बांध बने वहां तो पानी का संरक्षण हुआ है, वहां कुओं के अन्दर पानी की आवक बढ़ी है, वहां तो लोगों को फायदा हुआ है परन्तु जहां रेतीला क्षेत्र है जहां धोरों के अन्दर खड़ीन बनाई है उस खड़ीन के अन्दर करोड़ों रुपये खर्च होने के उपरान्त वहां अभी कोई खड़ीन का नामोनिशान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्राम पंचायत भलगांव, ग्राम पंचायत तड़ला और ग्राम पंचायत गिड़ा के अन्दर जो खड़ीन के काम हुए, काम होने के बाद में पहली बरसात में पूरे काम एकदम जमीन के समतल हो गये तो उसकी जांच कराएं, जो घटिया क्वालिटी के काम किये हैं, जो कम क्वालिटी उपयोग में ली है उसकी जांच कराएं। इसकी जांच जिला कार्यालय में पड़ी है और जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सरकार के धन का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनकी सही जांच कराएं। जो सही काम किया वो धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु जो काम के अन्दर अनियमितता की है, उसकी जांच करें।

दूसरा हमारा निवेदन है कि नरेगा में पिछले एक साल से सामग्री के मद में राशि नहीं आ रही है। माननीय उप नेता महोदय और विपक्ष के माननीय नेता महोदय विराजमान हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार से आग्रह करें, एक-एक साल में यदि ठेकेदार को ग्राम पंचायत का नरेगा का धन नहीं आयेगा तो जो काम किया, उनकी जो मजदूरी है वो तो पूरी ब्याज में चली जायेगी और उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और ग्राम पंचायतों का विकास रुक रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत पूरे सदन से निवेदन है कि जो विकास का काम होता है उसके अन्दर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सहयोग करें और सिद्धांत की बात होती है, विचारधारा की बात होती है तो भले ही वो अपनी बात रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है, ग्रामीण अंचल का काम है, ग्राम में विकास का पथ आगे बढ़ने वाला काम है वो रुक गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करें। हमको उम्मीद है कि कटारिया साहब, राठौड़ साहब इसके अन्दर पूरा सहयोग करेंगे, सेन्टर से मांग करेंगे और अपने यहां के मंत्री गजेन्द्र सिंह जी

(श्री पदमाराम)

हैं उनसे मांग करेंगे। ग्रामीण अंचल की पूरे राजस्थान के अन्दर यह बहुत बड़ी समस्या है, हमारे बाड़मेर जिले के दो सौ करोड़ रुपये बकाया हैं और एक साल से बकाया हैं, किसी ग्राम पंचायत में 80 हजार है, किसी के अन्दर करोड़ रुपये हैं, किसी के अन्दर 20 लाख रुपये हैं, तो इनका ब्याज-ब्याज उन ठेकेदारों के लिए और ग्राम पंचायत के विकास के लिए अवरोधक बना हुआ है, तो मेरा अनुरोध है कि इनके ऊपर व्यवस्था कराएं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने मांग की है, मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि महात्मा गांधी नरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए। आज किसान कड़ी मेहनत करता है, पूरी धूप में, बरसात में, सर्दी में मेहनत करने के उपरान्त भी उनको उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है तो सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि कार्यों को नरेगा से जोड़ा जाए, जो पंचायती राज के अन्दर अपन दूसरे कोई भी काम करते हैं उनको। टांकों के साथ जो बाड़ का काम कर रहे हैं, वो बाड़ सिर्फ कच्ची हो रही है और आंधी से दो-तीन साल में खतम हो जाती है तो मेरा निवेदन है कि बाड़ को कंटीले तार से जोड़ा जाए, यह नरेगा के अन्दर जोड़ा जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): तीसरा मेरा निवेदन है कि मेरी पंचायत समिति सेड़वा में जो उपखण्ड कार्यालय है, तहसील है वहां डाक बंगला निर्माण की जमीन अलाट हो गयी है, वहां डांक बंगले का निर्माण करने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यू.टी.एफ., टी.एफ.सी. यह फंड, जलग्रहण वाले फंड, ये सब मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना, एक फंड बनाकर एक ही पंचायत को बेनिफिट देने के लिए यह संगठित कर दिया और बाकी पंचायतों के साथ अन्याय हो रहा है तो मेरी मांग है कि यू.टी.एफ., टी.एफ.सी. का जो फंड है वो हर पंचायत को मिलना चाहिए। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजीव गांधी जल संग्रहण योजना लागू की, इसके लिए अलग धन की व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो पुनर्गठन का प्रारम्भ किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी मांग है कि 1994 में चुनाव में दो बच्चों की कंडीशन लागू हुई है, एम.पी., एल.एल.ए. के अन्दर

(श्री पदमाराम)

नहीं है तो मेरी मांग है कि 1995 के बाद में आज दिन की इसकी अवधि बढ़ाई जाए। 2017 के पहले वाले हैं उसको एक इकाई माना जाए और उसके बाद में जो हुआ है उसको दूसरी सन्तान माना जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरा, पंचायती राज के जो भी प्रतिनिधि खड़े हों, उनकी शिक्षा का इन्होंने काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे को विश्वास है कि जिस प्रकार इन्होंने योग्य जन प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिया है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उसी आधार पर इसको भी लागू करें, यह मेरे को पूर्ण विश्वास है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे महानरेगा के विषय पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार में जो चल रहा था मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगी। जिस तरह से अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात रखी, मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना जो चली थी उसमें एनीकट बने थे, छोटे-छोटे तालाब बने थे, उसमें आज की तारीख में कहीं जाकर उसकी जांच करा लें, सभापति महोदय जी से मैं आग्रह करती हूं इसकी जरूर जांच की जाए। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में जो काम चला था, मशीनों से काम चला, वहीं से मिट्टी लेकर वहीं उसकी भरपाई की गई, आज की तारीख में वहां जरा भी पानी नहीं है, इस तरह से घटिया काम किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रधान मंत्री आवास के बारे में आग्रह करना चाहती हूं कि हमारे एरिये की जनता बहुत भोली-भाली है। 2011 की जनगणना में जो हमारे यहां प्रधान मंत्री आवास आए थे, आज भी वही चल रहे हैं। हमारी भोली-भाली जनता के साथ लूटमार हो रही है। इसमें फर्स्ट

(श्रीमती रमीला खड़िया)

किश्त 30 हजार आती है और सैकिण्ड किश्त 60 हजार आती है। हमारी जनता जब बैंक में जाती है तो बैंक वाले कहते हैं कि ई-मित्र पर जाओ। वहां जाने और धक्के खाने के बाद ई-मित्र वाला उनके 2 बार अंगूठा या दस्तखत करवाने के बाद इनको मात्र 40 हजार या 50 हजार रुपया पकड़ा देता है। वह कहता है कि आपकी किश्त इतनी ही आई है। इस तरह से हमारी जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, शौचालयों के लिए 12 हजार रुपए मिलते हैं। उसमें हमारी जनता को 12 हजार रुपये भी नहीं मिले हैं। जिन पंचायतों में ओडीएफ हो गई है। इनकी आज जांच करने की आवश्यकता है। कागजों में ही शौचालय बने हुए हैं। अगर वहां देखने जाएं तो जो हमारा घाटा क्षेत्र है, वहां पानी की बहुत समस्या है। बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां उनको 12 हजार रुपये भी नहीं मिले हैं। जो शौचालय बने हैं, वह भी आज बहुत खराब स्थिति में हैं।

सभापति महोदय, मैं पंचायत राज की बात करना चाहूंगी। मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। हमारी 38 पंचायतें कुशलगढ़ की हैं और 33 पंचायतें सज्जनगढ़ की हैं। 38 पंचायतों में हमारे 17 ग्राम सेवक हैं और सज्जनगढ़ में 24 हैं। कुशलगढ़ में अभी 21 पद और सज्जनगढ़ में 9 पद रिक्त हैं। मैं उप मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी हालांकि वह यहां नहीं हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था के तौर पर हमारे जो एलडीसी लगे हुए हैं, जब तक नई भर्ती नहीं की जाए, तब तक उन एलडीसीज को इन पंचायतों की व्यवस्था के तौर पर रखा जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोतमलाल।

श्री गोतमलाल (धरियावद): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं पंचायती राज की बात करने से पहले हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत जी को याद करना चाहूंगा कि 1994-95 में एससी, एसटी का पंचायती राज में कानून लागू किया। उसके पहले जब प्रधान बनते थे, वे प्रधान सरपंच, वार्ड पंचों की बाड़ाबंदी करके, गांव-गांव में

(श्री गोतमलाल)

इकट्ठा करके फिर बनते थे। माननीय शेखावत साहब के उस कानून से मैं धरियावद में एसटी का पहली बार प्रधान बना। इस कारण हम उनको भूल नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, अभी हमारी कुशलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में कह रही थीं। पहले मुख्य मंत्री आवास में 60-70 हजार रुपये मिलते थे, उससे मकान बनता नहीं था। अब 1 लाख 48 हजार मिलते हैं। यह बात सही है कि जो पंचायतों में ई-मित्र हैं, यह लोग जो अनपढ़ लोग हैं, उनका अंगूठा लगवाकर कहते हैं कि आपके पैसे नहीं आए हैं। इसकी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी जो शौचालय की बात है, बहुत सारे लोगों के बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं ट्राइबल बैल्ट में, जिनके शौचालय नहीं बने हैं। इसमें 12 हजार रुपये कम हैं। इसमें कुछ पैसे और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके शौचालय की व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पंचायतों में विकास के काम ग्राम पंचायत करती है। इसमें टेंडर प्रक्रिया है। इन टेंडरों में जो ठेकेदार होते हैं, वह समय पर माल डालते हैं, कोई रेत, पत्थर या सीमेंट, जो भी देते हैं, वह अपने हिसाब से सामग्री डालते हैं और काम वह करते हैं। इसमें भी ग्राम पंचायत को अधिकार देना चाहिए।

सभापति महोदय, गुरु गोलवलकर जो योजना है, उसके माध्यम से श्मशान या दूसरी जगह जो भी विकास के काम हैं या दूसरी जगह जो-जो भी काम होते हैं, 10 परसेंट टीएसपी एरिया में जमा होते हैं, उससे स्कूल की बाउंड्री, सामुदायिक भवन, सभा भवन, इनका भी अगर बजट मिले तो इसको करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पंचायतों में जो सहायक हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। यह पहले विद्यार्थी मित्र थे। फिर इनको पंचायत सहायकों में लिया। इनकी भी बहुत बड़ी मांग है।

सभापति महोदय, मनरेगा की बात सब कर रहे हैं। मनरेगा में लोगों को पेमेंट कम मिल रही है। मजदूरी कम मिलने से इसमें लोगों का रुझान कम हुआ है। इसमें थोड़ी मजदूरी और बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत में

(श्री गोतमलाल)

पहले कुए खुदाते थे तो एक व्यक्ति को 3 लाख रुपये तक की स्वीकृति देते थे। अब नियमों में यह बदलाव हो गया है कि 3 व्यक्तियों के बीच में एक कुआं खोदा जाएगा, 3 भाई तो एक नहीं रह सकते। 3 व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि एक व्यक्ति को ही कुए की अलग से स्वीकृति दी जाए। इससे उसको व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। जमीन समतलीकरण का जो है, उसमें भी हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

सभापति महोदय, पंचायतों में हैंड पंपों की जहां तक बात है, जो हैंड पंप मिस्त्री हैं वह पुराने हो गए हैं और कई सारे तो रिटायर हो गए हैं। एक मिस्त्री के भरोसे 3-3, 4-4 पंचायतें हैं। एक पंचायत का सरपंच फोन करता है तो वह कहता है कि मैं उस पंचायत में हूं। वहां वाला कहता है तो मैं वहां हूं। वह जाते भी नहीं हैं। हैंड पंप मिस्त्रियों की संख्या कम होने से इनकी भर्ती की जाए। हर पंचायत में कम से कम एक हैंड पंप मिस्त्री होना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना में डार्क जोन जो एरिया था, उसमें बहुत सारी जगह विकास के काम हुए थे। उससे सूखे हुए हैंड पंपों में भी पानी आया है। कहीं पर विकास हुआ या नहीं हुआ हो लेकिन मैं तो मेरे क्षेत्र की बात करता हूं कि इससे बहुत फायदा हुआ है। आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये छोटे-छोटे एनीकट मनरेगा के माध्यम से बनाए जाएं।

सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण की बात भी करूंगा। मैंने कटमोशन उस पर लगाया था। मेरे यहां लसाड़िया-धरियावद सड़क है। मई, 2018 में उसकी स्वीकृति होकर के काम शुरू हो गया था। डीएफओ, प्रतापगढ़ ने उस सड़क को रोक दिया। उसके बाद वापस सीसीएफ, उदयपुर ने उसकी परमिशन दी। काम शुरू कर दिया, गिट्टी वगैरह भी सड़क पर डाल दी और 15 दिन के बाद में जयपुर से आदेश आता है कि इस काम को रोक दिया जाए। वह सड़क 1980 से पहले की सड़क है। वहां पर न तो कोई पेड़ कट रहे हैं और ना कुछ दिक्कत है। 5 मीटर चौड़ी है, लेकिन उसमें साढ़े 3 मीटर ही डामरीकरण हुआ था। उसको साढ़े 5 मीटर डामरीकरण करना था। उसको साल भर हो गया है। उसके बाद इन्होंने जमीन के बदले जमीन मांगने का काम किया। यह 18 किलोमीटर उदयपुर जिले में और 18 किलोमीटर प्रतापगढ़ जिले में आती है।

(श्री गोतमलाल)

प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने और उदयपुर कलेक्टर ने एसडीओ को कहकर जमीन भी दे दी लेकिन आज दिन तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। आजकल तो मिल जानी चाहिए, आनलाइन काम होता है। वहां आने-जाने वाले लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गोतमलाल (धरियावद): बस एक मिनट।

श्री सभापति: बस इतनी सी बात है कि इस मांग के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। यह बात अपनी माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मिलकर के कह देना।

श्री गोतमलाल (धरियावद): उप मुख्य मंत्री जी को नोट कराता।

श्री सभापति: यह आपकी कार्यवाही में आएगी ही नहीं।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आपके ध्यान में तो आ जाएगी, कार्यवाही में नहीं आएगी तो। इसके अलावा जिन टूटी हुई सड़कों के टेंडर हो गए हैं उनको भी आप थोड़ा करवा दें। सभी ठेकेदार हड़ताल पर हैं। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों को कोई उधार भी नहीं दे रहा है। उन्होंने यह कह दिया कि ऊपर से पैसे नहीं आ रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि उप मुख्य मंत्री जी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इनका डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। इनके ऊपर भी आंच आ रही है, इसलिए इनको कहना मुझे जरूरी है। आप इसमें पूरा ध्यान लगाएं। जिन ठेकेदारों का पेमेंट बकाया है, उनका करवाकर काम शुरू करवाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। श्री मुकेश कुमार भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण और ग्रामीण विकास की इस मांग पर बोलने का मुझे मौका दिया। इस मांग पर बोलते हुए मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पंचायती राज की स्थापना जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में जवाहर लाल नेहरूजी ने की। मुझे यह कहते हुए खुशी है इस पंचायती राज को और ग्रामीण विकास को पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय राजीव गांधीजी ने सुदृढ़ और मजबूत

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

किया। आज जब इस मांग पर चर्चा हो रही है, जितने भी माननीय सदस्य मेरे से पहले बोले हैं उन्होंने 'मनरेगा' का नाम लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंहजी को, उन्होंने 2005 में गांवों के गरीब और बेरोजगार लोग थे उनके लिए मनरेगा का कानून लेकर आए जिसकी बदौलत हम रोजगार की गारंटी के कानून के माध्यम से लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय उप मुख्य मंत्रीजी को कि आप पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार संभालते ही सबसे पहले सौ दिवसीय योजना ग्रामीण विकास के लिए लेकर आए जिसमें खेल मैदान, माडल तालाब, मुक्ति धाम का विकास आदि कामों को भी आपने नरेगा में शामिल किया। इस सदन के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भीषण गर्मी का दौर पिछले काफी समय से राजस्थान में रहा, आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए यह कठोरता से लागू करवाया कि ग्लूकोज, डाक्टर, छाया व पानी की व्यवस्था उन मजदूरों के लिए जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनके लिए की जाए। मैं इस सदन के माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो फंड का पैसा मनरेगा में पानी व छाया की व्यवस्था के लिए पास होता है वह वहां की अन्य चीज में काम नहीं लिया जाए, इसको कठोरता से लागू करवाएं ताकि वहां काम करने वाले मजदूर हैं उनको ये व्यवस्थाएं मिल पाएं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस मांग पर बोलते हुए मैं आदरणीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत मेड़बंदी और पानी के टांकों का निर्माण जो एससी, एसटी और बीपीएल के किसानों को ही मिलता है उसकी परिधि को बढ़ाकर आप ओबीसी, जनरल के जितने किसान हैं, गरीब किसान हैं और विशेष तौर पर जो सूखा एरिया है, वहां पर पानी के टांके और मेड़बंदी इसमें शामिल कराएं ताकि इससे ज्यादा सुविधा मिल पाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में आज बोलना चाहूंगा कि रास्तों के निर्माण का काम, ग्रेवल सड़कों का काम मनरेगा में होता था, अब मुख्य तौर पर जितने रास्ते बनने थे, जो पक्की होनी थी वह हो चुकी है।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

ज्यादातर वही सड़कें आज की तारीख में, वही रास्ते गांवों में बचे हैं, जैसे कटानी रास्ते या आपसी विवाद के रास्ते हैं। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में नई योजना बने और पैसा पंचायतों में जाए व मुख्य तौर पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगें ताकि आने वाले समय में छाया का वहां प्रबंध हो सके और यातायात से होने वाले प्रदूषण में कमी आ सके। सरकारी भूमि और चरागाहों के चारों ओर मेड़बंदी हो सके जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। चरागाह विकसित करने का काम नरेगा के तहत किया गया है उसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, इस बात की मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में खेल मैदान मनरेगा और ग्रामीण विकास के तहत बनाए जाएं ताकि आने वाले समय में ओपन जिम बने और ग्रामीण परिवेश के जो युवा हैं वह सेना और पुलिस की भर्ती की तैयारी वहां कर सकें जिससे उनको रोजगार में सुविधा मिल सके। मैं सदन का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में केन्द्र व राज्य सरकार का पैसा आता है, वह प्रधान, बीडीओ, जिस गाइड लाइन के तहत पैसा आता है उसके अनुसार उपयोग न करके व्यक्तिगत कामों में उपयोग किया जाता है। मैं चाहूंगा कि यह सख्ती से लागू हो कि जिस मद में पैसा आ रहा है, उसी मद में खर्च हो। अभी भाजपा के साथी यहां बोल रहे थे, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मनरेगा में 60 प्रतिशत लेबर का पैसा होता है और 40 प्रतिशत सामग्री का पैसा होता है। पिछले लम्बे समय से राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास में पैसा आ रहा है वह सिर्फ लेबर का पैसा आ रहा है, 40 प्रतिशत जो पैसा सामग्री का आता था वह नहीं आ रहा है। केन्द्र की सरकार से मांग करके उस पैसे को जल्दी से जल्दी पंचायतों तक और सरपंचों तक पहुंचाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ आदरणीय उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गांवों में गंदा पानी भराव की बड़ी समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में फिरवांसी, तिलोटी, सोगड़ी, ओडीन, खोखड़ी, ललासरी लोडसर, कसूंबी, इन जगहों पर गंदे पानी के बड़े तालाब बने हुए हैं, जिनमें गांव का पूरा गंदा पानी आता है और बारिश के समय इतना पानी भर जाता है कि लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मनरेगा का जो पैसा है और सरपंच को जो पैसा मिलता है, उस पैसे से उस पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, छोटी

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

नालियां बनती हैं वह बंद हो जाती हैं तो मैं चाहूंगा कि एक विशेष योजना, एक विशेष बजट इसके लिए पास किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को हम सुविधा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विशेष मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा (अनुपस्थित)। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास एवं 19, लोक निर्माण विभाग पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता और सम्पूर्ण भारत की जनता 80 प्रतिशत गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत शहरों में रहती है। गांवों के विकास के माध्यम से ही देश का विकास होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ता जो बोले और मनरेगा हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंहजी ने और सोनियाजी ने शुरू की थी उसी का कारण है कि आज जिस तरह से गांवों का विकास हो रहा है, ग्रेवल सड़कें बन रही हैं, अकाल या सूखा पड़ता है तो गांव के लोगों को मजदूरी के लिए तरसना नहीं पड़े, उसके लिए यह मनरेगा योजना वरदान सिद्ध हुई है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर, 2010 को नागौर में पांच विभाग पंचायती राज को देकर मजबूत करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन पांचों ही विभागों को पंगु कर दिया और इन विभागों के पास कोई पावर नहीं रखे।

माननीय सभापति महोदय, यह पंचायती राज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, आईसीडीएस और कृषि ये पांचों ही विभाग इनमें ये कोई भी कार्य नहीं कर पाए। सरकार ने सारे पावर ले लिए और इनको पंगु बना दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज वापस उसी तरह से सशक्त हो, उसको पावर मिले और विकास में भागीदार बने।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो फंड आ रहे थे, चाहे वह अनटाइड फंड हो चाहे टीएफसी हो, ये सारे इन्होंने बंद कर दिए। विकास के लिए जो पैसे आ रहे थे, वह बंद हो गए तो गांवों में विकास बंद हो गया। आज बात करें मनरेगा की, मनरेगा में इतने काम हो रहे

(श्री मेवाराम जैन)

थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उनको करीब-करीब मनरेगा को ठप सा कर दिया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी ने विभाग संभाला और मनरेगा को इस रूप से लिया कि उसका तीव्र गति से काम हुआ और लेबर की संख्या 32 लाख से पार हुई, मजदूरों को रोजगार मिलने लगा और काम आगे बढ़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा में मैटेरियल का पेमेंट है वह एक साल से नहीं हो रहा है। मैं यहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता और सारे यहां विराजमान हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र का मामला है और पंचायतों में जब एक साल से मैटेरियल का भुगतान नहीं होगा तो सरपंच काम कैसे करवाएगा, इससे राजस्थान का विकास कैसे होगा, पंचायतों का विकास कैसे होगा?

(16.00 बजे)

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पेमेंट की व्यवस्था करवाएं ताकि आगे काम बढ़े। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नरेगा की टेंडर प्रक्रिया है, इसमें पहले पंचायत लेवल पर होते थे, इसे अब पंचायत समिति लेवल से कर दिया। उसकी वजह से अब आने वाले समय में पूरा काम ठप होगा। सारी पंचायतों में भारी रोष है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा और हमारे उप मुख्य मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम नहीं तो इस टेंडर प्रक्रिया को चार महीनों के लिये आप आगे बढ़ाएं ताकि जिस तरह से सारे काम ठप हो जाएंगे, वे ठप नहीं हों, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो स्वच्छ भारत की योजना तो अच्छी है। इसका जो मकसद था ओडीएफ, परंतु उसका भी भुगतान पूरा नहीं हो रहा है। ओडीएफ की बात करें तो उसमें भी कई ऐसे घर छूटे हैं जिन्हें उसका लाभ नहीं मिला हे। दूसरा, अब घर-घर हमने शौचालय तो बना लिये, परंतु पानी की व्यवस्था नहीं है। बगैर पानी शौचालय का यूज कैसे होगा, उसकी हालत क्या होगी, इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था वहां पर बहुत जरूरी है, तब जाकर स्वच्छ भारत का हमारा सपना पूरा होगा।

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे जनता जल योजना हो, इस योजना में सरपंचों के पास फंड नहीं है, टैक्निकल अधिकारी नहीं हैं। इस वजह से सारी योजनाएं ठप हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उप मुख्य मंत्री जी से कि इस योजना में ग्राम पंचायतों को धन उपलब्ध कराएं। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि जो पानी की योजना है, पीएचईडी को सुपुर्द कर दें, चाहे हैंडपंप हों या छोटी-मोटी योजनाएं हों, उनके बगैर ये चल नहीं सकतीं। कभी मोटर खराब होती है, बिल बिजली का भर नहीं पा रहे हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे यह योजना सुचारु रूप से चले, जनता को कैसे लाभ हो, इस पर आपको विचार करना है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुनर्गठन का निर्णय लिया गया, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं बहुतबहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो रेगिस्तानी और पहाड़ी एरिया हैं, उनमें 2500 की आबादी तक की जो छूट दी है, उसके लिये मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, सरकार ने जो एक बड़ा निर्णय लिया कि हम जो 200 विधायक बैठे हैं, हमारे लिये तो कोई शिक्षा जरूरी नहीं है, चाहे सैकंडरी पास हो या सीनियर सैकंडरी पास हो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात हो, पर सरपंच और जन प्रतिनिधि जो पंचायती राज का है, उसके लिये इन्होंने जो नियम लागू किया था, उसे हटाया। यह बहुत ही स्वागत योग्य है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। कोई इससे वंचित नहीं रहे। यह स्वागत योग्य है। चाहे पैरा टीचर्स की बात करें, विद्यार्थी मित्र की बात करें, चाहे पंचायत सहायक की बात करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा टीचर्स आज तीन महीनों से बैठे हैं और हाजिरी नहीं दे रहे हैं और उनमें भारी रोष है। आप मेहरबानी करके इस पर तुरंत निर्णय लें और हमारे जन घोषणा पत्र में भी हमने वादा किया था, इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्र और पैरा टीचर्स, इनका मानदेय बहुत ही कम है। दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल से वे लगे हुए हैं। थर्ड ग्रेड, सैकंड ग्रेड का टीचर जो कार्य कर रहा है, वही कार्य ये कर रहे हैं, इसलिये आप इन्हें सहानुभूति देकर इनका मानदेय बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ इन्हें दें। वे आज सड़कों पर हैं। आज भी धरने-प्रदर्शन पर हैं, इस पर आप विचार करें। चाहे आप आईसीडीएस की बात करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा में जो पुरानी सड़कें हैं, जिन्हें पांच साल हो चुके हैं और बरसात से टूट चुकी हैं, उनकी रिपेयर वापस नरेगा ही कर सकता है तो उसे प्राथमिकता के साथ कराया जाए और नयी सड़कें जो स्वीकृत हो रही हैं, उसमें एक शर्त है भूमि को सरैंडर कराना। पहले भी हमारे एरिया में यह हुआ था कि सहमति के आधार पर सड़कें स्वीकृत की जाती हैं, क्योंकि उस रोड के अंदर एक परिवार में तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास नाम हैं, उन सबको वहां ले जाना, रजिस्ट्री कराना, यह बहुत मुश्किल काम है इसलिये मैं चाहूंगा कि सहमति के आधार पर उस ग्रैवल रोड को स्वीकृत कर दें ताकि लोगों को आने-जाने के साधन भी मिल सकें।

गांव में जिस तरह से नरेगा में इंटरलाकिंग सड़कें हैं या सीमेंट की सड़कें हैं और नालियां हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करें ताकि गांव का विकास हो सके। गांव का विकास कैसे हो, यह हमारा सपना है। बाकी ज्यादा फंड नहीं है। इस मनरेगा के माध्यम से इन सड़कों की ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति करें। नरेगा से आज पानी की समस्या सुलझायी जानी चाहिए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम पानी को ठीक तरह से रोक नहीं पाएंगे। इसके लिये टांकों का निर्माण हो, एनीकट का निर्माण हो। वह अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय मुश्किल होगा, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि टांके एससी, एसटी और सिर्फ बीपीएल को हम दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इन टांकों का निर्माण प्रत्येक घर में हो, इसके लिये नरेगा से सैंक्शन मिले, लेबर भले ही एससी, एसटी की लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज। फूल सिंह जी मीणा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 28 पर लोक निर्माण कार्य, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं केवल और केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या के बारे में और विकास के लिये बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें बनी हुई हैं और जो हमने चालू की थीं, वे अधूरी पड़ी हैं और विधान सभा का जो चुनाव हुआ, उसके बाद में उन्हें बिलकुल रोक दिया गया है। उसमें मैं बताना चाहता हूं, कर्नाली से लामाधाबड़ी वाली रोड, मनवा का खेड़ा से लकड़वास जाने वाली रोड, दोबामूड़ा से मूंगडूंगरी जाने वाली रोड, चणावदा से पडूणा जाने वाली रोड बिलकुल बंद पड़ी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फूल सिंह जी। प्लीज मेरी बात सुनिए। न तो अंकित हो रहा है। न आज कोई विषय है। आप नरेगा के ऊपर बोल लें, ग्रामीण विकास के ऊपर बोल लें, पंचायत समिति पर बोल लें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरे इसमें बंद काम का आपने इस पाइंट में दिया है। मेरा पाइंट आया है। इसमें आया है, हुकुम।

श्री सभापति: मेरा निवेदन तो सुनिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात पर कितनी बड़ी डिबेट की। जो चीज अंकित नहीं हो रही, मूल चीज से रह जाएंगे आप।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न था और मैंने जो डिमांड दी थी, उसमें आपने लिखा है बंद कार्य को चालू करना। उसमें आया है मेरा पाइंट। उसी के लिये बोल रहा हूं। मेरा जो बंद काम है उसे चालू करें। मेरा अगर पाइंट नहीं होता तो मैं इसे नहीं लेता।

श्री सभापति: कोई बात नहीं। आप माननीय डिप्टी सीएम साहब से मिल लीजिएगा। बाकी चीजों पर आप बात कर लें, अच्छा रहेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): डिप्टी सीएम साहब से मैं मिल लूंगा।

श्री सभापति: हां मिल लीजिएगा। अच्छा रहेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारा पाल पंचायत में बरसों पहले का एक डाक बंगला बना हुआ है और वह आज भूत बंगले के रूप में पड़ा है, उसे कोई संभाल नहीं रहा है। वह जर्जर अवस्था में है। उसे चालू करके कहीं न कहीं, हो सकता है कि वहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि उदयपुर शहर नजदीक है, मगर इतनी करोड़ों की हमारी प्रोपर्टी यूं ही पड़ी है। उसे ठीक करवाकर किसी न किसी सरकारी भवन में काम लें या किसी भी व्यवस्था में उसे लगाएं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, आज की तारीख में स्कूलों में पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं हैं और जो हैं वे भी जर्जर अवस्था में हैं और उनकी मरम्मत करवाकर बरसात के दिनों में जो बच्चे बाहर बैठते हैं या छुट्टी कर लेते हैं तो उनकी मरम्मत करवाकर उनका दुरुस्तीकरण कराएं और जो कक्षा कक्षों की कमी है, उसके लिये नये कक्षा कक्ष बनवाने का आप आदेश फरमाएं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालय के भवन भी जर्जर हैं। मेरी एक पंचायत डोडावली की है, करनाली गांव का उप स्वास्थ्य केन्द्र बिल्कुल धराशायी हो गया है इसलिए उस भवन को भी नया बनवाने का आप आदेश फर्माएं। खानपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में भवन जर्जर है, उसको भी ठीक करवायें। सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया है और हमारे वहां आईटीआई नहीं है इसलिए आईटीआई का भवन बनवाने का आदेश दें ताकि ट्राइबल के लोग उसमें अध्ययन कर लें तो वहां जावर माइंस है या झामर कोटड़ा माइंस है उसमें उनको नौकरी मिल सके। राजकीय महाविद्यालय भी अगर टीडी में खुलवाएंगे या भवन बनवाकर आप देंगे तो वह भी हमारे लिए बहुत फायदेमन्द रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना जो हमने चालू की थी उसका इतना फायदा हुआ कि हमारा वाटर लेवल आज की तारीख में ऊपर आया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस योजना को चालू रखें और इसके अन्दर संसाधन की कमी आए तो इसमें जोड़कर अच्छा काम करेंगे तो आम जनता को और जो हमारा ट्राइबल बैल्ट है जिसमें गर्मी के दिनों में पानी की समस्या आती है उस समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व पंचायत समिति का जो चुनाव हुआ उसमें शिक्षा स्तर को अनिवार्य करके वास्तव में पढ़ेलिखे लोगों को राजनीतिक लाभ मिला उससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई और गुणवत्ता में भी अच्छी प्रोग्रेस आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी सरकार आई है उसने इस नियम को बिलकुल बन्द करके जन-प्रतिनिधि और विकास के अन्दर ध्यान रखने वालों के साथ में यह अन्याय किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले चाहे जिला प्रमुख हो, सरपंच हो, वार्ड पंच हो वह अंगूठा छाप होता था तो उसका चैक कितने का बना है इसका पता नहीं लगता था और मर्जी माफिक वे पैसा उठाते थे। सभापति महोदय, मैं यह नहीं

(श्री फूल सिंह मीणा)

कह रहा हूं, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं और जनता के पास में, लाभार्थी के पास में केवल और केवल 15 पैसा पहुंचता है। बानसूर से आने वाली सदस्य बहन कह रही थीं कि पढ़ाई का यह करके इन्होंने यह कर दिया, वह कर दिया। सभापति महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, अनपढ़ होने की वजह से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी कह-कहकर चले गये मगर फिर भी इस भ्रष्टाचारवाड़े को वापस पनपाने के लिए हमारी इस शिक्षा को बिलकुल खतम करके अन्याय किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): शैक्षणिक योग्यता तो समाप्त कर दी पर जिन पर मुकदमे चल रहे हैं वह तो सरकार वापस ले।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): उप मुख्य मंत्री महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके ही सदस्य बोल रहे हैं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वास्तव में पूर्व में हमने पंचायत समिति गिर्वा के अन्दर POS मशीन चालू की थी जिससे अधिकारीगण, कर्मचारीगण सब टाइम पर आने शुरू हो गये थे परन्तु ये चुनाव खतम होते ही पहले POS मशीन गायब हो गई और अब वे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत ही युवा हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हर पंचायत मुख्यालय पर पंचायत समिति में, शिक्षा विभाग में, पूरे प्रदेश में, स्कूलों में भी अगर POS मशीन चालू करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे काम में भी गुणवत्ता आयेगी तथा समय भी पूरा देंगे। सभापति महोदय, यह POS मशीन पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे तो अध्यापक भी जो 7 बजे का टाइम है तो 9 बजे आ रहा है और एक घंटा रह रहा है, वापस जाएगा तो उसमें भी कमी आएगी। अभी जो आपने शिक्षा में समय कम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मगर जो समय है उसमें भी वह समय पर आये और समय पर जाए। सभापति महोदय, मेरी एक मांग और है कि स्कूल के अन्दर अध्यापक मोबाइल लेकर

(श्री फूल सिंह मीणा)

बात करते हैं तो वे मोबाइल तो ले जाएं मगर प्रधानाध्यापक के कमरे में रख दें और जब कोई अर्जेंट काम हो तो वहां के स्कूल के एक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के मोबाइल का नम्बर दे दे और अर्जेंट काम हो तो उनसे बात करें। जब तक स्कूल में रहे तब तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चों को बराबर स्कूल में भी इसकी सुविधा मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैरीफेरी के अन्दर मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की मेरी जो पंचायत आती है, सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि मेवाड़ से आये हो, आप हर आदिवासी की समस्या जानते हो, हमारे वर्षों से आदिवासी रहने वाले हैं जो बिलानाम जमीन में रहते थे, रहते आये हैं और रह रहे हैं1 करीब 70 परसेंट से ऊपर आदिवासी या जनरल कास्ट के भी बिलानाम जमीन में बसे हुए थे और पैरीफेरी में आते ही सारी की सारी जमीन एकमुश्त एक ही आदेश में यूआईटी के नाम आ गई। सभापति महोदय, आज की तारीख में पंचायत के पास विकास के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि पैरीफेरी एरिया आ गया तथा न यूआईटी उसमें विकास करती है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधायक फण्ड से एक करोड़ 20 लाख रुपये मैंने विकास के लिए दिये, कहीं पाइप लाइन बिछानी है या सामुदायिक भवन बनाना है, कहीं कीचड़ हो रहा है तो वहां पर इंटरलाकिंग टाइलें लगानी हैं पर मेरे वे एक करोड़ 20 लाख रुपये निरस्त कर दिये। फिर वहां विकास कौन करायेगा? सभापति महोदय, पंचायत के पास पैसे नहीं हैं और यूआईटी काम नहीं करती है। मैंने नियम 295 में प्रस्ताव लगाकर एक दिया था और मैंने कहा था कि पैरीफेरी की इन पंचायतों को नगर निगम का चुनाव हो रहा है इसमें जोड़ दो। मेरी किस्मत खराब है, अध्यक्ष महोदय ने जो मैंने पैरीफेरी के पट्टे की मांग की तो, बड़ी मुश्किल से पर्ची खुलती है, सुबह 8 बजे हम निकलते हैं ओर 10 बजे पर्ची लगाकर घर जाकर वापस 11 बजे आते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरी आत्मा बहुत दुखी है क्योंकि पैरीफेरी के अन्दर विकास नहीं हो रहा है। मैंने पट्टे की जो बात की, बड़ी-बड़ी जो होटलें हैं उनको पट्टा दे रहे हैं, बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं उनको पट्टा दे रहे हैं मगर 70-80 साल से जो गरीब आदमी रह

(श्री फूल सिंह मीणा)

रहे हैं उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। जो हमारा फूटा तालाब है उसमें यूआईटी ने पट्टे दिये हैं। यूआईटी ने पट्टे दिये हैं पर उन गरीब आदमियों को न तो उसमें बनाने की परमिशन दे रहे हैं और न जमीन के बदले कोई जमीन दे रहे हैं।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। श्रीमती इन्द्रा जी। अब समाप्त करें प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। एक मिनट। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं, जो मैंने पैरीफेरी का दिया था, मेरी पर्ची निरस्त हो गई पर उन्होंने यह कहा था कि मैं आपको कहीं न कहीं इसके बारे में मौका दूंगा।

श्री सभापति: आज मौका मिल गया आपको। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देता हूं मगर मुझे मौका जरूर दें ताकि उन पट्टों के बारे में अगर मैं बोल लूंगा तो मेरी जनता को न्याय दिला सकता हूं। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 28 पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, हम बात करते हैं, आज ग्रामीण विकास की चर्चा हो रही है और ये जो दोनों मांगें हैं ये गांवों के विकास में अहम भूमिका रखती है। सारे ग्रामीण एरिया का सम्पूर्ण विकास इन्हीं दो मांगों पर अधिकतर टिका हुआ है। सभापति महोदय, जैसे गांवों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक स्वच्छ तस्वीर नजर आती है, पहले साफ-सुथरे गांव हुआ करते थे और गांवों का नाम लेते ही आंखों के सामने शुद्ध वातावरण सा नजर आता है। आज हम गांवों में जाते हैं और देखते हैं तो जगह-जगह कीचड़ भरा हुआ है, बड़ी-बड़ी नालियां बना रखी हैं तो उनमें कीचड़ भरा हुआ है और वह समय पर साफ नहीं हो पाती। गांव के प्रत्येक रास्ते में गन्दगी हो रखी है। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि कोई कमेटी बनाकर सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाए। पिछली गवर्नमेंट ने गौरव पथ करके प्रत्येक गांव में सड़क बनाई। उसके अन्दर साइड भरने का भी प्रावधान था लेकिन साइडें किसी ने

(श्रीमती इन्द्रा)

भी नहीं भरीं। एक-एक फीट कीचड़ वहां भरा हुआ है, गांव के अंदर, थोड़ा नीचे कोई उतर जाए तो गाड़ी वगैरह सब कीचड में घुस जाते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो गौरव पथ बने हैं, उनकी भी बराबर साइडें भरवाई जाएं और स्थाई व्यवस्था करवाई जाए। आज हम नरेगा के माध्यम से गांवों में व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो मानदेय उनका बनता है, वह बहुत कम बन पाता है। इसलिए आपके माध्यम से हम उप मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि गांवों में स्थाई रूप से सफाई की व्यवस्था करवाई जाए।

सभापति महोदय, गांवों के अंदर ग्राम विकास अधिकारी अधिकतर ग्राम पंचायतों में नहीं हैं। पंचायत समिति लेवल पर 50 परसेंट ग्राम विकास अधिकारियों की पोस्ट भरी हुई हैं तो कई जगह दो पंचायतों का, कई जगह तीन पंचायतों का, उनको चार्ज दे रखा है। ग्राम विकास अधिकारी हैड क्वार्टर पर कभी मिल नहीं पाते लोगों को, वे चोरी करने में आज सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत से लोग उनको फोन करते हैं, दूसरी पंचायत में बता देते हैं। दूसरी पर फोन करते हैं तो तीसरी में बता देते हैं। गांवों का विकास अवरुद्ध हो रहा है और गांवों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि ग्राम विकास अधिकारियों के जो पद रिक्त पड़े हैं। उनको जल्दी से भरने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में हम बात करते हैं, खण्ड कार्यालय बौंली में प्रस्तावित था। जब से वह चालू हुआ बौंली में ही चल रहा था, पिछली गवर्नमेंट में माननीय स्वर्गीय कुंजीलाल जी, हमारे वहां विधायक थे। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए कार्यालय को सवाई माधोपुर हैड क्वार्टर पर करवा दिया। आज सभी को उससे समस्या हो रही है। सबको वहां माधोपुर जाना पड़ता है जबकि वह प्रस्तावित बौंली में है, बौंली में बिल्डिंग है, सब कुछ है, वहां से उसका हैड क्वार्टर परिवर्तित करने का हम उप मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे।

हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात करें। सड़कें नहीं होने से 150 गांव ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर से जुड़ने से वंचित हैं। सभापति महोदय, हम उप मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि इन गांवों को पंचायत हैड क्वार्टर मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया जाए।

(श्रीमती इन्द्रा)

एक अयोध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को सवाई माधोपुर पूरे जिले में टेण्डर दिया गया था। वह कई दिनों से अपना कार्य छोड़कर जा चुकी है और कई सारी तो महत्वपूर्ण सड़कें बाकी पड़ी हैं, उनका निर्माण अधूरा पड़ा है। हम निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से सभापति महोदय कि इनका पुन: टेण्डर करके काम चालू करवाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं की जगह खाली है और अधिशासी अभियन्ता 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, वह भी रिक्त हो जाएगी। काफी दिन से वे छुट्टी पर चल रहे हैं। इससे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो सारे कार्य हैं, वे अधूरे पड़े हैं और उससे सभी लोगों को समस्या हो रही है तो ये सीटें भरने का हम आग्रह करेंगे। कई सारे क्लर्क स्टाफ में नहीं है, उस वजह से भी काम रूका हुआ है तो ये सीटें भी भरने का काम करें।

बौंली तहसील के अंदर काफी दिनों से मांग चल रही थी, एक डाक बंगला हो तो हम डाक बंगले के लिए भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे। आपने बोलने का हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत सिंह यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 28 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19 व 28 पर बोलने से पहले चूंकि हमारे उप मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं, विधान सभा आया तो कुछ ज्ञापन मुझे मिले, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। विद्यार्थी मित्र एवं पैरा-टीचर्स काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने मानदेय को बढ़ाने का। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, बहुत ही कम उनको वेतन मिल रहा है। जिनको बहुत हाई वेतन मिलता है, उनके बराबर वे लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए।

इसके साथ ही नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम, जिसमें 12278 पद निकाले गये और सरकार कांग्रेस की बदल गई, उसके बाद में मात्र 5559 पदों पर ही भर्ती हुई और 6719 पद समाप्त कर दिये गये। ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अब चूंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो माननीय उप मुख्य मंत्री से, सरकार से मैं मांग करता हूं कि वापस से उन लोगों को नौकरी

(श्री बलजीत यादव)

दी जाए। अभी आंदोलन भी कर रही हैं हजारों बच्चियां जयपुर में तो सहानुभूति रखते हुए उनकी मांग पर सरकार विचार करे।

दूसरा, मैं पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग भी आपके माध्यम से सरकार से करता हूं। आशा है सरकार सहानुभूति रखते हुए पंचायत सहायकों को नियमित करेगी।

सभापति महोदय, नरेगा के ऊपर बहुत बड़ा बजट आता है और बात करूं जयपुर के आसपास नरेगा का, कोई भी काम हो, सरपंच कहता है कराने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, जमीन जेडीए के पास चली गई। दूसरा, बहुत सी जगह जॉब कार्ड बन जाता है पर उसको काम नहीं मिलता है। अनेक सदस्यों ने भी इस बात को रखा, मैं भी आपके माध्यम से सरकार के सामने, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि अगर इस नरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा तो किसान की फसल को जो नील गाय व अन्य आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट किया जाता है, उसमें तारबन्दी की जाएगी तो किसान को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

इसके साथ ही जनता जल योजना की तरफ ध्यान मैं, माननीय मंत्रीजी का दिलाना चाहता हूं। जनता जल योजना की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। बिजली के बिल लाखों रुपये के ड्यू हो रखे हैं, बिजली विभाग के लोग कनेक्शन तो काट देते हैं और गांव के लोग परेशान होते हैं। या तो उसको पीएचईडी के अंदर किया जाए या फिर जो भी आपके सैक्रेटरी हैं, उनको सरकार पाबंन्द करे कि समय पर बजट आते ही उनका बिल भरा जाए और अगर कोई बिल नहीं भरता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा, गांव के अंदर पहले जोहड़ बने हुए थे। जिनमें पानी आता था, साफ पानी, अब बरसात का पानी तो आना बंद हो गया, नालियों का गंदा पानी आता है, गांव में एकत्रित हो जाता है और उसके कारण से अनेक बीमारियों का जन्म हो रहा है गांव में। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल निकासी का काम ठीक से सरकार करे। गांव में गंदगी के ढेर हैं, सफाई का काम गांव में ठीक से हो, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह बात कहना चाहता हूं कि नरेगा के अंदर बहुत सी जगह, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, बहुत से

(श्री बलजीत यादव)

सरपंच जेसीबी वगैरह से काम करवाते हैं, और अपने कुछ लोगों के, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वे नाम लिखकर के रखते हैं, काम कुछ होता नहीं है और उनसे यह सौदा कर लिया जाता है कि आधा पैसा आप लोगे और आधा पैसा मैं लूंगा। कोई काम जेसीबी से होता है और कोई काम नहीं भी हो रहा है। उसका भी बहुत-बड़े स्तर पर पैसा उठा लिया जाता है। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि ऐसे लोगों की जांच की जाये और बहुत सी शिकायतें गांव के लोग करते हैं, लेकिन उन शिकायतों का पता नहीं क्या होता है। किसी भी ऐसे आदमी पर कार्यवाही होती हो या प्रभावी कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसा दिखायी नहीं पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो जिससे राजस्थान की जनता को लगे कि राजस्थान के युवा मंत्री ने सबसे अलग हटकर कुछ करके बताया, क्योंकि ये जो नीचे भ्रष्टाचार चालू होता है यह सब चीज को खोखला करता जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक लोग ट्रैप भी हुए भ्रष्टाचार के मामले में फिर भी बदस्तूर यह भ्रष्टाचार जारी है। मैं आशा रखता हूं इन सब के ऊपर मंत्री जी रोक लगाएंगे और ऐसे लोगों की जांच करेंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और बहुत से अधिकारी जिनकी पोस्टिंग हो जाती है, पोस्टिंग ले लेते हैं और फिर पता नहीं कोई सीनियर अधिकारी कहता है कि मुझसे परमीशन नहीं ली, किससे परमीशन लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। एक-एक महीने बीडीओ गायब हो जाते हैं। जनता परेशान होती रहती है। काम होता नहीं है तो जो ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए ताकि दूसरे लापरवाह लोगों को भी सबक मिले और लोग सरकार से डरें और डर कर के जनता की सुनवाई हो और वहां पर काम हो।

सभापति महोदय, मैं एक जिक्र आपसे यह भी करना चाहता हूं कि गांव के अन्दर सरकारी जो भूमि है, सिवायचक भूमि है उस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। गोचर भूमि है उस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मांग करता हूं सरकार से कि तार फैन्सिंग करके ऐसी जमीनों को बचाया जाए और जो सिवायचक जमीन है उस पर बाउण्ड्री करके अगर ग्राउण्ड का निर्माण किया जायेगा तो गांव के बच्चों को खेलने की सुविधा होगी। एक्सरसाइज करने के लिए उनको जगह मिलेगी जिससे वे फौज की भर्तियों में जाने में सफल होंगे। फिजीकली फिट होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। यही मैं उनसे मांग करता हूं। आपने

(श्री बलजीत यादव)

मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपसे पुन: यही गुजारिश करता हूं कि जो भी ये संविदाकर्मी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो आंदोलन कर रहे हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था कि इन सबको नियमित किया जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशीघ्र आप उन सब को नियमित करके उनके सपनों को पूरा करेंगे। यही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय राजस्थान। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या-19 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जो मांग है वह वास्तव में ग्रामीण एरिया के लिए भले ही पीडब्ल्यूडी हो या पंचायती राज हो, वास्तव में गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज दोनों का विशेष दायित्व आपके पास है। इन गांवों के बारे में सोचकर जो नरेगा के बारे में आज योजना चल रही है उसमें काफी लेबर पहले भी चल रही थी और उस लेबर को बढ़ाकर आप विशेष लेबर भी बढ़ायें और ग्रामीण में काम बढ़ा सकते हैं। उसके माध्यम से काफी काम हुए हैं पर ग्रामीणों की काफी दिनों से मांग है कि गांवों में नील गायों की काफी परेशानी है उसको खतम करने के लिए नरेगा से बाड़ भी बनायी जा सकती है और तारबंदी वाला जो मामला अगर नरेगा के माध्यम से हो जाये तो यह बहुत-बड़ी मांग है। इससे ग्रामीण एरिया के लोग काफी खुश होंगे। इस बात को आप ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, आज पंचायती राज हो या पीडब्ल्यूडी हो, उन सब कामों को करने के लिए पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद् बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें आज जो पोस्टें खाली हैं, आज सचिवों की पोस्टें खाली हैं, आज बीडीओज की पोस्टें खाली हैं या एलडीसी, यूडीसी की खाली हैं या जो भी पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को अगर हम जल्दी भरवा देंगे, क्योंकि गांव के किसान के लिए ग्राम पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत का काम उसके बहुत ज्यादा पड़ता है तो आप थोड़ा सचिवों की, पंचायत सहायकों की भर्ती करायें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

मानतीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने भी बात की थी विद्यार्थी मित्रों की। उन्होंने पहले सरकार में भी ज्ञापन दिया था और काफी मांगें उन लोगों की थीं। पहले वाली सरकार ने भी मांगों की पूर्ति की थी और आज उनको आप परमानेंट भी करवाएं और उनको जो वेतन के रूप में 6 हजार रुपये मिल रहे हैं वे काफी कम हैं, उनका पैसा आप बढ़ायें और उनको परमानेंट भी करें और जो एलडीसी, यूडीसी जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे, पंचायत सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जो बाकी रह गये उनको भी आप परमानेंट करवायें। उनकी भी बहुत बड़ी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018-19 के बजट में और 2019-20 के बजट में कितना फर्क है। 2018-19 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में कुल 4925 लाख रुपये बजट में आये थे और अभी 2019-20 में केवल 700 लाख रुपये आये हैं ये काफी कम हैं इसको भी आप बढ़ाने का फर्माएं। डांग क्षेत्र योजना में पहले 2018-19 में 4 हजार लाख थे और इस बार 2019-20 के बजट में केवल आपने 700 लाख का बजट रखा वह भी काफी कम है, उसको भी आप बढ़वाएं और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 2500 लाख का बजट 2018-19 में था और 2019-20 में केवल 60 लाख का प्रावधान रखा है वह काफी कम है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखवायें। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पहले 16,303 का बजट था और अभी 13,533 का बजट है, उसको भी आप ध्यान में रखवाकर करवाएं और विधायक मद भी काफी कम है उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखकर उसको भी बढ़वाएं।

माननीय सभापति महोदय, स्वविवेक जिला विकास योजना में पहले सौ करोड़ का प्रावधान था अभी केवल 15 लाख का प्रावधान रखा है। वह भी काफी कम है। गुरु गोलवलकर योजना जो महत्वपूर्ण योजना है उसको आप ध्यान में रखवाते हुए काफी योजनाएं एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल से पैंडिंग पड़ी हैं। भले ही सामुदायिक भवन की योजना हो जिसमें तीस परसेंट ग्रामीण का होता है और सत्तर परसेंट सरकार का होता है। श्मशान, कब्रिस्तान में दस परसेंट गांवों का होता है और नब्बे परसेंट सरकार देती है। ये जो पैसा है उसकी भी साल-डेढ़ साल से स्वीकृतियां बाकी हैं। उनको भी आप ध्यान में रखकर करवाने की कृपा करवाएं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वहां जिस तरह से शहरों में सफाई होती है गांवों में नहीं हो पा रही है क्योंकि गौरव पथ भी बने, नालियां भी बनीं और शौचालय भी गांवों में बन गये पर आज गांवों की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप नरेगा के तहत उन लेबर को हर पंचायत में, हर गांव में चार-चार, पांच-पांच लेबर आप लगवाएं, उस योजना के तहत आप साफ-सफाई भी करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को जैसे सरपंच को तनख्वाह मिलती है, प्रधान को तनख्वाह मिलती है, जिला प्रमुख को तनख्वाह मिलती है इस प्रकार आप ऐसी कोई स्वीकृति जारी करायें जिससे पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य को भी तनख्वाह दे सकें। उनको भी भत्ते के रूप में दे सकते हैं। वे भी काम करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखकर करवायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे वहां के एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का जो पैसा था, उसके बारे में मैंने एक प्रश्न भी लगाया। उप मुख्य मंत्री महोदय ने बताया भी था पर मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी स्वीकृति भी जारी हो गयी, वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गयी, बहुतों की किश्तें भी जारी हो गयीं लेकिन वह पैसा सरकार चैंज होने के बाद जस का तस वहीं पड़ा है। उस पैसे को भी आप जारी करवायें। बहुत से रोड के काम थे। बहुत से पंचायती राज के काम थे। बहुत से सामुदायिक भवन, स्कूल के कमरों के काम थे वे सब काम पड़े हुए हैं और पैसा भी उनका आ नहीं रहा है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि वह पैसा भी आप जारी करावें। माननीय सभापति महोदय, कहना नहीं चाहिये, पर मैं कहना चाहता हूं जो काम विधान सभा चुनाव से पहले जारी हुए हैं वह सभी काम अभी बंद पड़े हैं, उन कामों को आप चालू करावें। आप उन ठेकेदारों का पैसा भी जारी करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गणेश घोघरा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और। सभापति महोदय, पंचायती राज में शिक्षा का जो चेंजेज किया है उसकी तो कोई बात नहीं पर पहले जिस तरह सरपंचों पर, प्रधानों पर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

केस चल रहे हैं, उन केसों को विड्राल करवाकर उनको सहानुभूतिपूर्वक देखकर काम करावें। मेरे वहां जो रोड बंद है, उप मुख्य मंत्री महोदय, उसमें आपकी स्वीकृति भी जारी हो जाये और जो पहले काम बंद पड़े हैं, उनको भी आप चालू करवा दें और विद्यार्थी मित्र का विशेष देखते हुए उन विद्यार्थी मित्रों को सहानुभूतिपूर्वक परमानेंट करवाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 19 व 28 बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि टीएसपी एरिया में पंचायत पुनर्गठन में जो पहले चार, साढ़े चार हजार जनसंख्या थी उसको कम किया, ढाई हजार जनसंख्या के आधार पर पंचायत का पुनर्गठन किया, उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

टीएसपी एरिया जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां शिक्षित नहीं है, वहां लोकतंत्र में अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है, यह भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। इसमें एमएलए के लिये कोई योग्यता नहीं रखी है लेकिन सरपंच, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के लिये योग्यता रखी है। आपने जो योग्यता हटाई, उसके लिये भी मैं डिप्टी सीएम साहब को, सीएम साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। कोर्ट में जो अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, रोज पेशी पर जा रहे हैं, सभापति महोदय, सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि यह मुकदमे जल्दी से जल्दी ले लिये जाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नरेगा के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले नरेगा नहीं थी उस समय अकाल राहत के काम चलते थे, उस समय भी मस्टररोल 20 या 25 का जारी होता था। उसमें मिलने वालों के नाम आते थे और जो मिलने वाला नहीं होता था तो उसका नाम नहीं आता था, वह वापस घर जाते थे। हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री और सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री व डिप्टी सीएम साहब ने जो टीएसपी एरिया में, जनजाति बहुल क्षेत्र में नरेगा योजना चालू की वह हमारे लिये एक वरदान साबित हुई। हमारे आदिवासी लोग, गरीब लोग जो अहमदाबाद काम पर जाते थे, बाहर जाते थे, जिनका पलायन होता था, वह नरेगा के माध्यम से रुका है। आज टीएसपी एरिया में जितना भी विकास हुआ है, भले सड़क हो,

(श्री गणेश घोघरा)

कुएं का हो, मेड़बंदी का हो, जितने भी गांवों में विकास के काम हुए हैं, वह नरेगा के माध्यम से हुए हैं और यह कांग्रेस सरकार की देन है जो नरेगा जैसी योजना लाई, कानून बनाया, यह हमारे आदिवासियों के लिये, गरीब टीएसपी के लिये वरदान साबित हुआ है। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे वहां जो भी बारिश का पानी गिरता है वह पूरा गुजरात में चला जाता है और हमारे यहां पानी की कमी है। मैं आपसे चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से छोटे-छोटे पक्के चैक डेम बनाये जाएं, एनीकट बनाये जाएं, तालाब गहरे कराये जाएं जिससे यहां पर भूमि रिचार्ज हो सके, वाटर लेवल ऊपर हो सके, कुएं में पानी आ सके, जिससे वहां पर किसानों की हालत सुधर सके, यह मेरी सरकार से मांग रहेगी।

नरेगा में 60:40 रेशो से श्रम और सामग्री का जो कानून बनाया हुआ है, 60 परसेंट श्रम भाग और 40 परसेंट सामग्री के भाग से सैंक्शन निकाली जायेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप पांच साल का रिकार्ड उठाकर देख लो, एक भी पंचायत में पक्के काम मंजूर नहीं हुए। जब तक पंचायतों में पक्के काम नहीं देंगे तो विकास कहां दिखेगा। कच्चे काम में तो मिट्टी डालेंगे और बारिश में वह धुल जायेगी। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं डिप्टी सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि 60:40 के हिसाब से हर पंचायत में यह काम स्वीकृत कराये जाएं।

मैं डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। नरेगा में जो एक्सईएन लगा हुआ है, जिस पंचायत की फाइल जाती है, जिसने दो परसेंट कमीशन दिया उसके पक्के काम सैंक्शन होते हैं और जिसने कमीशन नहीं दिया, उसकी फाइल में कोई न कोई कमी बताकर उसको वापस दे दी जाती है। अभी चुनाव हो गये, 6-7 महीने हो गये, उसके बाद भी पंचायत में यह सरपंच है, उनके काम नहीं निकाले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करूंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाये, यह मैं सरकार से मांग करूंगा।

(श्री गणेश घोघरा)

इसके साथ मेरी सरकार से मांग रहेगी टीएसपी क्षेत्र गरीब आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, अपने घर का गुजारा मजदूरी करके चलाते हैं। वहां हमारे पास 1 बीघा, 2 बीघा या 3 बीघा मुश्किल से जमीन है और वह भी पहाड़ी ढलान है। वहां पर हमारे पास कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, बेरोजगार हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि टीएसपी एरिया में जो 100 दिन का नरेगा में रोजगार दिया गया है, उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाये तो हमारे यहां टीएसपी एरिया का भला हो सकेगा, उनको रोजगार मिल सकेगा। हमारे यहां दिन में काम पर जाते हैं, शाम को दिहाड़ी मजदूरी करके आटा, चावल लाते हैं, मिर्ची लाते हैं, ऐसे भी गरीब परिवार हैं। मैं चाहूंगा कि नरेगा में जो लेट भुगतान हो रहा है 15 दिन में होना चाहिये। जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उस समय हमारे पेमेंट की दिक्कत नहीं थी लेकिन जब से नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं तब से हमारे नरेगा की हालत खराब हो गई है। इन बीजेपी वालों की मंशा है कि यह नरेगा बंद होनी चाहिये, ऐसी इनकी सोच है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। यह गरीबों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनका जो बकाया भुगतान है वह जल्दी से जल्दी कराया जाए। जो टेंडर व्यवस्था की गई है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब को बताना चाहूंगा कि पंचायत में जो भी टेंडर होते हैं वह बीएसआर रेट से टेंडर होने चाहिये। टेंडर में जयपुर वाला बैठे-बैठे आनलाइन टेंडर कर रहा है। जब मौके पर सामग्री डालनी पड़ती है तब मौके पर सामग्री समय पर पहुंचती नहीं है, वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है, ऐसी जगह पर मैटेरियल सही तरीके से सप्लाई नहीं करते हैं जिससे पंचायत के विकास में बाधा आती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीएसआर रेट से खरीदने का टेंडर दिया जाए तो इससे विकास हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब को बताना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस सरकार में बीआरजीएफ योजना चल रही थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने द्वेषता के कारण इस योजना को बंद कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके स्वार्थ के कारण बीआरजीएफ योजना को बंद कर दिया। मैं एक छोटा-सा

(श्री गणेश घोघरा)

निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाये। उनको साढ़े तीन हजार मानदेय मिलता है, साढ़े तीन हजार से क्या होता है। एक पंचायत में 5-5 हजार लोग रहते हैं, रोज सरपंच के घर आना जाना रहता है, साढ़े तीन हजार मानदेय मिलता है, उससे कुछ नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि एक-एक पंचायत में एक-एक सचिव को तीन-तीन पंचायत दे रखी हैं। लोग एक पंचायत में जाते हैं, सचिव साहब कहां पर हो, वह कहता है कि मैं फलाना पंचायत में हूं। उस पंचायत वाले पूछते हैं कि सचिव साहब कहां पर हो, वह कहता है कि मैं उस पंचायत में हूं। इसलिए जो सचिवों के रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत सहायकों को जो पंचायतें दी गई हैं, सचिव का चार्ज दिया गया है उसको यथावत रखा जाए जब तक सचिवों की नई भर्ती नहीं की जाये। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नरेंद्र जी नागर। (अनुपस्थित)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, एक व्यवस्था तो दें कि आज एक ऐसी डिमांड है, जिस पर पायलट साहब भी अकेले बैठे हैं। एक मंत्री प्रताप सिंह जी हैं, वे भी हमारे साथ आ गये। सत्ता पक्ष के सदस्य भी बहुत कम हैं। सभापति महोदय, यह क्या चक्कर हुआ है? थोड़ी व्यवस्था तो दें। यहां सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं हैं, पायलट साहब अकेले बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पायलट साहब आपको जरूरत पड़ेगी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री मदन प्रजापत।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं आप सब पर अकेला बहुत भारी पड़ूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पायलट साहब, हम भी ऐसा ही सोचते थे। शुभचिंतक हैं। हम भी ऐसा ही सोचते थे, चुनाव से पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमें ही आपका साथ देना पड़ेगा पायलट साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 28 पर विचार

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 19 और 28 पर आपने समय दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र दस मिनट लूंगा। मेहरबानी करके टोकना मत। माननीय सभापति महोदय, आज जब गांव की बात चल रही थी। मुझे बड़ा गर्व है कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी ने पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर से की। यह हम सब के लिये और पूरे राजस्थान के लिये गर्व की बात है।

माननीय सभापति महोदय, आज मंत्री जी भी विराजमान हैं। नेहरू जी और गांधी जी का सपना था कि जब गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। उस सपने को साकार करते हुए, हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। हम सब की भावना है कि गांव का विकास हो और गांव का हर व्यक्ति यही बात करता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। माननीय सभापति महोदय, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने जो स्थापना की और पंचायतों को अगर किसी ने मजबूती दी है तो पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने दी है। पंचायतों को मजबूती दी है। तीसरी कड़ी आप जानते हैं। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जब मनरेगा की शुरूआत की तो लोगों के मन में कई तरह की बातें आती थीं कि यह अकाल राहत में रोजगार नहीं दे सकता तो हमें ये सौ दिन का रोजगार कैसे देंगे? उस बात को साकार किया। आज मुझे गर्व होता है कि गांव का बेरोजगार आदमी, गांव का गरीब, मजबूर किसान आदमी को अगर घर बैठे रोजगार देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। विकास की बजाय इन्होंने नाम बदलने का काम किया है। अगर नया काम करते तो इनका नाम हो जाता। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, निर्मल

(श्री मदन प्रजापत)

भारत से स्वच्छ भारत कर दिया। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया, राजीव गांधी भवन से अटल भवन कर दिया। आज कोर्ट के आदेश से.. हम नहीं चाहते थे। अटल जी भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं। वे महापुरुष हैं। आज उनको सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इनके गलत कारनामों की वजह से अटल बिहारी जी के नाम पर पोता फेरने के काम का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप गलत नहीं करते तो स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम को कलर से मिटाना नहीं पड़ता। आपने ऐसे काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज ओडीएफ की बात करते हैं। 12 हजार रुपये में बाथरूम की बात करते हैं। यह गरीब के साथ मजाक बना दिया। अगर भारत का एक-एक आदमी सम्पन्न होगा, उसका बंगला बनेगा, मकान बनेगा, बाथरूम बंगले के साथ अपने आप बन जाएगा। बाथरूम के लिये आपको अलग से तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं और 12 हजार रुपये, वह भी समय पर नहीं देते।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, चुनावी सभा थोड़े ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, कोई बीमारी लग गयी है, जैसे मिर्च उछलती है, इसी तरह बीच में उछलने का काम ये करते हैं। आज माननीय मंत्री जी विराजमान हैं। सभी सदस्य जानते हैं नरेगा में आपने जो मजबूती प्रदान की है। नरेगा को अगर कमजोर करने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जैसे आपने मुफ्त दवा योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, उसी तरह नरेगा को न जिंदा, न मरा हुआ, न बंद, न शुरू, यह ठंडे बस्ते में डालने का काम सामने वाले हमारे साथियों ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज नियम और कई मद, सामग्री में रेशो और परसेंटेज की वजह से कई तकलीफ आती हैं। मेरी और सब की भावना है कि इस नरेगा को खेती से जोड़ा जाए, क्योंकि इससे उनका लगाव बढ़ेगा कि मेरे खेत में सही काम होगा, मेरा खुद का काम है। यह सब की भावना है। नरेगा के कार्यों के लिये एक विशेषज्ञ से राय लेकर इसे खेती से जोड़ा जाए।

(श्री मदन प्रजापत)

यह अपना सब का विकास है। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक नयी बात सुनी। मैंने अपनी मां को धुआं-फूंक करते हुए देखा है। करोड़ों-लाखों साल से यह जो सृष्टि बनी। गैस तो अभी आई है, देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गये। क्या पहले खाना नहीं पकता था? क्या रोटी नहीं बनती थी? ठीक है, समय है। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है। समय के साथ में सभी यूज करते हैं। हर सुविधा का यूज करते हैं। लेकिन इस प्रकार से दर्शाते हैं जैसे धुआं और लकड़ी से खाना नहीं बनता था। यह सृष्टि थी ही नहीं। इन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबको मंथन करना पड़ेगा कि आज युवा पीढ़ी का गांवों से मोह भंग क्यों हो रहा है? खेती से मोह भंग क्यों हो रहा है? पशुपालन से मोह भंग क्यों हो रहा है? इन सबका गहराई से मंथन करना पड़ेगा। गांव का विकास हो, गांव मजबूत हो, गांव का आदमी शहर की तरफ न दौड़े। क्या कारण है जो शहर के प्रति नई युवा पीढ़ी का लगाव है? गांव का हर गरीब आदमी हो और जो छोटे शहर में रहता है, वह भी चाहता है कि मेरा बंगला या छोटा-मोटा मकान जयपुर में हो। जयपुर में जो रहता है, उनकी भावना लंदन तक की जाती है कि मैं फोरेन में जाऊं। यह क्यों हो रहा है? गांव का विकास तभी होगा, जब उसमें शहरों के प्रति लगाव कम हो। इससे शहरों के ऊपर भी दबाव कम होगा।

(16.59 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, टेंडर की बात सभी ने की। इस टेंडर प्रक्रिया से एक नया दलाल पैदा हुआ है। सब की भावना है। क्या टेंडर होने से कोई भ्रष्टाचार मिटा? अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटा है तो पंचायत की जो पहली कड़ी है, वह सरपंच है। सरपंच और ग्राम पंचायत मजबूत होगी तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। टेंडर प्रक्रिया से अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटा है तो इस कड़ी को खतम कर ऐसा नियम बनाया जाए जिससे बीच में दलाल की कड़ी खतम हो। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि आज नरेगा के कारण, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और वर्षा जल के बचत की बातें सभी करते हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

(17.00 बजे)

लेकिन उसका उदाहरण कहीं देखना है तो राजस्थान में बाड़मेर जिले में नरेगा के कारण लाखों टांके बने हैं। पूरे साल भर उस पानी का आम आदमी उपयोग करता है। माननीय सभापति महोदय, अगर नरेगा नहीं होता तो इतने टांके नहीं बनते और आज पानी की बचत नहीं होती। पानी की बचत नहीं होती तो आप जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जहां खून सस्ता, राजस्थान में कहावत थी, पानी महंगा था। आज पानी की सुविधा भी हो गई और लोगों को भी रोजगार मिल गया।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार सहायक हो, चाहे पंचायत सहायक हो, संविदाकर्मी जो भी हैं, इतिहास गवाह है कि इन छोटे बेरोजगारों को अगर रोजगार किसी ने दिया है, जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी है, उन गरीब बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमने किया है। मुझे आपके ऊपर भरोसा है। आपका मजबूत नेतृत्व उन बेरोजगारों के लिए लाभदायक होगा। इनको रोजगार दिया जाए। आमजन की भावना है। अगर एमपी/एमएलए के लिए यह संतान वाला कानून नहीं हो, जैसे आपने शिक्षा का, आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है। दस प्रतिशत था, आज अस्सी प्रतिशत एजुकेशन में एवरेज बढ़ा है। आने वाले पांच-दस साल में एक भी परिवार, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो बिना पढ़ा-लिखा हो। इन्होंने जल्दबाजी करते हुए, अगर पांच साल तक नहीं करते तो आने वाला समय अपने आप पढ़ा-लिखा हो जाता तो यह एमपी/एमएलए के लिए नहीं है। यह सबकी भावना है। आपने जो क्रांतिकारी फैसला पढ़ाई वाला लिया है। इसी तरह यह संतान वाला भी अगर हो जाए, यह सबकी भावना है। मेरी एक की नहीं है।

भ्रष्टाचार की बातें सभी करते हैं। इसका मूल कारण ये नियम, बीएसआर और टेंडर रियायत में असंतुलन के कारण, कई ऐसे नियम बने हुए हैं कि उस मजबूरी का फायदा उठाकर स्वीकृति में भी पैसे, बिल बनने के बाद भी पैसे, कभी सच्चाई की बात करते नहीं हैं। सरकार किसी की भी रही लेकिन शुरूआत जो विकास की और सैंक्शन की होती है, वह वज़न रखने के बाद में होती है। यह ढर्रा ही ऐसा बन गया है। सब जानते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उनके कारण स्वीकृति नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं आपके मार्फत एक मांग करता हूं कि बालोतरा रिफाइनरी भी आ गई और जिले का दूसरा बड़ा शहर है। हमें खुशी है कि आपके हाथों से जिला भी जल्दी बनने वाला है। सैशन कोर्ट भी है, रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी का दबाव है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। अगर सर्किट हाउस बालोतरा में हो तो सबके लिए सुविधा होगी। अगर सर्किट हाउस बनेगा तो लोकल के लिए काम नहीं आएगा, आप सब मेहमान हमारे साथी आएंगे तो सुविधा बढ़ेगी।

अंत में एक निवेदन मैं मंत्री जी से करता हूं कि बालोतरा जिले का दूसरा बड़ा राजकीय नाहटा अस्पताल है। इसके पास पुराना पीडब्ल्यूडी का स्टोर, जो जमीन बेकार पड़ी है। उसके बदले में दस गुना जमीन शहर के बाहर, अगर वह वहां शिफ्ट की जाए तो पीडब्ल्यूडी के भी काम आ जाएगा और शहर के अंदर न तो गाड़ियां जाती हैं, हास्पिटल से जुड़ी हुई जमीन है। इस जमीन को अस्पताल में अगर आप मेहरबानी कर दें तो हमारे ट्रोमा सेंटर और कई यूनिट वहां होगी। यह जनहित में होगा।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक मिनट सभापति महोदय। अंत में सभी गांव की बात करते हैं। गांव के लोग शहर की तरफ नहीं जाएं। काम सरकार की तरफ से होता है लेकिन लोगों की भावना के अनुरूप काम हो तो गांव में मजबूती बनेगी। सबकी भावना है कि सबसे पहले जैसे स्कूल है, पानी की व्यवस्था है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री जोराराम।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिजली की, सड़क की, श्मशान घाट की हर गांव में व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वृक्षारोपण है, पुराने तालाब के अलावा अंत में जनता जल योजना, माननीय सभापति महोदय, सबकी भावना है यह फालतू काम करते नहीं है। व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जनता जल योजना वापस पीएचईडी में दी जाए ताकि सबका भला होगा और गांव की मजबूती, हम सबकी मजबूती है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि तीन काम जो मैंने निवेदन किये हैं, हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट करता हूं चाहे संतान वाला हो, चाहे जनता जल वाला हो और एक टेंडर

(श्री मदन प्रजापत)

प्रक्रिया, ये तीन काम आप करेंगे, आपका नाम अमर हो जाएगा कि क्रांतिकारी और मजबूत फैसला किसी ने लिया है तो वास्तव में राजस्थान में सचिन पायलट साहब ने लिया है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोराराम।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 28 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत की अस्सी प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। भारत की आत्मा गांव है। गांवों का विकास ही भारत का विकास है। राजस्थान में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। सबने अपनी-अपनी योजनाएं बनाकर गांवों का विकास करने का प्रयास किया लेकिन आज भी गांवों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। गांव में आज भी बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, रोजगार और सफाई व्यवस्था की कमी है। निश्चित रूप से इन सुविधाओं के लिए हमें और ज्यादा प्रयास करना होगा। गांव के विकास की मुख्य धुरी होता है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी के 50 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। गांव वाले पंचायतों में जाते हैं तो वहां ग्राम विकास अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। पंचायत समिति में एईएन, जेईएन और जेटीओ के पद भी खाली पड़े हैं। वहां जाते हैं तो आधे अधिकारी मिलते नहीं हैं। इन पदों को भरेंगे तो विकास में सहयोग मिलेगा।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि गांवों में नरेगा का कार्य चल रहा है। नरेगा के कार्यों में गांवों के कई कच्चे रास्ते हैं, उन रास्तों पर ग्रेवल सड़कें बनाने की आवश्यकता है। कई कच्चे रास्तों पर जब पानी भर जाता है। गांव वाले निकल ही नहीं पाते, उन सड़कों पर ग्रेवल सड़कें बनाने की आवश्यकता है। नरेगा में पक्के काम नहीं हो रहे हैं। कच्चे काम से गांव वालों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। पक्के काम जैसे नाला, नाली निर्माण, रपट निर्माण, एनीकट निर्माण या सीसी सड़कें हैं, ये काम करवाने की नरेगा में जरूरत है। नरेगा के कई काम जैसे अभी मैं फील्ड में गया तो मुझे काम चैक करने का अवसर मिला। वहां पर नरेगा के मजदूरों के लिए छाया की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है और पेयजल की भी बहुत कम जगह व्यवस्था देखने को मिली। सभापति महोदय, मैं निवेदन

(श्री जोराराम कुमावत)

करना चाहूंगा कि कार्य स्थल पर नरेगा के मजदूरों के लिए छाया, मेडिकल और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तो उनको भी फायदा मिलेगा।

नरेगा में संचालित जितनी योजनाएं हैं, उनमें एससी/एसटी को प्राथमिकता दी जाती है। हम भी चाहते हैं कि उनको प्राथमिकता मिले लेकिन ओबीसी और जनरल केटेगरी के लोग हैं, उनको नरेगा में फायदा नहीं मिल रहा है। मैं आपके मार्फत माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी को भी नरेगा योजना में फायदा दिलाया जाए। नरेगा का पेमेंट जो मजदूरों को मिलता है, हमारे पाली पंचायत समिति, सुमेरपुर क्षेत्र में करीबन 12 हफ्ते से पेमेंट नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जल्दी से पेमेंट मिले। मजदूरों को तो रोज-रोज आटा-पानी लाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। जल्दी से जल्दी उनको पेमेंट करवाया जाए। नरेगा में किसानों को जोड़ने के लिए कृषि कार्यों को जोड़ें तो निश्चित रूप से उससे किसानों को फायदा मिलेगा।

किसानों के खेतों की मेड़बंदी के कार्य, तारबंदी के कार्य, खेत में टांका निर्माण का कार्य, किसानों के खेत में फसल होती है उसकी कटाई का कार्य भी अगर नरेगा योजना से जोड़ें तो किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र में काम होंगे और किसानों के परिवार को मजदूरी भी मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि नरेगा योजना में कृषि क्षेत्र को जोड़ा जाए।

गांव में गोचर भूमि होती है। गोचर भूमि पर आजकल लोग कब्जे खूब करते हैं। मेरा निवेदन है कि गोचर भूमि पर जितने भी कब्जे हैं, वह हटाने की कार्यवाही की जाए। आबादी भूमि पर कब्जे हैं वह भी हटाने की कार्यवाही की जाए। गोचर भूमि में पेड़ लगाने की व्यवस्था व उन्नत घास लगाने की व्यवस्था नरेगा योजना में करें तो निश्चित रूप से गोचर का भी डवलपमेंट होगा व पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सम्माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में और अन्य जगह, यह समस्या सब जगह है, पूरे राजस्थान में है, श्मशान घाटों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। लोग श्मशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे। मेरा निवेदन है कि श्मशान घाटों की जितनी भी ज़मीनें हैं वह रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराई जाएं। उनके ऊपर चारदीवारी निर्माण, टीन शेड निर्माण की व्यवस्था सरकार कराए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

(श्री जोराराम कुमावत)

सभापति महोदय, एक जनरल समस्या है खेल मैदान। हर गांव में खेल मैदान की आवश्यकता होती है। आजकल बहुत सारे खेल ऐसे हो गए जिसके लिए खिलाड़ियों को खेल मैदान की आवश्यकता होती है। खेल मैदान के ऊपर भी लोग कब्जे कर रहे हैं। उनको सुरक्षित रखना भी अपना काम है। खेल मैदानों की जमीन को भी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराई जाए, उन पर भी चारदीवारी कराई जाए ताकि वह भी सुरक्षित हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा, सभी सदस्यों ने बताया कि पंचायतों में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से पंचायतों में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। कई जगह नाले बने, कई जगह नालियां बनीं, उनमें साफ-सफाई नहीं होने से प्लास्टिक, मिट्टी व कचरा भरा रहता है। साफ-सफाई नहीं होने से मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होने से कई तरह की बीमारियां होने का अंदेशा रहता है और बीमारियां होती भी हैं।

सभापति महोदय, आपके मार्फत उप मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंचायतों में साफ-सफाई की व्यवस्था प्राथमिकता से कराई जाए। उसके लिए चाहे नरेगा योजना हो या पंचायत की दूसरी योजना हो, उनसे बजट आबंटित करवाया जाए तो ही साफ-सफाई की व्यवस्था हो सकेगी। बिना बजट के साफ-सफाई होने वाली नहीं है। ग्राम पंचायत सैक्रेटरी को कहते हैं कि आप सफाई कराओ, तो वह कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हम बिना बजट के कैसे सफाई करवाएं? आप बजट की व्यवस्था कराएंगे तो निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था भी होगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना में गरीब परिवार, जिनके कच्चे मकान थे, उनके पक्के निर्माण बनाने की योजना, माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की। उस योजना में 2011 के सर्वे को आधार माना है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो उस सर्वे में नहीं आए। सर्वे में नहीं आने वाले लोगों को भी उसमें जोड़ा जाए। इस योजना में प्रति वर्ष लोगों को अपील करने का प्रावधान हो ताकि कोई भी आदमी किसी भी समय अपील कर सकता है।

पाली ज़िले में, पंचायतों में मैटेरियल सप्लाई होता है, उसका ठेका होता है। वह ठेके बिना रजिस्टर्ड फर्म को होते हैं। पंचायत निर्माण का कार्य भी बिना रजिस्टर्ड फर्म को ही देती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिना

(श्री जोराराम कुमावत)

रजिस्टर्ड फर्म को ठेके देने से काम की गुणवत्ता सही नहीं होती है। सभी जगह, पाली ज़िले सहित दूसरी जगह निर्माण के, वह काम हल्के होते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। ठेका पद्धति में सुधार किया जाए। बिना रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ठेके नहीं दिए जाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रोजगार सहायक, विद्यार्थी मित्र और संविदाकर्मियों को स्थाई करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पटवार भवनों के कई भवन बने हुए हैं जो पुराने भवन हैं, वह जर्जर हो गए हैं। उन भवनों का सर्वे कराया जाए, जो भवन जर्जर हैं, उनके रिपेयरिंग की व्यवस्था कराई जाए।

सभापति महोदय, अभी गौरव पथ निर्माण के कार्य हुए हैं। गौरव पथ के वैसे अच्छे काम हुए हैं, काम की गुणवत्ता अच्छी है लेकिन कई जगह उनके साइड में नालियां नहीं बनी हैं, नालियां नहीं बनने से पानी की निकासी सही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां नालियां बनाने के लिए भी कोई योजना बनाई जाए।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए हम सभी विधायकों को विकास का फण्ड मिलता है, विधायक मद, वह सवा दो करोड़ रुपये है, बड़ा क्षेत्र होता है तो यह राशि बहुत कम होती है। मैं आपके मार्फत इसे पांच करोड़ रुपये करने का निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या है। पानी जंवाई बांध से आता है। इस समय जंवाई बांध में पानी नहीं है, पूरी तरह से पानी सूख गया है। मेरे ख्याल से 10-12 दिन का पानी रहा है। वहां पानी के लिए हैंडपम्प, टयूबवैल की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप इस समस्या का समाधान कराने की भी व्यवस्था कराएं।

सभापति महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर बहुत बड़ा कस्बा है, 50 हजार से ज्यादा आबादी है, वहां कृषि मंडी है, पूरी व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां डाक बंगला नहीं है। कई सरकारी अधिकारी आते हैं, जन प्रतिनिधि आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कई बार उनको होटल में या दूसरी जगह ठहराना पड़ता है, सुमेरपुर शहर में डाक बंगले की व्यवस्था कराएं।

(श्री जोराराम कुमावत)

सभापति महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 62 पर रामासिया चौराहा है और सुमेरपुर में जाखानगर चौराहा, दोनों जगह एक्सीडेंट पाइंट है। वहां पर पुल बनाने की आवश्यकता है। वहां कई बार कितनी ही दुर्घटनाएं हो गईं, 10-12 तो मौत हो गई हैं, दोनों स्थानों पर पुल बनाने की व्यवस्था करवाई जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सुमेरपुर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वैसे आज मना है कि सड़कों के बारे में नहीं कहना है लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सुमेरपुर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। कई जगह सारी सड़कें टूटी हुई हैं। नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है। गांव से गांव को जोड़ने के लिए, एक क्षेत्र को दूसरे से जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है। पुरानी सड़कें जो डामरीकरण की हुई हैं वह भी क्षतिग्रस्त हैं, उनका निर्माण करवाने की भी बहुत आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत एक-दो निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में सिंदरू बांध आया हुआ है बांध के नीचे एक आम रास्ता निकलता है जो किसानों के खेतों में जाने का रास्ता है। वहां पानी भरता है, बांध के सीपेज का पानी भरता है। ओवरफ्लो बांध होता है तो वह पानी भी भरता है जिससे किसानों के खेतों में जाने का रास्ता 6 महीने तक बंद रहता है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): आपसे निवेदन है कि उस रास्ते पर नरेगा के अंदर कोई पुल बनवाया जाए या रपट बनवाई जाए तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। सिर्फ दो मिनट।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी, प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना चलाकर पूरे राजस्थान में जल स्तर बढ़ाने का काम किया। गौरव पथ का निर्माण करके गांवों में कीचड़ था उसको खतम करने का काम किया है।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सीनियर सैकण्डरी स्कूल बना करके ...(व्यवधान) सभापति महोदय, दो मिनट का काम है। विवेकानन्द माडल स्कूल बना करके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। स्वच्छ भारत में शौचालय बना करके, उज्ज्वला गैस में कनेक्शन दिला करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): गांव-गांव ढाणियों में बिजली से जोड़ने का काम, भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये सारी योजनाओं का पेमेंट आनलाइन करने का काम किया। आयुष्मान भारत, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ...(व्यवधान) और किसानों की बिगोड़ी और कर्जा माफ करके ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को फायदा देने का काम करने का काम किया।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और मांग संख्या 28 पर ...(व्यवधान) आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया...

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): नि:सन्देह राजस्थान में हमारी सरकार ने पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में अच्छा काम किया।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): महोदय जी, प्रधान मंत्री ने देशवासियों के लिये जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दो मिनट। सफल विदेश नीति अपनाते हुए देश का मान और सम्मान देश और विदेश में बढ़ा रहे हैं। सफलता-असफलता तो चलती रहेगी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): लेकिन एक बात तय है, हमारी दिशा और मंशा सही है तो मंजिल हमें जरूर मिल जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मुझे जो आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज ऐसा विषय है, इस विषय पर मेरे घर में 50 साल से पंचायती राज रहा हुआ है। मैं खुद भी जब राजीव गांधीजी ये 74वां संविधान संशोधन

(श्री राकेश पारीक)

विधेयक लाये और उस संशोधन की वजह से 1995-2000 तक मैं सरपंच रहा। जिला परिषद् में भी मैं रहा। पहले के पंचायती राज कानून में और बाद के पंचायती राज कानून में इतना अन्तर, जैसा हमारे माननीय सदस्य पचपदरा वाले बता रहे थे, 1959 में 2 अक्टूबर को पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने नागौर की धरती से इस पंचायती राज की स्थापना की।

श्री सभापति: आप तो टूरिस्ट वीजा पर हो यहां पर।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): एक जमाना था, इस पंचायती राज के साढ़े तेरह-तेरह साल तक चुनाव नहीं हुए। इस संविधान संशोधन की वजह से पंचायती राज के चुनाव ...(व्यवधान) पंचायती राज के चुनाव समय पर होने लगे। इस कानून में व्यवस्था की गई कि पंचायतों को आर्थिक रूप से पहले जवाहर रोजगार योजना के नाम से, उसके बाद इतनी धन की व्यवस्था की कि आज एक-एक पंचायत में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, टूरिस्ट वीजा पर हो क्या आप? ऐसे टूरिस्ट ही आते हैं। माननीय सदस्य, टूरिस्ट वीजा पर हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सही है।

श्री सभापति: सही है न?

श्री राकेश पारीक (मसूदा): करोड़ों रुपये पन्द्रहवें वित्त आयोग के नाम से आ रहे हैं। आज पंचायती राज अगर चाहे, गांव का सरपंच, तो उस पंचायत के अन्दर किसी भी तरह से कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है और इतने काम करा सकते हैं कि कोई धन की कमी नहीं रखी है। यह कांग्रेस राज की देन है। हमारे महबूब नेता आदरणीय राजीव गांधीजी की देन है।

मैं जब विधायक बना, मेरे इलाके में 59 ग्राम पंचायतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट साहब को कि नरेगा में मेरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के राज में एक हजार आदमी काम करते थे, आज उस इलाके में साठ हजार आदमी नरेगा में काम कर रहे हैं। वह ग्रामीण जनता ...(व्यवधान) ये वाह-वाह कर रहे हैं, ये अडाणी, अंबानी के आदमी हैं, लेकिन हम उस गरीब जनता के आदमी हैं, गरीब के, जिसको गणेश मानकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। उस गरीब जनता के आदमी हैं, और आज गरीब जनता दुआ दे रही है कि सचिन पायलट साहब, आपने फरमान जारी किया कि नरेगा को वापस बहुत मजबूती से चालू करें।

(श्री राकेश पारीक)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, हमारे गांवों के अन्दर तालाब बहुत हैं। पुराने जमाने के लोग तालाब में आव बनाने का काम, चद्दर बनाने का काम, उसकी दीवारें ठीक कराने का काम, वे पुराने नेता किया करते थे। आपके आने के बाद माडल तालाब के रूप में ग्राम पंचायतों में तालाबों की सैंक्शन हो रही है। मैं मांग करूंगा कि जितने भी तालाब हैं, नरेगा के तहत उन तालाबों के अन्दर माडल तालाब के रूप में स्वीकृतियां कराएं, जिससे तालाब में पानी आयेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, नरेगा के अन्दर, मैं आपके मार्फत बताना चाहूंगा कि भ्रष्टचार के, मैं सरपंच था, मैं पंचायत समिति में एक ही कांग्रेसी सरपंच था, पांच-पांच बार स्पेशल आडिट होती थी। पूरे कानून को सीखा और पूरे कानून को सीखने के बाद पता लगा कि क्या करेगा सरपंच। एक लाख रुपये का काम कर रहा है, एक हजार रुपये तो वह आडिट करने वाले के बंधे हैं। दस प्रतिशत उसका बी.डी.ओ. और वह सारा चलता है। यह चीज, खुले सदन में बात कर रहे हैं, यह चीज कोई रोक नहीं सकता, न रुकेगी। लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि जो वर्षों से स्टाफ जमा हुआ है, चाहे पंचायत समिति का हो, और चाहे जिला परिषद् का हो, कम से कम उन सैंक्शन देने वाली सीटों से, आदरणीय उप मुख्य मंत्रीजी, उन सैंक्शन देने वाली सीटों से उनकी अदला-बदली कर दो, नहीं तो वे इतने जम गये हैं, यह दलाल प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ये वे लोग चालू करते हैं।

मुझे पता है, आदरणीय पायलट साहब, सभापति महोदय, आपके मार्फत बताऊंगा, आप सांसद के रूप में बहुत अच्छा, हम अजमेर वालों को पता ही नहीं था कि हवाई-अड्डा बनेगा। हमें पता भी नहीं था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय आयेगा। हमें यह भी पता नहीं था कि 10-10 लाख रुपये के कम्प्यूटर लैब आप हर स्कूल में खोल देंगे। तो पायलट साहब, ऐसा कर दें, आप पर बहुत नजर है राजस्थान के गरीबों की, राजस्थान के किसानों की, राजस्थान के मजदूरों की, हमें विश्वास है कि आप ऐसा कुछ कर जाएंगे, जो लाहोटी साहब, आप बोल नहीं पाओगे। इस नेता की कार्यशैली का हमें पता है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं और एक मेरे इलाके की मांग रखता हूं। पायलट साहब, मेरा मगरा क्षेत्र है। आदरणीय सभापति महोदय, जो आदिवासी

(श्री राकेश पारीक)

इलाके में आपने पंचायती राज की जनसंख्या रखी है, वही जनसंख्या मेरे मगरा की 15 पंचायतों के अन्दर रखें तो मेरे ज्यादा पंचायतें बन सकती हैं।

इस सदन के मार्फत मैं एक मांग यह भी करूंगा कि पायलट साहब, पंचायती समिति के वार्डों का भी पुनर्गठन किया जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब-जब राज में आती है तो ये कुछ न कुछ खुराफात करती है। इन्होंने पंचायत की इकाइयों को हटाकर और कहां जीत सकते हैं यह गुणा-भाग लगाते हैं तो मैं सदन में आपसे मांग करता हूं कि मेरे यहां पर पंचायती राज के पंचायत समिति के वार्डों का भी पुनर्गठन किया जाए।

मैं आपसे कहूंगा, लोक निर्माण विभाग आपके पास है। मेरे ब्यावर, मसूदा, भिनाय और नागोला एक मेगा हाई-वे बनाया जाए और एक मेगा हाई-वे ब्यावर, विजयनगर और नागोला मिला दें तो जोधपुर से कोटा तक का सीधा रास्ता हो जाएगा। यह मैं सदन में, आदरणीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से मांग करता हूं।

मैं मांग करता हूं, मेरा अजमेर जिला, अजमेर का डाक-बंगला, इतनी अच्छी जगह है, उसके रख-रखाव, साफ-सफाई की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। किशनगढ़ में बहुत बड़ा डाकबंगला और मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में बरल में और बांदनवाड़ा में डाक-बंगला है, आदरणीय सभापति महोदय, आपके मार्फत उप मुख्य मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा कि मेरे इलाके के उन डाक-बंगलों की दशा सुधारी जाए, जिससे आने-जाने वाले, ये मेहमान हैं, मेवाड़ से आने वाले एम.एल.ए., मंत्री वहां पर रुक सकें और लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिन्द, राम-राम, साहब।

श्री सभापति: इन्दिरा देवी। इन्दिरा देवी (अनुपस्थित)। पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19 एवं 28 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार एवं धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा में पी.डब्ल्यू.डी. के चार उपखंड आते हैं, बावड़ी, आसोप, भोपालगढ़ और पीपाड़। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह

(श्री पुखराज)

मांग करना चाहूंगा कि हमारे ये जो चार उपखंड हैं, इनका डिवीजन आफिस जोधपुर में है जो आसोप से लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि भोपालगढ़ मुख्यालय पर पीडब्ल्यू.डी. का अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोला जाए जिससे प्रभावी मानिटरिंग हो सके और जनता के जो कार्य हैं, वह समयबद्ध रूप से हो सकें।

भोपालगढ़ में जो डाक बंगला बना हुआ है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से विस्तार की मांग करता हूं ताकि भोपालगढ़ से जोधपुर की जो 80 किलोमीटर की दूरी है, कोई अधिकारी या नेता वहां पर रुक सके, ऐसी व्यवस्था हो।

दूसरा, मैं ग्रामीण विकास पर बात करना चाहूंगा। ग्रामीण विकास की जब बात आती है तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही है कि राजस्थान और हिन्दुस्तान, दोनों में 80 परसेंट ग्रामीण आबादी है तो यह हमारे प्रदेश और देश के विकास का आईना है। विकास का जो एक स्तर है वह ग्रामीण विकास पर ही टिका हुआ है और ग्रामीण विकास की जो धुरी है, वह सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास अधिकारी है।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो आज की तारीख में भी ग्रामीण विकास अधिकारी के 45 परसेंट पद खाली पड़े हैं और उन ग्रामीण विकास अधिकारियों के पास में चार-चार, पांच-पांच ग्राम पंचायतों का चार्ज है। एक ग्राम पंचायत में वह 15 से 20 दिन के बाद में आकर बैठते हैं। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, विकलांग, सब लोग घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं तो हम जो ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं, जब तक हम इन पदों को नहीं भरेंगे तब तक हम जो भी विकास की स्कीम लागू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वह हम प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो जल्दी से जल्दी ग्रामीण विकास अधिकारियों के पद भरें और जब तक पद नहीं भरे जाते तब तक जो कनिष्ठ सहायक हैं, जो उनके समकक्ष ग्रेड-पे के हैं और अनुभवी हैं उनको चार्ज दिया जाए ताकि ग्राम पंचायतों का जो कार्य है, जो भी सरकार अपनी योजना लागू करना चाहे वह समय पर लागू हो, लोगों को राहत मिले और कार्य हो।

दूसरा, नरेगा की हम बात कर रहे हैं। नरेगा के अंदर मैं यह कहना

(श्री पुखराज)

चाहूंगा कि इसको खेती से जोड़ा जाए। नरेगा के अंदर जो अभी खेती पर एस.सी., एस.टी. वर्ग के लोगों में कार्य हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि इससे सम्पूर्ण किसानों को जोड़ा जाए जिससे खेती की, चाहे मेड़बंदी हो, चाहे खेतों के अंदर पानी के टांके हो, उसका सभी किसानों को फायदा मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एक विशेष समस्या है। हालांकि, रोड की बात करने के लिए मना किया हुआ है लेकिन विशेष समस्या है इसलिए मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ मुख्यालय पर जो भोपालगढ़ गांव के अंदर जो सड़क है, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। उस सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिससे सम्पूर्ण पूरा गांव परेशान है और इस वजह से सड़क के ऊपर खड्डे हो गये हैं, गंदा पानी भर जाता है और जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक ग्राम पंचायत भी नालियों में निकासी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है इसलिए मेरा आपसे यह विशेष निवेदन है कि उस रोड को तुरंत प्रभाव से जो भोपालगढ़ गांव के अंदर है, उसकी रिपेयर की जाए या नई बनाई जाए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज हाउस में मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। इस विकास में जो सबसे बड़ी धुरी होती है, सबसे बड़ा जो काम, सबसे बड़ा जो रोल होता है, वह ग्राम पंचायत का होता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतें मजबूत हों, ग्राम पंचायत को विशेष छूट हो, उनको विशेष अधिकार हो, तब जाकर हम गांवों का विकास कर सकते हैं। वर्तमान में नरेगा के माध्यम से बहुत सारे विकास कार्य वास्तव में गांवों में हो रहे हैं। नरेगा के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है और उसी वजह से आज लोगों को जो ग्रेवल सड़क, कच्चे रास्ते जो बनने चाहिए थे, वह वास्तव में नरेगा के माध्यम से आज बने हैं।

वर्तमान में चूंकि, कच्चा और पक्का जो काम है, पक्के काम के लिए पूर्व में भी, आज प्रश्न भी था। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं, लंबे समय से उसका पैसा नहीं आ रहा है। चूंकि, सरपंच भी एक, बार-बार उनके

(श्री नरेन्द्र नागर)

मन में इस प्रकार से है कि हमारे छह महीने रह गये और छह महीने हम किस प्रकार से रहें, जहां तक इसका समायोजन हो जाए ताकि पीछे आने वाले समय में उसको दिक्कत नहीं हो पर पक्के काम के माध्यम से भी बहुत से काम ऐसे हुए हैं, जिनको नरेगा गौरव-पथ से भी, बहुत से गांव की सड़कें बनी हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम पांच गांव तो ऐसे हैं जो केवल नरेगा की इंटरलोकिंग सड़क से जुड़े हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छा काम है। इस बात के लिए भी मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि आपने नरेगा पर विशेष रूप से ध्यान दिया। जब से आपके पास पंचायती राज आया, जब से आपने, अभी और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, आपने यह प्रयास किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगें, इसके लिए आपने विशेष अभियान भी चलाया है ताकि ज्यादा काम होगा तो पक्के काम के लिए भी ज्यादा पैसा सरकार से आएगा, इस प्रकार का प्रयास हो।

इस मौके पर आज मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने वाहवाही के लिए इसमें जो शिक्षा की बाध्यता थी, वह कम की है। निश्चित रूप से शिक्षा की बाध्यता खतम करने के बाद स्थिति यह होती है कि हम गांव से आते हैं, कोई भी सरपंच जो बनता है, उसका भाई, उसका कोई देवर, उसका ससुर सब मिलकर ग्राम पंचायत को चलाते हैं और ऐसे-ऐसे अवसर भी हमने देखे हैं कि वास्तव में शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होने की वजह से बहुत से सरपंचों को तो पता भी नहीं रहता है कि मेरे सैक्रेटरी ने कहां पर साइन करवाये हैं? वास्तव में क्या काम है? तो पिछली सरकार ने जो किया था, दिक्कत जरूर आई थी, बहुत से सरपंच जेल भी गये थे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट्स लगाई थीं। जो गलत किया तो निश्चित रूप से जाना भी चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यह भी सही है कि सबसे नीचे की जो पंचायत है और आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, हमारे लिए यह अनिवार्यता नहीं है शिक्षा की तो उनके लिए अनिवार्यता क्यों हो? यह भी सही है पर अच्छा काम वास्तव में निश्चित रूप से हुआ था।

आज स्थिति यह भी है, मैं पंचायतों की पैरवी करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में बरसात में ऐसी स्थिति आती है कि उसको कहीं न कहीं, कोई रास्ता होता है या कहीं न कहीं कोई गांव वालों के कहने से उसको कुछ न कुछ पांच ट्राली, दस ट्राली ग्रेवल डलवाना पड़ता है।

(श्री नरेन्द्र नागर)

उप मुख्य मंत्री महोदय, आज ग्रेवल के लिए सरपंच को परमिशन नहीं है, ग्रेवल वह नहीं डलवा सकता है जबकि बरसात में वास्तव में आवश्यकता होती है। कहीं पर रास्ता खराब हो जाता है तो उसको कुछ ग्रेवल डलवाना पड़ता है तो आप इसकी परमिशन दें। यह मानते हैं कि शायद सरपंच कहीं-कहीं ग्रेवल के नाम से कोई फर्जी भुगतान उठा लेते हैं, यह हो सकता है इनके मन में। इस प्रकार की परमिशन देनी चाहिए क्योंकि इसके लिये एम.एल.एज. के पास आते हैं कि हमें परमिशन दो। इस प्रकार की परमिशन वास्तव में दी जाए ताकि आराम से उन लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड की पूर्ति वह कर सके।

साथ ही पंचायती राज में जो मस्टररोल जारी होते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि सरपंच और ग्राम सेवक के बिना भी मस्टररोल जारी हो जाती है और बहुत-सी जगह यह भी देखा है कि बाजार की मस्टररोलें, उप मुख्य मंत्री महोदय, बाजार से मस्टररोल खरीद लेता है और उसका भुगतान हो जाता है, यह बहुत चिन्ता का विषय है जबकि मस्टररोल पंचायत समिति से जारी होना चाहिए। मेरे यहां खानपुर में बहुत सारा काम, जो लाखों रुपये का काम हुआ है, बाजार से मस्टररोलें जारी हुईं, उसका भी पेमेंट हो गया। सभापति महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। इसमें वास्तव में बहुत बड़ा गबन हुआ। इसके लिये मैंने पूर्व में बात भी रखी, पिछली सरकार में भी रखी थी और इस प्रकार से इसके लिये वास्तव में कोई नियम बनना चाहिए कि इसकी मस्टर रोल समय पर जारी हो और इस प्रकार विशेष रूप से मैंने यह भी देखा कि मेट जो काम करते हैं, मेटों में इस प्रकार की स्थिति है कि मेटों में भी आप तय करें कि अपन ने इतने मेटों को लगा रखा है तो उनको पर्याप्त समय, पार्ट टाइम के हिसाब से समय मिले, 15 दिन इसको, 15 दिन उसको। मेट में भी एक परमानेंट मेट चलता रहता है, दूसरे मेट को अवसर नहीं मिलता है और फिर वह प्रयास करता है, इससे कहीं-कहीं भ्रष्टाचार बढ़ता है। वह कहता है मेरे से पैसे लेकर, वह मेट बनने का प्रयास करता है तो कहीं न कहीं इसमें भी निश्चित रूप से पारदर्शिता हो, ताकि जिनका भी मेट में चयन हुआ है, उसका निश्चित रूप से उनको लाभ मिले।

केन्द्र सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना बहुत बड़ी है, जिसका लाभ वास्तव में गांवों के लोगों को मिल रहा है। सभापति महोदय, इसमें ग्राम

(श्री नरेन्द्र नागर)

पंचायत का केवल इतना रोल रहता है कि जब उसका नम्बर आता है तो ग्राम पंचायत उसको यह तय करती है कि इसका पहले से कोई पक्का मकान तो नहीं है या जब इसका नाम था उस समय कच्चा था, उसके बाद तो इसने पक्का मकान तो नहीं बना लिया। सभापति महोदय, स्थिति यह है कि सरपंच के जो मिलने वाले होते हैं, उनके लिये तो वह सरपंच लिखता नहीं है कि इसके पक्का मकान है। वह कह देता है हां, कच्चा मकान है तो उसके तो बन जाता है और जो उसका मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में हर आदमी उसको इस नजरिये से देखता है कि यह मेरे साथ रहा चुनाव में, पांच-पांच आदमी, दस-दस आदमी सरपंच के चुनाव में खड़े होते हैं तो इस नजरिये से देखता है तो उप मुख्य मंत्री महोदय, यह तय हो कि किसी का कच्चा मकान होते हुए भी किसी का पक्का लिख दिया तो उस पर कार्यवाही हो या पक्का होते हुए कच्चा लिख दिया तो विशेष रूप से उस सैक्रेटरी पर कार्यवाही हो। सैक्रेटरी की जगह, अभी पूर्व माननीय सदस्य बता रहे थे कि ग्राम सेवक को अपन ने ग्रामीण विकास अधिकारी का दर्जा दिया है तो माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, वास्तव में वर्तमान में 50 प्रतिशत के लगभग पोस्टें खाली हैं। कहीं-कहीं 50 की जगह 70 परसेंट भी हो सकते हैं। इसके लिये बहुत-सा काम सफर हो रहा है, क्योंकि वह संभाल नहीं पा रहे और जब काम पर वह नहीं पहुंचता तो आज कल तो हर आदमी, हर ठेकेदार यह सोचता है कि आज दिन भर नहीं आया तो जितना उसमें धूला भरना हो, वह दिन में भर लेता है तो वह ज्यादा से ज्यादा काम संभाल सके। पहले एल.डी.सी. काम करते थे, आप उचित समझें तो कहीं-कहीं जो एल.डी.सी. काम कर रहे थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको वर्तमान में लगाया, उनको भी इस प्रकार का काम दे सकते हैं ताकि अपन अच्छा काम करा सकें। इस प्रकार का प्रयास आपका होना चाहिए।

साथ ही नरेगा के माध्यम से पूर्व सरकार के द्वारा गांवों में, क्योंकि जो नगरपालिका क्षेत्र होता है, सभापति महोदय, उनमें तो साफ-सफाई के लिये सरकारी कर्मचारी होते हैं, पर गांवों में सरकारी कर्मचारी नहीं होते। अब मैं मानता हूं कि आज गांवों की अच्छी स्थिति होगी, चाहे वह पंचायती राज के माध्यम से इंटरलाकिंग फर्स्ट क्लास लगी, पूर्व सरकार के द्वारा गौरव पथ बन गये तो अच्छा काम हो गया। साफ-सफाई के लिये पिछली सरकार के द्वारा

(श्री नरेन्द्र नागर)

मुख्य मंत्री स्वच्छता अभियान, पैसा चला गया नरेगा से, दो-दो, तीन-तीन कर्मचारियों को लगाकर ताकि उनको भी रोजगार मिल जाए और गांवों की सफाई भी नियमित हो, ताकि शहर की तरह वास्तव में गांव लगने लग जाएं। यह चल भी रहा है तो आपसे निवेदन है माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, कि इस प्रकार अपन चलाएं ताकि वास्तव में गांवों की स्थिति अच्छी हो सके।

इसके साथ ही माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, डांग मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। डांग में हमेशा ही अच्छी राशि बजट में आया करती थी। हर ग्राम पंचायत को 15 से 20-25 लाख रुपये पर-ईयर मिलते थे, ताकि उस गांव का, उस पंचायत का विकास हो सके। इस बार मुश्किल से दो लाख रुपये पंचायत के हिसाब से मिले हैं उप मुख्य मंत्री महोदय, वह बहुत कम है। पिछले लगातार पांच-सात साल से अच्छी राशि मिल रही थी, इसलिये गांवों का अच्छा विकास हो रहा था। पता नहीं, कैसे इस बार कम पैसा मिला, पर इसमें अपन और पैसा दिलाने का प्रयास करें।

इसके साथ ही, पूर्व मुख्य मंत्री महोदया द्वारा, पूर्व सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन में बहुतसी पंचायतों के द्वारा भी काम किये गये थे। उनसे बहुत सारा लाभ वास्तव में मिला था। आज पानी रुका है तो वाटर लेवल निश्चित रूप से बढ़ा है। इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये थे। वर्तमान सरकार ने इसका नाम चेंज करके इस योजना को चालू रखा है तो इस योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बहुतसे पूर्व माननीय सदस्यों ने यहां सदन में कहा कि इसको अपन कहीं न कहीं किसानी से जोड़ें। दिक्कत यह आती है उप मुख्य मंत्री महोदय, कि गांवों में जहां नरेगा का काम चल रहा है, वहां मजदूर नहीं मिलते और मजदूर नहीं मिलने के कारण मध्यम दर्जे के जो किसान होते हैं, उनको मजदूर नहीं मिलते। उनकी फसल काटने वाला भी कोई नहीं मिलता। आज यह मानो कि मशीनरी युग है, मशीन से कहीं न कहीं खेती कर पाते हैं, नहीं तो अपन खेती भी नहीं कर पाते, क्योंकि वह सारी लेबर नरेगा में चली जाती है तो इससे नरेगा को भी जोड़ें ताकि कुछ हिस्सा पहले उससे ले लिया जाए। वह मध्यम दर्जे का काश्तकार है, ताकि उसका काम भी सफर न हो और सामने वाला जो मजदूर है, उनको भी निश्चित रूप से नौकरी मिल सके, इस प्रकार का प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए।

(श्री नरेन्द्र नागर)

साथ ही पिछले कई वर्षों से पंचायत समिति की स्थिति मैं देख रहा हूं। जिस प्रकार से नियम-कानून ताक में रखकर पंचायत समिति में, चूंकि पंचायत समिति सदस्यों के पास तो कोई अधिकार होते नहीं हैं, उनको जो प्रधान होता है, वह भी पूछता नहीं है। कहीं-कहीं तो पूछता है जब राशि का एलोकेशन होता है जब वह उनसे पूछकर कर लेते हैं और उनकी कमेटियां बनी होती हैं, शिक्षा की कमेटी, प्रशासन स्थायी कमेटी, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, तो स्थिति वर्तमान में यह देखी जा रही है कि आज कोई भी पंचायत समिति में जो अपना सैक्रेटरी होता है, जो ग्रामीण विकास अधिकारी होता है, उसका ट्रांसफर भी बगैर समिति की कंसर्निंग के विकास अधिकारी कर देता है जो बहुत गलत है। उसको ट्रांसफर करने के लिये समिति की मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें तय होना चाहिए किनका ट्रांसफर करें पर उसके बिना भी आजकल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो लोकतंत्र में जिस प्रकार से तानाशाही अधिकारियों की हो रही है, उसको मैं कह सकता हूं इस प्रकार की तानाशाही चल रही है और इस बात के लिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं मैं विधायक हूं मैंने लगभग साल भर से मेरे विधायक कोष से पैसे दे रखे हैं। पानी के लिये पैसे दिये हैं, पानी का तो तुरन्त काम होना चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है तो लोगों को उसका लाभ मिल सके। पूरी गर्मी निकल गयी। साल-साल भर तक भी पंचायत समिति स्तर पर टेण्डर हुए पड़े हैं पर उसकी चिन्ता ही नहीं कर रहे हैं। साथ ही मीटिंग के लिये भी समय तय होता है। उप मुख्य मंत्री महोदय जी, हर तीन महीने में होनी चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं हर एक महीने में मीटिंग होनी चाहिए ताकि उसमें जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें और काम भी अच्छा हो सके। तीन-तीन, चार-चार महीने से हमारे एम.एल.ए. बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद केवल एक बार पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग हुई है, उसके बाद मीटिंग भी नहीं हुई। इसका भी तय होना चाहिए कि कौन मीटिंग नहीं बुला रहा है ताकि मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों पर अंकुश रहता है पर उससे विकास अधिकारी भी बचना चाहता है और अधिकारी भी बचना चाहते हैं और मीटिंग बुलाना ही नहीं चाहते। इसके लिये आप पाबन्द करें कि निश्चित रूप से मीटिंगें हों।

साथ ही, अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जो लोक निर्माण की चर्चा चल रही है, सर्किट

(श्री नरेन्द्र नागर)

हाउस नहीं है माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, क्योंकि उपखण्ड स्तर भी है, विधान सभा क्षेत्र भी वही है, पंचायत समिति है, पर वह इस प्रकार का बना हुआ है कि उसमें मुश्किल से दो-तीन रूम होंगे। उसका विस्तार हो, वह बड़ा हो, इस प्रकार का आप प्रयास करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। बिना टोके मैं बोला भी आपकी कृपा से ही, क्योंकि मेरा नम्बर निकल चुका था। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बाड़ी के अंदर काफी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें न्यायालय, एस डी एम कार्यालय भी है, तहसील भी है और डीवाई.एस.पी. का आफिस भी है। सभापति महोदय, यह काफी पुराने हैं। मुगलों के पीरियड की यह बिल्डिंगें बनी हुई हैं। काफी सरकारें आयीं, बीजेपी भी आ गयी, कांग्रेस भी आ गयी, पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज यह आफिस कितने पुराने भवनों में चल रहे हैं, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है।

सभापति महोदय, अधिकारियों के रहने के लिये वहां पर आवास नहीं है। अधिकारियों के रहने के लिये अभी तक अपन आवास नहीं बना पाये। सभापति महोदय, न वहां पर ऐसी कोई बिल्डिंग है, जो लोग गांवों से आते हैं, उनके बैठने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करायी जाए आफिसों में, कि जब गांव का आदमी आता है और परेशान होकर धूप में बैठा रहता है, बारिश आ गयी तो बारिश में बैठा रहता है। सभापति महोदय, उनके बैठने के लिये कोई बिल्डिंग बनायी जाए।

सभापति महोदय, अभी सामने से खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने 30 साल राज किया झालावाड़ में, एक डाक बंगला भी नहीं बनाया गया। वैसे तो ऐसे उदाहरण दे-देकर कि गुजरात माडल यों, झालावाड़ को ही देखो और झालावाड़ के लोग यहां आकर रोते हैं। झालावाड़ में पीने के लिए पानी नहीं है और मुख्य मंत्री जी कहती हैं हमने इतने उद्घाटन किये हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उद्घाटन इन्होंने फर्जी कागजों में कर दिये थे पहले। (व्यवधान) धौलपुर में तो है, धौलपुर वाले रोते कहां हैं, आप ही रो रहे हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, गहलोत सरकार में बाड़ी में एक डाक बंगला बनाया था पहले और उसकी बिल्डिंग भी करीबन-करीबन पूरी हो चुकी है और थोड़ी-बहुत बाउण्ड्री रह गयी है, वो अधूरा पड़ा है तो मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उस डाक बंगले को, कोई छोटा-मोटा खर्चा आयेगा आप इसको थोड़ा सा प्रोयोरिटी पर लेकर चालू करा दें।

सभापति महोदय, जो नये भवन बनाये जाएं वो एक ही जगह बनाये जाएं। यह नहीं कि एक किलोमीटर दूर तहसील बना दी, दो किलोमीटर दूर एस.डी.एम. कार्यालय बना दिया, डीवाई.एस.पी. का आफिस कहीं बना दिया, लोग बार-बार चक्कर लगाकर थक जाते हैं। आप जानते हैं अधिकारी कैसे हैं, कोई एस.डी.एम. के यहां भेज देगा, कोई तहसीलदार के यहां भेजेगा और थाने पर जाएं तो थाने वाला कहीं अलग थाने पर भेजेगा, कोई डीवाई.एस.पी. के कार्यालय भेज देगा या कोई चौकी पर भेज देगा तो कम से कम वो पास तो हों। अब वहां पर कोई साधन की व्यवस्था तो है नहीं कि साहब, वहां पर कोई टैम्पो चल रहे हों या कोई रिक्शा की व्यवस्था हो। तो जो गांव का आदमी आता है उनके पास साधन की व्यवस्था नहीं है तो, सभापति महोदय, आने-जाने के लिए परेशानी होती है तो अपन जो भी बिल्डिंग बनायें वो ध्यान में रखकर बनायें सारी बिल्डिंग और जो भी आफिस हैं वो एक साइड में और एक ही जगह बनाये जाएं, लोगों को आने-जाने के लिए साधन की व्यवस्था नहीं है, वो परेशानी नहीं आए।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने गांव-गांव में गौरव पथ बनाये थे और इन्होंने क्या कलाकारी खेली कि उन्होंने यह देख लिया कि जो बी.जे.पी. से हारे हुए लोग थे, प्रस्ताव हम लोगों से ले लिये कि आप बताओ कि गौरव पथ कहां-कहां बनवाने हैं और हमसे लैटर पैड पर लिखवाकर मंगा लिये और मंगाने के बाद में उन्होंने दिये अपनी इच्छा से और भूल से कुछ आ गये तो ठेकेदार इन्हीं के, तो उन ठेकेदारों से कह दिया कि आपको इन-इन गांवों में काम करना है, इन-इन ग्राम पंचायतों में काम करेंगे इनमें काम नहीं करेंगे तो सभापति महोदय, जिन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया पर हम इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जो भी गौरव पथ हैं, जिनके ये अधूरे काम पड़े हैं, सरकार की तरफ से कोई लैटर निकला है यह मैं कह नहीं सकता हूं कि किस तारीख को निकला है, कब निकला, मैंने अधिकारियों से बात करी तो वो ये ही कह रहे थे कि अभी गौरव पथ पर रोक

(श्री गिर्राज सिंह)

लगी है, तो मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने गौरव पथ की जो रोक लगा रखी है, आप जरा उसको हटाएं, उसको चालू कराया जाए।

सभापति महोदय, जो बी.पी.एल. की सूची है उसमें काफी लोग गलत जुड़े हुए हैं और जो बीपी.एल. लायक हैं उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोबारा सर्वे कराया जाए और इन लोगों को, गरीब लोगों को लाभ मिले।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना है, एक-एक किश्त जिन्होंने डाल दी है और उसके अलावा किसी की तो नींव भर कर ही रह गयी है, किसी की बाउण्ड्री रह गयी है और अभी उन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो मकान अधूरे पड़े हैं। सभापति महोदय, इसमें राशि बहुत कम है। आज की तारीख में एक बजरी का ट्रक ही करीबन एक लाख रुपये का आता है तो वो एक लाख, डेढ़ लाख रुपये आप दे रहे हैं उसमें से कुछ तो कमीशनखोर हैं जेई.एन., एई.एन., बी.डी.ओ. वगैरह, सरपंच, प्रधान, सबको मिलाकर 25-30 हजार तो वो ही खा जाते हैं, उसको तो टेण्डर कर लेते हैं कि तेरे को एक लाख देंगे। डेढ़ लाख मिल रहे हैं तो वो एक लाख में ही सौदा कर लेंगे, वो यह सोचेंगे कि इनसे कहां तक माथापच्ची करें, ठीक है जो मिल गया वो बहुत है। सभापति महोदय, राशि कम है और इन पर थोड़ी-सी सख्ती करने की जरूरत है। गरीब लोगों के अगर मकान बनाने के लिए पैसा जा रहा है अगर उसमें भी कमीशनखोरी होती है तो यह बहुत शर्म की बात है। ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों ने पहले घोटाले करे हैं उन लोगों पर अपन सख्ती से कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, हर ग्राम पंचायत पर एक अम्बेडकर भवन बनाया जाए। जब ब्याह-शादी होती है और बरसात होती है, कहीं भी गरीब लोगों के लिए रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है और गांव में कोई मैरिज होम तो बना नहीं है जो वो जाकर उस बारात को मैरिज होम में रोक दें तो कम से कम हर ग्राम पंचायत पर अपनी एक बिल्डिंग बनायी जाए।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों पर जो चरागाह भूमि या सिवायचक की भूमि है उन पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लोग खेतों को जोत रहे हैं, कृषि कर रहे हैं या वो कृषि लायक नहीं है तो भी वो कब्जा कर रहे हैं तो, सभापति महोदय, जो गांव की जमीन है उसमें वृक्षारोपण कराया जाए तो

(श्री गिर्राज सिंह)

उससे कम से कम यह तो रहेगा कि यह जमीन सरकार की है, लोग उस पर कब्जा तो नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाये जाएं जिससे कम से कम बच्चों की फिटनैस सही बनी रहे। हमारे उप मुख्य मंत्री जी की फिटनैस ठीक है, तो वो भी थोड़ा ध्यान दें कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी आपकी तरह ही फिट रहें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए पर करें क्या हमारे उप मुख्य मंत्री जी का ही डिपार्टमेंट है तो मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे बाद में कहीं वो पर्ची लगती है, कहीं नम्बर आता है वो नहीं आता है, पता ही नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, कह देते हैं रात के बारह बज जाएंगे, ग्यारह बजेंगे, एक बजेगा। सभापति महोदय, बाड़ी में बाजार के अन्दर से रोड है, आप उसका सर्वे करा लें, वहां हरदम जाम लगा रहता है। कोई दुर्घटना हो जाए या कोई गुण्डागर्दी करके लोग भाग जाते हैं तो वहां पर अगर पुलिस को निकलने के लिए कहा जाए तब तक वो गुण्डे और बदमाश लोग भाग जाते हैं। सभापति महोदय, जाम लगा रहता है, इसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप बाड़ी में एक रिंग रोड बनाएं और आप जाकर उसका उद्घाटन करें। बहुत जरूरत है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप बाड़ी में दो-तीन बार गये हैं, राहुल गांधी जी भी गये, जब भी लोगों ने आपसे यही डिमाण्ड की थी कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप बाड़ी के अन्दर पहले बाईपास की घोषणा करें।

सभापति महोदय, यही स्थिति हमारे यहां सैंपउ और बसई नवाब में है कि वहां पर हरदम जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां पर निकलने के लिए एक-एक, दो-दो घंटे लग जाते हैं, बाजार में हालात खराब है, जाम की स्थिति है तो एक, सभापति महोदय, यह कराया जाए।

सभापति महोदय, 1996 में पहले हमारे पूर्व मंत्री भरत सिंह जी भी थे, वो भी उस पुल पर जाकर होकर आये हैं और उनके संग पी.एस. साहब थे मेहता जी, वो भी बैठे हैं, इन्होंने काफी प्रयास किये, काफी मेहनत की, वो 1996 का पुल अभी तक अधूरा पड़ा है जो सोने के गुरजा वाला पुल है। 1996 के पुल को देखते हुए, अगर उस जमाने में पुल बना था और पुल अधूरा पड़ा है तो सभापति महोदय, कोई न कोई जरूरत थी। हमारे यहां से एम.पी. आने-

(श्री गिर्राज सिंह)

जाने के लिए उससे 70 किलोमीटर की दूरी बच रही है। सभापति महोदय, हमारे धौलपुर में, मुरैना में जो जाम की स्थिति लगी रहती है तो वो काफी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जायेगा। सभापति महोदय, एक वो पुल है और अब तो उसमें एम.पी. गवर्नमेंट से भी स्वीकृति आ गयी है, वन विभाग की भी स्वीकृति आ गयी है। सभापति महोदय, 1996 से लेकर अभी तक वो पुल अधूरा पड़ा है, पहले भी सरकार थी, जब भी हम लोगों ने काफी आवाज उठाई, तब तो यह कहते थे कि अभी एम.पी. गवर्नमेंट से परमिशन नहीं आयी है। सभापति महोदय, अब तो वो आ गयी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस बहुत गम्भीर समस्या को देखते हुए।

(18.00 बजे)

सभापति महोदय, जो सैंपऊ है, पार्वती नदी है वहां पर जब भी नदी आती है तब एक-दो आदमी की हर साल मृत्यु होती है। 2-3 साल पहले जब आई थी, तब तो उसमें 3-4 लोग बहकर के चले गए थे। एक जो सैंपऊ का पुल है, उसको भी बनाया जाए। एक हमारे यहां जो बसई नवाब है, यह यूपी बार्डर से लगता हुआ है। वहां काफी आना-जाना रहता है और रोड काफी सकड़ी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज ट्रैफिक के जो हालात हैं उसको देखते हुए उसे चौड़ी कराई जाए।

सभापति महोदय, वहां की जो रोडें अधूरी पड़ी हैं, आने-जाने में दिक्कत होती है। मेरे क्षेत्र की रोडें ऐसी हो रही हैं जिससे कि हर 2 साल में एक नई गाड़ी लेनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप मेरी उस रोड को बनाएं। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल चौधरी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण मांग है। गांव में जो 70 परसेंट जनता रहती है, उसके विकास की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। मैं उप मुख्य मंत्री जी से कहना

(श्री कन्हैया लाल)

चाहता हूं कि हर साल प्रति पंचायत 1 से 2 करोड़ रुपये देते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम अभी गांवों में जाकर देखें तो सीसी रोडों की गिट्टी निकली हुई मिलेगी। नालियां चोक मिलेंगी। कहीं भी जाएंगे तो कीचड़ ही भरा मिलेगा। कोई वहां समुचित विकास नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, उसमें मुख्य बिन्दु यही था कि किस तरह से पंचायती राज में भ्रष्टाचार मिटाया जाए। मनरेगा का सही ढंग से सदुपयोग हो, यही 2 मुख्य बिन्दु थे। मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर हमें समुचित विकास करना है तो गांव का जो सरपंच आज हम बनाते हैं, वह सरपंच नहीं बनकर एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा है। अभी 7 महीने चुनाव के बाकी हैं। गांवों में कम से कम 20 से 30 आदमी सरपंच बनने की लाइन में हैं। वे केवल यही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मैं सरपंच बनूं। अगर कहीं पर 3 हजार वोट हैं तो वह 300 या 400 वोटों में सरपंच बन जाता है। जब पैसा आता है तो उसका लगभग 30 परसेंट लेकर वह सारा काम छोड़ देता है। वह न तो कुछ जानता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सरपंच के पास बहुत सारी चीजे हैं, प्रधान मंत्री आवास से लेकर, शौचालय, नाली तथा गांव के विकास की और भी चीजें हैं। पूरी ग्राम सभा में यह डिसाइड हो कि क्या काम हमें करना है? क्या-क्या हमें योजना बनानी है और उसके बाद काम करें।

जो भी सिविल का काम हो, उसके लिए अलग से कोई लाइन, डिपार्टमेंट हो, जैसे मध्य प्रदेश में है, वहां पर पैसा सरपंच के माध्यम से ही जाता है, ग्राम पंचायत में आता है, परंतु काम कराने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियरों की हो। सिविल इंजीनियरों के लिए अलग से टेंडर होकर उसका समुचित उपयोग हो। 5 साल में इतना पैसा जाता है कि हमें कम से कम 25 साल तक उस गांव में लगाने की जरूरत ही नहीं रहे। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो जरूर इससे गांवों के विकास में सुविधा होगी।

सभापति महोदय, हम आज पंचायत समिति के सदस्य चुनते हैं। जिला परिषद् के सदस्य चुनते हैं। उनसे भी बात करें तो कोई भी पंचायत समिति का सदस्य बनना नहीं चाह रहा है। वह भी चाहता है कि मैं भी सरपंच बनूं। हर आदमी की एक ही मंशा है कि केवल सरपंच बनूं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति सदस्यों की भी मजबूती करें। ग्राम सभा के अंदर कोई भी डिसीजन हो तो उसकी भी भागीदारी रहे। जिला परिषद् की भी रहे।

(श्री कन्हैया लाल)

अगर ग्राम सभा हो तो दोनों बैठें। ग्राम का क्या विकास करना है और क्या योजना बनानी है, सब मिलकर बनाएं तो उनको भी लगेगा कि हमारी भी कोई भागीदारी है।

इसके साथ-साथ, अभी पंचायत समिति के लिए नरेन्द्र जी कह रहे थे कि कोई भी स्थाई समिति होती है, शिक्षा की समिति होती है, उनको कोई पावर नहीं होती है। जो भी वहां का बीडीओ होता है, ब्लाक डवलपमेंट आफिसर होता है, उसकी मर्जी आए वह ट्रांसफर करता है। मर्जी आए जो निकालता है। एक तरह से वहां का मुखिया वही रहता है। इससे जन प्रतिनिधियों को लगता है कि हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। कम से कम जो स्थाई समितियां हैं या जो भी समिति बनती है, उनके आधार पर निर्णय लें। उनकी बैठकें हों और उनके आधार पर ही डवलपमेंट हो। उसके आधार पर काम हो तो जन प्रतिनिधियों को लगेगा कि समस्या का सही समाधान हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार विराजें। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, टाफी खाकर के बोल रहे हैं।

श्री सभापति: दांतों में कोई प्रोब्लम है। कोई मेडिसिन चबा रहे हैं। आप बार-बार उनको टोकें नहीं।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सभी लोगों ने कहा है कि मनरेगा का खेती में काम हो। जब तक हम मनरेगा का सही उपयोग खेती में नहीं लेंगे, तब तक इसमें भ्रष्टाचार भी रहेगा। इसके पैसे का सही फायदा भी नहीं मिलेगा। मनरेगा में तारबंदी के साथ-साथ, निराई, गुड़ाई, कटाई सब चीजों के लिए आप यहां से प्रस्ताव बनाकर के भेजें। चूंकि यह केन्द्र सरकार का है, नियम वहां से बदलेंगे लेकिन आप यहां से इसका प्रपोजल बनाकर के केन्द्र सरकार को भिजवाएं और वहां जाकर के डिसेक्शन करें तो डेफिनेटली इससे हमारे किसानों का, मजदूरों का, सबका भला होगा। मनरेगा में अगर 150 दिन मिलते हैं तो 20 से 25 हजार हर साल उस किसान को, उस मजदूर को मिल

(श्री कन्हैया लाल)

जाएंगे तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। आप इस पर जरूर ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो जानवरों के लिए कह रहे थे कि हमारी गायें ले लो। हर ग्राम में, हर ग्राम पंचायत में चरागाह कम से कम 1 हजार से 2 हजार बीघा है। उस पर लगभग 10 परसेंट प्रभावशाली व्यक्ति, सिर्फ 10 परसेंट उस पर कब्जा करके बैठे हैं। उसमें आपको डिसीजन तो पूरी ताकत से लेना पड़ेगा। लेकिन उसको खाली कराने के लिए अगर 10 परसेंट व्यक्ति नाराज होते हैं और 90 परसेंट जनता का भला होता है तो वह करना चाहिए। उसकी मनरेगा में मेड़बंदी कराकर, खाई, फेंसिंग कराकर, उसी में कोई फार्म, पौंड टाइप में पानी की व्यवस्था करके अगर वहां गायों को रखें तो यह जितना खर्च होगा, यह उसी में निकल जाएगा। उससे सबसे बड़ा भला होगा। अगर कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश देकर पूरे राजस्थान में आप फोकस करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में भी आपकी 11 पंचायतें आती हैं। वहां पंचायत समिति में एक डाक बंगला है। काफी वर्षों से उस डाक बंगले में एक रुपया भी नहीं लगा। अगर उसमें 10, 20 लाख रुपये आप खर्च करेंगे तो जब भी आप वहां पंचायत समिति की मीटिंग में जाएंगे तो उसका भी बेनिफिट होगा।

सभापति महोदय, जिस तरह से हमारी पूर्व मुख्य मंत्री जी ने टोडारायसिंह में कालेज की घोषणा की और 7 करोड़ रुपये दिए। आज वह भवन बनकर के तैयार है। उसमें लगभग 500 बच्चे हैं जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहां न तो स्कूल के बच्चों की बैठने की जगह है और दोनों के लिए जगह कम पड़ रही है। 5-7 दिन पहले कालेज के बच्चों ने वहां पर रोड भी जाम किया था। उस नई बिल्डिंग में एक ही कमी है कि उसमें फर्नीचर आ जाए और लाइट की व्यवस्था हो जाए। उसकी लगभग 25 परसेंट बाउंड्रीवाल बची है। उसको भी आप देखें। उसका भी समय दें कि आप उद्घाटन कब करना चाहते हैं जिससे कि वह कालेज रेगुलर चालू हो।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमें भ्रष्टाचार कम करना है तो जहां सीसी रोडें बनती हैं उसके लिए एक नियम बना दें कि सीसी रोड की बजाय इंटरलाकिंग टाइल ही

(श्री कन्हैया लाल)

हो। वह कम से कम एक फैक्ट्री से बनकर के आएगी तो वह टैस्ट होकर के आएगी। उसकी और भी कोई जांच करनी हो तो एक टाइल को लेकर उसकी स्ट्रेंथ तो जांच कर सकते हैं। इंटरलाकिंग टाइल के लिए आप एक परमानेंट नियम बनाएं कि इससे ही बने, इससे भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश होगा।

सभापति महोदय, जो मेरे क्षेत्र के पुराने हास्पिटल हैं, उनकी बिल्डिंग्स जर्जर हो रही हैं। मालपुरा में जो कालेज है, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। मालपुरा का डाक बंगला बिलकुल जर्जर हो रहा है। इनमें भी अगर आप पैसा दें तो काफी बेनिफिट होगा।

इसके साथ ही उप मुख्य मंत्री जी, आपको कहना चाहता हूं कि कई छोटे-छोटे कस्बे हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं। जैसे मेरे यहां डिग्गी, लावा, पचेवर, लांबा हरिसिंह है। इनकी आबादी लगभग 8-9 हजार है। डिग्गी की आबादी तो लगभग 12 हजार है। श्रावण मास चालू हो गया तो वहां डिग्गी में 50 हजार आदमी पर डे जाते हैं लेकिन वहां सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां-जहां जिनकी आबादी 8-10 हजार से ज्यादा है, वहां पर जैसे नगरपालिका में आटो टिपर कचरा परिवहन करते हैं, वैसे ही इनमें खरीदने की आप व्यवस्था करें। राजस्थान में कहीं भी 10 हजार से ज्यादा की पापुलेशन है, उसकी नाली सफाई से लेकर के घर-घर कचरा कलेक्शन हो। साथ ही साथ वहां लाइट के लिए भी प्रोविजन रखें। रोड लाइट वगैरह, क्योंकि वहां पूरा मार्केट है, सारी चीजें हैं, इसमें भी ग्राम पंचायत आपके अंडर में आती है तो आप इसका पूरा प्रावधान करेंगे तो इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। आपने इस मांग संख्या 28 और 19 पर बोलने का मौका दिया, माननीय सभापति महोदय, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कुछ सुझाव पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए देना चाहता हूं। ग्रामीण विकास की कल्पना हम बिना सड़क के नहीं कर सकते। कितनी भी हम बातें कर लें अगर सड़कें हमारे गांवों तक नहीं पहुंचेंगी तो यह चर्चा हमारी सार्थक नहीं रहेगी। इसलिए हमारे सौभाग्य से

(श्री खुशवीरसिंह)

हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, दोनों ही विभाग आपके ही पास हैं, ग्रामीण विकास और विकास के लिए जो आवश्यकता है सड़क की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज मांग लोक निर्माण और पंचायती राज पर है। आज सड़कों की नहीं है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं सड़कों की बात यह कर रहा हूं कि उनके बिना ग्राम विकास अधूरा है।

श्री सभापति: सड़कों पर आज चर्चा है नहीं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): नहीं है चर्चा, लेकिन मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मात्र।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान से पंचायती राज की शुरूआत हुई थी और गांधीजी का सपना था और कल्पना थी ग्राम स्वराज लेकिन मैं पंचायती राज में बहुत नजदीक से रहा हूं प्रथम इकाई से प्रधान, जिला प्रमुख, इन पदों पर रहा हूं और जिला प्रमुख था तो कई राज्यों में हम गए भी थे। प्रधान था तब मैं इजरायल भी जाकर आया था, वहां पर भी जो व्यवस्थाएं थीं, वह हमने देखी हैं। महाराष्ट्र में, सिक्किम में, वहां जाकर देखा कि वहां का पंचायती राज कितना सशक्त और मजबूत है। केरल का पंचायती राज कितना सशक्त और मजबूत है और जिस प्रदेश से पंचायती राज की शुरूआत हुई थी वहां पर हमारा पंचायती राज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इसके बारे में हमें सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए, विकास में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है उस ओर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के काम चाहे टीएफसी, एसएफसी, चाहे अनटाइड फंड, अनटाइड फंड तो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, मैं जब जिला प्रमुख था और हमारे माननीय भरत सिंहजी और मालविया साहब मंत्री रहे हैं इस विभाग के और उन्होंने अनटाइड फंड के रूप में अलग से राशि दी थी, काफी पंचायतों के विकास के लिए निर्बंध राशि थी, कई बंधन थे, टीएफसी, एसएफसी में तो उन बंधनों को दूर करते हुए किया था लेकिन पिछली सरकार ने बंद कर दिया तो मैं चाहूंगा कि पंचायतों

(श्री खुशवीरसिंह)

के माध्यम से जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, ठेका प्रथा आने के बाद में पंचायतों के विकास कार्य ठप हो गए हैं। किसी पंचायत में मैंने ठेका ले लिया, मेरी इच्छा है तो काम करूंगा, नहीं इच्छा है तो मैं काम ही नहीं करूंगा, उसके विरुद्ध में कोई कार्यवाही कुछ नहीं होती है और वह पंचायत सफर करती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पूर्व पंचायतों के अंदर पंचायत का जो एस्टीमेट बनता है, एज पर बीएसआर बनता है एस्टीमेट, उसी एस्टीमेट के अनुरूप हमारी स्वीकृति होती है। पहले ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर सभी सामान खरीदतीं, उनके बिल होते, मार्केट वेल्यू होती और उसके आधार पर काम होते और उसके आधार पर पंचायतों को किसी तरह की किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं होती थी और तुरंत वह राशि लग जाती और विकास हो जाता लेकिन यह ठेका प्रथा आने के बाद में माननीय सभापति महोदय, पंचायतों का विकास पूर्णत: ठप हो गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था को ठीक करें और पूर्व की भांति ग्राम पंचायत, एक सरकारी एजेंसी है, चुनी हुई ग्राम पंचायत है ग्रामीणों द्वारा चुनी हुई है उन पर इतना विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए ठेका प्रथा समाप्त की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मगरा विकास के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं पिछली बार विधायक था और मैंने मांग की मगरा विकास बोर्ड की और पिछली सरकार में मगरा विकास बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरे क्षेत्र का कि पिछले दस वर्षों में आगे नहीं बढ़ पाई वह कहानी और मेरी छह ग्राम पंचायतें हैं जो पूर्ण रूप से मगरा में हैं और उन्हें अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इनमें ग्राम पंचायत जोजावर, ग्राम पंचायत पनौता, ग्राम पंचायत कोट सोलंकियान, ग्राम पंचायत मगर तालाब, ग्राम पंचायत बाघोन, ये पूर्ण रूप से मगरा में स्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायतों को भी मगरा बोर्ड में जोड़ा जाए ताकि अतिरिक्त कुछ राशि मिलकर वहां विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर पूर्व में किसी भी दल के माध्यम से चुनाव नहीं होते थे, जिस तरह आज भी पंचायत सरपंच का चुनाव होता है। इस बात को मैं सत्ता पक्ष से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि गौर से चिंतन करें इस बात

(श्री खुशवीरसिंह)

का कि आज भी सरपंच का चुनाव किसी राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद् के अंदर यह पार्टी आधारित चुनाव कर दिया है, इसे आज ही निर्णय लेकर समाप्त किया जाए। कम से कम इसको एक दलगत राजनीति से अलग रखा जाए ताकि सर्वांगीण विकास हो सके और किसी प्रकार की दखलंदाजी न रहे। गांधीजी का सपना तभी साकार होगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में सभी जिला प्रमुखों को, सभी प्रधानों को बिना भेदभाव वाहन उपलब्ध करवाए थे, मैं उसके लिए माननीय गहलोत साहब को और तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि बिना भेदभाव यह नहीं सोचा कि पहले हम जो हमारी पार्टी से जीते हैं उनको देंगे और बाद में दूसरों को देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लम्बे समय से जो अन्य विभाग से पंचायती राज में आसीन हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार की अपनी अलग से व्यवस्था कर रखी है। उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको तुरंत प्रभाव से, जो लम्बे समय से बैठे हैं और सब कुछ व्यवस्थाएं वही कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए चाहे अन्य विभाग से दूसरों को ले लिया जाए। आज ही मेरे पास शिकायत आई है जिला परिषद्, पाली की कि लम्बे समय से तकनीकी अधिकारी बैठे हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक एक्सईएन है, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, आज ही आदेश किया जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध में जो लम्बे समय से बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में कम्प्यूटर आपरेटर और रोजगार सहायक की भर्ती हुई थी। उस प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि जो कम्प्यूटर आपरेटर है, जहां जिस जिले में काम कर रहा है, वहां पर फार्म भर सकता है या अपनी एक चॉइस हो, यह मैंने सुझाव दिया था लेकिन अधिकारियों ने नहीं मानी और उन्होंने कर दिया कि पूरे राजस्थान में कहीं से भर सकता है। आपका अनुभव पाली जिले से है, आप पाली जिले में काम कर रहे हैं, आप चित्तौड़ जिले में काम कर रहे हो और आप पूरे राजस्थान से फार्म भर दो

(श्री खुशवीरसिंह)

और उन्होंने पूरे राजस्थान में जाकर अपने फार्म जमा करवा दिए, इसकी वजह से यह हुआ कि उनको छांटने में इतना वक्त लगा कि इतने में लोग न्यायालय में चले गए। मैं चाहूंगा कि वह भी अभी लंबित है, उनके अनुभव के दस, बीस और तीस नम्बर प्रतिवर्ष के जुड़ने थे। इसकी प्रक्रिया बाद में प्रारम्भ हुई, पिछले पांच साल में, पिछली सरकार ने उनको मात्र गोलियां दीं और कुछ नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब जिला प्रमुख था उस वक्त विद्यार्थी मित्र मेरे वहां भागकर आए जिला परिषद् कार्यालय में, बहुत बड़ा कार्यालय मैंने बनवाया था, कोई तो लंगड़ा रहा था, किसी के हाथ के लगी थी, किसी के सिर पर लगी थी। मैंने सोचा कि इतने लोग एक साथ आए हैं, कोई दुर्घटना बड़ी हो गई है, कहीं कोई बस की बस पलट गई है। माननीय सभापति महोदय, मैंने पूछा उनसे कि क्या हो गया, उन्होंने कहा कि हम विद्यार्थी मित्र हैं, हमने बहुत नारे लगाए 2014 में, मैं नाम नहीं ले सकता हूं किसके नारे लगाए, आज हम जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने गए तो पुलिस ने हमारे पर डंडे बरसाए। उन विद्यार्थी मित्रों के साथ में पिछली सरकार ने जो किया है, उन कम्प्यूटर आपरेटरों के साथ किया, उन हमारे रोजगार सहायकों के साथ किया, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपा करके जो शेष रह गए हैं उन्हें माननीय कल्ला साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वह शीघ्र निर्णय लेकर उनको नौकरी देने का आदेश कराएं। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री रूपा राम (मकराना)।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। आज माननीय सभापति महोदय कह दें बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा। ज्यादा सामान है नहीं मेरे पास बोलने के लिये। सदन में बोलना है सिर्फ बोलने के लिये, आये हैं मुंह खोलने के लिये, होता वो नहीं जो होना चाहिए। विकास पर है- दीमक लकड़ी को, जंग लोहे को, जहरीली व मिलावटी वस्तु मानव जीवन को, घमंड मान-सम्मान को, असत्य विश्वास को और भ्रष्टाचार विकास को खा जाता है। मैंने सबसे पहले विधान सभा में जब आपके सामने दो बातें कहीं थीं तो मेरी सोच यही थी। मैंने राजनीति को इसीलिये अपनाया। मैं बीस साल बाद में आया हूं।

(श्री रूपा राम)

मैंने कहा, इस जमाने से जाने से पहले रूपाराम कुछ तो ऐसा कर जा कि तेरी आत्मा को शांति हो। मैंने कहा जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो पूछेगा, रूपाराम, तूने क्या किया, क्या करके आया है? हे प्रभु, जो गीता, रामायण, कुरआन में तूने लिखा, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चला हूं, संविधान में जो तूने कहा, वही किया है। लेकिन मेरे दाता हमारी संख्या कम थी, इसलिये मैं वह नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। मैं इस राजनीति को स्वर्ग का मार्ग, यज्ञ, तपस्या मानता हूं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं हम सब एक दिन चले जाएंगे, इसलिये विकास पर मैं इतना ही बोलूंगा कि गांवों में जो विकास हो रहा है सड़कों के नाम पर, ट्यूबवैल के नाम पर, हमारी सरकार, माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी, मैं सभापति जी के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, जो भी विकास हो, वह दीर्घकालीन हो, टिकाऊ हो। सड़क बने, लंबी चले। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं। हमारे प्रशंसक और समर्थक आते हैं और कहते हैं साहब, ट्यूबवैल खुदा दें, चाहे ट्यूबवैल में पानी हो या न हो। अब अधिकारियों की सोच है कि चलो अपना हिस्सा तो फाइनल है।

मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अब इतना कमीशन खुला होने लग गया कि अधिकारी डरते ही नहीं हैं। जिस तरह पहले कोई छोटा-मोटा छिड़काव करते थे और मच्छर-मक्खियां मर जाते थे, आजकल जैसे मक्खी और मच्छर मरते नहीं हैं, वैसे ही अधिकारी डरते नहीं हैं। कमीशन कहां-कहां तक पहुंच गया है। इसकी जांच करवाएं न। आपकी पार्टी के लोग जिन्हें मैं पसंद करता हूं, मुझे अच्छे लगते थे राजीव जी गांधी। उन्होंने कहा है, एक रुपये में से 85 पैसा तो इधर-उधर चला जाता है, 15 पैसा ही पहुंच पाता है।

मैं सदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गांव में जाते हैं अधिकारी जब हमारा कहना नहीं मानते तो दु:ख होता है। उस पर मैंने दो लाइनें लिखी हैं-

तेरे जख्म देने से हैरान नहीं मैं,
गम इस बात का है कि इलाज के नाम पर सदन में जो दर्द जीया जाता है,
वह सहने लायक नहीं रह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सदन को पवित्र माना है। मैंने सदन

(श्री रूपा राम)

को पवित्र माना है, मैं शामिल हूं। इसमें साधु संत, ऋषि-मुनि, ज्ञानी, दानी, तपस्वियों से भी महान एक राजनीतिज्ञ का जीवन है। जाने के बाद में जब नजदीक जाएंगे पिता-परमेश्वर के पास तो हमारा अंत समय रहेगा, पड़ौसी पास आकर बैठ जाएंगे, हमारे मुंह से अनायास ही यह निकलेगा, हम भगवान से कहेंगे-

करम की गठरी सर पर धरके,

अब आने की तैयारी है,

मैंने मेरे मन की कर ली,

अब दाता थारी बारी है।

मैंने ईमानदारी और बेईमानी के बारे में फर्क किया है। मैं मरा तो नहीं, इसलिये मुझे मरने का अनुभव नहीं है, लेकिन जो अच्छे और सच्चे मरेंगे, जो अच्छा सोचेगा कि खुश हूं मैं बेटा आराम सूं रीजो, मंगळ्या रे, दूळ्या रे, फलाणां रे, अत्तो बी मैं मांगू तो समझना काको स्वर्ग में जावे है और काको जाबाऊं पेली, बारे-बारे करे तो समझ लीजो खोटा करम बी के काम में आवे हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज। मैंने लिखा है-

तेरी फितरत है गरीबों का हक खाकर मुस्कराने की,

फिक्र नहीं जरा भी तुझे इस जमाने की,

क्यों आदत पड़ गयी तेरी सच से टकराने की,

तय है तेरे मालिक के घर सज़ा,

बस इंतजार कर उस घड़ी के आने की।

माननीय सभापति महोदय, मैं मकराना की समस्या के बारे में इतना ही बता देता हूं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, बहुत ही आसान चीज है। हम जब सीसी सड़क बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा था, यह कौन-सी सीमेंट लाते हैं कि तीन साल की गारंटी। हमें पता है बच्चे-बच्चे को, आप मुझे उस सड़क का ठेका दीजिए, 25 साल मैं जीऊं, तब तक भी वह टूटने वाली नहीं है। हमारे मकराना में मैंने पहले भी कहा है, एक सड़क बनी है बोरावड़ रोड पर अग्रवाल पैट्रोल पंप के सामने, उस समय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे हरेन्द्र जी मिर्धा। साहब, उस सड़क को 22 साल हो गये, बरसात में भरी रहती है, टूटती नहीं है। एक तो आपके पास अधिकार है। सड़क अगर किसी अधिकारी की

(श्री रूपा राम)

वजह से टूटे तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। सड़क बनने-टूटने का इंतजार इसलिये करते हैं कि रिपेयर में पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। उसका हिसाब-किताब ही नहीं है। आज सीमेंट की सड़क की तीन साल की गारंटी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज सड़कों पर चर्चा नहीं है।

श्री रूपा राम (मकराना): नहीं, वह गांवों में सड़क बनती है न पंचायत के थ्रू, मैंने उनके बारे में ही कहा है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप तो कलाकार हैं।

श्री रूपा राम (मकराना): हां तो कलाकार हूं तो रखें न 31 तारीख को एक शाम विधायकों के नाम। सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह पता है, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन यह भी पता है कि आप सदन की कार्यवाही को नियमों से चलाते हैं, इसलिये अगर मुझे बैठा देते हैं तो मुझे दुख नहीं होता है। मकराना में हमारी सरकार की बनायी हुई कुछ सड़कें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छे कार्य किये लेकिन हम नहीं मानते और हमने भी किये, लेकिन आप नहीं मानते। मेरे कांग्रेस भाइयों का तो काम ही खैर, बजट पर बोलो, चाहे गजट पर बोलो, इनके बारे में जरूर बोलो।

आप कहते हैं कि आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तभी तो यहां बैठे हैं न। आप ही आना चाहते हैं तो कर लें। जो करोगे, वो तो भरोगे। क्या झूठ है इसमें? यह बात मुझे बड़ा दु:ख देती है। माननीय सदस्य, हम बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, तो बोल ही तो रहे हैं। और है क्या हमारे पास बोलने को। हमारी एक बात और सुन लें माननीय सभापति महोदय, कुछ लोगों ने गलती की होगी, हमें सज़ा क्यों दे रहे हैं? खावे सूर, ठुकीजे पाड़ा, रूपला बापड़ा कांई करे, पड़ गया आड़ा। इसका भी ध्यान रखें न, किसने कितना खाया, आपको भी पता है। हमारे जैसे नये आये लोगों को तो आप रिलीफ दीजिए प्लीज। हम प्रजातंत्र के सच्चे सिपाही हैं, अगर हमारी जनता की आवाज या हमारे क्षेत्र के लोगों की आवाज को दबाओगे, सुख नहीं पाओगे, भगवान के घर जाओगे, जवाब न दे पाओगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, कैसा कुंभी पाक कलियुग आ गया है। संत जाट रूपा राम, अब आपकी क्या जरूरत है, सभापति महोदय, जब ये आ गये हैं।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। आज अख़बार में यह पढ़ा कि मकराना का जो मार्बल है, वह वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल हो गया। पूरे सदन को खुशी मनानी चाहिए और मैं रूपा राम जी को आज इसीलिये विशेष रूप से यह इजाजत दे रहा हूं कि उन्हें बोलने का पूरा हक है सिवाय एक बात छोड़कर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आप इन्हें टोकिएगा मत।

श्री सभापति: आप विराजिए। चौमूं की तो बात ही नहीं है यहां पर। उस चौमूं की तो बिलकुल ही नहीं है। रूपा राम जी, बस एक ही सलाह है आपको तो कि जो मरने के अनुभव की बात आप कर रहे हैं, वह मत करिएगा आप।

श्री रूपा राम (मकराना): हां, बहुत कम लोगों को होता है वह अनुभव। मकराना क्षेत्र की एक समस्या, साहब मैंने मार्बल के बारे में बहुत पहले कहा है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, सदन मेरे लिये सर्वोपरि है, मैंने मकराना के मार्बल की जो क्वालिटी देखी, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। What a great whiteness!! What a good crystal in that marble!! Yeah, Yeah!! ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी जानता नहीं हूं, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं जानेंगे, यह परेशानी है। मैं एक बार अंग्रेजी बोल रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि तू जान-बूझकर गलत क्यों बोल रहा है? मैंने कहा अंग्रेजों का बदला लेने का सबसे बड़ा साधन है यह।

श्री सभापति: या तो मकराना का नाम अपने नाम के आगे से हटाएं या पूरे सदन को लड्डू खिलाएं।

श्री रूपा राम (मकराना): मेरे मकराना क्षेत्र में लगभग 40 डब्ल्यूबीएम की सड़कें बनी हैं,...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): कस्यो कंजूस आदमी है, लाड्डू को नाम लेता ही बोलबो चालू कर दियो मांग पै।

श्री सभापति: आपने सुना नहीं क्या? या तो रूपा राम मकराना जो नाम लगाते हैं, या तो मकराना का नाम आप हटाएं या पूरे सदन को लड्डू खिलाएं।

श्री रूपा राम (मकराना): मेरा पूरा नाम गणित में लिखा जाता है, 241214 लिखोगे तो रूपाराम आ जाएगा। 241214, रूपाराम। मैंने कहा, कम

(श्री रूपा राम)

पड़ रहे तो मैंने लिखा 2412144613, रूपाराम पठाउ है यह पूरा नाम। मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप मूड में हैं लेकिन मुझे समय का ध्यान रहता है। मकराना के क्षेत्र में हमारी सरकार ने डब्ल्यूबीएम की सड़कें बनाईं। मैंने ए.ईएन. साहब से पूछा कि ये सड़कें हैं क्या? ये सड़कें हैं या ग्रामीण लोगों की निकलने वाली रड़कें हैं? कंकरी है, बजरी है और मिट्टी है तो उसको कब तक जमा कर आप रखोगे और शायद 18-20 लाख प्रति किलोमीटर की है एक सड़क। वो सड़क बनने के बाद में डामर मिलना निश्चित नहीं है, डामर की कोई सड़क नहीं है। सभापति महोदय, ये 40 सड़कें हैं, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से हमारे उप मुख्य मंत्री जी से कि आप इन सड़कों पर डामर की व्यवस्था करा दीजिये वर्ना यह 18 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सड़कें 18 रुपये का भी कार्य नहीं करेंगी, 5-6 महीने में उखड़कर रास्ते पर चलने वालों को और परेशानी दे देगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि दीर्घकालीन सुविधा या दीर्घकालीन विकास की बात करें। इसी आशा के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत। (व्यवधान)

श्री रूपा राम (मकराना): मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं तो देने में विश्वास करता हूं। सुनो, एक जाट को बार-बार कहा गया, चार-पांच लोगों ने कहा कि यह गाय गलत बंध रही है, भैंस गलत बंध रही है, पंचायत के सब लोगों ने कह दिया कि यह भैंस गलत बंध रही है, यहां रास्ते से हटा ले। उसने कहा, सब जानता हूं तो फिर, फिर क्या है, भैंस यहीं बंधेगी। मैं जानता हूं लड्डू खिलाने वाला लेकिन मैं कब खिलाऊंगा मुझे पता नहीं है। आपके कहने से जितना चाहो सदन को पूरा मेरी तरफ से आज के लिए लड्डू।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री रूपा राम (मकराना): क्या ले के आया बन्दे, क्या ले के जाएगा... यह मैंने लिखा था भाषण में, भूल गया मैं। (व्यवधान) अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा साहब। मैं फिर इनसानियत पर आऊं, यह लिखा है, एक-दो लाइनें हैं, बहुत अच्छे भजन हैं-

''कदै-कदै गादड़ां सूं सिंह हार जावे,
समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे,''

एक फिल्म का गीत है-

(श्री रूपा राम)

जमीं खा गई आसमां कैसे-कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे-कैसे,

लास्ट की लाइन यह है-

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उप मुख्य मंत्री जी को समर्पित कर रहे हो क्या ये दोनों चीजें आप?

श्री रूपा राम (मकराना): मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, अकेला पड़ जाऊंगा। एक आखिरी लाइन है साहब, जमाना हमारा भी है, जमाना औरों का भी आयेगा, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है:-

''वो कहां गये बलवान तीन बर धरती तौलणियां,

जिनकी पड़ती थी धाक, नहीं कोई सामां बोलणियां,

मीठा-मीठा बोलणियां फेर नहीं आयेगा,

दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला।''

मुझे सिर्फ 30 सैकण्ड दे दीजिये। 30 सैकण्ड मेरी तरफ से आप सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सब उस वक्त उस बात पर सहमत हैं, बहुत बड़ी दुख की बात है माननीय सभापति महोदय, हमारे होते हुए हमारे राजस्थान के साढ़े सात करोड़ लोग मिलावटी चीज खा रहे हैं, मर रहे हैं, पल-पल, क्षण-क्षण मर रहे हैं। वक्त आयेगा कि हम अपने आपको सम्भाल नहीं पायेंगे। आज मैं घर में सब्जी खाकर आया हूं। नाले की सब्जी पैदा हो रही है, किसानों को छोड़कर, किसानों के लिए एक बहुत समस्या है कि उनको खाद देना पड़ता है लेकिन नकली चीजें, खाद्य और पेय में जो नकली चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई मजबूत कानून बना दीजिये। विदेशों में तो मिलावटी खाद्य चीजों पर मौत की सज़ा है इसलिए इतना कर दो ताकि जमाना याद रखेगा। हमारी वजह से कई गरीब मर रहे हैं....

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रूपा राम (मकराना): हम आर्गेनिक के नाम पर, हम भी जहर ही खा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मांग संख्या 19 और 28 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन विभागों के बारे में सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी जो मांगें हैं वे रखी हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

जो महानरेगा चल रहा है इस सम्बन्ध में मेरा अनुभव कहता है कि मनरेगा जब स्टार्ट किया तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होगा। मेरा यह मानना है कि यह योजना जो शुरू की उसका उद्देश्य यह था कि एक तो लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाए और इस राज्य में जहां विकास नहीं हुआ है वहां आसानी से विकास हो जाए। सभापति महोदय, इन्हीं बिन्दुओं के साथ मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे डूंगरपुर जिले में यह जो योजना चली, महानरेगा की बात करें तो वहां की जनता यह सोचती है कि आज साल भर पहले एक इन्सान ने यह कहा कि महानरेगा, मतलब जाएगा तो मरेगा। महानरेगा में जाएगा तो मरेगा। यह सोच क्यों आई? क्योंकि उस क्षेत्र में महानरेगा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। उस क्षेत्र में लोगों को 150 दिन दिये गये हैं लेकिन आज तक उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, आधा फर्जीवाड़ा चलता है, आधे मस्टररोल ऐसे ही भर जाते हैं, लोगों का अंगूठा लगाया जाता है और पैसे उठा लिये जाते हैं।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां की 30-40 परसेंट जनसंख्या रोजगार के लिए गुजरात जाती है। इस राज्य में इतनी बड़ी योजना रोजगार के लिए चल रही है फिर भी वे गुजरात पर निर्भर हैं। यह क्या कारण है, क्या वजह है? मैं यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत समिति पड़ती है उसकी दो पंचायतों में जांच हुई तो कई करोड़ों का घोटाला पाया गया। जो अधिकारी, बी.डी.ओ. बैठा है वह सचिव बनकर गया और पी.ई.ओ. बनकर बी.डी.ओ. का चार्ज लेकर बैठा हुआ है। जो उसके ऊपर का अधिकारी एईएन. बैठा है उसको चपरासी की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको चपरासी बना रखा है और उसने करोड़ों का घोटाला किया है। सभापति महोदय, एक ही पंचायत समिति में 15075 फर्जी जॉब कार्ड बने हैं। एक नाम के ही डबल-डबल 15075 फर्जी जॉब कार्ड बने हैं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि यह जो मामला है उसके बारे में उनको अवगत कराया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कठोर कार्यवाही की जाएगी लेकिन वहां पर अभी वर्तमान में जो विभागों के द्वारा छोटी-मोटी कार्यवाही ही हुई क्योंकि वहां के जो अधिकारी हैं उनको खौफ नहीं है। कहते हैं कि सैटलमेंट हो जाएगा, सैटलमेंट हो जाएगा, कौन कर लेगा? ऊपर वाला कर लेगा। पता नहीं ऊपर वाले को क्या देते हो और यह ऊपर

(श्री राजकुमार रोत)

वाला कौन है और ये ऊपर वाला कहां बैठता है क्योंकि, इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी उन अधिकारियों में खौफ नहीं है और जिला लेवल पर छोटी-मोटी कार्यवाही की गई। उसको यहां से हटाकर वहां रख दिया और उल्टा हुआ जो अधिकारी, कर्मचारी इसमें मामले में इंवोल्व नहीं थे, उनको हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया और जो मेन मुलजिम था, जिसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, वह आज वहीं बैठा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं और जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन पर विश्वास भी है और उम्मीद है कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही करेंगे और भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और दोषी को सज़ा दिलाएंगे।

अब आगे की कड़ी में, हमारा डूंगरपुर जिला हर मामले में फर्स्ट रहता है तो शौचालय, मतलब स्वच्छ भारत, शौचालय मुक्त 2017 में ही हो गया, डूंगरपुर जिला ओडीएफ हो चुका है और चार-पांच दिन तक न्यूज पेपर में चला, मीडिया में चला कि प्रधान मंत्री महोदय की जो मंशा थी, अनुसूचित जनजाति एरिये का पहला जिला ओडीएफ शौचालय मुक्त किया गया। लेकिन, धरातल पर कुछ नहीं है वहां। कुछ ही महीने पहले एक महिला शौचालय के लिए बाहर गई तो उसको सांप ने काटा और वह मर गई और जब जांच बैठी एक ग्राम पंचायत थी ग्रामडीहाड़ा तो उस ग्राम पंचायत ने शौचालय ही नहीं बनाए और ठेके पर दे रखा था और ठेकेदार ने सारे पैसे उठा लिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में जो योजना है। वह योजना अगर व्यवस्थित रूप में धरातल पर लागू हो जाए, उस योजना का लोगों को लाभ मिल जाए, तो जो गुजरात पलायन हो रहा है, जो बच्चे गिरवी रखने का मामला हो रहा है, वह कम से कम रुकेगा। मैं कई दिनों से अनुभव कर रहा हूं कि किसी की भैंस गुम गई, किसी की गाय के साथ यह हो गया, इतनी बड़ी कार्यवाही हो गई पर उस क्षेत्र में जो बच्चे गिरवी रखे जा रहे हैं, उसकी न्यूज रोज आ रही है कि वहां पर यह बच्चा मिला, ये मिला पर आज तक इस मामले में कार्यवाही नहीं हुई। इसके पीछे मेन वजह यह है कि सरकार की जो योजना है, वह वहां पर धरातल पर आज लागू नहीं है। लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण यह समस्या आ रही है।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र है। वहां अलग से विभाग भी बनाया गया है और विभाग नार्म्स के अनुसार वहां

(श्री राजकुमार रोत)

मानिटरिंग भी होती है लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था, जितना वहां डवलपमेंट होना चाहिए था, वहां नहीं हुआ है।

अब आगे की कड़ी में, नरेगा के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जैसे कि कई जगह हमारी डिमाण्ड आई कि राजस्व ग्राम में वहां पर सामुदायिक चौराहा होना चाहिए, स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है। मैं चाह रहा हूं कि नरेगा के माध्यम से स्कूलों की स्थिति, सामुदायिक चौराहा और वृक्षारोपण जैसे कार्य किये जाएं और विशेषकर खेल मैदान जैसे कार्य नरेगा के माध्यम से किए जाएं।

अब आगे की कड़ी में, जैसे कि डीएमएफटी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड ट्रस्ट, हमारा एरिया माइनिंग इलाका है, वहां से जो फंड इकट्ठा होता है और जो माइनिंग इलाका है, जिन ग्राम पंचायतों में आदिवासी लोग रहते हैं। वहां से जो फंड इकट्ठा होता है, वह फंड शहर में उपयोग किया जाता है तो मेरा यह कहना है कि जो फंड है, जिस माइनिंग इलाके से फंड इकट्ठा हो रहा है, उसी इलाके में उस फंड का उपयोग किया जाए और उसके माध्यम से विकास किया जाए।

सभापति महोदय, आज सड़कों पर तो चर्चा नहीं है, पर मैं यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि उस इलाके में जो सड़क बनती है, सड़क का निर्माण शुरू होता है और खतम हो जाता है, लेकिन निर्माण का बोर्ड नहीं लगा रहता है और जो अंग्रेजी बबूल है, सड़क के दोनों तरफ इतने गहरे हैं और वहां आये दिन मृत्यु होती है। आज तक सड़क के जो नार्म्स हैं, जो साइड पट्टी बननी चाहिए, जो गाइड स्टोन बनाना चाहिए, जो टर्निंग मोड़ बनाना चाहिए, वो आज तक नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं।

अब आगे की कड़ी में, पिछले ही दिनों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि आठ महीने पूर्व सड़क बनी, 1 करोड़ 64 लाख की सड़क बनी और टूट गई है। यह स्थिति है उस इलाके में, उसका कोई समाधान नहीं होगा। वहां शासन कौन चलाता है, जो ठेकेदार है, अब अधिकारी भी डरते हैं, क्योंकि ठेकेदार ऐसे बैठे हुए हैं। अब पता नहीं ऊपर वाले से बात करते हैं, ऊपर वाले कौन हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो विभाग है, यह मनरेगा योजना है, ये लोक निर्माण विभाग है, उस विभाग के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, उसके लिए या तो अलग से मानिटरिंग की जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, भौतिक सत्यापन किया जाए क्योंकि,

(श्री राजकुमार रोत)

नरेगा में कई ऐसे लोग हैं। आज उनको कागजों में पैसे मिल गये हैं एपीएल, बीपीएल आवास के, पता नहीं जियो टैगिंग भी कहां से कर लेते हैं। अभी सामने आया था कि 199 काम ऐसे हैं, जिनकी सेम रेट है और फोटो है, राजकुमार रोत की जगह का फोटो खींच लिया है और उधर पता नहीं रामलाल के नाम से भी वहीं फोटो लगा रहे हैं। मतलब एक ही साइट का फोटो 10-10 कामों में लगा हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार रही हो, पर इस मामले में खुलासा नहीं कर रही है और आज भी जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वे बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि यह सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, उस एरिया के साथ, जो आज तक होता आ रहा है और हम जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज डूंगरपुर-बांसवाड़ा के जो लोग हैं वे अलग ही महसूस करते हैं। यहां के कई नेता इधर-उधर गये होंगे, फील्ड में कई अधिकारी गये होंगे, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि उस इलाके में जो विकास होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं, हमें कुछ नया नहीं चाहिए, जो सरकार की योजना है वही धरातल पर व्यवस्थित लागू हो जानी चाहिए। वही हम डिमांड करते हैं, हमें नया कुछ नहीं चाहिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, वे ही धरातल पर लागू हो जानी चाहिए। पिछली सरकार में जल स्वावलंबन के कार्य चले, बहुत चले, करोड़ों के कार्य चले, मैंने भी देखा मतलब एक जेसीबी लगाई जाती है, दो घंटे में वह काम किया जाता है और उसका एस्टीमेट बन जाता है, उसकी सैंक्शन निकल जाती है लाखों में, मतलब 10 हजार का काम है और वहां दो-तीन लाख रुपये उठा लिए जाते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस इलाके में जो सिस्टम चल रहा है। उसको कहीं न कहीं और हमें इस विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे उम्मीद है, विश्वास है और आशा भी करते हैं कि जो सिस्टम है, कम से कम इन दो विभागों में तो सुधारेंगे, उस इलाके में।

श्री सभापति: बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अब आगे की कड़ी में, सभापति महोदय, आज लोक निर्माण विभाग में हमारा सीमराड़ा जो इलाका है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां से गुजरात के लिए दिन और रात गाड़ियां चलती हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

वहां गुजरात से जो लोग आते हैं, वहां ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है तो कम से कम वहां एक विश्राम गृह बनाया जाए।

अब आगे की कड़ी में, कई ऐसे विद्यालय हैं, जो टीएडी भी फंड देता है और निर्माण कार्य कराता है और कार्यकारी एजेंसी रहती है, पीडब्ल्यूडी रहती है तो जो चार साल पहले भवन बना है, वह आज बैठने की स्थिति में नहीं है।

आज हमारी जोतरी पंचायत समिति की बात करें, महीने भर पहले उद्घाटन हुआ उस पंचायत समिति का और पहली बारिश में ही उस पंचायत समिति में पानी टपक रहा है और करोड़ की पंचायत समिति बनी हुई है। कौन देखेगा इसको, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन इसका खुलासा करेगा? फिर लोग कहते हैं कि उधर आप लोग ऐसे करते हो, वैसे करते हो, क्योंकि यह सिस्टम है। आज तक जो सौतेला व्यवहार किया गया है इसी कारण आज वहां की जनता महसूस कर रही है और आज समझ चुकी है कि हमारे इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, इसीलिए उन लोगों का विश्वास उठ गया है। आज एक छोटा बच्चा, कई बार हमारे ऊपर आक्षेप लगते हैं कि आप लोग अलग राज्य की मांग करते हो, कई बार आक्षेप लगते हैं। आज एक पांच साल का बच्चा कहता है कि हमें अलग राज्य बनाना है। क्यों कहता है वो, क्योंकि सौतेला व्यवहार किया गया उस एरिये के साथ विकास के मामले में देखो, हर मामले में देखो, हर जगह सौतेला व्यवहार किया गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, अंत में यही कहना चाह रहा हूं हमें कुछ नहीं चाहिए। विभाग की जो योजनाएं हैं वे पूर्ण रूप से लागू हो जानी चाहिए और जो वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कम से कम आक्षेप लगना चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास भी ज्ञापन आए थे, जो पैरा-टीचर्स में लगे हुए हैं। आज पांच-दस हजार की नौकरी कर रहा है, उसका घर-बार जैसे वह संभाल रहा है, उसकी बीवी बच्चे पाल रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है और उनका अगर हम रोजगार छीनेंगे, तो वह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): कम से कम उन लोगों को राहत दी जाए और विद्यार्थी मित्र जो कई समय से सेवा दे रहे हैं, कई सेवाएं दी हैं, उनकी भी जो मांगें हैं, उनको बहाल किया जाए।

श्री सभापति: श्री हरीश चंद्र मीना।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): और व्यावसायिक शिक्षक अब बीजेपी शासनकाल में तीन साल तक उन लोगों से काम लिया गया। व्यावसायिक शिक्षक जो लगे थे, तीन साल से उन लोगों से काम लिया गया और अंत में उनको हटा दिया गया और आठ-आठ, नौ-नौ महीने हुए, उनको पेमेन्ट नहीं मिला है। लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, जयपुर की सड़कों पर भटक रहे हैं और कांग्रेस सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिमांड है, वो यह सरकार मानेगी, तो मैं भी यह उम्मीद करता हूं और मैं भी आशा करता हूं कि उनकी जो मांगें हैं, उनको मानी जाएं। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-19 एवं 28 पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, जैसा कि सर्वविदित है पंचायती राज की स्थापना भारत में राजस्थान से हुई थी। नेहरू जी के द्वारा 1959 में नागौर जिले में की गई थी और अभी मुझे लगता है कि उसको अंत करने का काम भी राजस्थान से हमारे सामने जो साथी बैठे हैं इनके हाथों द्वारा शुरू किया गया है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सच बोलना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आदरणीय दिलावर साहब, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। सर, पंचायती राज त्रिस्तरीय था जब बना था। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् और तीनों का मुख्य केन्द्र बिन्दु था ग्रामीण विकास की दिशा गांव से तय हो और गांव वाले खुद उसको लागू करे। पहले सरपंच का चुनाव होता था। गांव वाले पंच और सरपंच चुनते थे। वो मिलकर प्रधान चुनते थे और सरपंच वोट देकर जिला प्रमुख बनाते थे। हर जगह उनकी भागीदारी थी। यह करीब-करीब गैर राजनीतिक तौर पर इनके चुनाव होते थे। फिर यह व्यवस्था बदलने की क्या जरूरत पड़ी? व्यवस्था इसलिए बदली गयी कि गांव और ग्रामीण का विकास नहीं हो रहा था और इससे किसको फायदा था? कुछ लोग जो गांव के, ग्रामीण के और किसान विरोधी शक्तियां थीं, उनकी विचारधारा थी उन लोगों ने एक विधिवत तरीके से इसको खतम किया। उनका दोष भी नहीं है। वो तो विचाराधारा ही ऐसी थी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही मार दिया तो ये तो ग्रामीण विकास की क्या परवाह करेंगे। उनकी मजबूरी थी, उनकी सोच का यह प्रतीक था।

महोदय, आज आप देखिये जो ग्रामीण विकास जो गांव के विकास का सूत्रधार था आज वो भ्रष्टाचार का सूत्रधार हो गया है। यह कोई पार्टी की बात नहीं है। आज हर पंचायत में आप जाइये, हर कार्य में आप जाइये, तरह-तरह की शिकायतें मिलती हैं और जो अधिकारी हैं बीडीओ, विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं, मैं तो मेरे क्षेत्र की बता दूं उसकी शिक्षा है ढोर डाक्टर की। पढ़ाई की है ढोर डाक्टरी की और काम कर रहा है विकास का। जिसको उसकी ए, बी, सी, डी ही पता नहीं है वो विकास में क्यों लगाया जाता है? कम से कम कोई योग्यता तो हो, क्योंकि पूरे हमारे गांवों का विकास उसके हाथ में है तो वह आदमी योग्य तो हो। आज जो सरपंच जिसको जनता निर्वाचित करती है वह सैक्रेटरी की मेहरबानी पर है, वह उस बीडीओ की मेहरबानी पर है, वह एईएन की मेहरबानी पर है। विकास होगा कैसे? तो मैं यह चाहता हूं कि जिस भावना से इस कानून को बनाया गया है उसी भावना से इसको लागू किया जाये।

महोदय, अब आप विडम्बना देखिये। इस सदन के सदस्य बनने के लिए पात्रता क्या-क्या है। कोई अनपढ़ हो, कितने ही बच्चों का बाप हो, माननीय सदस्य बन जाता है। इससे भी बड़े सदन लोक सभा में भी यही स्थिति है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है पर बेचारा गांव का सरपंच बनना चाहे, पंच बनना चाहे तो इतना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, इतने से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर वह चीज अच्छी है तो हम पर भी लागू हो और वह बुरी है तो उन पर क्यों लागू होती है? इसका मैं पक्षधर हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार को, शिक्षा की अनिवार्यता तो इन्होंने खतम कर दी और यह बच्चों वाली भी खतम करें। यह शिक्षा के साथ होगी। इसकी राजनीति नहीं करें। यह शिक्षा के साथ अपने आप हो जायेगी और सबको समान रूप से मौका दिया जाये, इसका मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

सर, गांवों में जो विकास हो रहा है कुछ स्थानों पर मैं महसूस करता हूं कि पक्षपात हो रहा है, क्योंकि चुनाव जब राजनीतिक आधार पर होते हैं तो राजनीति के साथ-साथ धनबल और जातिवाद को भी बढ़ावा मिलता है। इसको किस रूप में करें, पक्ष और विपक्ष को साथ बैठकर इस पर चिन्ता करनी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

चाहिए क्योंकि विकास कभी राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए। विकास का उद्देश्य अलग होता है उसका इरादा अलग होता है। उसकी दिशा अलग होती है। हम लोगों को सबको क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम क्या नयी नीति बनाते हैं तो इसमें हमें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक-दूसरे में कमी निकालें। इसको मैं उचित नहीं मानता।

सर, जितने ग्रामीण क्षेत्र में काम होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी, उसको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी जन प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। किसी जमाने में सर, आप अनुभवी हैं आपको पता है कि गांवों में न्याय पंचायत भी होती थी। वो अधिकार थे वो धीरे-धीरे समाप्त हो गये। हमको इनको और मजबूत करना चाहिए। आदरणीय कटारिया साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा। आप अनेक बार गृह मंत्री रहे हैं। पूरी दुनिया में एक शब्द आता है कम्युनिटी पुलिसिंग। मतलब विकसित देशों में तो पुलिस भी स्थानीय लेवल पर ग्राम पंचायत के अण्डर में हैं। हम इस पंचायत को दे कुछ नहीं रहे हैं और जिम्मेदारी सब चीज की है। न्याय पंचायत आपने इनसे हटा दी। इनका क्या अधिकार है। ये तो मेहरबानी पर रहते हैं। अगर सरपंच को सफल होना है तो उसको बीडीओ को खुश करना पड़ेगा, प्रधान को खुश करना पड़ेगा, एईएन को खुश करना पड़ेगा तो उसको कैसे मजबूत करें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि कैसे जो हमारी सबसे जमीनी स्तर पर जो इकाई है वह कैसे मजबूत हो, इसके बारे में हमें चर्चा की आवश्यकता है।

सर, मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नरेगा के तहत सौ दिन से बढ़ाकर डेढ़ सौ दिन का जो रोजगार उपलब्ध करवाया है यह बड़ा ही एक प्रगतिशील कदम है। इसका मैं स्वागत करता हूं।

सर, कुछ मेरे क्षेत्र की मेरी मांगें हैं। मेरे दो नगरपालिका शहर हैं देवली और उनियारा, दोनों में एक भी डाक बंगला नहीं है। दोनों नेशनल हाईवे पर स्थित हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम एक-एक डाक बंगला तो उन पर बनाया जाए। इसी तरह अभी हाल ही में मेरे एक्सईएन आफिस, उनियारा सैंक्शन किया है पर उसका कार्यालय भवन नहीं मिला है तो वह भी सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि यह दिया जाए। इसी तरह से सर, हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, हर गांव में खेल मैदान है, हर स्कूल में खेल मैदान

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हैं और वो सिर्फ कागजों में हैं, मौके पर नहीं हैं तो उनको चिह्नित किया जाये और उनकी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जाये ताकि हमारी धरोहर सुरक्षित रहे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम में आये।

सर, जब पंचायती राज की बात चल रही है तो एक चीज हमको हरदम याद रखनी चाहिए कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वह इस पंचायती राज को और मजबूत बनाने के लिए किया गया था तो उसको उसी भावना को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें हम और जितने भी सुधार कर सकें वो हमको करने चाहिए। सर, हर गांव में पहले तो जगह बहुत होती थी पर अब आबादी बढ़ गई, जगह का अभाव हो गया। अब ये शादी-ब्याह होते हैं छोटे-छोटे तो शहरों से हमको टैंटों की व्यवस्था, कुर्सियों की, पाण्डाल वगैरह की जो व्यवस्था करनी होती है तो अमीर आदमी तो कर लेते हैं लेकिन गरीब ग्रामीण लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हर गांव में कम से कम एक सामुदायिक भवन हो ताकि जो छोटे-मोटे हमारे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं हर आदमी के वो काम आये। उसकी आवश्यकता है वह सरकार करवाये।

सर, इसी तरह एक बहुत अच्छी योजना थी गौरव पथ की पर उसके लागू करने में थोड़ा-सा पक्षपात हुआ था। जो पात्र थे गांव, उनको नहीं मिले या जो मोहल्ले पात्र थे, उनको नहीं मिले। इसकी सरकार एक नीति बनाये कि जो गरीब एवं पिछड़े हैं सबसे पहला हक, जो सरकार की नयी योजना आई है विकास पथ की उसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो गौरव पथ में कमियां रह गई थीं उनको दूर किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सर, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 व 28 पर विचार

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि सरकार ने प्रत्येक गांव में जो मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई है वह वाकई में स्वागत योग्य है, ताकि भविष्य का जो हमारा विकास है यह सब चीजों का इसमें ध्यान रखेगा और मैं राठौड़ साहब से यह आग्रह करता हूं। ये बहुत अनुभवी हैं विपक्ष के उप नेता भी हैं। राठौड़ साहब, आपके सहयोग की इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि जो सरकार ने प्रावधान किया है कि नगरपालिका एवं नगर परिषद् मुख्यालयों को छोड़कर सभी शेष पंचायत मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा तो अभी तो अम्बेडकर भवन बन जाये और ये अम्बेडकर भवन ही रहे। कहीं जैसे आपने और योजनाओं का नाम बदल दिया अटल सेवा केन्द्र बना दिये तो कृपया यह जो बन रहा है जिस उद्देश्य से बन रहा है वो ही रहे क्योंकि जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आपने मान लिया कि पांच साल बाद आगे हम आएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): तो हर चीज के पीछे एक संदेश होता है, मकसद होता है तो हम हमारी राजनीति में उस मकसद को नहीं भूल जायें, इसका मेरा आग्रह है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

(19.00 बजे)

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 व 28 लोक निर्माण कार्य व ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत डग में एक पुराना रेस्ट हाउस बना हुआ है, उसको डाक बंगला भी कहते हैं, वह काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और काफी पुराना हो गया है। डाक बंगले के लिये जमीन भी अलाट हो गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि वहां नया डाक बंगला

(श्री कालूराम)

बनाया जाये। हमारे क्षेत्र में बिजली विभाग, पटवार गृह, तहसील कार्यालय, कोर्ट परिसर आदि का मरम्मत कार्य कराया जाये। भवानीमंडी, चौमहला में वकीलों के बैठने के लिये एक चैम्बर बनाया जाये ताकि कोर्ट में जो भी जाते हैं उनके लिये बैठने की व्यवस्था हो सके। ग्राम पंचायत डग में रेस्ट हाउस की जमीन पूर्व में अलाट हो चुकी है, इसको बनाया जाये। ग्रामीण विकास के अंतर्गत नरेगा योजना के तहत होने वाले कार्य को खेती से जोड़ा जाये ताकि गरीब वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिले। इसको अगर खेती से जोड़ा जायेगा तो किसान इसका लाभ उठा सकेंगे जैसे मेड़बंदी, पशु आश्रय, वर्मी कम्पोस्ट के स्थान पर, किसान के खेत के चारों ओर वृक्षारोपण भी कराया जाये ताकि किसान की आय बढ़े।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर अगर हर किसान को नवीन कूप निर्माण का कार्य देते हैं तो इससे किसानों की सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगी तथा किसान की आय में भी वृद्धि होगी। आवारा पशु जैसे रोजड़े, नील गाय, किसान की फसल बर्बाद कर देते हैं। फसल को नुकसान से बचाने के लिये प्रत्येक किसान के खेत पर मनरेगा के तहत तार फैंसिंग कराई जाये ताकि किसान अपनी फसल बचा सके। प्रधान मंत्री आवास योजना में 2011 में जो सर्वे हुआ था, उस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाये जा रहे हैं, मगर कुछ सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कुछ गरीब लोगों के मकानों को आगे-पीछे किया जा रहा है, इनकी जांच की जाये और इनके जो मकान बनने चाहिये, वह बनाये जायें। इसमें लिस्ट के अनुसार मकान नहीं बनाये जा रहे हैं, अगर लिस्ट में कोई रह गया तो डबल सर्वे करवाकर गरीब व्यक्ति को प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास में जोड़ा जाये।

इसी प्रकार 'अपना खेत अपना काम' द्वारा मेड़बंदी, पशु आश्रय के कार्य बहुत कम मात्रा में स्वीकृत हुए हैं। अगर कार्य स्वीकृत हो भी गये तो ग्राम विकास अधिकारी व कर्मचारी गरीब व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनते हैं। काम कराने के लिये वह ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों के पीछे-पीछे घूमता है और उसका काम समय पर नहीं होता है। ग्राम विकास अधिकारी उसका मस्टररोल जारी नहीं करता है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी अपने बड़े-बड़े कार्य के लिये 500-500 के मस्टररोल जारी कर लेते हैं और उस गरीब आदमी के 5-5 मस्टररोल जारी करने के लिये वह पचास बार इन

(श्री कालूराम)

अधिकारियों के पीछे घूमता है। जेईएन 20 परसेंट उससे पैसा लेता है तब एमबी भरता है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाये ताकि उस गरीब व्यक्ति को फायदा मिले।

इसी प्रकार एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ग्राम पंचायत केलूखेड़ा, पंचायत समिति डग में गोपाल सिंह पुत्र नैनसिंह को मेड़बंदी व पशु आश्रय स्वीकृत हुआ था, जिसका इस व्यक्ति को पता ही नहीं और उसकी राशि रुपये 74513 इसके नाम से निकाल ली गई। मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार से शिवसिंह पुत्र सुजान सिंह की भी मेड़बंदी का कार्य स्वीकृत हुआ था। कार्य मौके पर नहीं हुआ। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और जेईएन की मिलीभगत से 64549 रुपये निकाल लिये गये, मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार नारायण सिंह पुत्र ऊकार सिंह, ग्राम टिगरिया की 101019 रुपये की राशि निकाली गई। इसकी शिकायत इन तीन व्यक्तियों ने जिला परिषद, अतिरिक्त कलेक्टर, बीडीओ और मुझे भी लिखकर दी। बीडीओ और सीईओ को मैंने खुद ने कहा। इसमें जेईएन, एईएन, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये और उनको सस्पैंड किया जाये। 20 कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक का बिना प्रधान की सहमति व बिना स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाये 5 मार्च को स्थानांतरण कर दिया गया था। यह किस अधिकारी से आदेश हुआ, इसकी भी जांच की जाये। क्या विकास अधिकारी को पावर है कि बिना प्रधान की मीटिंग बुलाये या बिना किसी पंचायत समिति के सदस्य के साइन के ऐसे स्थानांतरण कर सकते हैं, इसकी जांच की जाये। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काफी चरागाह विकास भूमि पड़ी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि चरागाह विकास भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाये जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। पौधे लगाना ही सब कुछ नहीं है, पौधे लगाने के साथ-साथ उनको बचाने की व्यवस्था भी की जाये, उनकी तारबंदी की जाये और पानी पिलाने की भी साथ में व्यवस्था की जाये। गत दिनों हजारों पौधे लगाये जब से नरेगा चली तब से पौधे लग रहे हैं लेकिन उन पौधों का अगर आप आडिट कराओ तो आज मौके पर कोई पौधा जीवित नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 सालों में उन पौधों की आडिट कराई जाये।

मेरा विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। मेरी पूरी विधान सभा में

(श्री कालूराम)

फायर ब्रिगेड नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरी विधान सभा में कम से कम एक फायर बिग्रेड पंचायत समिति स्तर पर दी जाये ताकि कभी भी कोई दुर्घटना हो तो इससे राहत मिल सके।

ग्राम पंचायत में जो वीसी लगा रखे हैं, यह क्या करते हैं कि जॉब कार्ड इकट्ठे कर लेते हैं और जो गरीब व्यक्ति काम करता है उसको काम नहीं मिलता है और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके जॉब कार्ड इकट्ठे करके, उनके अंगूठा करवाकर पैसे दे देते हैं। गरीब व्यक्ति अगर काम पर जाता है तो एक दिन पहले साइन करा लेते हैं और दूसरे दिन उसको 500 रुपये पकड़ा देते हैं, 2200 रुपये एक पखवाड़े के मस्टररोल के बनते हैं, 1700 रुपये सरपंच, सैक्रेटरी और एईएन आपस में बांट लेते हैं। इन अधिकारियों की जांच की जाये, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 और 28 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व सदस्य ने स्वर्ग और नरक की एक बात उठाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में 80 परसेंट लोग गांव में बसते हैं। देश की आत्मा गांव में बसती है लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर आपको स्वर्ग और नरक देखना हो तो आज गांव में जाइए। वहां न सड़क है, न नाली है, न मजदूर के पास काम है और कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, पानी मोहल्ले के बीच में इकट्ठा हो रहा है। मेरा तो यह मानना है कि स्वर्ग और नरक किसने देखा है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान में देखेंगे तो यहां हिन्दुस्तान दो तरह का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हम ग्रामीण विकास पर बात कर रहे हैं और जब भी बजट बनता है, कांग्रेस का जब राज था तो उन्होंने गांवों के विकास के लिये बहुत सारी योजनाएं बनाई लेकिन योजनाएं धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। आज मनरेगा में अकेले बीकानेर का मैटेरियल के लिये कम से कम डेढ़ सौ करोड़ रुपया हमारा बकाया पड़ा है। चूंकि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों की नीयत ठीक नहीं थी, केन्द्र में मनरेगा योजना को बिलकुल कमजोर कर दिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप केन्द्र में सहयोग करें। हालात बहुत खराब हैं हम विकास चाहते हैं लेकिन कोई

(श्री गोविंद राम)

ठेकेदार आज पंचायत समिति, जिला परिषद् में काम करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि उसका बजट नहीं आ रहा है। लेबर के अंदर तो आ रहा है, लेकिन लेबर आधा काम करती है। जब तक मैटैरियल का पैसा नहीं आएगा, वह काम पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि गांव की हालत बहुत खराब है। आज हमारे गांव में, जैसे मेरे क्षेत्र में पूगल, खाजूवाला, छतरगढ़, तीन तहसील हैडक्वार्टर हैं, उपखंड कार्यालय है। वहां डाक बंगला नहीं है। हम लोग नरेगा के माध्यम से डाक बंगलों को भी इसमें लें। जहां तक सड़कों की बात है। सड़कों की हालत पिछले पांच साल से बहुत खराब है, लेकिन आपने इसमें इसका विषय नहीं रखा। इसलिए मैं थोड़ा-सा बोलूंगा। अगर सड़कों के नवीनीकरण के लिये कुछ बजट केन्द्र से मिल जाए। हमारे यहां बीकानेर से छतरगढ़ की हालत पिछले दस साल से बहुत खराब है। बड़े बड़े गड्ढ़े हैं। मुख्य सड़क है। इन्होंने लास्ट में स्वीकृत कर दी, लेकिन बजट नहीं था।

श्री सभापति: आप अलग से मिलकर माननीय मंत्री महोदय को बताना।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा गांव की सड़कों की तरफ ध्यान दें।

सरपंचों की बात आयी। हमने सारे नियम सरपंचों पर लागू कर दिये। चाहे बच्चों का हो, चाहे एजुकेशन का हो, यह बात अच्छी प्रतीत नहीं हो रही है। जब पार्लियामेंट और असेम्बली में साक्षर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, एमएलए बन सकता है तो आप उनके ऊपर भी इस तरह से मत लादिये, जिससे कि हमारी दोगलापन की नीति लगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी को कि आपने शिक्षा नीति हटाकर प्रत्येक आदमी को अधिकार दिया कि वह आदमी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत समिति और जिला परिषद्, हकीकत तो यह थी जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी बैठे हैं, ये गांवों में बहुत कमजोर थे। ये पंचायत समिति और जिला परिषद् की नीति लाए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज पंचायत समिति और जिला परिषद् के मैम्बर के पास ताकत नहीं है। चुनाव होने के बाद उनको कोई नहीं पूछता है। इसलिए मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ न कुछ ताकत उनको भी दें, जिससे कि उनकी रुचि बनी रहे। वे हमेशा

(श्री गोविंद राम)

एक बात का उलाहना देते हैं कि हमारे पास चुनाव होने के बाद किसी तरह की ताकत नहीं रहती।

हमारे देश की आत्मा जो गांव में बसती है। जिस तरह से शहर के अंदर नाली, सड़क, बिजली है और बड़े-बड़े श्मशान हैं, उनमें रात को बड़ी-बड़ी लाइट जलती है लेकिन गांव के अंदर आज कब्रिस्तान है, उसमें चारदीवारी नहीं है। छोटा-सा कमरा नहीं है। 5 किलोमीटर से किसान चलकर आता है, श्मशान में बैठने की जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन श्मशानों की चारदीवारी, स्कूलों की चारदीवारी, स्कूलों में कमरे छोटे हैं। हमारे क्षेत्र में पांच साल के अंदर, ऐसी-ऐसी स्कूलें हैं, जिनके अंदर उनकी छत चू रही हैं। जब बारिश आती है तो बच्चों को भवन से निकलकर भागना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इन पक्के कामों को भी नरेगा में लें। लेकिन बात वहीं अटकती है, अगर बजट नहीं आयेगा तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बजट देंगे तब ही ये विकास के काम हो सकते हैं।

सभापति महोदय, यदि नरेगा को मजबूत करना है तो हम लोगों को प्रधान और जिला प्रमुख पिछले सैशन में उनको कमजोर कर दिया गया था। जैसे नरेगा का कोई भी काम है, उसमें बी.डी.ओ. को बराबर का अधिकार है। सरपंच के बराबर ग्राम सेवक को अधिकार दे रखा है। इस पर भी आप चिंतन करें। एक जन प्रतिनिधि को ठेकेदार की तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं। तृतीय श्रेणी के जो टीचर होते हैं उनको पहले प्रधान अपने हिसाब से लगाते थे कि कहां पर पब्लिक की डिमांड आ रही है। इन्होंने एक अलग कमेटी बनाकर इनके अधिकार छीन लिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उन अधिकारों में भी सुधार करें।

मेरा एक निवेदन है कि हमारी जो तीन लाख की डिग्गियां थीं, उन्होंने शुरू में कम कर दी थीं, लास्ट में बढ़ायीं। इसमें और भी ज्यादा राशि नरेगा में बढ़ाने की जरूरत है। चाहे आप कृषि में लें, चाहे नरेगा में लें, लेकिन उनकी राशि आज कम से कम चार लाख रुपये पड़ती है। डिग्गी के अलावा जो 'अपना खेत, अपनी योजना' थी, इसमें तीन लाख रुपये थे। काम ठीक चल रहा था, लेकिन पिछली सरकार में वापस एक निर्णय किया गया और उसे डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया, जिससे वह योजना बिलकुल बंद हो गयी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह तीन लाख की योजना शुरू की जाए, जिससे खेत का सुधार हो सके।

(श्री गोविंद राम)

अंत में, मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। जैसे अभी मेरे से पूर्व के सदस्यों ने उठाया कि किसान आज खेती करने की स्थिति में नहीं बचा है। यदि उसकी नरेगा से तारबंदी नहीं होगी, तो वह अपने खेत को नहीं बचा सकता। उसका मूल कारण गाय, गोधा और तीसरा रोजड़ा है। हमारे बीकानेर के चारों तरफ गोचर है। उसमें आवारा पशु हैं। अब अगर उसका नाम लेंगे तो कोई यह बात उठायेगा कि इसको अवारा पशु मत कहो। इसको बेसहारा छोड़ दिया। अगर किसी पहलवान को आप अखाड़े में उतार दो और उसको रोटी खाने के लिये नहीं दो तो वह कितने दिन कुश्ती लड़ेगा? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश में जिसको सबसे पवित्र पशु माना है आज वह सबसे बेसहारा है। बीकानेर से जयपुर के लिये रवाना होते हैं और जयपुर तक आते हैं तो चार-पांच गायें हमें सड़क पर मरी हुई मिलती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ने वाली है। इसमें किसी का ज्यादा नहीं बिगड़ने वाला, सबसे ज्यादा किसान मर रहा है। वह खेत में अकेला होता है, 100 गोधे घुसते हैं और उस खेत का सफाया कर देते हैं। उस तरफ से भी बात उठती है, इधर से भी बात उठती है। लेकिन जब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा, तो हमारे भाषण मात्र कागजों में सीमित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे नरेगा में लेकर प्रत्येक किसान को तारबंदी दें। आने वाले समय में आपको प्रत्येक गांव में गोशाला खोलनी पड़ेगी क्योंकि गोधा बाजार में नहीं बिकता है। अगर कोई ट्रक में ले जाता है तो इनकी टीमें तैयार खड़ी रहती हैं, उसको मारने-पीटने के लिये। इसलिए आपके पास में इसके अलावा कोई इलाज नहीं है कि गांव-गांव में गोशाला खोल दो। मैं तो यह कहता हूं कि जो इन चीजों का ज्यादा भजन करता है, उनके नाम पांच-पांच गायें मांडो। गोधे उनके घरों में दो। आज गाय-गोधों को तो हम खेतों में पाल रहे हैं। इसके लिए वे लोग पैरवी कर रहे हैं, जिनके घर में बकरी नहीं है। उनको क्या पता आवारा पशु क्या होता है? गाय टलने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है? उस पर कितना खर्च आता है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इसे नरेगा की स्कीम में लेकर आप गांव-गांव में आप गोशाला खोलें ताकि गाय, गोधा और आवारा पशु बच सकें अन्यथा सबसे बड़ी दुर्गति किसान की होती है या फिर जो गाय या गोधे से टकराता है तो सबसे बड़ी दुर्गति उसकी होती है। आये दिन एक्सीडेंट होते हैं।

(श्री गोविंद राम)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को गांव को सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, जिला प्रमुख को ताकतवर बनाना पड़ेगा और इनकी जो पांच वर्षों में शक्तियां कमजोर कर दी हैं, उन्हें वापस ताकत देनी होगी। नरेगा में अधिक से अधिक पक्के काम किये जाएं, जिससे जो सड़कें बनी हैं, वे तो बन गयीं, लेकिन पक्के कामों में जैसे मैंने चारदीवारी की बात कही, उसके अलावा आपसे स्कूल की चारदीवारी की बात की। ये पक्के काम हाथ में लेकर हमारे गांव का विकास हो सके, अच्छी सड़क बने, अच्छी नाली बने। मौहल्लों के बीच में पार्क बनाएं, अच्छे खेल मैदान बनाएं, ताकि स्वर्ग का आभास कर सकें अन्यथा काल्पनिक बातें चलती रहेंगी कि साहब आगे जाएंगे, वहां स्वर्ग जाएगा, वहां नरक बनेगा। किसी बुद्धिजीवी को पूछा कि जब आप मरोगे तो कहां जाना चाहते हो? उसने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं जहां दो रुपये की इनकम हो, क्योंकि पैसे के बगैर काम नहीं चलता है। इसलिए आप तो गांव में हर चीज का विकास कीजिए। उसमें बिजली, पानी, सड़क, जिससे गांव के आदमी भी लुत्फ उठा सके हैं, जैसे हमारे हिन्दुस्तान के शहरों में लोग अच्छी बस्तियों और कालोनियों में रहते हैं। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के बारे में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वर्ष 1977 के पहले पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवन, पटवारघर, पंचायत भवन, छात्रावास एवं समस्त विभागों के कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग का अपना कार्यालय नहीं था। माननीय सभापति महोदय, पहली बार देश और प्रदेश में जनता पार्टी का राज कायम हुआ। राजस्थान प्रदेश में 1977 में माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राज कायम हुआ। 'काम के बदले अनाज' योजना लागू कर समस्त सरकारी भवनों के निर्माण की नींव रखने का काम किया। लोक निर्माण के कार्य प्रारम्भ हुए तथा ग्रेवल सड़कें, डब्ल्यूबीएम डामर सड़कों के निर्माण का काम शुरू हुआ। माननीय सभापति महोदय, पहली बार प्रदेश में

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिये अंत्योदय योजना लागू कर गरीबों को ऊपर उठाने का काम माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के कर कमलों से हुआ। सौभाग्य की बात है कि इस योजना को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सराहा और पूरे देश के सभी राज्यों में अंत्योदय योजना लागू कर गरीब को लाभ देने की शुरूआत हुई। इससे पहले देश और प्रदेश में गरीब के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के अनासपुर कोटड़ा में एक डाक बंगला बना हुआ है। मगर रखरखाव के अभाव में वह जर्जर हो गया है। एकान्त में होने से इसका दुरुपयोग हो रहा है। मरम्मत कर इसको सुरक्षित करना आवश्यक है। गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति तलवाड़ा, अरथूना, छोटे-बड़े गांवों में पूर्व में निर्मित सरकारी भवन, रेजीडेंस क्वार्टर जैसे पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील क्वार्टर, छात्रावास भवन, टीएडी के भवन, सीएचसी, पीएचसी भवन, समस्त विभागों के पुराने भवन एवं विद्यालय आदि भवन जर्जर हो रहे हैं, जो अनुपयोगी हैं। सर्वे करवाकर उन्हें ठीक कराया जाना एवं नवीन निर्माण कराया जाना आवश्यक है ताकि अतिक्रमण से सरकारी सम्पत्ति सुरक्षित हो सके। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जनहित में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

माननीय सभापति महोदय, गढ़ी से आनंदपुरी की हमारी एक सड़क है जो स्टेट हाईवे हैं, गुजरात तक जाती है और गढ़ी बाजार के बीच में से यह सड़क निकलती है। पुराने बाजार में कम जगह होने की वजह से घंटों तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस के अभाव में काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसके लिए एक किलोमीटर बाईपास की आवश्यकता है। हमारा नगरपालिका क्षेत्र परतापुर गढ़ी है, एनएच 927 सड़क, जो गांव के बीच से जा रही है, वह पानी भरे रहने से पूर्ण रूप से टूट चुकी है। दोनों तरफ से निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं होने से वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि एनएच में स्वीकृत कराकर इस कार्य को करवाने का अनुरोध है।

बांसवाड़ा-डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र है। विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में 2019-20 में मनरेगा योजना के मद से जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उसमें गढ़ी विधान

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

सभा की गढ़ी पंचायत समिति, अरथूना पंचायत समिति और तलवाड़ा पंचायत समिति के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहां पर किसी प्रकार के कोई पक्के कार्य स्वीकृत नहीं किए गए हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से सम्माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति गढ़ी के जो विकास अधिकारी लगे हुए हैं, बांसवाड़ा जिले के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट अधिकारी कोई है तो गढ़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी जिसने चौदहवां वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग और पंचायतों में जो भी राशि आती है, उस राशि में से अपनी दस प्रतिशत राशि एडवांस कमीशन के रूप में लेकर जो राशि आबंटन हुई है उसकी दोगुनी स्वीकृतियां जारी करके वह नि:संकोच तरीके से पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहां तक कि अभी जो हम महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर बोर्ड लगाए हैं। उस बोर्ड की सामान्यत: कीमत 12 हजार रुपये है। सभी पंचायतों से उन्होंने पचास-पचास हजार रुपया, सरपंच-सचिव को प्रेशर में डालकर उठाने का काम किया। राष्ट्रपिता, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान देना और आवश्यक कार्यवाही करना बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में, यह जनजाति क्षेत्र होने के कारण जो भी अधिकारी आता है, यह समझता है कि यहां पर मलाई मिलेगी और मलाई लूट कर हम वापस निकल लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र को विशेष तरह से देखा जाए। भ्रष्टाचार की ज्यादा बू जो वहां से आ रही है, उस पर लगाम लगाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की अरथूना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिलौदा है। उसके अंदर कडाणा बैक वाटर के अंदर ढाई सौ से तीन सौ बीघा जमीन है, जो पानी की सतह से ऊपर है। उसके अंदर हमने पहले वृक्षारोपण का कार्य भी किया है। यह एक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां पर मनरेगा योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से और विधायक मद से भी हम देंगे, इसको अच्छा डवलप किया जाए। बागवानी सुरक्षा दीवार, घाट निर्माण, वृक्षारोपण का कार्य किया जाए और इसको पर्यटन से जोड़ा जाता है तो इस क्षेत्र के लिए अति लाभदायक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना के अन्तर्गत पंचायतों ने अपने सामग्री मद के सारे कार्य पूर्ण कर लिए। लेकिन आठ-दस महीने से

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

भुगतान नहीं होने की वजह से ठेकेदार और पंचायत के सरपंच काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। जितना जल्दी उनको भुगतान हो जाएगा तो अति उत्तम रहेगा। हमारे बांसवाड़ा जिले के जो जिलाधीश महोदय बैठे हैं, जैसे कि हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में सिंचाई के लिए निजी कूप स्वीकृत करना आवश्यक होता है। पशु शैड का निर्माण आवश्यक होता है। इस तरह के जो पक्के कार्य होते हैं, वे स्वीकृत करने में आनाकानी करते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस क्षेत्र के गरीब वर्ग के लोगों के लिए, पेयजल के लिए कुओं की स्वीकृति जारी हो, छोटे-मोटे एनीकट, चैक डेम का निर्माण कार्य स्वीकृत होता है तो उस क्षेत्र में किसानों को खेती के लिए पानी की अच्छी सुविधा हो सकती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2013 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर ग्रामीण अधीनस्थ सेवा विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसमें से मात्र 8493 को ही नियुक्ति दी गई। शेष रहे अभ्यर्थी जो संविदा पर कार्यरत हैं, न्यायालय द्वारा बोनस अंक देकर उन्हें नियुक्ति देने का न्यायालय का आदेश है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शेष रहे अभ्यर्थियों की कोर्ट के आदेश की पालना में सम्पूर्ण मापदंड पूर्ण कर इनके सभी तरह के दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी को अगर नियुक्ति दी जाती है तो अति उत्तम रहेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी को मेरा निवेदन है कि इन सम्पूर्ण विषय का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। हमारे क्षेत्र में भी शौचालय का भुगतान शेष है। बेस लाइन का बहाना बनाकर लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में एक पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय खुला है। उसके निर्माण की आवश्यकता है। परतापुर गढ़ी के नगरपालिका भवन के निर्माण की आवश्यकता है। अरथूना जो एक पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, वहां पर सीएचसी के क्वार्टर एवं भवन निर्माण की आवश्यकता है। अरथूना नई तहसील गठित हुई है उसके भी भवन की आवश्यकता है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्माननीय सदस्यों ने सभी ने

(श्री लाखन सिंह)

अपनी-अपनी बात रखी। ग्रामीण विकास और लोक निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसकी सभी ने बात की। भ्रष्टाचार, कोई भी सरकार होती है, उसमें होते हैं क्योंकि जो ठेकेदार, अधिकारी वहां पर बैठे रहते हैं और ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में जिस तरह का सिस्टम पहले से ही चला आ रहा है कि पहले से ही सरपंच कोई काम लेने जाएगा तो वहां जो लेखाधिकारी या विकास अधिकारी होगा, उसको जब तक उसका कमीशन नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका पैसा सैंक्शन नहीं होगा। यह बिलकुल सत्य बात है। इन व्यवस्थाओं में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भी इस चीज का उल्लेख किया है कि गांवों में जो पैसा पहुंचता है, वह बहुत कम पैसा पहुंच पाता है। मैं आपके माध्यम से हमारे उपमुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें और अंदर तक जाकर इसकी जांच करें कि ग्रामीण विकास में जो पैसा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो वह कहां पर हो रहा है?

मेरा सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस व्यवस्था में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। पंचायती राज विभाग में पंचायतों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत, प्रतिवर्ष औसत करीब एक करोड़ रुपये की राशि आमंत्रित की जाती है लेकिन इतने बजट का व्यय करने के लिए ग्राम पंचायतवार पृथक् से कोई लेखाकर्मी नहीं है जिसकी वजह से गंभीर वित्तीय अनियमितता होती है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय एवं लेखा नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसलिए पांच पंचायतों के एक क्लस्टर में एक लेखाकार का पद होना चाहिए। विकास कार्यों में तकनीकी सलाह के लिए प्रत्येक पंचायत में तकनीकी सहायक का पद भी होना चाहिए। हाल ही में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सामग्री निर्माण कार्यों हेतु टेंडर करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिसमें टेंडर पंचायत स्तर पर करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया से सभी पंचायतों में सप्लाई करने वाला एक ही ठेकेदार होता है। क्या व्यावहारिक रूप से संभव है? सभी पंचायतों में एक साथ सैकड़ों निर्माण कार्य होते हैं। एक ही ठेकेदार सभी पंचायतों में समय पर आपूर्ति नहीं कर सकता। निर्माण कार्यों में विलम्ब होता है और सभी ज़िलों में बीएसआर दर, प्रत्येक सामग्री की दर, तय होती है, इसलिए ग्राम पंचायतों को BSR दर पर रजिस्टर्ड फर्म से सामग्री क्रय करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(श्री लाखन सिंह)

ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि के अनेक विवाद सामने आ रहे हैं इसलिए प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बने। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विस्तृत रूप से नियम बनाये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में आवारा गाय एवं पशुओं की गंभीर समस्या है जो किसान की फसल को चौपट कर देते हैं। राज्य वित्त आयोग की राशि में से निर्धारित राशि बाड़ा और गौशाला निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

जनता जल योजना जो पानी की योजना है, ग्राम पंचायत इसका बिजली का बिल जमा कराती है तो सरपंच कहते हैं कि हमारे पास इसका पैसा नहीं है। करोड़ों रुपया पानी के लिए लगा हुआ है वह बंद हो जाता है। इसी तरह मेरे क्षेत्र में गुनेसरा, गुनेसरी, विनेगा, टटवाई, डूंडापुरा जनता जल योजना है वह बंद पड़ी है, उनको चालू करवाया जाए।

कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पिछले पांच साल में बनीं, पांच साल में करोड़ों रुपये उसमें लगाए गए हैं। आज अगर उसकी जांच कराई जाए तो वहां पर डामर का एक भी छींटा नहीं है, एक भी कंकर नहीं है। एक रोड है जो फेलितपुरा से मोठियापुरा सड़क का डामरीकरण कराया गया था जिसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर है। 50 गांव उससे जुड़ते हैं, आज उसमें बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। जिस भी ठेकेदार ने यह सड़क बनाई है, माननीय उप मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इसकी जांच करवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मांडई मोड़ से कोटरी, पालमपुर मोठियापुरा तक डामरीकरण, सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाए। डूंडापुरा में वेंटेड पुलिया निर्माण कार्य पर लिंक रोड बहादरपुर से जोड़ा जाए। करौली में बाईपास रोड का निर्माण कार्य करवाया जाए।

विधान सभा क्षेत्र करौली में गांव-ढाणी तक जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने तथा सीसी व डामरीकरण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने एवं भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही कर मुझे अनुगृहीत करने की अनुशंसा करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति महोदय का आभार, मांग संख्या 19 व 28 पर आपने बोलने का मौका दिया। आज हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म तिथि मना रहे हैं तो मुझे उनके शब्द स्मरण हो रहे हैं जो उन्होंने कहे। अगर हिन्दुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि न तो कोई पहला होगा और न कोई आखिरी।

थार रेगिस्तान में जन्म लेकर हमने देखा, किस तरह हमारे गांव में विकास हुआ। जो रेडिकल डवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ उसके हिस्सेदार हम बने, आप बने, सबने देखा। याद आता है जब 1977 में भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने और उनके कार्यकाल में जब पहली बार उन धोरों की धरती में लाइट गई, लाइट आने के बाद गांवों में ट्यूबवैल बने। जहां ऊंटों से पानी निकाला जाता था वहां पर ट्यूबवैल पहुंचे। लाइट व ट्यूबवैल आए तो गांव में विकास की गंगा बहनी शुरू हुई।

जब वापस भैरोंसिंह जी 1990 में मुख्य मंत्री बने तो गांवों में कृषि क्रांति लेकर आए। ट्यूबवैल राजस्थान में आए उसके जनक भैरोंसिंह जी शेखावत साहब रहे। 1995 में पंचायतों का पुनर्गठन होता है, आजादी के बाद पहली बार हम देखते हैं कि पंचायतों के पुनर्गठन में एस सी को, महिलाओं को आरक्षण मिलता है। मेरे दादाजी जी भी, जब से पंचायती राज का गठन हुआ, 1994 में उनका स्वर्गवास हुआ तब तक लगातार, सिवाय एक बार, सरपंच रहे। आजादी के बाद भैरोंसिंह जी शेखावत यह नियम लेकर आए तब सब को अवसर मिलने लगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भैरोंसिंह जी शेखावत साहब लेकर आए जिससे गांवों में विकास हुआ।

बहुत-से पूर्व वक्ताओं ने आज गांव के विकास की बात कही, हम उसको देखते हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे धोरों की धरती जहां कण-कण सोने का है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सोने की मिट्टी में कभी काली डामर की सड़कें बनेंगी, काली डामर की सड़कों का जाल बिछाया गया। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वाजपेयी जी ने ऐसा जाल बिछाया कि हमारे क्षेत्र लूणकरणसर में आठ बार विधायक और मंत्री रहे उनके गांव में भी सड़क 2001 में गई तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गई। न सिर्फ सड़कों का निर्माण हुआ, आप

(श्री सुमित गोदारा)

देखिए, जब हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी दस साल राजस्थान में मुख्य मंत्री रहीं तो उन्होंने 2015 में 20 वर्ष बाद पंचायतों का पुनर्गठन किया, जिससे गांवों में विकास को नई गति मिली। उनके कार्यकाल में गांवों में पहली बार अनइंट्रप्टेड पावर सप्लाई मिला, आज भी लोग याद करते हैं। गांवों में लगातार बिजली पहुंचाई हमारे प्रदेश की यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने।

आज बहुत से वक्ताओं ने ग्रामीण गौरव पथ की बात कही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लोगों ने जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ग्रामीण अंचल से आता हूं, जब हम ग्रामीण गौरव पथ पर चलते हैं तो हर आदमी अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है कि गांव में पहली बार किसी ने एक किलोमीटर 60 लाख से सीमेंट की सड़क बनाई, वह हमारे प्रदेश की सरकार ने बनाई।

मैं उदाहरण देता हूं, हमारे क्षेत्र में एक राजेरा गांव है वहां बरसात के दिनों में कीचड़ पड़ा रहता था, 20-20, 30-30 गांवों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। इतनी शानदार ग्रामीण गौरव पथ बनी कि लोग कहते हैं कि वास्तव में क्या काम हुआ है। बरसात होती है तो भी वह मार्ग नहीं रुकता, इतना शानदार बनाया गया है। जहां भी सड़क बनाई उसके लिए हमारी पूर्व मुख्य मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अंचल के बारे में सोचा।

उप मुख्य मंत्री पायलट साहब यहां मौजूद हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप यूथ हो, यंग हो, राजस्थान की जनता आपकी ओर देख रही है। आपने ग्रामीण गौरव पथ रोका है, उसके वर्क आर्डर को रोका है, तो जनता को यह दु:ख हो रहा है। ऐसे युवा उप मुख्यमंत्री बने हैं, आपसे जरूर जनता को उम्मीद थी कि वह ग्रामीण गौरव पथ की सड़कें जरूर बनाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता की मांग है, यंग हो, आपसे जरूर उम्मीद करेंगे कि ग्रामीण गौरव पथ रूके हुए हैं उनका कार्य पूरा करेंगे।

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना की भी बात कही गई। कई वक्ताओं ने इसको क्रिटिसाइज किया। यह हमारी पूर्व मुख्य मंत्री जी लाईं। उनका यह उद्देश्य था कि दौड़ते पानी को रेंगना सिखाइये और रेंगते पानी को रुकना सिखाइये। हमारे रेगिस्तान क्षेत्र में हमने देखा कि मुख्य मंत्री जल

(श्री सुमित गोदारा)

स्वावलम्बन योजना से इतना लाभ मिला है कि गांव में गरीब आदमी थे उनके 15-15 हजार लीटर के कुण्ड बनाए। बहुत शानदार हैण्डपम्प उनको दिए। जब बरसात होती है और पानी स्टोर होता है, कितने ही गरीब आदमियों को लाभ मिला। पानी जो व्यर्थ जाता था उसका स्टोरेज बढ़ा है। यह तो एक आइडियल योजना है। इसमें राजनीति नहीं करके मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना को जिसकी पूरे भारत में, पूरे विश्व में सराहना की गई है उसको और गांवों में हम लागू करें, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

गांवों के विकास की बात करते हैं तो हमें याद आता है, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 20 नवम्बर, 2016 को आगरा में प्रधान मंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया और उसके तहत राजस्थान सरकार ने 2017-18 में 2 लाख 77 हजार 553 प्रधान मंत्री आवास बनाए जो कि लक्ष्य से 124 परसेंट ज्यादा थे। 2018-19 में 3 लाख 24 हजार 216 प्रधान मंत्री आवास बनाए जो कि लक्ष्य से 152 परसेंट अधिक थे। प्रधान मंत्रीजी मोदी का यह सपना कि 2022 तक गांवों में भारत में प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत होगी। यह कितनी बड़ी बात है, आजाद भारत में आज तक किसी ने नहीं सोचा। गांव में गरीब आदमी जो सोच नहीं सकता था झोंपड़ी में रहता है, उसके सिर पर पक्का मकान होगा। मोदी जी ने न सिर्फ वह सपना साकार करके दिखाया, आज भारत में आप देखिए, जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं, 2022 तक भारत जब आजादी के 75 साल मना रहा होगा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। गांधी जी का सपना और हमारे देश का आजाद भारत का सपना साकार होगा।

उज्ज्वला योजना के तहत, गांव में जो क्रांति आई है, यह एक सामान्य योजना नहीं है। कई व्यक्तियों ने कहा कि गैस के चूल्हे दे दिये। हमारी माता-बहनें, जो उस लकड़ी के चूल्हे पर काम करती हैं, वह इजराइली बबूल, कीकर जो हमारे वहां इस्तेमाल होता है, उससे अस्थमा होता है, जो एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है। आने वाले समय में आप देखो स्वास्थ्य में कितना लाभ मिलेगा, अब ये गैस के चूल्हों का इस्तेमाल होने लगा है।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा ही विषय है, जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से वक्ताओं ने कहा कि कई लोग गांव में गोचर भूमि में बैठे हैं, कई आबादी भूमि में बैठे हैं, कई जोहड़ पायतन में बैठे हैं, कई ओरण भूमि में बैठे हैं, कि उनको हटाया जाए।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति महोदय, शहरों में लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, चाहे दिल्ली में हैं, उनको सरकार, चाहे सुप्रीम कोर्ट रुलिंग देता है तो भी दिल्ली की सरकार उनको पट्टे देती है। जयपुर में पृथ्वीराज नगर में जो लोग बैठे हैं, उनको सरकार पट्टे देती है, बीकानेर में जो लोग बैठे हैं उनको सरकार पट्टे देती है तो गांव का आदमी कहां जाएगा, जिसे पता नहीं था, उस समय नियम क्या थे। सरकारी भूमि है, गांव में आप जाओगे, वहां पर भी ओरण, गोचर में बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह नीति लेकर आये, जो आदमी गोचर, ओरण में बैठा है, जिसके सारे समय तलवार लटकती रहती है कि कहीं मेरा आशियाना उजाड़ नहीं जाए, कहीं न कहीं उसको नोटिस आते रहते हैं, तो सरकार इसको गम्भीरता से ले। गांव में यह बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत विषय है।

आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह सरकार शहरों में मास्टर प्लान लेकर आती है, उसी तरह गांवों में मास्टर प्लान लेकर आये। हम इतना विकास का पैसा गांवों में लगा रहे हैं। पर हमारी कोई सोच ही नहीं है कि गांव में हमारा पैसा कहां जा रहा है। पैसा लगाये ही जा रहे हैं, और हकीकत में, यदि ग्रामीण विकास में, जिस तरह हम पंचायत में पैसा लगा रहे हैं तो सभापति महोदय, अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे गांव भी पैरिस जैसे हो जाएं। इतना पैसा आ रहा है। हकीकत बात है, पर पैसे का कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा। उस पैसे का सदुपयोग करने के लिये, माननीय पायलट साहब, आप यंग हो तो आपसे जरूर उम्मीद करेंगे कि आप इसमें कुछ लेकर आएं कि राजस्थान की जनता और युवा देखें कि आपकी वास्तव में सोच है और with the advancement of technology, GeoTagging and everything, nothing is impossible. It just depends on you if you really want to do it, you can achieve it.

इस भावना के साथ मैं एक और निवेदन करूंगा कि हमारे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में, हम जब बात करते हैं गांव के विकास की, तो हमारे क्षेत्र में दो बड़े गांव, गांव कहें या कस्बे कहें, 2011 के सैन्सस के हिसाब से उनकी आबादी लूणकरणसर में 30146 और नापासर की 22893, हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने 06 अक्टूबर, 2008 को इन दोनों कस्बों को नगरपालिका बनाया पर हमारे वहां के मंत्री बने, कांग्रेस सरकार आई तो 18 सितम्बर, 2009 को नगरपालिकाओं को उन्होंने वापस ग्राम पंचायत में बदल

(श्री सुमित गोदारा)

दिया। अब यहां विषय रखा है ग्रामीण विकास का, तो हम क्या ग्रामीण विकास की बात करेंगे, जब 30-30 हजार की आबादी, 25-25 हजार की आबादी के कस्बों को यदि हम उन्हें वापस ग्राम पंचायत बनाएंगे तो हम देश को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह हम सबके सोचने लायक विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि नापासर और लूणकरणसर, दोनों के कस्बावासियों की यह एक मांग है कि इन दोनों को नगरपालिका घोषित किया जाए। वे भी विकास के हिस्सेदार बनना चाहते हैं।

आपसे यह निवेदन करते हुए, एक निवेदन और करूंगा, माननीय सभापति महोदय, गांव में राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान, स्टेडियम बनाये जाएं ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं खेलों की तैयारी कर सकें। जैसे हाल ही में आसाम की हिमादास ने चार सौ मीटर में रेस जीती, तो वह भी कोई दिन दूर नहीं होगा, जब हमारे खेल मैदान से ये बच्चे निकलेंगे। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने पंचायती राज में खेल मैदान के लिये पैसा तो दिया है, पर, लूणकरणसर में 56 पंचायतें हैं, मैंने कहीं एक भी स्थान पर खेल मैदान बना हुआ नहीं देखा। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसे टार्गेट की तरह लीजिये कि एक पंचायत समिति में कम से कम चार-पांच तो खेल मैदान बनाकर आप दिखाइये। शून्य खेल मैदान बने हुए हैं तो हम कहां खेल मैदान की बात करेंगे। पैसा है, पर सरपंच करना नहीं चाहते। बी.डी.ओ. पर कम से कम यह प्रेशर हो कि नहीं, एक साल में एक पंचायत समिति में कम से कम पांच-छह खेल मैदान बनकर दिखने चाहिए, चाहे कैसे ही बनें। यह प्रेशर रहेगा तो जरूर बनेगा, और आप जरूर कर सकते हैं।

एक निवेदन और माननीय सभापति जी, गांव में शौचालय तो सरकार ने काफी बनाये, पर सीवरेज लाइन न होने की वजह से गांव में, गलियों में गंदा पानी अभी भी जमा होता है। हमारे उधर तेजरासर गांव है, साढ़े तीन हजार की आबादी का गांव है। मैं कलेक्टर साहब से भी मिला, फंड भी मंजूर है, पर अभी तक उसमें सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है और पूरे गांव का गंदा पानी स्कूल के पास ही इकट्ठा हो रहा है। पर अभी तक सरकार की कोई भी कार्यवाही वहां नहीं हुई।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि हमारे यहां नहर के कच्चे खाले हैं और उन कच्चे खालों में अधिकतर जगह सरपंच काम करते हैं। वे नरेगा के तहत पक्के करते हैं। पर काफी जगह सरपंच इसमें रूचि

(श्री सुमित गोदारा)

नहीं लेते। सरकार का पैसा है, सरपंच वह कार्य नहीं करना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बी.डी.ओ. कोई कमेटी ...(व्यवधान) कोई अन्यथा माध्यम से उसको बनाएं ताकि गांव में किसानों को लाभ हो सके और सरकार के पैसे का भी सदुपयोग हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, बस दो ही बातें कहूंगा, फिर समाप्त करता हूं। पहले तो आपको बहुतबहुत धन्यवाद। हमें इतनी देर बोलने दिया। हमारे तो आदत ही पड़ गई तेज बोलने की, पता नहीं आप कब रोको।

माननीय सभापति जी, नरेगा योजना में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक काफी लम्बे समय से एक ही पंचायत समिति में कार्यरत हैं, जिससे योजना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की सम्भावना बनी रहती है। दो साल से अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर पोस्टिंग नहीं रखनी चाहिए। राज्य सरकार ने भी इसके सन्दर्भ में आदेश समय-समय पर निकाले हैं पर आज तक इनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब देखो, ग्रामीण विकास में कितना पैसा सरकार देती है। उसके लिये जिम्मेवार अधिकारी कौन हैं, जो संविदा में लगे हुए जे.टी.ओ. हैं। वे इतने भ्रष्ट होते हैं कि हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अंत में बात को समाप्त करते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास में पंचायत समिति में अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं चाहे कनिष्ठ अभियंता हों, सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता, आप इन अधिकारियों के पद भरें, ताकि ग्रामीण विकास का जो सपना है, महात्मा गांधीजी की डेढ़ सौवीं जयन्ती है और आजादी के 75वें साल, 2022 की ओर हम बढ़ रहे हैं, वह सपना जरूर साकार करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बस, बस, एक ही पंक्ति है, माननीय सभापति जी, मैं पायलट साहब से कहूंगा, माननीय पायलट साहब कि

(श्री सुमित गोदारा)

In Rajasthan, especially youth are willing to see supersonic speed in rural development under you. बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। बैठिये आप। प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। मैंने अवाना साहब को बुला लिया। विराजिए आप। कोई इंफार्मेशन नहीं है। विराजिए, विराजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य व मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में एक भी डाक-बंगला नहीं है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम या जन सुनवाई हमें निजी स्थानों पर करनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि कम से कम, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए जो अन्य विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें भी दो-दो डाक-बंगले हैं, तो कम से कम दो डाक बंगले मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुलवाये जाएं। मैं यह माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं।

अभी, हाल ही में जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में उच्चैन तहसील है, वहां पर कोई निर्माण कार्य, अभी पिछले दिनों घोषणा हुई थी, अभी निर्माण कार्य

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

शुरू नहीं हुआ है। उसके लिये भी मैं मांग करता हूं कि जल्दीसे जल्दी उस तहसील का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और विधान सभा क्षेत्र के सभी तहसील, पटवार-घर, अस्पताल, स्कूल व उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत करवाई जाए, जिससे कोई दुर्घटना न घट सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा कि कल दिनांक 22 जुलाई को एक बड़ी घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाजीपुर गांव में घटी। गाजीपुर गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल सात साल की बच्ची नेहा, जो सुबह अपने घर से स्कूल पढ़ने आई थी, स्कूल में जब वह क्लास में बैठी हुई थी, तो कंक्रीट और सीमेंट का फर्श, नीचे क्लास में जहां बैठने का होता है, वहां से टूटा हुआ था, और टूटा होने के साथ-साथ में वहां से कीड़ा निकला और कीड़े ने उस बच्ची को काटा, काटने के बाद में वह बच्ची पूरी तरह खून में लथपथ हो गई और दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहीं पास का गांव गाजीपुर है, वहां के सोमसिंहजी की बच्ची थी। इस तरह की कोई घटना आगे भविष्य में न हो, इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी स्कूल पूरे प्रदेश में हैं, उनकी इस तरह की मरम्मत जरूर कराई जाए ताकि आगे इस तरह की कोई घटना न हो सके।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर ज्यादातर हमारी जो दलित बस्ती है, जो मौहल्ला है वहां पर जो दबंग टाइप के लोग हैं, वह वहां के जो सामुदायिक केन्द्र हैं, उनमें शादियां नहीं करने देते तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जहां-जहां पर हमारी दलित बस्ती है, उनके लिए अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया जाए।

पंचायती राज की योजना में सबसे सराहनीय नरेगा योजना है जो कि गरीबों के हित में है। गरीबों को इससे रोजगार मिलता है। संबंधित अधिकारी ईमानदारी से पालन करें व माननीय मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पात्र लोग हों, उनको ही इसका केवल लाभ मिले। अधिकारी मानदेय पूरा नहीं करते, नरेगा मजदूरों को कम देते हैं, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंचों का भी कोटा बढ़ाया जाए। टी.एफ.सी. आदि अनकों योजनाओं का लाभ दिया जाए। प्रधान मंत्री आवासीय योजना में सभी पात्र परिवारों को मकान दिये जाएं।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लंबे समय से पंचायत समितियों में अधिकारी जमे हुए हैं उनको भी वहां से तत्काल हटाया जाए क्योंकि वहां पर ज्यादातर भ्रष्टाचार इसी तरह के जो लंबे समय से अधिकारी जमे हुए हैं, वह करते हैं और जितने भी रिक्त पद हैं, माननीय मंत्रीजी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन रिक्त पदों पर भी तुरंत भर्ती की जाए जिससे स्थानीय लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में हमारी जो मुख्य तहसील है, उसको जोड़ने वाली नदबई-डेहरा, नदबई-नगर, नदबई-खेड़ली, नदबई-हलैना, नदबई-कुम्हेर, जो सड़कें हैं, जो मुख्य सड़क हमारे कस्बे को जाती है, जिनकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है, उन सड़कों को बनाने के ठेके 16.06.2018 को छोड़े गये थे, जिनकी समयावधि 15 दिसम्बर, 2018 थी लेकिन वह सारी सड़कें आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। केवल एक सड़क पर थोड़ा सा कार्य जरूर हुआ था। पिछले वर्ष जब पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की डैथ हुई थी उसके ठीक दो दिन बाद पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे का नदबई में 17 अगस्त का कार्यक्रम था, उसी को लेकर वह सड़क पर थोड़ा सा निर्माण हुआ लेकिन जैसे ही पूर्व प्रधान मंत्रीजी की डैथ हुई, उसके बाद उस सड़क का निर्माण उसी दिन रोक दिया गया और आज तक कोई कार्य-निर्माण भी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पांचों की पांचों सड़कें हमारा जो मुख्य कस्बा नदबई है उसको जोड़ती है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो शिकायत वहां के स्थानीय लोगों ने की थी और मैंने भी की थी, उसको लेकर हमारे जिले के कलेक्टर ने उन ठेकेदारों को नोटिस भी जारी किए जिसकी प्रति मैं आपको यह सदन में दिखा रहा हूं। 26.06.2019 को यह नोटिस जारी किया, जिसमें मात्र सात दिन का समय क्वालिटी कंट्रोल को दिया गया। मैं इसके बारे में भी यह पूछना चाहूंगा कि इसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? उससे पहले 25.06.2019 को भी एक नोटिस पी.डब्ल्यू.डी. के जो ए.ईएन. हैं, उन्होंने भी दिया और उस नोटिस में यह माना कि सड़कों में जो कार्य-निर्माण हुआ है, उसमें बड़े स्तर पर कमियां पाई गयी हैं तो इस

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

पर भी मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो सारे तथ्य हैं, वह सामने आने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कार्य की जो समयावधि थी इन सड़कों को बनाने की, उसमें निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिसको लेकर मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में पिछले एक हफ़्ते से लगातार धरना, प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इन सड़कों को बनाने का समय निकल गया है और खराब सामग्री का इस्तेमाल विभाग के खुद के अधिकारी ने माना है क्या उन ठेकेदारों को ब्लैक-लिस्ट में डालेंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): और अन्य किसी नए ठेकेदार को उसका काम देंगे और क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. जैसी चीज करेंगे। आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय मंत्रीजी से पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं बहुत आशा और उम्मीद करता हूं कि इन सड़कों का बहुत बुरा हाल लंबे समय से है। इनमें एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट गहरे गड्ढ़े हैं और वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, आप इस ओर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 19 और मांग संख्या 28 के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 19 और मांग संख्या 28 के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 19 और मांग संख्या 28 के पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 एवं 28 पर विचार

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आप अपने विषय पर बोलिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

लोक निर्माण विभाग की जब बजट में हम चर्चा कर रहे हैं, यह बजट की पवित्र पुस्तिका मेरे पास है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग पर मंत्री महोदय ने, विभाग ने और मुख्य मंत्रीजी ने 35 हजार करोड़ रुपये का पांच साल का बजट रखा है और इस साल 6 हजार 37 करोड़ रुपये का प्रावधान है लेकिन इस मांग संख्या के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है और न इस पर बजट नजर आ रहा है। शायद इसी में से कोई हिस्सेदारी होने वाली है, मुझे यह पता नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के द्वारा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा भवनों का निर्माण, सार्वजनिक भवन बनें, सड़क, पुलिया और अण्डर ब्रिज बनें, भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव हों तथा इस प्रकार से कई प्रकार के काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं लेकिन पिछले छह माह से जब से आपकी सरकार आई है, जो भी काम चल रहे थे, वह सारे के सारे काम बंद पड़े हुए हैं। ठेकेदार हड़ताल पर हैं। उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन सब बिलों का भुगतान करवाया जाए ताकि सुचारु रूप से एकदम काम चल सके और भवन बन सके।

मैं आपसे एक छोटी सी मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार उपखंड मुख्यालय हैं। राशमी, भोपालसागर, कपासन और भदेसर। सिर्फ कपासन में दो कमरे का एक छोटा सा डाक-बंगला है, बाकी किसी भी जगह पर अधिकारियों को रुकने या उनके मीटिंग लेने का कोई स्थान नहीं है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इन सब जगह पर, उपखंड मुख्यालयों के ऊपर तो कम से कम डाक-बंगले बनें ताकि ठीक रहे।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कई बिल्डिंग्स जो जर्जर होने को आई हैं, राशमी थाने की बिल्डिंग जो मेरे पड़ौस में है, वह 50-60 साल पहले बनी थी, वह जर्जर हो गयी है। कपासन कस्बे का भवन जर्जर हो गया, आकोला का जर्जर हो गया और कई भवन हमारी सरकार ने बनाए भी हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी यह थाने के भवन बनें। राशमी थाने का भवन तो स्वीकृत भी है, बजट भी आया है, स्थान की उपलब्धता आप देखकर उसको जल्दी से जल्दी चालू करवा दें और जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनाये गये भवन हैं, वह इतने जर्जर हैं कि हाल ही में जहां हम विधायकगण रहते हैं, वह भवन भी बरसात में टपक रहे हैं। यह तो इन्द्र देव का प्रकोप है या क्या कहें, अभी बरसात नहीं आ रही है वर्ना यह भवन भी जर्जर हो रहे हैं। मेरा तो इतना निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भवनों का निर्माण किया जाए।

मांग संख्या-28 पर जिस प्रकार से सदन के अंदर चर्चा की गयी और सबने एक चिंता व्यक्त की कि गांवों का विकास होना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान की सबको चिंता रहती है लेकिन वास्तव में ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखकर कहें कि आजादी के 72 सालों के बाद भी क्या हम इन गांवों के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ न्याय कर पाए हैं? 50 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है। यदि ईमानदारी के साथ गांवों का विकास करना चाहते तो यह मुसीबत आज हमको नहीं देखनी पड़ती। गांव के लोग खेती पर आधारित हैं। दुग्ध व्यवसाय पर आधारित हैं, छोटे-छोटे कृषि से संबंधित उत्पाद पैदा करके अपना काम चलाते हैं, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोग काम करते हैं।

(20.00 बजे)

मेरा यही निवेदन है कि गांव के अंदर नालियां बनें, सी.सी. सड़क बने, सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, आवास हो और रोजगार मिले। यह जब तक हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम समग्र दृष्टि से गांवों का विकास नहीं कर पाएंगे। आज 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों के अंदर निवास करती है और सदन के सब माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, हम आत्मा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है हम सबसे

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पहले ईमानदारी के साथ गांवों का विकास करना चाहते हैं तो हम सबको एकमत होकर गांव के अंदर नाली, सड़क, आवास, सफाई, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मेरा एक निवेदन है, गांव के विकास के लिये अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि विकास पथ बनेंगे। हमने गौरव पथ बनाये, आप विकास पथ बना रहे हो, केवल यह नाम परिवर्तन करने का काम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गांव के अंदर अच्छी सड़कें बनें, गांवों के लोग भी कीचड़ से सनी नालियों से छुटकारा पाएं और गांवों के अंदर अच्छा विकास हो सके।

शिक्षा का अधिकार देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को, कि उन्होंने जहां ग्राम पंचायतों के ऊपर आठवीं के विद्यालय भी नहीं थे, आज मुझे यहां लाने वाले, इस सदन तक पहुंचाने वाले माननीय कटारिया साहब विराजमान हैं, भैरोंसिंहजी शेखावत आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा को मान्यता देने के लिये और शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिये गांवों में शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, इसके लिये आठवीं के स्कूल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले, उसके बाद दसवीं के विद्यालय खोले, इसके बाद बारहवीं के स्कूल खोलने का काम किसी ने किया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी सरकार ने पंचायती राज के अंदर भी आरक्षण देने का काम हमने किया। भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1995 के अंदर हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था देकर एस.सी., एस.टी., ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायती राज के अंदर पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनाने का काम किया वर्ना आज तक तो लोगों को यह पता ही नहीं था कि वह गरीब आदमी भी कभी सरपंच बनेगा, वार्ड पंच बनेगा या जिला प्रमुख बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने यह काम करके दिखाया।

पानी के लिये कहूंगा, सभी सरकारें आती हैं, गांवों के अंदर विकास करती हैं, हैण्डपम्प लगाती हैं। जनता जल योजना प्रारम्भ करती हैं। हमारी सरकार ने भी किया, आपकी सरकार भी कर रही है लेकिन ईमानदारी के साथ गांवों के अंदर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी अकाल पड़ा हुआ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

है, आज भी गांवों के अंदर हैण्डपम्प खराब हैं और मैं इतना निवेदन करूंगा, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, किसानों के खेती के बिजली के बिल, एग्रीकल्चर के बिल हमने माफ कर दिये। क्या हम गांव में पानी पीने वाले जो लोग हैं, उनकी सिंगल फेज की मोटरें चलती हैं, उनसे बिल लेना जरूरी है क्या? उनके बिल भी हम माफ कर सकते हैं। गांवों के विकास की चर्चा है। गांवों का विकास पानी के बिना कैसे होगा? जब तक हम पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा।

सभापति महोदय, बिजली की व्यवस्था हमने की। दीनदयाल उपाध्याय योजना प्रारम्भ करके उस गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी ने यह काम करके दिखाया है। हमारी सरकार ने दस-दस हजार के, जो गरीब किसान गांव में रहता है, उसके खेतों के बिजली के बिल माफ करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही गैस का कनेक्शन देकर मोदीजी ने एक बहुत बड़ा अनूठा काम किया है। गांव की बूढ़ी महिलाएं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो-तीन मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री सभापति: साढ़े आठ बजे माननीय मंत्रीजी को रिप्लाई करना है, आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, साढ़े आठ बजे करा देना। मेरा इतना निवेदन है जब गैस कनेक्शन पहले भी आ सकते थे, पहले भी गैस कनेक्शन हो सकते थे, लेकिन एक एम.एल.ए. को भी गैस का कनेक्शन लेना होता था तो एक कूपन जारी होता था। जब मैं 1993 के अंदर एम.एल.ए. बना तो मेरे घर के लिये एक गैस का कनेक्शन मिला, एक जयपुर के लिये मिला और आज गैस कम्पनियां स्वयं जाकर उस गरीब के घर तक नि:शुल्क रूप से गैस का कनेक्शन और चूल्हा देने का काम कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह ग्रामीण विकास है, गांवों का विकास किसी ने वास्तव में किया है, गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किसी ने किया है, वह अटल बिहारी वाजपेयी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जी ने किया है। एक हजार की आबादी से लेकर ढाई सौ की आबादी तक गांव के अंदर जब सड़क पहुंची तो गांवों के लोगों ने कभी सोचा होगा, हमारे गांव में भी सड़क आएगी। इसको कहते हैं ग्रामीण विकास। ईमानदारी के साथ करने की जो नीयत है, वह भारतीय जनता पार्टी की है। शौचालय के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें माननीय सदस्य। दस मिनट हो गये आपके। एक मिनट में बात समाप्त करें। प्लीज सहयोग करिये, ऐसे नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): तीन मिनट टोटल हुए हैं। सभापति महोदय, कृपा करें।

श्री सभापति: आपके नेता महोदय कह देंगे। आपके एक सदस्य को और बोलना है, नहीं बुलाऊं उनको?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पांच मिनट में सारी बात कर लूंगा।

श्री सभापति: आपके एक सदस्य को और बोलना है, पूरा समय इनको कैसे दे सकता हूं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): लास्ट हूं मैं। मैं ही हूं लास्ट। सभापति महोदय, मैं ही हूं। मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति: शंकर सिंहजी बैठे हुए हैं, शंकर सिंहजी को बोलना है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पांच मिनट और दीजिये।

श्री सभापति: नहीं, पांच मिनट नहीं, अब आप समाप्त कीजिये प्लीज। आप सहयोग करिए। सहयोग करिए प्लीज। श्री रूपाराम।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा निवेदन है सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए। नहीं, अब आप दो सैकण्ड में समाप्त करिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कर्नाटक की सूचना से आप आघात मत होइए। आपको आघात लगा हो मेरे शब्दों से, तो मैं क्षमा चाहता हूं। सरकार तो आपकी गयी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा तो इतना निवेदन है....(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करिए। अंकित नहीं होगा। श्री रूपाराम।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। विराजिए। आपको बोलना नहीं है, बैठिए आप।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने परिवर्तित बजट एस्टीमेट की मांग संख्या-19 और 28 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने काफी कुछ बताया। अभी बताया जा रहा था कि हमारी सरकार ने यह किया, यह किया। मैं यहां बताना चाहूंगा जब यह प्रजातंत्र आया, वह आया कैसे? उसके बाद में जिसकी सरकार आयी, उसने किया ही है। 1885 से लेकर...(व्यवधान)

श्री सभापति: 1885 में मत जाओ, आप तो अपने क्षेत्र पर आ जाओ।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): आ रहा हूं, आ रहा हूं, साहब। मेरा क्षेत्र भी थोड़ा ज्यादा दूर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके पास में सात मिनट हैं। सात मिनट में अपने क्षेत्र की बात बता दीजिए। 1885 से 2019 तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): हां, बिलकुल उसी पर बताता हूं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा जैसे सभापति महोदय ने निर्देश दिये हैं, आज ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, यह अन्याय है।

श्री सभापति: सीधे-सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र पर आ जाओ।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): जो ग्रामीण विकास के लिये योजनाएं बनी हैं, उसमें मनरेगा जो योजना बनी है, वह वास्तव में एक गरीब के लिये जीवनदायिनी है। इस योजना में, एक्ट में यहां तक प्रावधान है कि अगर किसी जगह कोई काम का स्कोप नहीं हो, तो आवेदन करने पर बगैर काम किये भी उसको 10 दिन की मजदूरी मिलेगी, ऐसा प्रावधान है। मनरेगा योजना के तहत मैं कहना चाहूंगा कि इसके तहत खेती के लिये सभी माननीय सदस्यों ने बताया, जो फेंसिंग का काम नहीं लिया हुआ है, वह लिया जाए तो इसमें और काफी सुधार होगा। पंचम राज्य वित्त आयोग इसके अंदर अभी जो प्रावधान लिये गये हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से सभापति महोदय के मार्फत रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले भी यह बिन्दु आया था, जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में कई गांव और ढाणियां छितरी हुई हैं, वहां अन्य मैटीरियल नहीं मिलता है,

(श्री रूपाराम)

लेकिन गांव में साधारणतया ग्रेवल मिल जाता है तो अभी इस योजना में सड़क को जोड़ने के लिये जो ग्रेवल के मैटीरियल के उपयोग का है, वह इसमें प्रावधान नहीं है, तो इसमें इसको लिया जाए तो छोटी-छोटी ढाणियों में आवागमन की सुविधा हो जाएगी।

इसी के साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी भू-भाग है, जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ है। वहां पर लोग खेती करते हैं। करीब 21-22 गांवों के किसान वहां रहते हैं। इस योजना के तहत जो वहां नाले कच्चे हैं या टूटे हुए हैं, उनको पक्का करना और वहां पर आंधियां अधिक चलती हैं, उनको कवर करना चाहिए ताकि जब भी फसल का सीजन आए तो वह नाले और खाले मिट्टी से भर नहीं जाएं तो इसका प्रावधान इस योजना में डाला जाए। वैसे नरेगा में काम काफी लिये हुए हैं। पहले भी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। हमारे यहां जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, जैसलमेर का एरिया टेल एण्ड पर है, पानी कम मिलता है तो उसको डिग्गी में स्टोर करके जो सिंचाई का पैटर्न है, कहीं पर फव्वारा से है, कहीं पर ड्रिप से है या खालों से भी है, तो जब नहर चलती है, उसके अलावा उसको रिजर्व रखना पड़ता है, उसके लिये स्टोरेज है नहीं तो इंडिविजुअल किसान के लिए चार से पांच लाख का अगर इस नरेगा में प्रावधान लेकर और स्टोरेज, डिग्गी बनाने का प्रावधान लिया जाए तो किसानों के लिए काफी हितकर रहेगा।

एक जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना है इसमें बी.पी.एल. की बेस लाइन 2011 ली गई है, 2002 में पहले जो बी.पी.एल. की सूची बनी थी उसमें जो बी.पी.एल. के अभ्यर्थी रह गये, 2011 में नाम नहीं है तो वे जो छूटे हुए हैं, उनको सीधा ही सूची में जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। 2011 के बाद में अभी एक बार पूरे राजस्थान में पुनर्सर्वेक्षण का ग्राम पंचायत स्तर पर रखा गया था, तो अपील का प्रावधान आगे भी हर वर्ष रखा जावे तो काफी अच्छा रहेगा।

जो ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हो रहा है, इस मौके पर उसके बारे में कहना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने बताया और मेरी विधान सभा क्षेत्र के विशेष पुनर्गठन से लोगों को काफी कुछ लाभ मिलने वाला है। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल राजस्थान के सात जिलों की 35 विधान सभाओं और 43 पंचायत समिति के बराबर है, करीब 28 हजार स्क्वायर किलोमीटर

(श्री रूपाराम)

है। एक वहां पाकिस्तान की सीमा पर ग्राम पंचायत शाहगढ़ है, उसका एक ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल तीन हजार वर्ग किलोमीटर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): टेल एण्ड से आता हूं, थोड़ा पानी भी 40 की जगह 70 लीटर मिलता है, दो मिनट अधिक दे दीजिए।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि पुनर्गठन के अन्दर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं इन्होंने विशेष करके रेगिस्तानी एरिया के लिए प्रावधान रखा है कि जिला कलेक्टर अपने विवेक से भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसमें निर्णय लें। मेरे क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें डेढ़ सौ किलोमीटर से चलकर उस सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम को आना पड़ता है। सुविधा लेने के लिए डेढ़ सौ किलोमीटर कोई चलकर आता है, चाहे वृद्ध हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, वे उसकी सुविधा नहीं ले पाते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें, माननीय मंत्री जी, जैसी आपकी सोच है, तो जब यह पुनर्गठन हो तो यह देखा जाए, राजस्थान में किसी भी ग्राम पंचायत में दस-बारह किलोमीटर से अधिक किसी को भी ग्राम पंचायत मुख्यालय से चलना नहीं पड़े, तो वास्तविक जो लाभार्थी लाभ लेना चाहता है, उसको सुविधा रहेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले जब आई.जी.एन.पी. का काम चलता था तो कई क्वार्टर्स और रेस्ट हाउस बने हुए हैं अब उसका काम नहीं चल रहा है तो वे वैसे ही पड़े हैं तो पी.डब्ल्यू.डी. उसको लेकर मरम्मत कराकर और वहां एक टूरिस्ट पैलेस है, काफी लोग आते हैं तो अगर पर्यटक भी रेस्ट हाउस वगैरह में ठहरें तो भी सरकार की आय होगी। टूरिस्ट प्लेस तनोट है, सम है, इसमें रेस्ट हाउस नहीं हैं, रेस्ट हाउस बनाएं तो उचित रहेगा। ऐसे ही सब-डिवीजन हैडक्वार्टर फतेहगढ़ है उसमें भी पी.डब्ल्यू.डी. का डाक बंगला नहीं है, वह बने। जैसलमेर में सर्किट हाउस में कैपेसिटी कम है, एक्सटेन्शन हो और पी.डब्ल्यू.डी. का डाक बंगला है, उसको थोड़ा मोडर्नाइज करके विस्तार किया जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मांग संख्या 19 और 28 पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(20.14 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे उस समय में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो अधिकार दिये थे जब 1994 में पंचायती राज का एक्ट बना और उस एक्ट के तहत नये चुनाव हुए। उस समय में जिस गांव में पंचायत का चुनाव होता था उसी गांव का कोई भी ठाकुर साहब या प्रभावशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति होता वही सरपंच बन पाता और इसमें वे ही आगे बढ़ पाते थे। सभी जातियों को और आरक्षण देकर के एस.सी., एस.टी. को और सबको अगर लाभ दिया गया है यह स्वर्गीय भैरोंसिंह जी साहब मुख्य मंत्री थे और उस समय में पंचायती राज मंत्री नाथू सिंह जी गुर्जर, इनके द्वारा बनाये हुए संविधान के तहत सभी जातियों को देकर के मौका दिया गया और उसी के तहत उन्होंने हर जाति, तबके को ऊपर उठाने के लिए यह योजना बनायी। उन्होंने जो योजना चलायी थी उसके अन्दर काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय योजना, अपना गांव अपना काम योजना, इस प्रकार की योजनाएं बना करके सभी जातियों को और साथ में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो योजना बनायी थी उस योजना के तहत आज चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय विराजे हुए हैं अभी जो नरेगा योजना चल रही है उस नरेगा योजना के अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है। अभी जितने भी मजदूर उसमें काम करने के लिए जाते हैं सिर्फ समय पास करने का काम करते हैं, वे अपनी खेती में भी काम करना भूल गये। वहां बैठने की बजाय वे कहीं पर भी काम नहीं कर पाते, अपनी खेती में नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार अभी मेरे से पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, जिन पर सारी चर्चा का विषय चला कि, साहब, मस्टररोल में फर्जीवाड़ा, ये चल रहा है, नरेगा में ठेका प्रथा, उस योजना का उद्देश्य है उस गरीब को मजदूरी मिले, गरीब को अपना पेट पालने के लिए उसकी पूरी मजदूरी मिले और वो आवश्यकता के अनुसार काम पर जाए, 100 दिन नरेगा के अन्दर हो और अभी आपने बढ़ा भी दिये हैं, उसके लिए धन्यवाद है लेकिन उसका उद्देश्य पूरा होने के लिए, उस गरीब का हक

(श्री शंकर सिंह रावत)

जो ठेकेदार द्वारा मशीनों द्वारा जो काम करवा दिया जाता है उससे उस नरेगा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर नरेगा में इस प्रकार काम में लेना है तो जिस प्रकार अंग्रेजी बबूल एक जहर के रूप में फैल रहा है, उसको मिटाने के लिए आप ग्राम पंचायतों में कोई ऐसा प्लान बनायें और हर ग्राम पंचायत अंग्रेजी बबूल रहित हो, ऐसी योजना बनायें ताकि काश्तकारों का भी भला होगा। अंग्रेजी बबूल जिस प्रकार गांवों में जहर के रूप में फैल रहा है वह काश्तकार के लिए भी नुकसानदायक है और ग्राम पंचायतों में विकास के लिए भी दुखदायी है और नरेगा के पैसे का सदुपयोग भी हो जायेगा और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार यह अंग्रेजी बबूल पनप रहा है, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप रिप्लाई करें उस समय ग्राम पंचायतों को ऐसी कोई योजना बना करके ऐसा कोई अधिकार दे देवें ताकि वो अंग्रेजी बबूल का अपने स्तर पर सफाया करे।

साथ में निवेदन है कि जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर एक तीर्थ स्थल है उसकी 19 करोड़ की सड़क अपूर्ण पड़ी हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस तीर्थ स्थान से जोड़ने के लिए पंचायती राज के अन्दर ही वो काम चला था और अगर उसको आप पंचायती राज के अन्दर कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा काम होगा।

पंचायती राज के अन्दर किस प्रकार ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार अभी पंचायती राज में व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, आपकी सरकार पर हम आरोप लगा देते हैं, आपके सदस्य हमारी पूर्व सरकार के ऊपर आरोप लगाने का करते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उससे ऊपर उठ करके अगर कोई योजनाओं को, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए अगर आप योजना बनाएंगे तो निश्चित तौर पर यह ठेका प्रथा खतम हो जायेगी, उसमें भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बस एक ही लाइन। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस योजना के अन्दर सफल बनाने के लिए कोई न कोई अच्छी योजना बनावें, आप जवाब दें, उस टाइम में इस योजना के बारे में बताएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास एवं लोक निर्माण पर आज सुबह से ही सार्थक चर्चा हो रही है, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मौका दिया, इसका मैं आभारी हूं।

जब सदन में चर्चाएं होती हैं, मांग भी उठती हैं, कार्यों पर टिप्पणियां भी होती हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में 200 विधायक राजस्थान की विधान सभा में चुन करके आते हैं और वे अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र से चुन करके आते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां ग्रामीण स्तर पर क्षेत्र के लोगों को कौन-कौनसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम यहां उनकी चर्चा सार्थक रूप से करें और जो दोष अभी सरकारी स्तर पर हैं उनका सुधार कैसे हो। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव के आदमी का काम गांव में ही बैठकर हो, ग्राम स्वराज का नारा दिया था।

पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकर जन सुनवाई करने का आदेश दे रखा है। यह पंचायती राज मंत्री जी के स्तर पर आदेश जारी हुए लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। मैं आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर पायलट जी को कहना चाहूंगा कि हमने 2015 में महीने के प्रत्येक बुधवार को ग्राम स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उसमें पंचायत का सचिव, जिसे अभी ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, पंचायत का पटवारी, उस पंचायत से संबंधित गिरदावर, उस पंचायत में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, प्रत्येक बुधवार को ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर बैठकर जन सुनवाई करते हैं। इसमें 2 कार्यों का निस्तारण होता है। पहला तो यह है कि यह लड़ाई चलती रहती है कि हमें सैक्रेटरी मिलता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्राम का विकास अधिकारी चाहे सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक वहां बैठा रहता है और सवा 3 पर वह निकल जाता है और साढ़े 3 बजे कोई प्रार्थी एक एप्लीकेशन लेकर के आता है तो उस प्रार्थी का फोन आता है तो वह यह सोचता है कि 10 बजे से ही ग्राम विकास अधिकारी गायब है। पायलट साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

में कम से कम सप्ताह में जो शुक्रवार का दिन आपने फिक्स कर रखा है, या तो शुक्रवार रखें, या बुधवार रखें, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा हो जब सुबह साढ़े 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके अधिकारी वहां बैठकर लोगों की जन सुनवाई करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर अगर कम खर्च करके ज्यादा विकास देखना है तो हमको विधायक कोष से वहां लाइट लगाने की परमिशन देनी पड़ेगी। एक सड़क जिस पर हम 50 लाख रुपये खर्च करते हैं, उसी सड़क पर हम 5 लाख रुपये में रात्रि में प्रकाश दे सकते हैं। अगर हम 50 लाख के बदले 5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो उससे विकास ज्यादा दिखाई देता है। ग्राम पंचायत स्तर पर हाई मास्ट लाइट अगर सरकार नहीं लगाती है तो विधायक भी करने के लिए तैयार है। विधायक कोष में इसके लिए अगर परमिशन दी जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में 251-ए में रास्ते देने का काम किया था। हमारी आबादी अब छितरी हुई बसने लगी है। कई जगह राजस्व रिकार्ड में भूमि के जो रास्ते होते हैं तो 2 प्रकार के रास्ते हैं। एक रास्ता है, जिसका नाम 'रास्ता' के नाम से दर्ज है। दूसरा रास्ता है, 'गैर मुमकिन रास्ता'। वह किसान की खातेदारी में तो होता है, लेकिन रिकार्ड में वह गैर मुमकिन रास्ता होता है। जिसको किसान कभी भी किसी कीमत पर वैधानिक रूप से नहीं रोक सकता है लेकिन उस गैर मुमकिन रास्ते में हम विधायक कोष को खर्च नहीं कर सकते। उस गैर मुमकिन रास्ते पर से बार-बार अतिक्रमण हटवा दिया जाता है लेकिन किसान को लालच होता है और उस पर खेती उगाने का काम करता है। जो लोग पीछे बसे हुए हैं, अगर हमें उस पर विधायक कोष से परमिशन मिल जाए और उस पर ग्रेवल सड़क बन जाए तो हमेशा का झंझट खतम हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे यहां छोटी-छोटी सड़कें हैं। जैसे मैंने आज मंत्री महोदय से निवेदन भी किया है कि महुवा कस्बे में मंडावर रोड पर स्टेट हाईवे नंबर 35 है, उस पर निकल नहीं सकते। कुछ सड़कें जो पहले स्वीकृत हुई थीं, जो रुकी हुई हैं, उनका काम भी कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आज सड़कों की डिमांड नहीं है। उस पर डिमांड नहीं है।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 28 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वक्त ज्यादा न लेते हुए मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। हमारे यहां सरपंच ठेकेदारी का कल्चर चल चुका है। अक्सर जो महिला सरपंच हैं, वह मीटिंग्स में नहीं आती हैं। सरपंच प्रतिनिधि एक पद बना लिया है लोगों ने, वही सारी मीटिंग्स अटैंड करते हैं। 3-3, 4-4 साल से सरपंचों ने मीटिंग्स अटैंड नहीं की हैं।

लोक निर्माण में पीडब्ल्यूडी के अंदर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत मनमानी है। अभी मेरे क्षेत्र में गुलपाड़ा से नगर एक सड़क बन रही थी। अतिक्रमण हटाना पड़ा और 2 गांवों में लोगों ने अपने मकान तोड़े लेकिन ठेकेदार ने रोड अधूरा छोड़ दिया और अपना पेमेंट लेकर चले गए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही हो। इसी तरह से कगड़ा हिंगौटा रोड में भी ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया और अपना पेमेंट लेकर चले गए। एक और बहुत बड़ा रोड नगर से सीकरी पीपीपी मोड पर हमारे क्षेत्र में बन रहा है। उसको 4 अगस्त को पूरा होना था। 10-15 दिन बचे हैं। अभी 50 परसेंट भी काम पूरा नहीं हुआ। अब बारिश का मौसम आने वाला है। आगे भी काम होने की उम्मीद नहीं है। जब ठेकेदारों को नियम और शर्तों के द्वारा डैड लाइन भी दी जाती है, तो फिर ऐसे क्या कारण हैं कि वह काम पूरा न करें। क्या उन पर किसी प्रकार की पैनल्टी की कार्यवाही होती है? ऐसा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सिर्फ एक डाक बंगला है। जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। उपखंड अधिकारी के बैठने के लिए कोई भी आफिस नहीं है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एईएन आफिस बनाए जाएं, सीकरी और नगर के अंदर। उप तहसील सीकरी करीब 25 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत है। एक पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतने बड़े कस्बे को एडमिन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मांग करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इसे नगरपालिका में क्रमोन्नत किया जाए।

(श्री वाजिब अली)

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 59 पंचायतें हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि एक और पंचायत समिति का गठन करें, ताकि क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यों के लिए लोगों को दूर-दूर न जाना पड़े। आपने मुझे अपनी मांगों को रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से बजट की मांग संख्या 19 और 28 को लेकर जो चर्चा हुई है, उसमें लगभग 50 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा। जिस चर्चा को आप शुरू करके गए थे और आज आप यहां बैठे हैं। आपके पीछे सड़कों के ऊपर भी चर्चा कई बार हो चुकी है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने बहुत रुचि लेकर इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी है। सुबह से बहुत सारे भाषण हुए। इन भाषणों के माध्यम से बड़ाई भी हुई है और कमियों को छांटने का काम भी किया गया है। कभी-कभी आलोचना भी हुई है। लेकिन इन 8 घंटों में एक बात पूरी चर्चा से उभरकर आई है कि हर माननीय सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, ग्रामीण विकास को लेकर, पंचायती राज की संस्थाओं को लेकर एक मार्मिक दृष्टि से अपनी बात को रख रहा था। मैं समझता हूं कि आज के जो भाषण हुए हैं50 माननीय सदस्यों के, वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे वैचारिक, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विकास को लेकर सब लोगों ने एक सार्थक चर्चा की है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी संसदीय प्रणाली के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। मैं सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33 जिला परिषदें, 295 पंचायत समितियां, 9892 ग्राम पंचायतें और 43264 गांव हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से नरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना, चौदहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद्, डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजना, बार्डर एरिया डवलपमेंट फंड, एमपी लैड, एमएलए लैड, बायो फ्यूल प्राधिकरण

(श्री सचिन पायलट)

आदि के माध्यम से हम लोग राजस्थान में अलग-अलग स्कीम्स को अंजाम देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि ग्रामीण विकास एक विभाग न होकर, एक मंत्रालय न होकर, एक मिशन होना चाहिए। एक परिकल्पना होनी चाहिए। एक उद्देश्य को लेकर हमें इस विभाग को, इस विभाग के पैसे को, इस विभाग के कार्यक्रमों को आगे ले जाना है। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कई सालों में ग्रामीण विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। बहुतों पर काम किए गए हैं लेकिन नरेगा के बारे में आज लगभग सभी सदस्यों ने जिक्र किया और मुझे खुशी है कि दुनिया भर में 200 देश हैं, लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है, जहां रोजगार की गारंटी संविधान में लिखी हुई है और यह मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनमोहन सिंहजी का, सोनिया गांधीजी का, हमारी पार्टी की सरकार का जो केन्द्र में थी, हमारे दल का कि एक सोच रखी। साढ़े छह लाख गांव इस देश में हैं, उन गांवों को विकसित करने के लिए क्या किया जाए, नरेगा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, जिसकी बहुत डिमांड होती थी या किसी ने आकर मांग रखी हो, लेकिन यह सोचा गया कि जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, प्रकृति का प्रकोप होता है तब सबसे गरीब जो लोग हैं, उनका क्या होता है? राजस्थान में सूखा पड़ता था तो लोग पलायन कर जाते थे, उस समय भी राहत के काम होते थे लेकिन राहत के काम अफसरों और नेताओं की मनमर्जी से होते थे कि किसको कितना राहत का काम देना है, किसको कितना देना है लेकिन एक कलम से लिखा गया कि संविधान में संशोधन हो गया, पूरे देश के हर परिवार के एक परिवार को सौ दिन का रोजगार संविधान में लिख दिया गया, अब कोई सरकार आ जाए या चली जाए यह बदलने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2014 में जब नई सरकार का गठन दिल्ली में हुआ तो नरेगा को लेकर बहुत व्यंग्य कसा गया, मजाक भी उड़ाया गया लेकिन इस देश की वास्तविकता ऐसी है कि आप इस जन कल्याणकारी योजना को, इस कानून को समाप्त नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर दिसम्बर, 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब पहली मीटिंग हुई मंत्रालय की तो मैंने जानकारी ली। माननीय अध्यक्ष

(श्री सचिन पायलट)

महोदय, उस समय नरेगा के माध्यम से 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। मुझे लगा कि यह नाकाफी है और हमें क्योंकि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है इसका कोई टारगेट नहीं है। जहां जिस ग्राम पंचायत, ग्राम, ढाणी में कोई मांग करता है काम की तो सरकार को, प्रशासन को उसको काम देना पड़ता है। हम लोगों ने 'काम मांगो अभियान' चालू किया और फार्म नम्बर सिक्स को भरने के लिए हमने कहा। पूरे प्रदेश में जाकर हमने प्रचार किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिन्होंने मिलकर इस काम को किया और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि मार्च, 2019 तक जहां 9 लाख लोग काम करते थे दिसम्बर में वहां मार्च, 2019 में 32 लाख लोगों को रोजगार नरेगा से मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जब प्रावधान दिए थे नरेगा को लेकर और मैं इस मौके पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन आज बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी आत्मा, अंतर्आत्मा की गहराइयों से नरेगा को मजबूत बनाने के सुझाव दिए। सारे सुझाव मैंने लिखे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह बात भी सच है कि पिछले कार्यकाल में नरेगा की स्कीम आपकी नाक के नीचे तड़प कर मर रही थी, तब किसी में हिम्मत नहीं हुई कि नरेगा को जिंदा करे। आज सबको नरेगा याद आ रहा है। सदन के हर पक्ष के व्यक्ति को, विधायक को, लेकिन जब पिछली सरकार का कार्यकाल था तो इस स्कीम को लगभग मरने दिया जा रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल लेबर बजट जो दिया गया है मानव दिवसों का, 22 करोड़ मानव दिवस का बजट दिया गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जून तक ही हम लोग 16 करोड़ मानव दिवस सृजन कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा में 100 दिन तक काम करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या वर्ष 2017-18 में 2 लाख 28 हजार थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यह संख्या अब जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है नरेगा के माध्यम से, वह संख्या 5 लाख 88 हजार पहुंच चुकी है। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान अब नम्बर तीन पर है। नरेगा के मापदंड में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान नम्बर दो पर है।

(श्री सचिन पायलट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 लाख 66 हजार काम नरेगा के माध्यम से दिए गए, उसमें कैटेगिरी-बी, जिसमें एससी, एसटी, बीपीएल, लघु सीमांत किसान के खेतों पर मेड़बंदी, लेवलिंग करना, वृक्षारोपण करना, कैटल शेड बनाना, इसको कैटेगिरी-बी बोलते हैं। 10 लाख 66 हजार कामों में से 8 लाख 73 हजार काम कैटेगिरी-बी के थे ताकि सबसे गरीब, सबसे पिछड़े और जो मुख्य धारा में नहीं हैं उन लोगों को मदद मिल सके। 82 प्रतिशत काम कैटेगरी-बी के हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि भ्रष्टाचार कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम में है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खतम करना होगा, इसमें सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। नरेगा एक्ट में लिखा था कि जहां-जहां नरेगा होगा हर राज्य में वहां पर एक सोशल आडिट होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, अपने क्षेत्र भीलवाड़ा में आपने सोशल आडिट करवाया था। पूरे देश में राजस्थान इकलौता राज्य था जहां पर सोशल आडिट का कोई कानून नहीं बना। मुझे बताते हुए खुशी है सदन को कि सरकार बदलने के बाद हम लोगों ने 'Society for Social Accountability And Transparency' का गठन किया है ताकि आडिट हो और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसको पकड़ा जाए और सुधारा जाए। साल में दो बार नरेगा का सोशल आडिट किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना लागू की थी। हमारे विभाग से हमने जो एजेंडा इसके लिए तैयार किया था, उसमें हमने हर पंचायत में पांच काम अनिवार्य किए थे, कम से कम पांच काम होने चाहिए। पूरी पंचायत के अंदर एक चरागाह का विकास हो, एक खेल मैदान का विकास हो, एक श्मशान अथवा कब्रिस्तान का विकास हो, एक जलाशय का विकास हो, कन्वर्जन्स के माध्यम से एक सड़क मय नाले की स्वीकृति की जाए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि पर-पंचायत को पांच काम दिए थे 100 दिन के एजेंडा में। उसमें लगभग शत प्रतिशत कम्प्लायंस हर पंचायत में हुई हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना में 6 लाख 87 हजार मकानों के निर्माण करने थे उसमें से 6 लाख 38 हजार हम कर चुके हैं। पूरे देश में हम चौथे स्थान पर हैं प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से।

(श्री सचिन पायलट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के मायने क्या हैं? हम समझते हैं कि सिर्फ पैसा आबंटन कर देना, योजना बना देना, प्रोग्राम और पालिसी बना देना, यहां पर बैठकर हम बजट पास कर देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह होना चाहिए कि गांव ढाणी में जो गरीब लोग रहते हैं क्या उनके जीवन को हम सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं। इतने लाख खर्च किए, इतने करोड़ खर्च किए, यह सब अच्छा है, होना भी चाहिए लेकिन जो केन्द्र बिन्दु है वह इस देश का किसान होना चाहिए। साथियों, जितने बार हमने दौरे किए हैं, मुझे राजस्थान या देश भर में कोई ऐसा किसान नहीं मिला जिससे मैंने बात की हो और उसने मुझे कहा हो कि मैं खेती-किसानी करता हूं लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर किसान बनाऊंगा। यह बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर किसान को आर्थिक समृद्धि एक तरफ लेकिन समाज में जो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारा अन्नदाता है, जो जमीन का पेट फाड़कर पूरे देश का पेट पाल रहा है, ऐसा कोई किसान हमें मिल नहीं रहा है देश में जो कहे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर एक किसान बनाऊंगा। उसका स्वाभिमान, उसकी ताकत, उसका मान सम्मान वापस हमें लाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी ने कहा कि यह कृषि प्रधान देश है और हम लोगों को गांव पर, किसानों पर फोकस करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर में मैट्रो बन रही है लेकिन हम किसानों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमें आत्म चिंतन करना चाहिए। हम डेढ़ लाख करोड़ रुपये की बुलैट ट्रेन बनाने का सपना दिखा सकते हैं लेकिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर कोई सार्थक चर्चा दिल्ली में नहीं हो रही है। राजीव गांधीजी का नाम कई बार लिया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज बहुत खुशी है कि स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत साहब, जो हमारे देश के पूर्व उप राष्ट्रपति थे, इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे, कई बार माननीय सदस्यों ने उनका नाम लिया। यह अलग बात है कि पिछले पांच सालों में आप नाम नहीं ले पाये, लेकिन आज लिया, मुझे बड़ी खुशी है। हमारे बड़े प्रिय नेता थे, उन्हें हम याद करते हैं। क्या कारण रहे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज बहुत याद किया आपने उन्हें, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की।

(श्री सचिन पायलट)

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि चाहे बीडीओ है, मेट है, सीईओ है या ग्रामीण विकास या पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, वे सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार चलाना, सरकारी पैसे का उपयोग करना, इसमें सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो जन प्रतिनिधि की है। अफसर हावी नहीं होंगे, जैसा हमारे जन प्रतिनिधि चाहेंगे, उस प्रकार से काम होगा। अधिकारी लगाये जाते हैं जन प्रतिनिधि की मदद करने के लिये, सहयोग करने के लिये। नीति निर्माण सरकारें करती हैं, विधान सभा करती है। कानून बनने के बाद उसका क्रियान्वयन करने के लिये जन प्रतिनिधि की बात को माना जाएगा। विशेष रूप से जो मेरे विभाग हैं, उन्हें मैं निर्देशित करूंगा कि जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे वे प्रधान हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, विधायक हैं, आप सब लोगों की सहमति के बाद, आप सबसे विचार-विमर्श के बाद जो कानून के दायरे में होंगे, उन सभी कामों को हम अंजाम देंगे।

अध्यक्ष जी, कई सदस्यों ने कहा कि जो शैक्षणिक योग्यता का मापदंड है, वह हटाना नहीं चाहिए था। इस विधान सभा का आंकड़ा मेरे पास है नहीं, लेकिन जो पिछली विधान सभा थी, उसमें 27 माननीय सदस्य ऐसे थे, जो दसवीं फेल थे। जो पिछली लोक सभा थी, उसमें भाजपा का जो लोक सभा का संसदीय दल था, उसमें दो सदस्य थे जो दसवीं फेल थे। देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के कानून बनाना, देश का बजट पास करना, उसके लिये तो आप पांचवीं, चौथी, छठी पास हो सकते हैं, लेकिन कुआं, खरंजा, नाली, हैंडपंप कहां खुदेंगे, उसके लिये आपने यह थोपा। कौन सदस्य नहीं चाहता कि राजनीति में पढ़े-लिखे लोग आएं? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह इस बात के लिये समर्थन देना चाहता हूं कि राजनीति में पढ़ेलिखे लोग आने चाहिए, साफ छवि के लोग आने चाहिए, लेकिन आप किसी को वंचित रखें, संविधान में कहां लिखा है कि आप भेदभाव करके लोगों को योग्य-अयोग्य घोषित कर दें? ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, जिन्होंने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री से पुरस्कार पाया है, जो पढ़ी-लिखी कम थीं, लेकिन ईमानदारी से काम किया। यह बोलना कि जो कम पढ़ा-लिखा है, वह भ्रष्टाचार करेगा, यह बिलकुल गलत है।

(श्री सचिन पायलट)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। याद रखें, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वे बहुत पढ़ेलिखे लोग हैं। गांव, ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं, अनजाने में उनका अंगूठा लगा लिया जाता है, उनसे साइन करा लिये जाते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए पिछले पांच सालों में मैंने, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि राज बनेगा तो शैक्षणिक योग्यता के मापदंड को हम हटाएंगे ताकि सब लोग चुनाव लड़ सकें। ऐसी अनेकों पंचायतें थीं, जहां दसवीं पास कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। बाहर से लेकर आये, कलेक्टर को चार्ज दिया, छह महीने में चुनाव करवाया, फिर भी कोई नहीं मिला।

हैरानी की बात है कि यह वे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने बीस हजार स्कूल बंद कर दिये। अब कहते हैं, पढ़े-लिखे लोग लेकर आइए। यूनिवर्सिटीज बंद कर दीं, स्कूल बंद करे सिर्फ इसलिये कि जो वंचित है, निर्धन है, गरीब है, जो पिछड़ा है, दलित है, महिला है, अल्पसंख्यक है, जो दूर कोने में खड़ा है, वह वहीं खड़ा रहे। उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि यहां विधान सभा तक पहुंच सके, जिला परिषद् तक पहुंच सके, सरपंच बन सके। गरीब के हाथ में ताकत दें, चुनाव तो जनता लड़ाती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति जो कम पढ़ा-लिखा है, आप पीएचडी को ले आएं, डबल एमए को ले आएं, उससे हरवा दीजिए चुनाव, लेकिन यह कहना कि शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से हम भेदभाव करेंगे, उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है।

मुझे खुशी है कि पहले सत्र में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था, उसे हमने निभाया है और शैक्षणिक योग्यता को हमने खतम किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर इशारा किया। मत भूलें, आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज, इनकी आधारशिला किसने रखी थी? पंडित नेहरू ने, 50 के दशक में जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, उन्होंने तब कहा था कि हायर एजूकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में आईआईटी का लोहा माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि उस समय 70 साल पहले यह परिकल्पना थी उन नेताओं की जिन्होंने कहा कि अगर नींव बनानी है तो उच्च शिक्षा हमारे लिये बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, यह मापदंड जो हमने हटाया है, यह जनता के हित

(श्री सचिन पायलट)

के लिये है ताकि सब लोग इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले सकें। सब लोग अपनी बात कर सकें। 1952 में जब पहले चुनाव हुए थे, सिर्फ पांच हजार लोग थे देश में जो सांसद-विधायक थे। जो एमपी-एमएलए बन गये 1952 में, वे ही पूरे देश में राज करते थे। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी ने उस समय कल्पना नहीं की थी, संविधान के 73वें, 74वें संशोधन में जो दूरगामी है, उसका असर पड़ेगा, आज इस बात का हम लोग अहसास करते हैं।

उनकी परिकल्पना थी कि जयपुर में बैठकर डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़ी, धौलपुर में कहां हैंडपंप बनेगा, खरंजा खुदेगा, यह हम नहीं करेंगे, यह ताकत गांव में दें, सरपंच को दें, प्रधान को दें, यह उस समय उन्होंने सोचा था। आज लगभग डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड रिप्रजंटेटिव्ज हैं, जो चुनकर आये हैं, आज वे अपनी कलम से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने उस समय दूर-दृष्टि रखी थी। राजीव गांधी जी जो संशोधन लेकर आये थे, उसका आज हम सब लोग स्मरण करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने यह बात कही कि जो पंचायत समिति के मैंबर्स हैं या जिला परिषद् के सदस्य हैं, वे अपने आपको असहाय महसूस करते हैं। चुनाव होने के बाद और प्रधान-प्रमुख बनने के बाद उनकी पूछ होती नहीं है। कमेटियां बनती हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दृष्टि से हम और ताकतवर कैसे बना सकते हैं, इस पर हमारी सरकार गंभीर है। हम कुछ न कुछ ऐसा मापदंड तय करेंगे ताकि लोगों को अहसास हो कि वे स्टेकहोल्डर हैं इस पूरी प्रणाली में। अध्यक्ष जी, जो चर्चा हुई थी लोक निर्माण विभाग के बारे में, उसमें कई सदस्यों ने मांग रखी, डाक बंगले अपने-अपने क्षेत्र में बनाने की बात कही है। मैं सिर्फ सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऐसी लगभग दस हजार प्राइवेट बिल्डिंग्स, 210 डाक बंगले, ढाई हजार सरकारी बिल्डिंग्स का रखरखाव करता है, लेकिन जो बजट है, वह पर्याप्त नहीं है।

पिछली सरकार के कार्यकाल में सिर्फ दो डाक बंगले बने थे पांच साल में और वह भी नागौर जिले में बने थे, लेकिन काफी सदस्यों ने कहा है, जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां पर हम कोशिश करके डाक बंगले बनाने का

(श्री सचिन पायलट)

काम करेंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि इतिहास में अब तक रिपेयर एंड मेंटीनेंस और नये डाक बंगलों के निर्माण के लिये अलग से बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु चूंकि आज चर्चा में बहुत सदस्यों ने अपनी बात रखी है, इसलिये हम कोशिश करेंगे हम इस साल के बजट में उसे कहीं न कहीं लेकर आएं।

अध्यक्ष महोदय, अभी काफी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। ज्ञानचन्द पारख साहब ने कहा कि विकास पथ कितने-कैसे बनेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गौरव पथ जो बन रहे थे, उन्हें बंद करने का निर्देश डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया, लेकिन जीजीपी-1, 2 और 3 के फेज पूरे हो चुके थे, हमें आगे बढ़ना था, विकास पथ की घोषणा सरकार कर चुकी है और अगले पांच सालों में दस हजार किलोमीटर के विकास पथ हम लोग राजस्थान में बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य लक्ष्मण मीणा जी ने कहा कि जो सड़कों की गुणवत्ता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर हमें काम करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राजस्थान में प्रतिदिन, जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनकी गुणवत्ता को बेहतर करना होगा। हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाई-वेज हैं, स्टेट हाई-वेज हैं, एमडीआर हैं, रूरल रोड्स हैं, लगातार जो क्वालिटी है, वह हमें मेंटेन करनी चाहिए, इसलिये क्वालिटी कंट्रोल के लिये लैब्स बनी हैं मौके पर, लैब्स बनी हैं जिला मुख्यालय पर। लक्ष्मण मीणा जी ने जो कहा, मैं उसे गंभीरता से ले रहा हूं। हम अपने विभाग में, जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, उसे और मजबूत करेंगे।

मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे जो क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करते हैं, तब तक वह संदेश नीचे तक नहीं जाएगा, इसलिये मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा पूरा फोकस न सिर्फ नवनिर्माण पर होगा, बल्कि क्वालिटी आफ कंस्ट्रक्शन पर भी हम पूरा ध्यान देंगे ताकि सभी माननीय सदस्य संतुष्ट रहें। अभी दो-चार सदस्यों ने बात कही, मेरे ख्याल से अवाना जी ने और एक और सदस्य ने कहा कि बहुत सी कम्प्लेंट्स आयी हैं। प्रत्येक कम्प्लेंट को, जो मापदंड स्थापित हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलग मापदंड हैं, प्रदेश के अलग मापदंड

(श्री सचिन पायलट)

हैं, मापदंडों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उस अधिकार और ठेकेदार पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे ताकि आपको लगे कि क्षेत्र में गुणवत्ता के काम हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने कहा कि नरेगा को हम कृषि से जोड़ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा के माध्यम से भारत सरकार की 260 कामों की स्वीकृति है, 260 काम हम कर सकते हैं और राजस्थान में नरेगा की पेमेंट 140 रुपये प्रति दिन है। शकुन्तला रावत जी ने इस बात को कहा कि पेमेंट पूरा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं शकुन्तला जी को और बाकी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विभाग का और हमारा उद्देश्य यह है कि हम मैक्सिमम पेमेंट करें लेकिन पैमाइश में अगर कहीं कमी आती है, अगर निर्माण पूरा नहीं हो रहा है तब पेमेंट रूकती है तो मैं बात समझ सकता हूं लेकिन अगर कहीं किसी विकास अधिकारी की, बी.डी.ओ. की या किसी अफसर की कमी के कारण ऐसा हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से मैं दिखवाऊंगा और हम चाहेंगे कि लोगों को पूरा पेमेंट मिले, 140 रुपये प्रतिदिन का पेमेंट है और यह पूरा लोगों तक पहुंच सके, मैं कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सुरेश टाक साहब का एक सुझाव आया कि एक स्मार्ट विलेज हम लोग बनाएं। बिलकुल बात सही है। जब अरबन सेंटर्स की बात आती है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा तो बहुत-सी स्कीम्स आती हैं, बहुत लोग बहुत से हमें आइडियाज देते हैं लेकिन एक ग्राम को, एक गांव को हम माडल कैसे डवलप करें इस पर सरकार गम्भीरता से गौर कर रही है और अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको विवरण दूंगा कि हम लोगों ने क्या-क्या सोचा है, क्या-क्या स्कीम्स हम स्मार्ट विलेज की तरह बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय भरतसिंह जी ने कहा कि सी.ई.ओ., जिला परिषद् पंचायत समिति की मीटिंग अटेंड नहीं करते। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुख्यालय पर बैठकर या जयपुर में बैठकर हम सब लोग निर्णय लें, वह प्रेक्टिकल नहीं है। इसलिए मंत्रालय के सभी लोगों को निर्देशित किया जाएगा कि समय-समय पर जितना सम्भव हो सके, ब्लाक, पंचायत समिति, जिला परिषद् की मीटिंग में खुद बैठें, वहां बैठकर निर्णय लें और जयपुर में रिपोर्ट करें ताकि यह न लगे कि बड़े अधिकारी सिर्फ अपने आफिस में बैठे रहते हैं। इसका हम पूरा फोकस रखेंगे और अध्यक्ष महोदय, जब भी हम लोग

(श्री सचिन पायलट)

दौरे करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सब अधिकारी साथ जाएं क्योंकि धरातल पर जो वास्तविकता है वह दफ्तर में हम कभी समझ नहीं सकते। जब तक हम गांव, खेत-खलिहान, ढाणी में नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं पड़ेगा कि असलियत क्या है और तब तक हम उसका निराकरण भी नहीं कर सकते हैं। समस्याओं की जानकारी के लिए नेताओं के साथ-साथ अधिकारियों को भी ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए तभी मैं समझता हूं कि हम लोग न्यायपूर्ण कार्यवाही अपने मतदाताओं, लोगों के प्रति कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आया था कि हम कृषि से नरेगा को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी भी कोई व्यक्ति अपने खेत पर काम करता है तो उसको नरेगा में गिना जाता है। असेट क्रियेशन के लिए अगर कृषि सम्बन्धी कोई कार्यवाही होती है तो उसको हम लोग नरेगा में ले सकते हैं। आज भी लगभग 70 प्रतिशत जो नरेगा पेमेंट हो रहा है वह कृषि सम्बन्धित गतिविधियों को लेकर हो रही है। इसमें दिल्ली में एक मंत्रियों का समूह बना था जहां यह कहा गया था कि जो बुवाई और कटाई है इसको भी नरेगा में जोड़ा जाए तो भारत सरकार ने उस समय सी.एम्स. का एक समूह बना था और उस टाइम इस मांग को रिजैक्ट कर दिया था लेकिन फिर भी हमारी राजस्थान सरकार की पूरी कोशिश है कि अगर कोई मेड़ बांधता है, कोई लेवलिंग करता है या कैटलशेड बनाता है तो उसको नरेगा के माध्यम से पूरा सहयोग मिले। असेट क्रियेशन में खुद के साथ अगर चार अन्य लोग काम करते हैं तो उसकी पेमेंट भी हम नरेगा के माध्यम से करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत साथियों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय कम है लेकिन जो-जो कम्प्लेंट्स माननीय सदस्यों ने यहां पर अफसरों के बारे में या जांच के बारे में रखी हैं, मैं उनको आश्वासित करना चाहता हूं कि हम उनको पूरा कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस साल 15 अगस्त, 2019 से लेकर 2 अक्टूबर, 2019 तक हम लोग एक महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर लगाएंगे। इस महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के माध्यम से पट्टा वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना, श्रम विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तियों को लाभान्वित कराना, महिला शक्ति समूह का गठन करना और जो पांच काम हमने हर पंचायत में दिये थे उनका

(श्री सचिन पायलट)

रिवीजन कर उन पर कार्यवाही करना। यह 15 अगस्त, 2019 स्वतंत्रता दिवस से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म दिन 2 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, हम लोग इस वर्ष 14 नवम्बर, जो देश के प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू का जन्म दिन है, उस दिन हम लोग 'मेरा गांव मेरा गौरव दिवस' मनायेंगे। 14 नवम्बर के दिन, दिनभर अलग-अलग गांव, पंचायतों के अन्दर खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा पूरे प्रदेश के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा एवं कोटा जिलों के पास जो हाईवे फैसेलिटी सेंटर हैं वहां पर एक मॉल तैयार किया जाए, एक ग्रामीण मॉल। क्योंकि मॉल सिर्फ शहरों में बन रहे हैं, हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं कि उनको भी मॉल के कंसेप्ट से अवगत करायें लेकिन वह मॉल नहीं, जो कामर्शियल मॉल हम सोचते हैं। वहां पर हम चाहते हैं कि वहां पर जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जो पंचायत समिति बना रही हैं, वह चिह्नित करके उस जगह का लाभ उठायें ताकि पार्टनरशिप के साथ जो खाली पड़ी जगह है उसको हम एक ग्रामीण मॉल के तहत डवलप कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य स्कीम हम चलाना चाहते हैं, 'वन ब्लाक वन प्रोडक्ट'। हर ब्लाक से एक ऐसा प्रोडक्ट हम निर्मित करना चाहते हैं जो लोकली डवलप हो, उस क्षेत्र की जो खास बात हो उसको वहां बनाकर, उसकी डिजाइन डवलप कर, उसकी पैकेजिंग कर, उसकी मार्केटिंग कर उसको लिंकेज दें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो छोटा-मोटा बिजनैस करना चाहते हैं उनको प्लेटफार्म मिले। अब अगर किसी को व्यवसाय करना है तो जैसे कई सदस्यों ने कहा कि गांव से शहर पलायन क्यों होता है क्योंकि अवसर ज्यादा यहां पर हैं, प्लेटफार्म ज्यादा है तो हम चाहते हैं कि अपार्च्युनिटीज को हम लोग गांव-देहात तक लेकर जाएं ताकि नौजवान लड़के-लड़कियां जो अपने कौशल से कुछ बना सकते हैं उनको लिंकेजेज दें, मार्केट एक्सेस करायें और उनको पूरा सहयोग दें ताकि हर ब्लाक से एक प्रोडक्ट राजस्थान में हम लोग बनाएं।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रोटो टाइप माडल आवास का निर्माण हम करेंगे

(श्री सचिन पायलट)

11 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से, आईआईटी, देहली ने एक आवास निर्माण का सुझाव दिया है ताकि हर पंचायत समिति में एक माडल नक्शे के अनुसार एक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए मुख्यालय पर माडल आवास तैयार करें ताकि वहां लोग देखकर जो बेस्ट इन डिजाइन कैपेबिलिटी फैसेलिटीज हैं उनको सम्मिलित कर सकें अपनी योजनाओं के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार ने जो अब तक काम किया है पर क्योंकि आज वह समय नहीं है क्योंकि जो कट-मोशंस थे वे सड़कों पर हमने एक्सेप्ट नहीं किये थे लेकिन काफी सदस्यों ने सड़कों के बारे में अपनी-अपनी बात रखी है। मैं जानता हूं कि आप अनुमति नहीं देंगे लेकिन मैं सिर्फ दो लाइन सड़कों के बारे में, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जब भी हम भाषण देते हैं तो बिजली, पानी और सड़क, सड़क का नम्बर तीसरे पर आता है। सड़क का जो महत्व है उस पर मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं:-

'जोड़ रही हैं सड़कें जीवन को जीवन से,
अभावों को साधन से,
सड़कें दाता हैं, सड़कें भाग्य विधाता हैं,
इस पर चलते परिवार, इससे पलते परिवार,
सड़क दवा है, सड़क दुआ है, सड़क शिक्षा है,
सड़क रिश्ता है, सड़क रोजगार है, सड़क व्यापार है।'

सड़कों का जो महत्व है उसको कम नहीं आंक सकते। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, कई सदस्यों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में वर्क सैंक्शन हो गया, वर्क आर्डर निकल गया, काम भी चालू हुआ लेकिन फिर काम बन्द हो गया। अध्यक्ष महोदय, पिछले वित्त वर्ष में....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, be confined to the demands.

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के बजट के बारे में जानकारी सदन को देनी चाहिए। मैं सड़कों के बारे में नहीं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: I may be excused please be confined only to the demands. डिमांड जो आज की है उसी पर आप बोलें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): लेकिन यह शब्द 'सड़कों' का

(श्री सचिन पायलट)

प्रयोग भी नहीं कर सकते भाषण में? स्पीकर की रूलिंग सर आंखों पर है, आपने जो जो बोला उसी का पालन करेंगे। माननीय सदस्य, हम बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करिये। जो आज नहीं बोल पा रहे वह हम करके दिखाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह गम्भीर है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज सुझाव आए हैं उनको सम्मिलित कर भारत सरकार की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, सभी ने कहा कि नरेगा की पेमेंट्स कुछ पैण्डिंग हैं, यह बात सच है। लेकिन, जो लेबर कम्पोनेंट है उसका भुगतान लगभग 99 परसेंट 15 दिन के अन्दर हो रहा है। जो मैटेरियल कम्पोनेंट है उसकी पेमेंट भारत सरकार से आई नहीं है। आज भी 1100 करोड़ रुपया पैण्डिंग है जो भारत सरकार की तरफ से आना है। मैंने माननीय मंत्री

(21.00 बजे)

महोदय को अपनी तरफ से सरकार की तरफ से चिट्ठियां लिखी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह पैसा जल्द जाएगा, हो सकता है कि चुनाव है और बजट भी भारत सरकार का 5 जुलाई को आया है, थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन जैसै ही पैसा भारत सरकार की तरफ से हमको मिलेगा, हम अतिशीघ्र उस पैसे को जनता तक लेकर जाएंगे। क्योंकि, पेमेन्ट न हो, यह किसी को स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विपक्ष के काफी साथियों ने अपनी बातें रखीं और कई सदस्यों ने बहुत बड़ा दिल रखकर कहा कि कब तक हम एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे, कब तक तू और मैं, मैं और तू करते रहेंगे। हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली, हम सब इस बात को एक्सैप्ट करते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन, यह बात भी हमको माननी पड़ेगी कि जो काम आप लोगों ने गिनवाये आज सदन के अंदर कि आपकी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया, तो कोई तो कारण होगा कि आप 165 से 72 पर आज आ गये, 93 आपके साथी आज नहीं हैं। इस बात को एक्सैप्ट करना पड़ेगा कि पिछले पांच सालों में जो वादे किये थे पूर्व सरकार ने, वे पूरे नहीं कर सके। हमारे साथी जो यहां मौजूद हैं, हम सबने मिलकर सड़कों पर संघर्ष किया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मदन जी को बताना चाहता हूं। आप लोक सभा की बात कर रहे हैं, अभी एक माननीय सदस्य ने कर्नाटक की बात बोली थी, तो बहुमत हासिल कैसे करना है, यह भाजपा के साथी जानते हैं। अगर बैलेट पेपर से न हो तो राजभवन से करा सकते हैं, कहीं और से करा सकते हैं। लेकिन, हकीकत यह है कि राजस्थान की जनता ने सात महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा और कांग्रेस सरकार को स्थापित किया। इसलिए, मैं जनता का बहुत-बहुत आभारी हूं।

राजस्थान की जनता ने बहुत सोच समझकर निर्णय किया और पांच साल का जो हम सब लोगों का संघर्ष रहा और जो असलियत हम सड़कों पर लेकर गये और हम लोगों ने जो वादे किये, उन सभी वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

हमें सोचना होगा कि नरेगा की योजना, नरेगा की सोच कौन से दल के नेता लेकर आये, शिक्षा के अधिकार की सोच कौन से दल के नेता लेकर आये, आरक्षण की व्यवस्था को कायम करने की सोच कौन से नेता लेकर आये, राइट टू इंफोर्मेशन कौन लोग लेकर आये और कौन लोग राइट टू इंफोर्मेशन को आज खतम करना चाहते हैं, कौन लोग दिल्ली में बैठकर सूचना के अधिकार की सारी ताकत खतम करना चाहते हैं। पारदर्शी सरकार हो, जवाबदेही सरकार हो, किसान, गांव, गरीब के प्रति समर्पित सरकार हो, ऐसी कांग्रेस की सरकार बनी है। इसलिए, जो साथी हमारे आज बोलते हैं कि हमें मतभेद भुलाने चाहिए, बिलकुल सही है। जब गांव की बात आएगी, विकास की बात आएगी, बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव के हम काम करेंगे, लेकिन असलियत को समझना पड़ेगा। सात महीने पहले जो करारी शिकस्त जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, वह कुछ लोग हजम नहीं कर पाये हैं। हजम करना पड़ेगा। अगले चार साढ़े चार साल तक कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो-जो हमने अपने वायदे मेनिफेस्टो में किये हैं, उन सभी वादों को हम लोग पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर अपनी बात रख रहा हूं और खतम करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस सोच के साथ हम लोगों ने अपना काम चालू किया है, जिस समर्पण भाव से, जिस धरातल की

(श्री सचिन पायलट)

असलियत पहचान कर हमने सत्ता संभाली है, कोई घमण्ड किसी को नहीं है। राजनीति में हार-जीत होती है, लेकिन जितने समय के लिए, एक सदस्य बोल रहे थे, यह पद परमानेंट नहीं है, जीवन में कुछ परमानेंट नहीं है। लेकिन, जितने क्षण, जितने घंटे, जितने दिन हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी कलम की स्याही इस देश, प्रदेश के विकास के लिए चलती रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग को बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना है और चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग सहयोग करें। हमने राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश की है। मंत्रालय के माध्यम से जो-जो जरूरतमंद प्रोजेक्ट्स हैं, उनको टेक-अप करेंगे। जहां पर पहले अती भी हुई है, बिना बजट के जहां घोषणाएं हुई हैं, उसको भी कहीं न कहीं हम पूरा करेंगे। लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो-जो विकास के काम सभी सदस्य कराना चाहते हैं, हम लोग मिलकर उन सभी कामों को अंजाम देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस सार्थक चर्चा के एक दूरगामी अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हम सब मिलकर एक नये राजस्थान का निर्माण करें, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र को अपना केन्द्र बिन्दु बनाकर हम फोकस करें और आगे बढ़ें।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्त करते समय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद कर रहा हूं और उनकी दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं:-

"जग में जो भी निर्दलित, प्रताड़ित जन हैं,
जो भी निहीन हैं, निन्दित हैं, निर्धन हैं,
यह कर्ण उन्हीं का सखा, बन्धु, सहचर है,
विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट को पारित करें।

मांग संख्या 19 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,61,43,43,000/- (तेरह अरब इकसठ करोड़ तियालीस लाख तियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,48,89,000/- (नौ अरब तिरेपन करोड़ अड़तालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 21.07 बजे बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य सुरक्षा योजना से वंचितों को पुनः सम्मिलित करने की योजना

276. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को रियायती दर पर गेहूं, चावल व अन्य सामग्री उपलब्ध करवायी जा रही है और इस योजना के तहत पात्र पाये जाने वाले परिवारों को ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में पात्र हजारों परिवारों को अपात्र घोषित कर उनके नाम सूची से हटा दिये गये हैं जिससे यह परिवार उक्त योजना के साथ-साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से भी वंचित हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना से हटाये गये परिवारों को इस योजना में पुन: शामिल करने हेतु उचित कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में केवल गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम जोडने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है। जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर अथवा पात्र व्यक्ति ई-मित्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आनलाइन/आफलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी नामित किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अपील में पात्र पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने के बाद भामाशाह योजना का लाभ स्वास्थ्य विभाग द्वारा देना शुरू कर दिया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नाडोल-सादड़ी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

281. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नाडोल-सादड़ी वाया सिंदरली रोड किस श्रेणी में आती है व क्या सरकार इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सादड़ी-रणकपुर मार्ग पर स्थित तीनों पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं एवं जोधपुर से करणपुर तथा उदयपुर जाने का मार्ग भी यही है? क्या सरकार उक्त तीनों पुलियाओं की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि गोडवाड़ पहाड़ी क्षेत्र होने तथा कम वर्षा में भी यहां नदी-नाले उफान पर आ जाने से यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? क्या सरकार उक्त मार्ग के दुरुस्तीकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाडोल-सादड़ी वाया सिंदरली रोड मुख्य जिला सड़क संख्या-40 है। इसकी लम्बाई 25 किमी. है। इस सड़क के किमी 0/0 से 3/0, 5/0 से 6/0 एवं 10/0 से 12/0 कुल 6 कि.मी. में चौडाई 3.75 मी. से 5.5 मी. बढाने का कार्य प्रगतिरत है। शेष कि.मी. में चौड़ाई बढ़ाने के कार्य पर विचार किया जायेगा।

(2) सादड़ी-रणकपुर मार्ग पर स्थित तीनों पुलिया क्षतिग्रस्त थीं, जोधपुर से रणकपुर तथा उदयपुर जाने का मार्ग भी यही है। उक्त तीन पुलियाओं में से दो पुलियाओं का जीर्णोद्धार कर लिया गया है तथा एक पर कार्य प्रगतिरत है।

(3) गोड़वाड़ पहाड़ी क्षेत्र होने से कम वर्षा में भी यहां नदी-नाले उफान पर आ जाते हैं। उक्त क्षतिग्रस्त पुलियों का जीर्णोद्धार होने के बाद मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना नहीं रहेगी। उक्त मार्ग के 6.5 किमी. का दुरुस्तीकरण एस.आर.एफ. योजनान्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 5 कि.मी. दुरुस्तीकरण करने हेतु एस.आर.एफ. योजना में राशि रु. 125 लाख स्वीकृत है एवं बजट उपलब्धता के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

निम्बोल (जैतारण) में निजी भवन में संचालित पुलिस चौकी

282. श्री अविनाश (जैतारण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित पुलिस चौकी निम्बोल वर्तमान में किस भवन में संचालित हो रही है? क्या यह किसी सरकारी भवन या निजी भवन में संचालित हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुलिस चौकी निम्बोल कितने वर्षों से वर्तमान भवन में संचालित हो रही है? क्या उक्त पुलिस चौकी किसी प्राइवेट संस्थान के अधीन कार्य कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पुलिस चौकी को प्राइवेट संस्थान/संस्था में संचालित करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? क्या यह अनुमति नियमों के विरुद्ध है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पुलिस थाना जैतारण स्थित पुलिस चौकी निम्बोल वर्तमान में ग्राम पंचायत निम्बोल के सरकारी भवन में संचालित हो रही है।

(2) पुलिस चौकी निम्बोल वर्तमान में दिनांक 06.06.2019 से ग्राम पंचायत निम्बोल के सरकारी भवन में संचालित हो रही है। पुलिस चौकी निम्बोल दिनांक 12.10.2012 को स्वीकृत हुई थी। उसके पश्चात्त दिनांक 13.01.2013 से दिनांक 21.09.2015 तक यह चौकी ग्राम पंचायत् भवन निम्बोल परिसर में संचालित रही। उसके पश्चात दिनांक 21.09.2015 से दिनांक 05.06.2019 तक निरमा प्राइवेट लिमिटेड निम्बोल परिसर भवन में संचालित रही है।

(3) पुलिस चौकी निम्बोल स्थापित होने के समय वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत निम्बोल के सरकारी भवन में ही संचालित की गयी, लेकिन ग्राम पंचायत भवन के जीर्ण शीर्ण होकर रहने योग्य नहीं होने के कारण दिनांक 21.09.2015 को निरमा प्राइवेट लिमिटेड, निम्बोल का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, पाली को कम्पनी द्वारा स्वयं के खर्च पर चौकी के लिए अस्थाई व्यवस्था के स्थान पर भवन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुआ। जिस पर पुलिस अधीक्षक, पाली द्वारा दिनांक 21.09.2015 को जनहित में सहमति प्रदान कर

(गृह मंत्री)

दी गई। ग्राम पंचायत भवन की मरम्मत होने पर वर्तमान में चौकी को पुनः ग्राम पंचायत भवन में दिनांक 06.06.2019 को स्थानांतरित कर दिया गया है।

पंचायत समिति स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन

283. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के साथ अप्रैल, 2018 से मई, 2019 तक अश्लील हरकतों एवं विद्यालय में छात्र-छात्राओं को डरा धमका कर अनैतिक कार्यों के कितने प्रकरण किस-किस जिले में दर्ज हुए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन के विरुद्ध किस-किस धारा में मुकदमे दर्ज किये गये हैं? क्या दर्ज किये गये मुकदमों का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो किस-किस जिले में कितने प्रकरण लंबित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक कितनी शिकायतें किस-किस जिले में दर्ज की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के साथ अप्रैल, 2018 से मई, 2019 तक अश्लील हरकतों के एवं विद्यालय में छात्र-छात्राओं को डरा धमका कर अनैतिक कार्यों के संबंध में सक्षम स्तर पर दर्ज प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट क एवं ख पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों के संबंध में जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किये गये हैं तथा इन दर्ज मुकदमों का अनुसंधान पूर्ण/अपूर्ण है, का जिलेवार विवरण सूची परिशिष्ट क एवं ख में संलग्न है।

(3) जी हां। आदेश क्रमांक 349 दिनांक 04.12.2012 से समस्त पंचायत (ब्लाक समिति स्तर पर पंचायत समिति (ब्लाक)) स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जा चुका है। आदेश क्रमांक 3072 दिनांक 18.04.2017 से इन समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के मध्य पंचायत समिति (ब्लाक) स्तरीय बाल संरक्षण समितियों से उक्त आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्तर पर गठित राजस्थान स्टेट प्रोटेक्शन सोसायटी को कोई शिकायत/कार्यवाही हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ बस स्टैण्ड में सुधार करने की कार्ययोजना

284. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ स्थित संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की स्थिति लंबे समय से खस्ताहाल होने की शिकायतें प्रशासन को समय-समय पर प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक चित्तौड़गढ़ स्थित बस स्टैण्ड में सुधार नहीं किये गये हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्याओं का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ बस स्टैण्ड पर ढांचागत परिवर्तन हेतु निर्माण कार्यों की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण आवश्यक निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बस स्टैण्ड की स्थिति में सुधार करवाया जायेगा।

भीलवाड़ा जिले में डी.एम.एफ.टी. योजना में स्वीकृत कार्य

286. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में डीएमएफटी मद/योजना अन्तर्गत सड़क, पेयजल इत्यादि विकास कार्यों हेतु बजट/राशन का आबंटन निश्चित मानदण्डों की पूर्ति करते हुए किया जाता है? यदि हां, तो निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(2) उक्त योजना अन्तर्गत गत पांच वर्षों में भीलवाड़ा जिले में कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत किये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया है। यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से सड़क, पेयजल इत्यादि कार्यों हेतु राशि का आबंटन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के दिनांक 31.05.2016 से प्रभाव में आने के पश्चात् भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत किये गये विकास कार्य, राशि तथा स्थान सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(5) के अनुसार गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित विभागों द्वारा उनके वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा विकास कार्यों का पृथक से भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की योजना

287. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों के कृषि उत्पादों का वर्तमान में निर्धारित समर्थन मूल्य को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ एवं रबी मौसम की मुख्य-मुख्य फसलों की उत्पादन लागत मूल्य के आंकलन के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर उन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीद की जाती है। राज्य सरकार का यही प्रयास रहता है कि किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो।

(2) कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय भारत सरकार के स्तर से ही सम्भव है, चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य [MSP] का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा ही तय किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ 2019-20 हेतु राज्य की मुख्य फसलों में बाजरे का 2000 रुपये, मक्का का 1760 रुपये, मूंग का 7050 रुपये, उड़द का 5700 रुपये, मूंगफली का 5090 रुपये, सोयाबीन का 3710 रुपये एवं तिल का 6485 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है जो कि खरीफ 2018-19 में इन फसलों के घोषित मूल्य से क्रमश: 2.6 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत एवं 3.8 प्रतिशत अधिक है।

अकलेरा नगरपालिका को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित राशि

288. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की नगरपालिका अकलेरा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कितनी राशि आवंटित की गयी है और कितने वाहन उपलब्ध कराये गये हैं तथा वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका अकलेरा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब-तक दो करोड़ नौ लाख अठ्यानवे हजार रुपये आवंटित किये गये हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगरपालिका अकलेरा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत टाटा ट्रक प्राईवेट लि. कोटा से 5 आटो टीपर माह जुलाई 2017 में चौबीस लाख ग्यारह हजार रुपये में क्रय किये गये हैं। वर्तमान में सभी वाहन चालू स्थिति में हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका अकलेरा द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थर्मल प्लांटों पर विद्युत का उत्पादन

289. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कौन-कौन से थर्मल प्लांटों पर कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) थर्मल प्लांट्स से बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत क्या है? एवं किसानों उद्योगों, व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग पर किस-किस मूल्य/प्रति यूनिट पर बिजली दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे विद्युत उत्पादन का प्लांटवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विद्युत का उत्पादन इकाइयों की उपलब्धता एवं ग्रिड की आवश्यकतानुसार किया जा रहा है तथा उत्पादित बिजली ग्रिड को प्रेषित की जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी क्षेत्र एवं अन्य थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे विद्युत उत्पादन का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) थर्मल प्लांट से बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

किसानों, उद्योगों, व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग हेतु प्रति यूनिट बिजली दर का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था

293. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? संभागानुसार कितनी ग्राम पंचायतें सार्वजनिक बस परिवहन से जुड़ी हुई हैं एवं कितनी पंचायतों में यह सुविधा नहीं है?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल, समयबद्ध एवं मितव्ययी सार्वजनिक परिवहन सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना हैं?

(3) पथ परिवहन निगम की विगत पांच वर्षो से वित्तीय स्थिति क्या है? निगम को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से वर्तमान में कुल 8952 पंचायतें जुड़ी हुई हैं तथा 940 पंचायतें वंचित हैं। संभागानुसार सार्वजनिक बस परिवहन से जुड़ी हुई एवं वंचित पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत पूर्व में संचालित ग्रामीण परिवहन सेवा के पुन: क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) पथ परिवहन निगम की विगत पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति एवं प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राशन डीलरों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को लाइसेन्स

294. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में राशन डीलरों की मृत्यु के पश्चात् डीलरशिप के लाइसेंस उनके परिवार के सदस्य को आबंटित किये जाते हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितनों को लाइसेंस जारी किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 में उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर आबंटित दुकान उनके परिवार के सदस्य के नाम आबंटन नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। दिनांक 16.07.2019 को बजट प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा श्रेणी में उचित मूल्य दुकान आबंटन किये जाने की घोषणा की है। उक्त घोषणा की अनुपालना में शीघ्र ही आदेश जारी किये जा रहे हैं।

विगत पांच वर्षो में (उक्त दिशा-निर्देश लागू होने से पूर्व) प्रदेश में कुल 69 अनुकम्पात्मक लाइसेन्स जारी किये गये हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर सरस डेयरी में दूध बहने के प्रकरण

295. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर सरस डेयरी में माह जून, 2019 में लापरवाही के कारण दूध बहने के कितने प्रकरण सामने आये? उक्त के लिए कौन-कौन दोषी हैं व इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर सरस डेयरी में माह जून, 2019 में दूध बहने का एक प्रकरण सामने आया। दूध बहने की घटना दिनांक 07.06.2019 को प्रात:काल 07.15 से 07.30 के मध्य घटित हुई थी। इसमे लगभग 15000 लीटर दूध बह गया था, जिसकी लगभग कीमत 6 लाख रुपये है।

आर.सी.डी.एफ. द्वारा कमेटी गठित कर तत्काल प्राथमिक जांच करवाई गई। (जांच रिपोर्ट प्रदर्श-1) जांच परिणाम पर दिनांक 10.06.2019 को आर.सी.डी.एफ. द्वारा प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया एवं साथ ही जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़ जयपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये। (प्रदर्श-2)

(गोपालन मंत्री)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा भी अधिकारियों की जांच कमेटी का गठन कर प्राथमिक जांच करवाई गई। प्राथमिक जांच के रिपोर्ट के आधार पर जयपुर दुग्ध संघ के द्वारा दिनांक 10.06.2019 को ही थाना प्रभारी, पुलिस थाना बजाज नगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु लिखा गया। (प्रदर्श-3) पुलिस थाना बजाज नगर द्वारा बाद अनुसंधान दिनांक 26.06.2019 को 0447 क्रमांक की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई (प्रदर्श-4) वर्तमान में पुलिस अनुसंधान प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 15.07.2019 को आर.सी.डी.एफ. द्वारा श्री राहुल सक्सेना, प्रबन्ध संचालक, जयपुर डेयरी को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र जारी कर जांच प्रारम्भ कर दी गई है। (प्रदर्श-5)

जांच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नील गायों से फसलों को बचाने हेतु खेतों की तारबन्दी

296. श्री रूपा राम (मकराना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नील गाय बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को नष्ट कर रही है? यदि हां, तो नील गायों से प्रदेश के किसानों की फसल को बचाने की सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नील गाय से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों के खेतों के चारों ओर तारबंदी या मेढ़बंदी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नील गाय बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को नष्ट कर रही है। सरकार द्वारा नील गायों से फसलों के बचाव हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम (एनएमओओपी, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) के अन्तर्गत नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को

(कृषि मंत्री)

लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

(2) जी हां। नील गाय से फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर तारबंदी करवाने पर सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एण्ड आयल पाम (एनएमओओपी, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लक्षित कर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) के अन्तर्गत कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो।

अग्निशमन केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की योजना

297. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अग्निशमन केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अग्निशमन केन्द्रों में आग बुझाने की क्या-क्या व्यवस्था है? कितने उपकरण खराब पड़े हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में अग्निशमन केन्द्रों में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए कोई प्रबंध करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) प्रदेश की नगरीय निकायों में 198 अग्निशमन केन्द्र संचालित हैं। अग्निशमन केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अग्निशमन केन्द्रों में आग बुझाने हेतु कुल 569 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं जिनमें 411 अग्निशमन वाहन चालू अवस्था में, 76 अग्निशमन वाहन मरम्मत योग्य तथा 82 अग्निशमन वाहन नकारा अवस्था में हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने के संसाधन आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं किन्तु विभाग द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आगजनी की सूचना प्राप्त होने पर निकटतम नगरीय निकाय से अग्निशमन वाहन एवं संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। विवरण प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर में अंकित है।

(4) प्रदेश में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में अग्निशमन केन्द्रों में रिक्त पद निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	**पद**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	2
2	अग्निशमन अधिकारी	16
3	सहायक अग्निशमन अधिकारी	51
4	लीडिग फायरमैन	137
5	फायरमैन	678
6	वाहन चालक फायर	441

(5) वर्तमान मे वाहन चालक (फायर) के 440 रिक्त पदों में 193 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष पदों की भर्ती के प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे।

(6) इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग संख्या-3 के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माही बांध की नहरों की सिल्ट सफाई की योजना

300. श्री कैलाश चन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में माही बांध का पानी कृषकों को दिया जाता है? यदि हां, तो इस वर्ष नहरों की सिल्ट सफाई नहरों व मरम्मत के नाम पर मूंग (जायद) की फसल के लिए किसानों को नहरों से पानी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या अब सरकार द्वारा सिल्ट सफाई व मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े माही बांध की नहरों के सिल्ट सफाई सुदृढ़ीकरण मरम्मत एवं विस्तार के लिए सरकार ने कितना बजट में प्रावधान किया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2018 में लिये गये निर्णयानुसार जायद मूंग में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं होने से पानी नहीं दिया गया। नहरों की सिल्ट सफाई एवं मरम्मत के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत है तथा कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं।

(2) माही बांध की नहरों की सिल्ट सफाई एवं मरम्मत का कार्य नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत है तथा बांध की नहरों की मरम्मत अन्तर्गत ई.आर.एम. (विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) योजना में राशि रुपये 158.95 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध अंतरिम बजट वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर में उप खण्ड स्तर पर परिवहन कार्यालयों की स्थापना

302. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उदयपुर जिले में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उप खण्ड स्तर पर जिला परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने के लिए उप खण्ड में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर कार्यालय खोले जाने का प्रावधान है। उदयपुर जिले में किसी भी उप खण्ड में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चाकसू पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण

328. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एफआईआर 0305/5-6.2019 पुलिस थाना, चाकसू जिला जयपुर में अनुसूचित जाति की विधवा महिला ने अपनी भूमि को भूमाफिया द्वारा हड़पने एवं अपने पति की हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि एक वर्ष पूर्व विधवा के पति की मृत्यु हो जाने से पुलिस थाना चाकसू ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था? यदि हां, तो क्या पुलिस के साथ मिलीभगत से भूमाफियों ने विधवा की भूमि पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महिला को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने व भूमाफियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) पीड़ित महिला व उसके परिवार की जान-माल की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिवादिया श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. श्री छीतरमल जाति बलाई निवासी भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर द्वारा एफआईआर नं. 305 दिनांक 05/06/2019 अन्तर्गत धारा 341, 365, 447, 166, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(1)(F)(R)3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में दर्ज कराई गई। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पति की हत्या करने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया था।

(2) परिवादिया द्वारा पुलिस थाना चाकसू पर दिनांक 15.02.2018 को एक परिवाद पेश किया गया था, जो भूमि सम्बन्धी विवाद के बारे में था। जो परिवाद रजिस्टर वर्ष 2018 के पार्ट-3 के क्रं. संख्या 45 दिनांक 15/02/2018 पर को इन्द्राज कर परिवाद की जांच श्री जयसिंह हैड कांस्टेबल नम्बर 869 को दी गई थी। पुलिस ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर विधवा

(गृह मंत्री)

की भूमि पर कोई कब्जा नहीं करवाया है। वर्तमान में विवादास्पद भूमि पर ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का कब्जा है।

(3) पुलिस थाना चाकसू पर प्रकरण संख्या 305/2019 दर्ज होकर अनुसंधान जारी है। वर्तमान में प्रकरण का अनुसंधान श्री अर्जुनराम आरपीएस, सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू (दक्षिण), जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से पीड़िता व उसके परिवार को जानमाल का खतरा होने के संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं। यदि ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो अविलम्ब विधिक व कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

मंत्रियों के आवासों में परिवर्धन पर व्यय राशि

329. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार के पुनर्गठन के पश्चात् जनवरी, 2019 से 15 जून, 2019 तक मंत्रियों के आवास एवं कार्यालय में परिवर्धन के कार्य हेतु राशि आबंटित कर व्यय की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि व किन-किन मंत्रियों के आवास के लिए? मंत्रीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में सरकार के पुनर्गठन के पश्चात् जनवरी 2019 से 15 जून, 2019 तक मंत्रियों के आवास एवं कार्यालय में परिवर्द्धन कार्य हेतु राशि आबंटित कर व्यय की गई है। मंत्री आवासों के परिवर्द्धन कार्यों हेतु राशि एवं व्यय से संबंधित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अभियोजन विभाग में विकलांग कार्मिक को सेवा परिलाभ

330. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अल्प बचत विभाग से सरप्लस होकर

(श्री नरेन्द्र नागर)

अभियोजन विभाग में विकलांग कोटे से आये कार्मिक को उसके समस्त सेवा परिलाभ नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्मिक को किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्मिक को अब समस्त सेवा परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अल्प बचत विभाग से सरप्लस होकर अभियोजन निदेशालय में श्री अमन शाहरूख खान (दिव्यांग) कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित है, जिसे समस्त परिलाभ प्रदान नहीं किये जा रहे हैं, क्योंकि वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.5(14)वित्त/राज्य/99 जयपुर, दिनांक 26.02.2003 द्वारा न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु राय व्यक्त की है एवं कार्मिक विभाग ने भी उक्त नियुक्ति को अनियमित माना है।

(2) जी नहीं। सरकार उक्त कार्मिक को समस्त सेवा परिलाभ देने का विचार नहीं रखती है, क्योंकि उक्त कार्मिक ने सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के नियुक्ति आदेश क्रमांक प.1(4)सा.प्र./3/2010 जयपुर, दिनांक 06.08.2010 के बिन्दु संख्या. 2 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती

331. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सन् 1997 के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों व सरकार अब कब तक भर्ती करने का विचार रखती है?

(2) उक्त बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) के कितने-कितने पद सृजित हैं और कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बोर्ड में 20 वर्ष से अधिक अनुभवी कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(4) क्या राज्य सरकार बोर्ड में 2-टायर (केवल सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता पद) की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सन् 1997 के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) पद पर कोई भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 1997 के बाद कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को दिनांक 19.12.2016 को अर्थना भेजी गयी, जो प्रक्रियाधीन है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के सृजित पदों की संख्या क्रमश 79 एवं 116 है। रिक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' में संलग्न है।

(3) जी हां। इस वर्ष पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के रिक्त पद पर पदोन्नति की जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में वर्तमान में 2-टायर (केवल सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता पद) की व्यवस्था करने का कोई प्रकरण बोर्ड में प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतसीसर पुलिस थाने में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 38/2019 पर कार्यवाही

332. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना जैतसीसर में एफआईआर 38/2019 के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का कोई प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना जैतसीसर में एफआईआर दर्ज होने के पश्चात् भी पीड़िता का मेडिकल मुआयना लम्बे अंतराल के पश्चात्

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने निश्चित समयावधि में जांच पूर्ण करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में कुल कितने मुजरिम नामजद हैं व कितने गिरफ्तार हुए तथा कितने फरार हैं? फरार मुजरिमों की/गिरफ्तार हुए मुजरिमों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस थाना जैतसीसर में मुकदमा नम्बर 38/19 दिनांक 07.02.2019 धारा 365, 323, 376, 120बी भा.द.सं. के तहत दर्ज हुआ था जिसमें अनुसंधान से धारा 376 भा.द.सं. एवं 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में बाद अनुसंधान 02 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है।

(2) प्रकरण में इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 07.02.2019 को न्यायालय से पुलिस थाना जैतसीसर पर प्राप्त हुआ जिस पर उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2019 दर्ज की गई। इसके बाद से ही परिवादिया एवं उसका पति अनुसंधान के लिए कई दिनों तक उपलब्ध नहीं हुए जिन्हें लगातार उनके परिवारजनों के माध्यम से तलाशने का प्रयास किया गया व उनके निवास स्थान पर नोटिस भी चस्पा किया गया। अन्त में दिनांक 23.04.2019 को परिवादिया व उसके पति के उपलब्ध होने पर अविलम्ब दिनांक 24.04.2019 को पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का कोई दोष नहीं है।

(3) जी हां। दिनांक 23.04.2019 को परिवादिया द्वारा कोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस को दी गई व पुलिस द्वारा 30 दिन के अंदर दिनांक 20.05.2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में चालान आदेश लिये जा चुके हैं। आगामी तारीख पेशी पर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जायेगा।

(गृह मंत्री)

(4) उक्त प्रकरण में कुल 05 नामजद मुल्जिम हैं जिनमें से दो के विरुद्ध ही अपराध प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में कुल 02 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अब किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी शेष नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की बौंली में पुन: स्थापना

333. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2008 से 2013 तक एक्सईएन कार्यालय, बौंली में संचालित था? विगत सरकार के कार्यकाल में उक्त कार्यालय का संचालन सवाईमाधोपुर से किया जाने लगा है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एक्सईएन कार्यालय का संचालन सवाईमाधोपुर में होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुन: उक्त बौंली में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015 से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बौंली का मुख्यालय प्रशासनिक कारणों से सवाईमाधोपुर में किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बौंली (मुख्यालय सवाईमाधोपुर) के अधीन 4 उप खण्डीय कार्यालय क्रमश: उप खण्ड प्रथम बौंली, उप खण्ड-द्वितीय बौंली, उप खण्ड प्रथम बामनवास एवं उप खण्ड-द्वितीय बामनवास कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय क्रमश: बौंली एवं बामनवास में ही स्थित है। अत: उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभागीय कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से किया जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बौंली (मुख्यालय सवाई माधोपुर) का मुख्यालय बौंली में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आकोला ग्राम पंचायत (उदयपुर) का मास्टर प्लान

334. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम पंचायत आकोला तहसील कानोड़ जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 1995 से 2000 के मध्य भूमि रूपांतरण कर आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति, भूखण्डों के पट्टे, साइट प्लान की प्रति सहित आबंटियों के नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवासीय योजना में वर्तमान में अनाबंटित भूखण्ड हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनको आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत आकोला की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत आकोला द्वारा वर्ष 1995 से 2000 के मध्य भूमि रूपान्तरण कर आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों का आबंटन नहीं किया गया।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

आहोर के गांवों, ढाणियों को सड़क से जोड़ने की योजना

335. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कितने गांव एवं ढाणियां डामरीकरण या सीसी रोड से नहीं जुड़े हुए हैं? ग्राम अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन गांवों को ग्राम सड़क योजना से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 2001 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर में 5 गांव एवं 30 ढाणियां 250 से कम आबादी होने के कारण डामरीकरण या सीसी रोड से नहीं जुड़े हुए हैं। गांवों की सूची परिशिष्ट-1 एवं ढाणियों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) ग्राम सड़क योजना नाम की कोई भी योजना वर्तमान में विभाग में नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250 से कम आबादी के ग्राम व ढाणियों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। इन सड़कों का निर्माण कराना राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट पंचायत समिति में सांसद/विधायक कोष से कार्य

336. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में विधायक कोष, सांसद कोष, पंचायत समिति के किसी भी मद एवं नरेगा में 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् स्वीकृत कार्य किस-किस अवधि में पूर्ण हो गये एवं इनमें से किस-किस कार्य का कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान कर दिया गया तथा कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस कार्य की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस-किस तारीख को जिला परिषद् पाली को भिजवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर अपूर्ण है एवं कौन-कौनसा कार्य कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अपूर्ण कार्य कौन-कौनसा कितनी-कितनी अवधि में पूर्ण कर दिया जायेगा एवं जो कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये उनमें से कौन-कौनसा कार्य कब-कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कई कार्यों में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की घोर लापरवाही एवं उदासीनता रही है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में विधायक कोष, सांसद कोष एवं नरेगा मद से 1 जनवरी, 2018 के बाद के स्वीकृत कार्यों की पूर्णता

(ग्रामीण विकास मंत्री)

दिनांक, किये गये भुगतान एवं भुगतान से शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परिषद् पाली को प्राप्त होने की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) अपूर्ण कार्यों की संभावित पूर्णता दिनांक एवं अप्रारम्भ कार्यों के प्रारम्भ किये जाने की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। कार्यों के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी-कर्मचारी के स्तर पर लापरवाही का कोई प्रकरण/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय भवनों का समयबद्ध निरीक्षण

337. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में सरकारी इमारतों के समयबद्ध निरीक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जर्जर इमारतों के कारण होने वाली जनहानि को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सरकारी इमारतों की जांच या उनके जर्जर अवस्था में होने की स्थिति पर उन्हें गिराने की कोई पुख्ता एवं समयबद्ध व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकारी इमारतों के समयबद्ध निरीक्षण की पुख्ता व्यवस्था है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं। निरीक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2005 के तहत अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 (आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार अन्तर्गत) जारी की जाकर राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समितियां गठित की हुई हैं। (परिशिष्ट-2) स्थानीय क्षेत्र में जर्जर इमारतों (गैर सरकारी) के कारण होने वाली जनहानि को रोकने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। सरकारी जर्जर इमारतों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं। (परिशिष्ट-3)

(3) प्रदेश में सरकारी इमारतों की जांच या उनके जर्जर अवस्था में होने की स्थिति पर उन्हें गिराने की पुख्ता एवं समयबद्ध व्यवस्था की गई है। तकनीकी दृष्टि से असुरक्षित होने की स्थिति में भवन के हिस्से/सम्पूर्ण भवन को सक्षम अधिकारी द्वारा असुरक्षित घोषित किया जाता है। भवन के मरम्मत योग्य होने पर आवश्यक मरम्मत कार्य करवाया जाता है। मरम्मत योग्य नहीं होने पर भवन को असुरक्षित घोषित कर, खाली करवाकर, नियमानुसार गिराने की कार्यवाही की जाती है। इस हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-5 (पैरा 1.13) पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की शिकायतें

338. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में गत पांच वर्षों में हुए कार्यों पर अनियमितता को लेकर सिरोही जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित विभाग को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या जांच करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में गत पांच वर्षों में हुए कार्यों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार, अनियमितता, फर्जी हाजिरी को लेकर निम्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं:-

(पंचायती राज मंत्री)

1. राजस्थान पत्रिका सिरोही संस्करण में दिनांक 01.08.2016 को प्रकाशित समाचार के आधार पर फोर वाटर के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित 9 एमआईटी, 2 एमएसटी एवं 1 खडीन के कार्यों की जांच करवाई गई थी। इन कार्यों में मनादर एवं झाडोली की एमआईटी एवं ईदरला खडीन भी थी, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत आती है। इन कार्यों की जिला कलेक्टर ने जांच दल गठित कर जांच करवाई थी। समाचार पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2. उप वन संरक्षक, सिरोही को श्री नरेश रावल, पंचायत समिति सदस्य पिण्डवाड़ा एवं श्री प्रीत उपेन्द्र दैनिक भास्कर पिण्डवाड़ा द्वारा दिनांक 05.04.2018 को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में वर्ष 2016-17 में पिण्डवाडा रेंज में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त शिकायतों में बिन्दु संख्या-1 की शिकायत की जांच जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक 1370-79 दिनांक 02.08.2016 द्वारा जांच दल गठित कर करवाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

बिन्दु संख्या-2 की शिकायत की जांच उप वन संरक्षक, सिरोही द्वारा सहायक वन संरक्षक, सिरोही से करवाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में बीसलपुर योजना से वंचित कालोनियों को जोड़ने की योजना

339. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में बीसलपुर के पेयजल की आपूर्ति (सप्लाई) वर्तमान में किन-किन आवासीय कालोनियों में की जा रही है और कौनसी कालोनियों में नहीं की जा रही है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा विगत दो वर्षो में शहर की किन-किन आवासीय कालोनी में बीसलपुर के पानी की सप्लाई हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई है और उनमें से कितनी कालोनी में उक्त आपूर्ति हेतु

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी में कार्य अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग ने जयपुर शहर की गंगोत्री कालोनी व विश्वेश्वरैया नगर आवासीय कालोनी में बीसलपुर पानी की सप्लाई हेतु चिरंजीवी नगर, महेश नगर, गोपालपुरा बाईपास पानी की टंकी से पाइप लाइन बिछाने के लिए राशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई थी और पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा अपूर्ण है? कार्य अपूर्ण होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार अब कब तक उक्त पाइप लाइन के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाकर गंगोत्री कालोनी, विश्वेश्वैरया नगर के निवासियों को चिरंजीवी नगर, महेश नगर, गोपालपुरा बाईपास पानी की टंकी से पेयजल सप्लाई करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के कुल 91 वार्डों में नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयुपर द्वारा विकसित एवं अनुमोदित तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों/स्थानीय बिल्डरों द्वारा निर्मित आवासीय कालोनियां सम्मिलित हैं। इन 91 वार्ड में से 58 वार्ड में बसी हुई आवासीय कालोनियों में बीसलपुर बांध से पूर्ण रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। शेष 33 वार्ड में से 22 वार्ड में बसी कालोनियां आंशिक रूप से बीसलपुर के स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित हैं तथा 11 वार्ड की कालोनियां बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना से जुड़ी हुई नहीं हैं। वार्डवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेयजल संबंधी कुल 76 कार्यों हेतु राशि रुपये 7397.76 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 56 कार्यों हेतु राशि रुपये 26736.80 लाख की स्वीकृतियां जारी की जाकर अब तक क्रमशः 65 एवं 27, कुल 92 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

उक्तानुसार कुल 132 स्वीकृत कार्यो में से 96 कार्य पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य सहित अन्य कार्यों से संबंधित हैं तथा इन 96 कार्यों हेतु राशि रुपये 30256.31 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। इस

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 65 कार्य पूर्ण किये जाकर 39 वार्डों की आवासीय कालोनियों को लाभान्वित किया गया है तथा 13 वार्डों की कालोनियों को लाभान्वित करने हेतु 30 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

वार्ड संख्या 15 की करधनी योजना को लाभान्वित करने के स्वीकृत 1 कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सड़क क्रासिंग की अनुमति मिलने के उपरांत इसका कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर शहर के वार्ड संख्या 43 में बसे गंगोत्री नगर एवं विश्वेश्वरैया नगर सहित गोपाल नगर, अशोक विहार एवं अशोक विहार विस्तार की आवासीय कालोनियों में बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने हेतु, पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य के लिये राशि रुपये 83.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.10.2017 को जारी की जाकर उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 12.03.2018 को जारी किया गया।

उक्त कार्यादेश के तहत 150, 200 एवं 250 मिलीमीटर व्यास की क्रमश: 99.50 मीटर, 449.10 मीटर एवं 999.60 मीटर डी.आई. पाइप लाइन बिछाकर एवं जोड़कर उक्त कालोनियों को महेश नगर स्थित एवं निर्मित उच्च जलाशय से माह मई, 2018 में जोड़ा जाकर इस जलाशय से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(4) उपरोक्तानुसार, पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य माह मई, 2018 में पूर्ण किया जाकर वर्णित समस्त कालोनियों को महेश नगर स्थित एवं निर्मित उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थर्मल पावर स्टेशन के पुन: संचालन पर व्यय राशि

340. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने थर्मल पावर स्टेशन कौन-कौनसी जगह पर स्थित हैं, उनमें कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? अप्रैल 2018 से मई 2019 तक कौन-कौनसे थर्मल पावर स्टेशन, कब-कब किन-किन कारणों से बंद किये गये और इनके पुन: संचालन के लिए कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक लाहोटी)

(2) क्या सरकार ने प्रति थर्मल प्रति यूनिट उत्पादन का निर्धारण किया है? यदि हां, तो प्रति यूनिट थर्मल लागत थर्मल पावर से कितनी आ रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे विद्युत उत्पादन का प्लांटवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विद्युत उत्पादन इकाइयों की उपलब्धता एवं ग्रिड की आवश्यकता अनुसार विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तथा उत्पादित बिजली ग्रिड को प्रेषित की जाती है।

माह अप्रैल, 2018 से माह मई, 2019 तक थर्मल पावर स्टेशन के बन्द होने की अवधि मय कारण एवं पुन: संचालन हेतु व्यय राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "ब" व "स" पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी क्षेत्र एवं अन्य थर्मल पावर प्लांटों से हो रहे विद्युत उत्पादन का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली की संशोधित विक्रय दर (माह अप्रैल, 2018 से माह मार्च, 2019) प्रति यूनिट लागत एवं वर्ष 2019-20 के लिए तदर्थ दरों पर आधारित संशोधित विक्रय दर का विवरण परिशिष्ट "य" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत व रायपुर उप खण्ड में जी.एल.आर. का निर्माण

341. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के खण्ड सोजत व उपखण्ड रायपुर में वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक सरकार द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों में पीने के पानी हेतु कुएं कितनी गहराई में खोदने की स्वीकृति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) उक्त खण्ड व उपखण्ड में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने पम्प हाउस व स्विच हाउस के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक कितने कार्य स्वीकृत किये गये और कितने-कितने पूर्ण हो गये? कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपखण्ड में ग्राम पंचायत कलालिया, कानुजा, झाला की चौकी, बगड़ी, कोट किराणा, कालब कलां आदि पंचायतों में वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक कितने खुले कुएं खुदवाए गए? कितनी गहराई व कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई? कितने कुओं की कम खुदाई करने के क्या कारण रहे व इसके लिए कौन दोषी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंचायतों में पीने के पानी की सप्लाई हेतु कुएं व जीएलआर से सप्लाई हेतु कितने पाइप खरीदकर लगाए गये व इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त पाइप किस कंपनी से खरीदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खण्ड में वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक कितने जीएलआर के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? उक्त जीएलआर में कितनी गिट्टी, कितनी सीमेंट और किस कंपनी की सीमेंट लोहे के सरिये किस एमएम के किस कम्पनी से खरीदे गये? बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जीएलआर की निर्माण की चौड़ाई व ऊंचाई कितने लाख लीटर की स्वीकृत हुई व कितने लीटर का निर्माण किया गया, किस अधिकारी द्वारा जांच व भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां, तो उन जीएलआर में कितने लाख लीटर कम पाया गया? इसमें कौनसा अधिकारी दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक कितने हैल्पर, कितने पम्पचालक और कितने तकनीकी कर्मचारी की पदोन्नति की गई? उक्त पदोन्नति कौन-कौनसी वेतन श्रृंखला में दी गई व पदोन्नति नहीं की गई, तो क्या-क्या पदनाम चेंज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड रायपुर का कार्यक्षेत्र

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

खण्ड सोजत के अंतर्गत तथा खण्ड कार्यालय सोजत विधान सभा क्षेत्र सोजत एवं जैतारण के अंतर्गत आता है।

वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 की अवधि में विभाग के खण्ड कार्यालय सोजत के अंतर्गत पंचायत समिति रायपुर, सोजत एवं जैतारण की ग्रामीण जल योजनाओं हेतु क्रमश: 28, 2 एवं 6, इस प्रकार कुल 36 खुले कुओं के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इन खुले कुओं हेतु स्वीकृत गहराई संबंधी ग्राम पंचायतवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 की अवधि में विभाग के खण्ड कार्यालय सोजत के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु कुल स्वीकृत 19 पेयजल योजनाओं में 5 पम्प हाउस एवं 26 स्विच बोर्ड रूम का निर्माण कार्य कराया जाना प्रावधित था। उक्त योजनाओं अंतर्गत 04 पम्प हाउस एवं 17 स्विच बोर्ड रूम का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण किया जा चुका है तथा इस प्रकार 1 पम्प हाउस एवं 9 स्विच बोर्ड रूम के निर्माण का कार्य वर्तमान में शेष रहा है। योजनावार वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उपखण्ड रायपुर की वर्णित ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत कलालिया, बगड़ी एवं कोट किराणा के ग्रामों की स्वीकृत पेयजल योजनाओं में वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 की अवधि में क्रमश: 1, 1 एवं 3, इस प्रकार कुल 5 खुले कुओं के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध 1 खुले कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 4 कुओं का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

योजनाओं की स्वीकृत राशि एवं इनमें प्रावधित कुओं की गहराई संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्तानुसार स्वीकृति के विरुद्ध ग्राम पंचायत, कोट किराणा के ग्राम सिरमा में निर्मित किये गये एक खुले कुएं की गहराई स्वीकृत योजना के प्रावधान के अनुरूप 20.00 मीटर ही की गई है तथा शेष 4 खुले कुओं का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर होने से इनकी गहराई प्रावधान अनुरूप अभी पूर्ण नहीं हुई है। अत: प्रकरण में कोई दोषी नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उपखण्ड रायपुर की वर्णित 6 ग्राम पंचायतों क्रमश: कलालिया, काणुजा, झाला की चौकी, बगड़ी, कोट किराणा, कालब कलां के ग्रामों की स्वीकृत जल योजनाओं में प्रावधित खुले कुओं एवं भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति हेतु, 27540.00 मीटर विभिन्न साइज एवं प्रकार के पाइपों हेतु राशि रुपये 307.21 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के विरुद्ध अनुबंधक फर्मों द्वारा विभिन्न पाइप निर्माता कम्पनियों से 23357.00 मीटर पाइप क्रय किये जाकर 22832.30 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय, काणुजा एवं ग्राम पंचायत, कोट किराणा के ग्राम कोट की जल योजनाओं अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले पाइपों का क्रय अनुबंधक फर्म द्वारा अभी नहीं किया गया है। योजनावार पाइपों संबंधी वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) विभाग के खण्ड सोजत के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 की अवधि में कुल 54 योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति में 253 भू-तल जलाशयों के निर्माण कार्य का प्रावधान सम्मिलित था। इनमें से 48 योजनाएं/कार्य अब तक पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 6 योजनाएं/कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन योजनाओं/कार्यों अंतर्गत 231 भू-तल जलाशयों का निर्माण पूर्ण किया जाकर इनमें से 196 भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर की जा चुकी है।

विभाग द्वारा जल योजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित निविदा प्रक्रिया अपनाई जाकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार संवेदक को एकमुश्त राशि का कार्य आबंटित किया जाता है। खण्ड सोजत हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत की गई 54 जल योजनाओं के निर्माण हेतु जारी किये गये। कार्यादेशों में योजना में प्रावधित सिविल कार्यों हेतु गिट्टी, सीमेन्ट एवं लोहे के सरिये एवं अन्य संबंधित सामग्री का क्रय संवेदक को ही करना होता है तथा क्रय की जाने वाली सामग्री का भुगतान संवेदक के स्तर से ही किया जाकर बीजक संवेदक के पास ही रहते हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार संवेदक द्वारा क्रय की गई सामग्री मानक विशिष्टियों के अनुरूप है अथवा नहीं, इसका भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने के उपरांत ही संवेदक द्वारा कार्य प्राम्भ किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार संवेदक द्वारा क्रय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की गई सामग्री के बीजक विभाग के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी प्रतियां विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है। उक्तानुसार निष्पादित कराये गये कार्यो में प्रयुक्त की गई सीमेन्ट, कंक्रीट एवं स्टील की मात्रा संबंधी विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(6) उक्तानुसार जल योजनाओं में स्वीकृत 253 भू-तल जलाशयों में से 231 जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत इनकी जल भण्डारण क्षमता के अनुरूप इन भू-तल जलाशयों की डिजाइन एवं ड्राइंग का अनुमोदन किये जाने के उपरांत निर्धारित माप अनुसार इनका निर्माण कराया गया है। योजना में प्रावधित भू-तल जलाशयों के साथ-साथ अन्य कार्यो का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन इन जल योजनाओं से संबंधित कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता द्वारा किया गया है।

उक्त भू-तल जलाशयों का निर्माण इनकी जल भण्डारण क्षमता के अनुरूप अनुमोदित डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार निर्धारित माप में किया गया हैं अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-य में निहित है।

(7) वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 की अवधि में जिला पाली में हैल्पर के 16 पदों, पम्प चालक-प्रथम के 2 पदों एवं फिटर-द्वितीय के 1 पद पर पदोन्नति की गई तथा 37 हैल्पर, 306 पम्प चालक द्वितीय, 39 फिटर द्वितीय एवं 8 विद्युतकार-द्वितीय के पदनाम परिवर्तित किये गये हैं।

उक्तानुसार पदोन्नति पर दी गई वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे संबंधी तथा अन्य विवरण खण्डवार परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झोटवाड़ा में भूमिगत केबल का कार्य

342. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जयपुर शहर स्थित शहरी क्षेत्र की किन-किन सड़कों अथवा कालोनियों में विद्युत केबल/ विद्युत तारों को कब-कब भूमिगत किया गया तथा इसमें कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के वैशाली नगर में भूमिगत किये गये विद्युत केबल/विद्युत तारों को कई स्थानों पर रोड लाइट के लिए लगाये गये खम्भों पर पुन: लगा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कब-कब तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तारों को पुन: खम्भों पर लगाने का निर्णय/आदेश किस स्तर पर कब और क्यों लिया गया? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गांधी पथ पर पुन: उक्त तारों/केबल को खम्भों पर लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ठेकेदार/कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन पर तथा क्या? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त वैशाली नगर/गांधी पथ पर स्थित केबल/तारों को पुन: भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जयपुर शहर स्थित शहरी क्षेत्र की जिन सड़कों अथवा कालोनियों में विद्युत केबल/विद्युत तारों को भूमिगत किया गया एवं इसमें व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नारायण गजक एवं एलन इंस्टीट्यूट पाइन्ट पर भूमिगत केबल फाल्ट होने पर तथा पुनः भूमिगत नहीं कर पाने के कारण विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु अस्थायी तौर पर ओवरहेड केबल डालकर विद्युत सप्लाई सुचारु की गई है।

(3) भूमिगत केबल फाल्ट होने पर विद्युत व्यवस्था को बनाये रखने हेतु अस्थायी तौर पर overhead cable डाली गयी है। भविष्य में भूमिगत कर दी जायेगी।

(4) केबल फाल्ट होने के कारण विद्युत व्यवस्था सुचारु करने के लिए अस्थाई तौर पर व्यापक जनहित के मद्देनजर उक्त कार्य किया गया है। अत: इस संदर्भ में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जी हां। उक्त ओवरहेड तारों को शीघ्रातिशीघ्र पुन: भूमिगत किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में स्थापित विद्युत केन्द्र

343. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कुल कितने विद्युत केन्द्र कहां-कहां तथा कितनी क्षमता के संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये विद्युत केन्द्र खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर क्षेत्राधीन अजमेर विद्युत वितरण निगम अन्तर्गत 33/11 केवी के कुल 18 सब स्टेशन संचालित हैं, जिनका क्षमतावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के कुल 03 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	132 केवी ग्रिड सबस्टेशन का नाम	क्षमता
1	परबतसर	20/25 एमवीए
2	बागोट	40/50 एमवीए
3	बिदियाद	40/50 एमवीए

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 33/11 केवी के तीन सब स्टेशन परबतसर बाईपास, झालरा एवं किनसारिया निर्माणाधीन हैं। उपरोक्त सबस्टेशनों में से परबतसर बाईपास का कार्य लगभग पूर्ण है, जिसे माह अगस्त, 2019 तक चालू किया जाना संभावित है। झालरा एवं किनसारिया का कार्य माह सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। क्षेत्र के विद्युत भार/संभावित भविष्य भार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित सब स्टेशन क्रमोन्नत/नये सबस्टेशन स्थापित किये जाते हैं तथा यह सतत प्रक्रिया है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन परबतसर का उच्चतम लोड 7 एमवीए, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बागोट का उच्चतम लोड 31 एमवीए एवं 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बिदियाद का उच्चतम लोड 30 एमवीए है जबकि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी

(ऊर्जा मंत्री)

निर्देशानुसार किसी 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन को 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में क्रमोन्नत हेतु सम्बन्धित लाइन का लोड न्यूनतम 70 एमवीए होना आवश्यक है। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र परबतसर में स्थापित किसी भी 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन को 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में क्रमोन्नत करना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में नवीन पाइप लाइनें

344. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2019 तक अजमेर जिले में किस-किस संवेदक को किन कारणों से कब-कब ब्लैक लिस्टेड किया गया? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में किस-किस योजना में किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी राशि की नवीन पाइप लाइनें कब-कब और कहां-कहां डाली गईं? ग्रामवार, विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2009 से दिनांक 30 जून, 2019 तक किसी भी संवेदक को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

(2) अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2019 की अवधि में कुल 598 योजनाओं एवं परियोजनाओं में विभिन्न श्रेणी की कुल 2568.17 किलोमीटर नई पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जाकर इस पर रुपये 450.73 करोड़ की राशि व्यय की गई। विभिन्न योजना/परियोजनाओं अंतर्गत बिछाई एवं जोड़ी गई पाइप लाइनों के संबंध में विधान सभा क्षेत्रवार एवं ग्रामवार वांछित विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण में फव्वारों के रखरखाव का कार्य

345. श्री अविनाश (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में शहरी सौंदर्यकरण के लिए दो फव्वारे बनाये गये हैं? उनके रखरखाव की जिम्मेदारी क्या नगरपालिका की है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों फव्वारों के रखरखाव पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? उक्त फव्वारों पर किये गये रखरखाव कार्य, भुगतान राशि व फर्म का नाम सहित माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फव्वारों के रखरखाव पर नियमानुसार भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015-16 से उनके रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका जैतारण की है।

(2) उपरोक्त दोनों फव्वारों पर अब तक 263400 रुपये राशि व्यय की जा चुकी है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	माह	भुगतान	फर्म का नाम	रखरखाव कार्य
2015-16	जुलाई	25000	मैसर्स गोविन्द बंजारा पुत्र श्री हेमाराम	उक्त निविदा शर्त अनुसार संवेदक द्वारा दोनों फव्वारे को निर्धारित समय पर बंद चालू करना, पानी डालना, साफ सफाई रखना एवं लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा एवं उनकी छोटी मोटी रिपेयरिंग कार्य
	अगस्त	25000		
	सितम्बर	25000		
	अक्टुबर	25000		
	नवम्बर	25000		
	दिसम्बर	25000		
	जनवरी	25000		
	फरवरी	25000		
	मार्च	25000		
2016-17	जून	19200	मैसर्स करण इलेक्ट्रीकर्ल्स	
	जुलाई	19200		

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष 2017-18 से निविदा अवधि खतम होने के कारण नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा ही रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

(3) जी हां। फव्वारों के रखरखाव का भुगतान नियमानुसार किया गया है।

चित्तौड़गढ़ के नगर विकास न्यास में सेवानिवृत्त कार्मिक को उच्चतर पद पर नियुक्ति

346. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)कार्मिक/क-2/2009 पार्ट दिनांक 10.01.2019 के अनुसार सेवानिवृत्त राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है? यदि हां, तो नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प2(6) नविवि/।।/2012/पार्ट दिनांक 18 जून, 2019 के जारी किये जाने से पूर्व ली गयी कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति, माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आदेश क्रमांक प2(6)नविवि/।।/2012/पार्ट दिनांक 18 जून, 2019 से नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ में सेवानिवृत्त कार्मिक को उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व के पद से उच्चतर पद पर नियोजित किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2019 के तहत पे-माइनस Pay (-) Pension पेंशन प्रकरण में कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है।

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डी.ओ.पी./ए-।।/94 जयपुर दिनांक 11.07.2017 के क्रम में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा आधार पर लिये जाने का प्रावधान है जिसमें कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है। प्रथम 2 वर्ष के लिये प्रशासनिक विभाग सक्षम है। इसी के तहत श्री मनमोहन कुमावत को एक वर्ष के लिये संविदा पर समेकित वेतन पर विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (6)नविवि/।।/2012/पार्ट दिनांक 18.6.2019 के द्वारा नियुक्त किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी नहीं। नगरीय विकास विभाग, चित्तौड़गढ में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक को उनके सेवानिवृत्ति से पूर्व के पद से उच्चतर पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10)डी.ओ.पी./ए-।।/94 जयपुर दिनांक 11.07.2017 के अनुसार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(6) नविवि/।।/2012/पार्ट दिनांक 18.6.2019 के द्वारा श्री मनमोहन कुमावत को उप नगर नियोजक के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर समेकित वेतन पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये नियुक्त किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कोटा नगर निगम में वार्डवार खेल सामग्री का वितरण

347. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा नगर निगम द्वारा खिलाड़ियों हेतु प्रतिवर्ष वार्डवार खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो वार्ड नंबर-24, 25, 04 व 05 में किस-किस खिलाड़ी या खेल संगठन को कब-कब, क्या-क्या, कितनी-कितनी राशि की सामग्री उपलब्ध करवाई गई? वार्डवार, वर्षवार उपलब्ध करवाई गई सामग्री तथा सभी की प्राप्ति रसीद की प्रति, प्राप्तकर्ता का पूरा पता व उसके आवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी वार्डों में निगम द्वारा देय खेल सामग्री का पूरा उपयोग किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम कोटा द्वारा वर्ष 2018-19 में खेल सामग्री नगर निगम पार्षदों को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(य) के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध करायी गयी सामग्रीवार, वार्डवार, राशिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं आवेदन पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त सामग्री नगर निगम पार्षदों को दी जाती है, पार्षदों द्वारा ही खेल सामग्री का वितरण किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आवासन मण्डल के फ्लेटों में पार्किंग चार्जेज की वसूली

348. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनारायण मीना)

(1) क्या यह सही है कि प्राइवेट बिल्डर्स तथा राजस्थान राज्य आवासन मण्डल द्वारा निर्मित फ्लेट्स आदि की लागत में पार्किंग चार्जेज के नाम पर राशि वसूली की जाने की मनाही है? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माण लागत वसूलने के पश्चात् पूर्ण निर्मित आवास आबंटन किए जाते हैं तथा अपूर्ण मकान/फ्लेट आबंटन पर पाबन्दी है? यदि हां, तो इस प्रकार के प्रकरणों की अनदेखी को निपटाने के लिए कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आवासन मंडल के वी.टी. अपार्टमेन्ट के फ्लेट नम्बर 36 को अपूर्ण रूप में देने के उपरांत भी न्यूटेक बिल्डर्स द्वारा कार्य करवाया गया है तथा हाउसिंग बोर्ड द्वारा पार्किंग स्थल राशि वसूल की गई है? यदि हां, तो क्यों? इस संबंध में क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में की गई नियम विरुद्ध वसूली राशि को वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा निर्मित फ्लेट की लागत में पार्किंग चार्जेज के नाम पर राशि वसूली की मनाही नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित बहुमंजिले फ्लेट्स की निर्माण लागत में पार्किंग चार्जेज की राशि शामिल नहीं की जाती है परन्तु आवासन मण्डल के लागत सिद्धान्त-2010 के बिन्दु संख्या 12.5 में कवर्ड पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग के चार्जेज लिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार बहुमंजिले फ्लेट्स में स्टिल्ट पार्किंग स्थल हेतु फ्लेट की लागत का 5 प्रतिशत तथा परिसर में उपलब्ध खुले स्थान में अस्थाई स्ट्रक्चर पार्किंग (लोहे के ढांचे एवं फाइबर शीट से आच्छादित पार्किंग) हेतु फ्लेट की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि पार्किंग स्थल चार्जेज के रूप में वसूली की जाती है, जिसका आबंटन पत्र में पृथक् से उल्लेख किया जाता है। लागत सिद्धान्त 2010 की छाया प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। एकीकृत भवन विनियम-2017 के नियम संख्या 16-17 के अनुसार भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र व अधिवास प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है तथा तत्पश्चात् ही मकान/फ्लेट का कब्जा दिया जाना अपेक्षित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रियल एस्टेट (रेगूलेशन एवं डवलपमेन्ट) एक्ट 2016 (रेरा) के अन्तर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट के संबंध में उक्त एक्ट के अध्याय-3 की धारा 18 के अनुसार की जा सकती है, की छाया प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

राजस्थान आवासन मण्डल के प्रावधानानुसार आवासों/फ्लेट्स को निर्माणाधीन अवस्था में ही, स्वतंत्र आवासों का निर्माण कार्य कुर्सी तल तक तथा फ्लेट्स का निर्माण कार्य ढांचा स्तर तक पूर्ण होने पर लाटरी द्वारा आबंटित किये जाते हैं। आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयानुसार आवासों/फ्लेट्स को कुर्सी तल तक/ढांचा स्तर तक/पूर्ण निर्मित कर आबंटित किये जाते हैं।

(3) आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर में स्थित वी.टी. अपार्टमेन्ट में उच्च आय वर्ग (स्टिल्ट+9) के कुल 36 फ्लेट्स के निर्माण में सिविल कार्य संवेदक मैसर्स न्यूटेक बिल्डर्स द्वारा किया गया है। इस अपार्टमेन्ट के फ्लेट्स में एलाइड कार्य जैसे सैनेटरी/वाटर सप्लाई, दरवाजे/खिड़कियों, बिजली, रंगरोगन, फायरफाइटिंग, लिफ्ट, सीसी टीवी कैमरे आदि कार्य अन्य संवेदकों द्वारा पूर्ण किये गये हैं। उक्त फ्लेट्स के सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही फ्लेट्स का कब्जा आबंटियों का सौंपा गया है। आवासन मण्डल द्वारा पार्किंग चार्जेज की राशि लागत सिद्धान्त-2010 के बिन्दु संख्या 12.5 में पार्किंग स्थल चार्जेज के प्रावधान के अनुरूप ही वसूल की गई है।

(4) आवासन मण्डल द्वारा फ्लेट्स की लागत तथा पार्किंग स्थल चार्जेज लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार वसूल किये गये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका अध्यक्षों के अधिकारों में कटौती

349. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा नगरपालिका अध्यक्षों के अधिकारों में कमी की गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो नगरपालिका अध्यक्ष के क्या-क्या अधिकार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी को कोई सामान्य निर्देश दिये जाते हैं तो अधिशासी अधिकारी उन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना करने वाले ऐसे अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 एवं 332 (3) में अध्यक्ष के कर्तव्य/अधिकार परिभाषित हैं।

(2) नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त धाराएं 48 एवं 332(3) में परिभाषित एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही नगरपालिका का शासन करना अपेक्षित है। अधिशासी अधिकारी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं संबंधित नियमों/प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का नियमानुसार निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नगर की नगरपालिका में वार्डवार कराये गये कार्य

350. श्री वाजिब अली (नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की नगरपालिका नगर के अन्तर्गत गत चार वर्षों में कराये गये समस्त कार्यों का वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका नगर में किन-किन कार्यों हेतु कब-कब कितना बजट पिछले 4 वर्षों में स्वीकृत हुआ? वर्तमान में उन कार्यों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की नगरपालिका नगर के अन्तर्गत गत चार वर्षों में कराये गये समस्त कार्यों का वार्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका नगर में विगत चार वर्षों में मदवार आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है एवं वर्तमान में कार्यों की स्थिति की सूची परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर के फसल बीमा के लाभार्थी

351. श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फसल बीमा के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है?

(2) फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है?

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में अब तक कितने काश्तकारों को फसल बीमा का लाभ मिला है व कितने काश्तकार उक्त योजना से वंचित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र के वंचित काश्तकारों को इस योजना का लाभ कब तक उपलब्ध होगा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से भारत सरकार की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप संचालित है जिसमें फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आधार क्रमांक/आधार का पंजीयन क्रमांक अनिवार्य है। योजना विभिन्न वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य है तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए योजना स्वैच्छिक है। ऋणी कृषकों का जिस वित्तीय संस्थान से किसान क्रेडिट कार्ड बना होता है वे वित्तीय संस्थान मौसम विशेष में कृषक द्वारा अधिसूचित फसलों के क्षेत्रफल की सूचना दिये जाने पर बीमित राशि का खरीफ, रबी तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए क्रमशः 2, 1.5 तथा 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम काटकर संबंधित बीमा कम्पनी को निर्धारित अवधि में प्रेषित करते हैं। गैर ऋणी कृषक सीएससी (Common Service Centre), अधिसूचित बीमा कम्पनी के माध्यम से आधार क्रमांक एवं भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के साथ उक्त दर से प्रीमियम अदा कर स्वैच्छिक आधार पर बीमा करा सकते हैं।

(2) योजना के अन्तर्गत सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि का प्रकोप, भूस्खलन, आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग, चक्रवात, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, बादल फटना से होने वाली उपज में हुई क्षति के आधार पर आनुपातिक रूप से भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप बीमा क्लेम अधिसूचित बीमा कम्पनी द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। बीमा क्लेम का भुगतान अधिसूचित क्षेत्र में निर्धारित संख्या में कराए गए फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना गारंटी उपज (गत सात वर्षों में से श्रेष्ठ पांच वर्षों की औसत उपज को जोखिम स्तर से गुणा करने पर) से कर प्राप्त क्षति के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना तथा आकाशीय बिजली के कारण आग लगने से घटना घटने के 72 घण्टे में अधिसूचित बीमा कम्पनी

(कृषि मंत्री)

के टोल-फ्री नम्बर पर बीमित फसल के कृषक द्वारा सूचना दिये जाने पर व्यक्तिगत आधार पर सर्वेक्षण करवाया जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाकर आनुपातिक रूप से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल पर (कटने के 14 दिन तक) ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा तथा बेमौसमी वर्षा से नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में अधिसूचित बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर पर बीमित फसल के कृषक द्वारा सूचना दिये जाने पर व्यक्तिगत आधार पर सर्वेक्षण करवाया जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाकर आनुपातिक रूप से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

फसल मौसम की मध्य अवस्था में बाढ़, दीर्घ शुष्क अवधि, भयंकर सूखे आदि के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए सामान्य उपज से 50 प्रतिशत कम उपज प्राप्त होने की संभावना होने पर राज्य सरकार द्वारा क्षति अधिसूचना जारी कर बीमित फसल के कृषकों को संभावित क्लेम के 25 प्रतिशत तक तात्कालिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

कम वर्षा या विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र/फसल में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बाधित/निष्फल बुवाई के संदर्भ में बीमित राशि का 25 प्रतिशत का बीमा क्लेम का भुगतान किया जाकर पालिसी को समाप्त किये जाने का प्रावधान है।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित न्यूनतम इकाई पटवार है। खरीफ 2016 से रबी 2018-19 तक तहसील राजगढ़ के अन्तर्गत निम्न प्रकार बीमा क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा वितरित किया गया है:-

मौसम	**बीमित कृषक**	**लाभन्वित कृषक**
खरीफ 2016	91449	34566
रबी 2016-17	26281	15512
खरीफ 2017	69939	36014

पटवार वृत्तवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) खरीफ 2017 में 605 पात्र बीमित कृषकों के बीमा क्लेम लम्बित हैं जिनका निस्तारण संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा शीघ्र किया जाएगा। रबी 2017-18, खरीफ 2018 के बीमा क्लेम के भुगतान के लिये प्रीमियम अनुदान

(कृषि मंत्री)

की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा रबी 2018-19 के बीमा क्लेमों की गणना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से उपज परिणाम प्राप्ति के उपरान्त की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना

352. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, परम्परागत कृषि विकास योजना, फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो योजनावार विगत दो वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र रेवदर के किन-किन किसानों को लाभान्वित किया गया? योजनावार, पंचायतवार, वर्षवार दिये गये अनुदान, प्राप्त जैविक फसल का नाम, जोत एरिया, उत्पादन मात्रा एवं उसकी सरकारी खरीद पेटे दी गई कीमत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं में कितने किसानों का अनुदान दिया जाना शेष है तथा इनकी जैविक फसल की सरकारी खरीद की भी व्यवस्था नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? अनुदान से वंचित किसानों की पंचायतवार, योजनावार, वर्षवार विवरण सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जीरे, सौंफ, ईसबगोल आदि की जैविक पैदावार को निर्यात करने की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। सिरोही जिले की रेवदर विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों (2017-18 व 2018-19) में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में पांच क्लस्टरों में 199 किसानों को एवं वर्ष 2018-19 में 10 क्लस्टरों में 378 किसानों को

(कृषि मंत्री)

लाभान्वित किया गया जिसकी सूची ग्राम, ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार परिशिष्ट-1 व 3 पर संलग्न है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कृषकों द्वारा जैविक क्षेत्र में बाजरा व मक्का की फसलों की बुवाई की गई है जिसका क्षेत्रफल (हैक्टेयर) व उत्पादन (क्विं.) की सूची ग्राम, ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार परिशिष्ट-2 व 4 पर संलग्न है। वर्तमान में कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक फसलों का उपयोग स्वयं के उपयोग हेतु किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती कार्यक्रम रेवदर विधान सभा क्षेत्र में संचालित नहीं है।

(2) परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत रेवदर विधान सभा क्षेत्र के 378 किसानों को अनुदान दिया जाना शेष है। जैविक फसल हेतु सरकारी खरीद का योजनान्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में जैविक खेती में अनुदान से शेष रहे कृषकों की सूची ग्राम, ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विगत दो वर्षों में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर में चयनित किसानों द्वारा जीरा, सौंफ व ईसबगोल फसलों की बुवाई नहीं की गई। परम्परागत कृषि विकास योजना में क्लस्टर एप्रोच एवं पी.जी.एस. आधारित योजना है जिसमें कृषकों के फार्म क्षेत्र का निरीक्षण स्वयं कृषकों द्वारा ही किया जाता है तथा इनके उत्पाद स्थानीय बाजार में ही विक्रय करने की व्यवस्था है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बछड़ों की निकासी पर रोक हटाने की योजना

353. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कुल कितने विश्वस्तरीय पशु मेले प्रतिवर्ष भरते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर से 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की बाहर निकासी पर रोक हटाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां तो, क्या सरकार उक्त पर किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजयपाल मिर्धा)

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उक्त मेलों में कितने-कितने पशुओं की आवक हुई व कितनी बिक्री हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बछड़ों पर रोक लगाने के बाद मेलों में पशुओं की आवक कम हुई है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग द्वारा जिला नागौर में प्रति वर्ष तीन राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री रामदेव पशु मेला, नागौर
2. श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी (नागौर)
3. श्री वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर (नागौर)

(2) जी हां। प्रदेश में गौवंशीय देशी प्रजाति के दो एवं दो वर्ष से अधिक उम्र के गौवंश को कृषि, डेयरी, प्रजनन कार्यों एवं पशु मेलों में भाग लेने हेतु राज्य से बाहर निर्यात की छूट दिये जाने की कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जिला नागौर से तीन मेलों में कुल 9543 पशुओं की आवक हुई तथा 2723 पशुओं की बिक्री हुई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्तमान में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में कृषि के प्रयोजनार्थ बैलों की उपयुक्त आयु तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष संशोधित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौशाला अनुदान राशि में वृद्धि की योजना

354. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितनी गौशालाएं हैं तथा वर्तमान में गौशाला में किस-किस पशु पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या सरकार अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 2727 गौशालाएं पंजीकृत हैं। सरकार द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन पोषण के लिए चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु बड़े गौवंश हेतु रू 32 तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 90 दिवस हेतु सहायता राशि दी गई।

वर्ष 2018-19 में दिवसों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 दिवस कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौशालाओं में संधारित गौवंश को सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रु. 32 से बढ़ाकर रु. 40 प्रति गौवंश प्रतिदिन एवं छोटे गौवंश हेतु रु. 16 से बढ़ाकर रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया जा चुका है।

(2) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन-पोषण के लिए चारा-पानी एवं पशुआहार हेतु गौशालाओं में संधारित गौवंश को सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु रु. 32 से बढ़ाकर रु. 40 प्रति गौवंश प्रतिदिन एवं छोटे गौवंश हेतु रु. 16 से बढ़ाकर रु. 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया जा चुका है।

मकराना में खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य

355. श्री रूपा राम (मकराना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 31 दिसम्बर, 2015 से 15 जून, 2019 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो मानदण्डों एवं मार्गदर्शिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यों की स्वीकृति किस स्तर से एवं किन-किन के प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या स्वीकृति हेतु जन प्रतिनिधियों से सुझाव व प्रस्ताव को प्राथमिकता से लेने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 31 दिसम्बर, 2015 से 15 जून, 2019 तक रुपये 7930.12 लाख की राजस्व प्राप्ति हुई जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	**प्राप्त राजस्व (लाखों में)**
31.12.2015 से 31.03.2016	583.78
01.04.2016 से 31.03.2017	2125.65
01.04.2017 से 31.03.2018	2465.10
01.04.2018 से 31.03.2019	2350.94
01.04.2019 से 15.06.2019	404.65

(2) जी हां। सरकार द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से राशि का आबंटन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के दिनांक 31.05.2016 से प्रभाव में आने के पश्चात् दिनांक 15.06.2019 तक

(खान मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र मकराना में करवाये गये विकास कार्य, स्थान एवं व्यय की गई राशि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं वहां के निवासियों के कल्याण हेतु राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 (3)(i) में वर्णित विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन गवर्निंग काउन्सिल द्वारा किया जाता है। गवर्निंग काउन्सिल के अनुमोदन पश्चात् दो करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की स्वीकृति मैनेजिंग कमेटी द्वारा तथा दो करोड़ रुपये से अधिक राशि के कार्यों की स्वीकृति राज्य स्तर से दी जाती है।

(5) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन गवर्निंग काउन्सिल द्वारा किया जाता है जिसमें जिले के संबंधित सांसद एवं विधायक भी न्यासी हैं। जन प्रतिनिधियों से पृथक् से सुझाव/प्रस्ताव लेने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान खाद्य आपूर्ति निगम में अनुदान में अनियमितता

356. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति में गंभीर अनियमितता का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में नियमों एवं दिशा निर्देशों की घोर अवहेलना की गई है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2016-17 के वैधानिक अंकेक्षण के दौरान वैधानिक अंकेक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 143(12) व 447 के तहत केन्द्र

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

एवं राज्य सरकार से चीनी अनुदान प्राप्त करने में फ्राड संबंधी निम्नलिखित दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं :-

(1) भारत सरकार से चीनी अनुदान प्राप्त करने में किये गये फ्राड संबंधी रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018

(2) राजस्थान सरकार से चीनी अनुदान प्राप्त करने में किये गये फ्राड संबंधी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018

उपर्युक्त दोनों प्रकरणों के संबंध में स्वतंत्र व्यवसायी (Independent Professional) से जांच करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रकरण में फ्राड कारित होना नहीं मानकर अनियमितता होना माना गया है तथा क्रम संख्या 2 पर अंकित प्रकरण को समायोजित योग्य माना गया है। उक्त दोनों रिपोर्ट्स को निगम के संचालक मण्डल की 27वीं एवं 28वीं बैठक में रखा गया। उक्त बैठकों में स्वतंत्र व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया तथा तदनुसार वैधानिक अंकेक्षक को जवाब प्रस्तुत किये गये।

(2) भारत सरकार से चीनी अनुदान प्राप्ति के प्रकरण संख्या 1 में स्वतंत्र व्यवसायी द्वारा गम्भीर अनियमितता होना अंकित किया गया है। चूंकि प्रकरण में निगम द्वारा वैधानिक अंकेक्षक को प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित दोनों रिपोर्ट्स पर जवाब प्रेषित किया जा चुका है तथा अंकेक्षण की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित अधिकारियों के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) भारत सरकार से चीनी अनुदान प्राप्ति के प्रकरण संख्या 1 में स्वतंत्र व्यवसायी द्वारा गम्भीर अनियमितता होना अंकित किया गया है। चूंकि प्रकरण में निगम द्वारा वैधानिक अंकेक्षक को प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित दोनों रिपोर्ट्स पर जवाब प्रेषित किया जा चुका है तथा अंकेक्षण की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित अधिकारियों के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी

357. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2013-14 से अब तक जिलेवार व योजनावार (शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग) Allocation of Food Grain (Wheat & Rice), Central, State, Total, Actual Procurement, Actual Distribution जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2013-14 से 30 जून, 2019 तक Number of Targeted Beneficiary (Scheme Wise), (SC, ST & OBC Wise) एवं वास्तविक लाभार्थियों Number of Actual Beneficiary (SC, ST & OBC Wise) की जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बी.पी.एल., ए.पी.एल., अन्नपूर्णा व अन्त्योदय अन्य योजना के तहत अनाज के वितरण व इनकी कीमतों के संदर्भ में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अलग-अलग आदेश व दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? इन आदेशों व दिशा-निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को माह अक्टूबर, 2013 से प्रतिमाह 232631 मैट्रिक टन गेहूं का आबंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार नहीं, बल्कि जिलेवार आबंटन किया जाता है अत: उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों परिवारों को आवंटित गेहूं का जिलेवार, वर्षवार आबंटन एवं वितरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम व राज्य की खरीद एजेन्सियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल गेहूं की खरीद सम्पादित की जाती है। खरीद किये गये गेहूँ का जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों का जातिवार (SC, ST & OBC Wise) डाटा संधारित नहीं किया जाता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार योजना में चयनित अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम एवं अन्य प्राथमिक पात्र परिवारों (बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल सहित) को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 05 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में भी राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित अन्त्योदय परिवारों एवं अन्य प्राथमिक पात्र परिवारों (बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल सहित) को प्रावधानानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची 01 के अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 से 28 फरवरी, 2019 तक सभी चयनित परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा था तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.02.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा 01 मार्च, 2019 से अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के लाभार्थियों को 01/- रुपये प्रति किग्रा. की दर से एवं अन्य प्राथमिकता परिवारों को 02/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नॉन आई.एस.एस. अनुदान में अनियमितता

358. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वैधानिक अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2016-17 के अपने प्रतिवेदन में नॉन आई.एस.एस. क्वालिटी वितरण अनुदान में अनियमितता सहित कई प्रकरण सामने आने पर अपने प्रतिवेदन में फ्राड कमिटेड बाय द आफिसर्स आफ द कारपोरेशन अंकित किया? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर एवं जिन अधिकारियों द्वारा अनियमितता की गई, उन अधिकारियों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वैधानिक अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी कितने समय तक उक्त अधिकारी निगम में कार्यरत रहे और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वैधानिक अंकेक्षक द्वारा वैधानिक अंकेक्षण वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं संबंधी कुल सात प्रकरणों में फ्राड कमिटेड बाय द आफिसर्स आफ द कारपोरेशन अंकित कर निगम को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो निम्न प्रकार हैः-

1 परिनिर्धारित क्षति, निष्पादन प्रतिभूति राशि लौटाने के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018

2 भारत सरकार से चीनी अनुदान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018

3 राजस्थान सरकार से चीनी अनुदान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018

4 सक्षम प्राधिकारिता के बिना अनधिकृत भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 20.10.2018

5 मंत्री एवं उनके स्टाफ को कार के लिए अनधिकृत भुगतान बाबत रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018

6 निगम के अध्यक्ष को अनधिकृत रूप से कार का भुगतान करने बाबत् रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018

7 निगम के प्रबंध निदेशक को अनधिकृत रूप से कार का भुगतान करने बाबत रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018

उपर्युक्त सातों प्रकरणों में निगम द्वारा स्वंतत्र विशेषज्ञ (Independent Professional) से जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट पर निगम के संचालक मण्डल की बैठक में विचार विमर्श एवं लिए गये निर्णय उपरान्त क्रम संख्या एक पर वर्णित अनियमितता के संबंध में निगम स्तर पर प्राथमिक जांच करवाई गई। उक्त जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्कालीन महाप्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत आरोप पत्र अंतर्गत सीसीए नियम 16 प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रबंध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रकरण सं. 2 व 3 में स्वंतत्र विशेषज्ञ (Independent Professional) से जांच करवाई जा कर जांच रिपोर्ट संचालन मंडल की 27वीं व 28वीं बैठक में मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। उक्त बैठकों में स्वतंत्र व्यवसायी द्वारा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया तथा तद्नुसार वैधानिक अंकेक्षक को जवाब प्रस्तुत किये गये। इस संबध में निगम के संचालक मण्डल की 29वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 4 (1) व 4(2) तथा 30वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2(4) के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की गई है। उक्त बैठकों की कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-एक व दो पर संलग्न है।

क्रम सं. 4 पर अंकित अनियमितता हेतु निगम संचालक मंडल की 30वीं बैठक दिनांक 30.11.2018 में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर प्राथमिक जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

क्रम सं. 5 पर वर्णित रिपोर्ट के संबंध में निगम के संचालक मंडल की 30वीं बैठक दिनांक 30.11.2018 में इसको फ्राड की श्रेणी में नहीं मानते हुए तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) को निर्देशित किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

क्रम सं. 6 में वर्णित रिपोर्ट को निगम के संचालक मंडल की 30वीं बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है।

क्रम सं. 7 पर वर्णित रिपोर्ट को निगम के संचालक मंडल की 30वीं बैठक में फ्राड की श्रेणी में नहीं माना जाकर प्राथमिक जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(2) वैधानिक अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक के पूर्व ही संबंधित अधिकारी कार्यमुक्त हो चुके थे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिवहन निगम में सेवानिवृत्त अधिकारियों का बकाया परिलाभ

359. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर उत्तर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ की कितनी राशि बकाया है? उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) अजमेर स्थित आगार में अप्रैल, 2013 के बाद से अब तक कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी कब-कब सेवानिवृत्त हुए और उनका किस-किस मद में कितना-कितना बकाया है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत दस वर्षों की वित्तीय स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लगातार घाटे में चलने के उपरांत भी राज्य पथ परिवहन निगम नई बसें खरीदने जा रहा है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में माह जून 2016 से मार्च, 2019 तक लगभग 3300 सेवानिवृत्त कार्मिकों का लगभग 265.70 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। उक्त बकाया परिलाभों का भुगतान वित्तीय उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(2) निगम के अजमेर में स्थित अजमेर, अजय मेरू व सीबीएस आगार में वर्ष 2013 से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की आगारवार सूची परिशिष्ट ''1'' पर उपलब्ध है। उक्त आगारों के जून 2016 से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान बकाया है, जिसका मदवार विवरण परिशिष्ट ''2'' पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत दस वर्षों की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है।

(4) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद हेतु अंशपूंजी/अनुदान हेतु राज्य सरकार को पत्रांक 2720 दिनांक 25.6.2019 एवं 2746 दिनांक 12.7.2019 द्वारा निवेदन किया हुआ है। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा नई बसों की खरीद की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूतपूर्व सैनिकों की गठित समितियों के मान्यता प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण

360. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिरधारीलाल)

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित समितियों के मान्यता प्रमाण पत्रों का दिनाक 31-3-2013 के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित समितियों से राजकीय विभागों/कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिक नियोजित नहीं कर सकते? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के हित में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित समितियों से पुन: राजकीय विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड (REXCO) का गठन होने के कारण दिनांक 31-03-2013 के पश्चात् पूर्व सैनिकों द्वारा गठित समितियों के मान्यता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया।

(2) जी हां। राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड (REXCO) का गठन होने के कारण।

(3) जी नहीं। दिनांक 31-03-2013 के पश्चात् राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड (REXCO) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन किया जा रहा है।

परिवहन निगम के निर्धारित मार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन पर कार्यवाही

361. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निर्धारित मार्गों पर अवैध वाहन चल रहे हैं? यदि हां, तो अवैध वाहनों के संचालन से निगम को प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निगम के निर्धारित मार्गों पर अवैध वाहनों के

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

संचालन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आकस्मिक/नियमित निरीक्षण के दौरान अवैध वाहनों के संचालन पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

मिड-डे मील संविदा कर्मचारियों को देय सुविधाएं

362. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मिड-डे मील योजनान्तर्गत संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को कितना मानदेय या भत्ता दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संविदा कर्मचारियों को अवकाश, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्बे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिड-डे मील योजनान्तर्गत संविदा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं जिन्हें कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 एवं 08.02.2018 के अनुसार निर्धारित किये गये समेकित पारिश्रमिक दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

सुरक्षा गार्डों (भूतपूर्व सैनिक) को आदेश क्रमांक पं.10(9) से.वा/2012 दिनांक 06.08.2013 के अनुसार रुपये 8300/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

मशीन विद मैन को RTPP नियम एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार नियोजित किया जा रहा है।

होमगार्ड को आदेश क्रमांक एफ 3(5) गृह-7/2012 दिनांक

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

03.04.2018 के अनुसार 590/- रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से तथा 20 रुपये प्रतिदिन आने-जाने हेतु उपस्थिति अनुसार दिया जा रहा है।

(2) संविदा पर लगे हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों को 1 वर्ष में 12 दिवस का वैतनिक आकस्मिक अवकाश एवं सुरक्षा गार्ड को एक साप्ताहिक अवकाश देय है। उपरोक्त किसी कार्मिक को अवकाश देय नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

शिक्षा के सुधार हेतु संचालित योजनाएं

363. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु कौन–कौनसी योजनाएं संचालित हैं और उनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है?

(2) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 तक उक्त योजनाओं में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया व उनमें कितनी राशि व्यय की गई? मदवार, योजनावार और जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े एवं विषम भौगोलिक स्थिति के मरुस्थल क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति पर नये स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु योजना एसआईक्यूई (स्टेट इन्सेंटिव क्वालिटी एजुकेशन) जारी है। इस योजना के तहत कक्षा 01 से 05 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का संचालन एवं गतिविधियां संयुक्त रूप से समग्र शिक्षा अभियान, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं एससीईआरटी उदयपुर द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है। समस्त अकादमिक कार्य एससीईआरटी उदयपुर द्वारा किये जाते हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निम्नांकित योजनाएं संचालित हैं:-

लैपटाप:- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप दिया जाता है। कक्षा-8 के वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थियों तथा न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार लैपटाप वितरण हेतु पात्र राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वरीयता सूची के अनुसार प्रथम 100-100 विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त लैपटाप वितरित किये जाते हैं। इस प्रकार राज्य में आठवीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर 9300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप दिये जाते हैं।

शैक्षणिक भ्रमण:- माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अन्तर्जिला शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत करने वाले विद्यार्थियों में से योग्यता के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्य/खेलकूद/ स्काउट एवं गाइड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों, उनका भी चयन किया जाता है।

शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहरों तथा स्थापत्य कला आदि से परिचित करवाना है। विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की भी वृद्धि कराना तथा सामुदायिक जीवन से ओत-प्रोत करने की भावना का विकास करना भी इस योजना का उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत प्रति जिला 24 विद्यार्थियों के भ्रमण के लिये राशि रुपये 86,100/- (छियासी हजार एक सौ रुपये) प्रति जिला बजट आबंटित किया जाता है।

भ्रमण के दौरान विद्यालयों की कुछ प्रतियोगिताएं यथा भ्रमण आलेख, क्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि भी सुविधानुसार आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार वितरण के निर्देश दिये जाते हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्रवेशोत्सवः- राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाता है।

(2) विगत पांच वर्षों में अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 तक उक्त योजनाओं का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

	(राशि लाखों में)									
योजना का नाम	**2014-15**		**2015-16**		**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
	आरई	**वित्तीय प्रगति**	**आरई**	**वित्तीय प्रगति**	**आरई**	**वित्तीय प्रगति**	**आरई**	**वित्तीय प्रगति**	**आरई**	**वित्तीय प्रगति**
लैपटाप	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
शैक्षणिक भ्रमण	30.0	13.15	12.41	12.36	10.27	10.26	13.00	10.71	22.50	21.53
प्रवेशोत्सव	6.04	6.17	30.00	12.84	5.73	4.85	5.00	1.78	3.00	0.50

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा विगत पांच वर्षों में अप्रैल, 2014 से मार्च 2019 तक सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान पर धनराशि का प्रावधान एवं खर्च की राशि का मदवार, योजनावार और जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स (ईबीबी) में माडल विद्यालय खोले जाने थे, जिनमें से केवल 134 (ईबीबी) ब्लाक्स में ही स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सत्र 2015-16 में माडल स्कूल योजना को बंद कर दिया गया है। (राज्य में संचालित समस्त 134 माडल स्कूल की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।)

(विवरण पुस्तकालय में रख गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

तृतीय श्रेणी शिक्षकों का 6-D में समायोजन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायत समितियों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 6-D नियमों के तहत विभाग में समायोजित करने का प्रावधान है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 6-D नियमों से मुक्त रखा गया है। जोधपुर जिले में नियम विरुद्ध जाकर जोधपुर शहर, फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड व बिलाड़ा के 308 शिक्षकों को गलत तरीके से 6-D में जोड़कर उनके समायोजन शिक्षकों की सहमति के विरुद्ध प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में 14.6.2019 के आदेशों से कर दिया।

उक्त नियम विरुद्ध को लेकर शिक्षकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने 21 जून, 2019 निर्णय पारित कर समस्त आदेश निरस्त कर दिए। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जोधपुर ने दिनांक 10.7.2019 को आदेश प्रसारित कर द्वेषपूर्ण तरीके से उसी सूची के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने दर्जनों शिक्षकों को मनमर्जी से विलोपित कर दिया।

कुछ विधवा व परित्यक्तता अध्यापिकाओं को तो स्थानान्तरण में छूट प्रदान कर दी जबकि अनेक विधवा, परित्यक्तता, विकलांग अध्यापिकाओं को प्रताड़ित कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही उस दमनपूर्ण व नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों से सम्पूर्ण जोधपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। अतः मा. शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि 6 -D में स्थापित परम्पराओं व नियमानुसार ही करने व द्वेषपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने का श्रम करें।

इसी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

पब्बाराम

(फलौदी)

चौमूं में गत सरकार द्वारा स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्य

महोदय,

निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के कई गांव में विगत सरकार द्वारा पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा। इन पेयजल योजनाओं में अनन्तपुरा-जैतपुरा, कुमावतों की बगीची, टांकरडा, कृषि विज्ञान केन्द्र, टांकरडा के पास, बावड़ी-गोपीनाथ, सामोद, महार आदि पेयजल योजनाएं हैं। इन योजनाओं में किसी गांव के विद्युत कनेक्शन नहीं है तो कहीं पर पाइप लाइन मिलान बाकी है। कहीं पर पाइप लाइन पूर्ण नहीं हैं तो किसी योजना के ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं जिससे सभी गांव वालों को पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है और आये दिन जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अविलम्ब इन योजनाओं के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराएं जिससे पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

श्रीविजयनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर में चिकित्सकों के रिक्त पद

महोदय,

श्रीविजयनगर सामुदायिक स्वा. केन्द्र विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का काफी बड़ा चिकित्सालय है जिसमें बहुत से चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीविजयनगर चिकित्सालय के ऊपर बहुत से मरीज इलाज के लिए निर्भर हैं। परन्तु स्थिति ये है कि यहां किसी भी मरीज को पूरा उपचार नहीं दिया जाता तथा थोड़ी-सी भी गंभीर स्थिति में उपचार के अभाव में श्रीगंगानगर में रैफर कर दिया जाता है। कारण यही है कि चिकित्सकों के रिक्त पद। यहां पर सर्जन, आर्थोपेडिक्स, महिला चिकित्सक के साथ और भी चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। यहां से बीकानेर की दूरी भी लगभग 180 किमी है तथा श्रीगंगानगर लगभग 100 किमी है तथा बीकानेर तक रोड भी टूटी हुई है वहा तक जातेजाते कई मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं।

स्टेट हाईवे अनूपगढ़-सूरतगढ़ रोड पर काफी दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं जिसके सभी मरीज अधिकतर श्रीविजयनगर चिकित्सालय में भर्ती होते हैं परन्तु चिकित्सक एवं सुविधाओं के अभाव में उनको पूरा उपचार नहीं मिल पाता है। अतः मेरे श्रीविजयनगर स्थित चिकित्सालय में डाक्टर के सभी पदों

को भरा जाए एवं यहां जिन मशीनों का अभाव है वो भी उपलब्ध कराई जाए ताकि क्षेत्रीय जनता की इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके।

बलवीर सिंह लूथरा

(रायसिंहनगर)

जैतारण व रायपुर क्षेत्र के अण्डरब्रिजों के नीचे सी.सी. सड़कों का निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण व रायपुर क्षेत्र में बर, हरीपुर, दीपावास, लवाचा, मेघड़दा, रेलमगरा, गुडिया, सबलपुरा, लालपुरा, धोलिया सहित कई अन्य गांवों से होती हुई रेलवे लाइन निकलती हैं। उपरोक्त गांवों के आवागमन के लिए रेलवे अण्डरब्रिज बने हुए हैं इन्हीं अण्डरब्रिज से होते हुए प्रतिदिन हजारों लोग अपनी रोजी-रोटी के लिये आते-जाते रहते हैं। कुछ अण्डरब्रिज के नीचे पक्की सी.सी. सड़क का निर्माण किया हुआ है और कुछ अण्डरब्रिज के नीचे अभी भी मिट्टी व दलदल का रास्ता है। बारिश के समय में उपरोक्त अण्डरब्रिजों में पांच से छह फीट तक पानी भर जाता है जिससे कई दिनों तक लोगों का आवागमन बन्द हो जाता है। आवागमन बन्द होने से लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी दूर भर हो जाती है। जो व्यक्ति मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं उनको भी जब तक अण्डरब्रिज से पानी बाहर निकासी नहीं हो जाती है तब तक इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में प्रशासन द्वारा उपरोक्त समस्या के अस्थाई समाधान के तौर पर जनरेटर, इंजन लगाकर पानी की निकासी की जाती है जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान प्रतिवर्ष होता है।

अतः क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं व सरकार से मांग करता हूं कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र के जैतारण व रायपुर क्षेत्र में आने वाले सभी अण्डरब्रिज के नीचे तुरन्त प्रभाव से पक्की सी.सी. सड़क निर्माण करें व पानी निकासी के लिए अण्डरब्रिज के पास नाला बनाकर व 60-70 फीट का बोरवेल खुदवाकर स्थाई प्रबन्ध कर समाधान करें जिससे हजारों लोगों को कई वर्षों से हो रही परेशानी से निजात मिल सके।

अविनाश गहलोत

(जैतारण)

मनोहरथाना के विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा मनोहरथाना में विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन की जान जोखिम में डालने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15.7.2019 के समाचार पत्र जन नायक, झालावाड़ में प्रकाशित खबर 11 केवी विद्युत लाइन के नीचे झूलते हुए तार मकान के ऊपर से जा रहे हैं। जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारी आमजन के लिए इतने लापरवाह साबित हो रहे हैं कि मकान निर्माणाधीन पर लोहे का खम्भा मकान की छत पर लोहे के सरियों से ही वैल्डिंग कर लाइन को मात्र 6 फीट ऊंचा कर कार्य पूरा कर दिया है। मकान मालिक छम्मा बाई/पत्नी भंवरलाल निवासी हनोतिया मेवातियान हाल मुकान मनोहरथाना में निर्माणाधीन इस भवन के संबंध में दिनांक 13.5.2019 को विद्युत कार्यालय के डिस्पेच क्रमांक 176 द्वारा लाइन शिफ्ट करवाने तक मकान निर्माण रुकवाने के लिए नोटिस जारी कर अवगत करवाया था। इस नोटिस की प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार व सरपंच महोदय को भी विभाग ने पहुंचाई थी। इसके बावजूद भी उसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियम कानून ताक पर रखकर अवैध पोल खड़ा कर दिया है। कभी भी 11 केवी लाइन से छत में करंट लगा तो पूरा परिवार मौत का शिकार हो सकता है।

महोदय इस कार्य में पदस्थापित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है। इस प्रकार से विभाग से शटडाउन दिलाकर छत पर सरियों के बने जाल को मौत का जाल बनाने वाले पूरे कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए।

इसी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

गोविन्द प्रसाद

(मनोहरथाना)

मदरसा शिक्षा सहयोगियों का नियमितीकरण

महोदय,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान विविध चरणों में नियुक्त मदरसा शिक्षा सहयोगियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मदरसा शिक्षा सहयोगी जो कि लगभग 15-15 साल से मदरसों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें अधिकतर मदरसा शिक्षा सहयोगी बी.ए., एम.ए., बीएसटीसी, बी.एड. योग्यताधारी हैं परंतु इन्हें मासिक मानदेय बहुत कम लगभग 7-8 हजार रुपये दिया जा रहा है जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

महोदय, पूर्व में समय-समय पर इनका मानदेय बढाया जाता रहा है। परन्तु इस बजट में न तो इनका मानदेय बढ़ाया गया है तथा न ही इनको नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कोई जिक किया गया, जिसके कारण इन मदरसा शिक्षा सहयोगियों में निराशा का भाव है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित किया जाए तथा जब तक नियमित नहीं किया जाता है, तब तक इन्हें सम्मानजनक मानदेय दिए जाने के आदेश प्रदान कर इन मदरसा शिक्षा सहयोगियों को न्याय दिलाने की कृपा करें।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों संविदाकर्मी जो कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 से 20 वर्ष कार्य करने के बावजूद भी ठेके के कर्मचारी ही कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'समान कार्य-समान वेतन' का ऐतिहासिक फैसला दिया जा चुका है, परन्तु संविदाकर्मी और स्थायी कर्मचारियों के वेतन में दिन-रात का अंतर है। यह स्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इतनी कम सैलेरी के बाद दूसरी विडम्बना है कि हजारों लोग अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर अन्य जिले में काम कर रहे हैं। अधिकारी जब चाहे इनको हटा देते हैं। कई संविदाकर्मियों की काम करते हुए मृत्यु तक हो चुकी है परन्तु सरकार द्वारा इनके बारे में कभी भी चिंता नहीं की कि इनके परिवार की क्या स्थिति है।

कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। सरकार बने हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सरकार ने बीडी कल्ला जी के अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है, वो अभी तक संविदाकर्मियों के आंकड़े तक इकट्ठे नहीं कर पाई है। संविदाकर्मियों के

आंकड़े इकट्ठे करने में 6 महीने लग गये तो इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा और ये कार्मिक स्थायी कब होंगे।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इन दो लाख लोगों के परिवारों की चिंता करें। दिन-रात अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले लोगों की अनिश्चितता दूर करें। इन लोगों के लाखों परिजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें तथा राज्य के समस्त संविदा कार्मिकों की समस्याएं दूर कर अनुगृहीत करें।

इसी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रताप सिंह

(छबड़ा)

मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का मानदेय

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में रजिस्टर्ड मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का मानदेय बहुत ही कम है। ये पैराटीचर्स मदरसों में आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, किसी पैराटीचर ने बी.एड. किया हुआ है तो किसी पैराटीचर ने एस.टी.सी. किया है। पैराटीचर्स उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और रोजाना 8 घंटे कार्य करते हैं।

हाल ही में राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन उनसे ज्यादा योग्यता रखने वाले पैराटीचर्स का मानदेय नहीं बढ़ाये जाने के कारण राज्य के मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि राज्य के मदरसा में कार्यरत पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाया जाए।

अमीन खां

(शिव)

लाडपुरा में चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। लाडपुरा क्षेत्र के कैथून कस्बे में 30 मई, 2019 की की रात को का एक गरीब परिवार की 10 वर्षीया बालिका जिसका नाम 'लक्ष्मी' था, को सांप ने काट लिया था। बालिका के पिता उसे कैथून सीएचसी अस्पताल ले गए। वहां पर डॉक्टर होते हुए भी बच्ची को मात्र ड्रिप चढ़ा कर खानापूर्ति कर दी गई और बालिका की स्थिति गम्भीर देखते हुए उसे कोटा रैफर कर दिया गया।

वहां एम्बूलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था। बालिका के पिता अपने साधन से ड्राइवर को ढूंढ कर ले कर आया और उसे कोटा अस्पताल ले गये। परन्तु दुर्भाग्यवश उस बालिका की मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी से पता चला कि अस्पताल में 17 Vial antivenom जहर विरोधी इंजेक्शन होने के बावजूद भी ड्रिप चढ़ा दी गई, जो कि सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर इस मासूम बालिका को समय पर डॉक्टर देख लेता तो इलाज के अभाव उसकी मौत नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष जांच करवाने का निवेदन करती हूं तथा इसमें दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई और गरीब परिवार की बालिका को राहत देने की मांग करती हूं।

इसी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्रीमती कल्पना देवी

(लाडपुरा)

पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल का पुनर्गठन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सृष्टि रचयिता श्री ब्रहमाजी का सृष्टि पर प्रथम यज्ञ सम्पन्न करने के मानसिक संकल्प और कर-पुष्प से प्रस्फुटित त्रिपुष्कर, ज्येष्ठ (ब्रहमा पुष्कर), मध्य पुष्कर (विष्णु पुष्कर), कनिष्ठ (रुद्र पुष्कर) का उद्‌गम होने की मान्यता सर्वविदित है। पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है, यह स्वयंभू तीर्थ है, इसके प्राकट्‌य का कोई लौकिक कारण नहीं है। पुष्कर राज की महिमा और महात्म्य ऋग्वेद 7/33/11, 6/16, यजुर्वेद 11/32 वाल्मीकि रामायण, महाभारत के वन पर्व 82/25, 82/26 श्री मद्भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, कर्म पुराण, स्कन्द पुराण, हरिवंश पुराण 9/23, ब्रहमावैवर्त पुराण 5/70, 71 व पदम पुराण के सृष्टि खण्ड में वर्णित है। भगवान श्रीराम द्‌वारा अपने पिता श्री दशरथजी के गया कुण्ड पुष्कर में श्राद्ध का उल्लेख पदम पुराण और गरुड़ पुराण में, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से द्‌वारका गमन का वर्णन हरिवंश पुराण में वर्णित है। उसी काल का मानबाय मंदिर और अरण्य क्षेत्र आज भी जीवन्त है। नन्दा सरस्वती का उद्‌गम और जल प्रवाह क्षेत्र भी पुष्कर में रहा है। पाण्डव आगमन एवं आवास के प्रमाण पंचकुण्ड क्षेत्र में व गौमुख क्षेत्र का अनन्त महत्व है।

पुष्कर के सभी तीर्थों का गुरु होने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। पुष्कर का धार्मिक मेला विश्वविख्यात है और प्रतिवर्ष लगभग 40-50 लाख धार्मिक श्रद्धालु तीर्थयात्री सभी देश के कोने-कोने से आते हैं और करीब एक लाख विदेशी सैलानी भी पुष्कर भ्रमण करते हैं।

उक्त महत्ता को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि पुष्कर प्रवेश की सभी दिशाओं में 7 द्वार सप्तऋषियों के नाम से निर्मित हों, ऋषि दीर्घा एवं संत दीर्घा स्थापित की जाए। आध्यात्मिक विकास केन्द्र हो जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण वेदान्त, प्रस्थनत्रयी, गीता, भागवत पर रिसर्च हो, गोष्ठियों का आयोजन करके देश-विदेश के मूर्धन्य विद्वानों को बुलाया जाए। इसके अलावा प्रदर्शनी स्थल का निर्माण हो । त्रिपुष्कर (ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ) के सरोवर में पर्याप्त एवं शुद्ध जल हर समय उपलब्ध हों। पुष्कर घाटी, नाग पहाड़, पुरुहूता पर्वत, रत्नागिरी पर्वत, पर्यादा पर्वत व अन्य अरण्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा ब्रहमा मन्दिर में वेद मन्दिर स्थापित हों, जहां निरन्तर वेदध्वनि प्रसारित होती रहे। इनके अलावा अन्य कई विकास कार्य भी करवाये जाने चाहिए।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल, 1972 को पुनर्गठित कर राजकीय एवं क्षेत्रीय उपयुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व देकर संकल्प शक्ति सहित कार्य परिणति में लगाया जाए। धन्यवाद।

सुरेश सिंह रावत

(पुष्कर)

नसीराबाद की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के नसीराबाद शहर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के 34 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध मात्र 24 चिकित्सक कार्यरत हैं जिसमें सर्जन, शिशुरोग विशेषज्ञ, अस्थिरोग विशेषज्ञ, दन्तरोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेडिसीन विशेषज्ञ एवं नर्सिंग ग्रेड-प्रथम के पद रिक्त हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ में नर्स ग्रेड-द्वितीय के 38 पदों के विरुद्ध मात्र 13 कर्मी एवं लैब टैक्नीशियन के चार पदों के विरुद्ध एक कर्मी कार्यरत है। इसी प्रकार रेडियोग्राफर के 3 पदों के विरुद्ध मात्र एक कर्मी कार्यरत है। इसी प्रकार ईसीजी टैक्नीशियन के स्वीकृत तीन पद रिक्त हैं। इसी क्रम में चिकित्सालय में स्वीकृत 140 पदों के विरुद्ध मात्र 56 कर्मचारी कार्यरत

हैं एवं 84 पद रिक्त हैं। चिकित्सालय में प्रतिदिन ओ.पी.डी. में करीब 500 से अधिक मरीज आते हैं। चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण नसीराबाद कस्बा व क्षेत्र की जनता को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। यह चिकित्सालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जिस पर प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है, किन्तु चिकित्सालय में स्टाफ के अभाव में समय पर इलाज नहीं हो पाता है, जिससे कई बार गम्भीर रोगियों की मृत्यु हो जाती है।

नसीराबाद चिकित्सालय में नेत्र रोगियों के इलाज के लिए लायी गई फेको मशीन, जिसकी अनुमानित लागत 17 लाख है, का नेत्र चिकित्सक के अभाव में व आपरेशन थियेटर के चालू नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो सका व मशीन चोरी हो गयी, जिसकी सूचना दिनांक 13.07.2019 को मुझे प्राप्त हुई है।

नसीराबाद में नवनिर्मित शहरी चिकित्सालय, बारां पत्थर, नसीराबाद में स्टाफ की समुचित व्यवस्था कर आउटडोर सुविधा शुरू कराने का भी निवेदन है।

अतः माननीय मंत्री महोदय जी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय, नसीराबाद में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद शीघ्र भरने व फेको मशीन की चोरी हो जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, दोषी के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करवाने का श्रम कराएं।

धन्यवाद।

रामस्वरूप लाम्बा

(नसीराबाद)

डूंगरगढ़ में पीने के पानी की समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 120 गांव व 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाली श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में पीने के पानी की भारी समस्या है। पानी फ्लोराइडयुक्त और 500 से 900 फीट गहरा है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र राजस्थान नहर की लूणकरणसर लिफ्ट से मात्र 50 किमी की दूरी पर है। अतः मेरा आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट बनाकर, राजस्थान नहर से पीने का पानी श्रीडूंगरगढ़ के गांव व शहर में सप्लाई किया जाए।

गिरधारी लाल

(डूंगरगढ़)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक **लोक निर्माण कार्य** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में स्वीकृत सभी निर्माण कार्य शीघ्र चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

3. पंचायत समिति समदड़ी के भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन एवं बजट स्वीकृत हो चुकी थी, फिर भी भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जर्जर हालत में पड़े उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. समदड़ी तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण कार्य एवं सिवाना, सिणधरी डाक बंगले का विस्तारीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय सिवाना एवं समदड़ी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित सीनियर विद्यालयों के भवन निर्माण, नव सृजित पटवार मण्डल एवं पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

8. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में एक भी विश्राम गृह नहीं है, PWD का विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर):

9. अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय भवन के जीर्णोद्धार व नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित चिकित्सकों व कर्मचारियों के आवासों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. अलवर शहर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय हेतु पर्याप्त बजट स्वीकृत कर अतिशीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर उपखण्ड सराड़ा, तहसील सेमारी, उप तहसील जयसमन्द, उप तहसील गिंगला में डाक बंगला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप तहसील गिंगला में तहसील कार्यालय भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा के सहायक अभियंता कार्यालय सराड़ा, सेमारी, परसाद, जयसमन्द एवं गिंगला में निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, मिस्त्री, सुपरवाइजर, फौरमैन, मेट एवं बैलदार के पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ारानी महाविद्यालय सलूम्बर, राजकीय महाविद्यालय सराड़ा के चारदीवारी का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू**):**

17. चूरू के डाक बंगले की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

18. मुण्डावर में नीमराना कस्बे में P.W.D. Guest House भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

19. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित लाखनपुर घाटी एवं सोमास घाटी बौंली की चारदीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में डाक बंगला स्वीकृत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

21. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी में स्थित सभी नगरपालिकाओं में एक हजार से दो हजार व्यक्तियों के बैठने हेतु सार्वजनिक सामुदायिक भवन, स्टेडियम व गार्डन का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

22. चौमूं कस्बे में स्थित P.W.D. के डाक बंगले के रखरखाव व अतिरिक्त कमरे निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

23. अजमेर जिले के पीसांगन में डाक बंगले का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

24. नसीराबाद शहर में स्थित बस स्टैण्ड का नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

25. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय रानीवाड़ा के पुराने जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

26. लाडनूं में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

27. बाड़ी में न्यायालय भवन प्रशासनिक कार्यालय एवं नगरपालिका कार्यालय के नवीन भवन एवं अधिकारियों के लिए आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

28. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामीण इलाकों में खेल मैदानों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में खेल मैदानों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कस्बा देवली एवं उनियारा में डाक बंगले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

31. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में लोक निर्माण कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

32. राजसमन्द जिले के उपखण्ड मुख्यालय रेलमगरा क्षेत्र में नये डाक बंगले की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

33. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये भवनों की पुन: मरम्मत हेतु पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण अरबों रुपयों की सम्पत्ति जीर्ण-शीर्ण होकर नष्ट होने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. सार्वजनिक निर्माण विभाग में ब्लैक लिस्टेड रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा पुन: नाम परिवर्तित कर दूसरे नामों से टेण्डर लगाने के कारण होने वाले कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

35. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जर्जर अस्पतालों के भवनों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

36. भोपालगढ़ मुख्यालय पर डाक बंगला विस्तारीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के राजकीय भवन, सब-सेन्टर, पटवार घर, ग्राम सेवक आवास, पंचायत भवन लोक निर्माण के सभी भवनों की मरम्मत, रंगरोगन एवं सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विधायकों के आवास/कार्यालय हेतु भवन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय भवनों को बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

40. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पी.एच.सी. बलोदा के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के समस्त जर्जर सरकारी विद्यालयों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

42. अनूपगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों एवं स्टाफ के नवीन आवास बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

43. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ में अधिशासी अभियंता तथा अरांई में सहायक अभियंता कार्यालय का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. किशनगढ़ (अजमेर) में ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

45. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित न्यायालय का नया भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

46. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा स्थित डाक बंगले के भवन का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल तथा नरैना में नया डाक बंगला बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के रलावता, नरैना स्थित रा.उ.मा.वि. के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर लेक स्थित नगरपालिका भवन का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

50. लोक निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों एवं फर्मों के पंजीकरण एवं चयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विभाग के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

52. विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

53. विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु S.E. स्तर के अधिकारी को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

54. शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय बनेड़ा में स्थित डाक बंगला एवं सहायक अभियंता कार्यालय की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

55. प्रदेश में नरेगा के पक्के कार्यों के लिये जहां P.W.D. को एजेन्सी बनाया है परन्तु भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

56. विधान सभा क्षेत्र डग में डाक बंगला रेस्ट हाउस के कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

57. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में लोक निर्माण कार्यों के तहत भवन निर्माण कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

58. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की तहसील सेड़वा में डाक बंगले का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

59. उदयपुर क्षेत्र में लोक निर्माण के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक **ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. प्रदेश में नरेगा के श्रमिकों का अधिकारियों/कर्मचारी द्वारा शोषण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ग्राम पंचायतों द्वारा इन्टरलाकिंग सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने एवं बिना नाप के भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. प्रदेश के गांवों में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

5. महानरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये पक्के निर्माण कार्य स्थाई की सामग्री मद का भुगतान लम्बे समय से बकाया होने से क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. महानरेगा योजना के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी एवं स्थाईकरण किये जाने की योजना के संबंध में चर्चा के लिये।
7. राजीव गांधी जल संचय योजना में भी मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन की भांति ही चयनित ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. जिला बाड़मेर में वर्ष 2019-20 के लिए गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना के लिये बजट आबंटित नही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. गांवों के विकास के लिए T.F.C., F.F.C. एवं अन्य मदों में आबंटित राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

10. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. C.E.O. जिला परिषद् व जिला कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेकर ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. उच्च अधिकारियों द्वारा मुख्यालय जयपुर से बाहर जाकर ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज के कार्यों का नियमित निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. ग्रामीण विकास कार्य में सांसदों/विधायकों के कोटे से किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

14. प्रदेश में नरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने एवं कार्य का समय एक घण्टे कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

15. महानरेगा योजना में पक्के कार्यों को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

16. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत हरजी ग्राम को पूर्ण रूप से सीवरेज से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

17. उप खण्ड मुख्यालय नांगल राजावतान एवं उप तहसील मुख्यालय बैजूपाड़ा में पंचायत समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

18. ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान बनाकर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

19. मनरेगा के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास कार्यों को भी योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

20. गांवों के विकास के लिए सड़क, नाली, सफाई, रोड लाइट, पेयजल व्यवस्था तथा अतिक्रमण न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

21. मनरेगा में नियमित रोजगार देने, मजदूरी बढाने व श्रमिक की संख्या ज्यादा बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. मेवात विकास की राशि MLA LAD की तरह ग्राम पंचायतों में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. MLA LAD की राशि 2.25 करोड़ से बढाकर 3.50 करोड़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

24. अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत छात्रावासों तथा अम्बेडकर भवनों को शीघ्र बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. अलवर जिले में सांसद (लोक सभा/राज्य सभा), विधायक कोटे से तथा मेवात योजना, एम.एस.डी.पी. योजना डी.एम.एफ.टी. योजना आदि योजना में स्वीकृत कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, एपीएल, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी तथा झल्लारा की सभी ग्राम पंचायतों में पानी निकासी हेतु नालियां बनाने, ड्रेनेज व्यवस्था सही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी तथा झल्लारा में मनरेगा के कार्यों के सामग्री मद का भुगतान समय पर नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा में खेल मैदान, श्मशान घाट, टंकी निर्माण, सभी स्कूलों में खेल मैदान की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

30. प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत समिति चूरू के स्वीकृत कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के चतुर्थ चरण के स्वीकृत कार्य पूरे करने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र चूरू में मनरेगा कार्यों की सामग्री के रूके हुए भुगतान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

33. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) की दोनों पंचायत समितियों एवं सभी ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु बोरवेल (ट्यूबवैल) लगवाकर जी.एल.आर. टैंक निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के उप खण्ड टोडारायसिंह में पंचायत समिति कार्यालय के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के सभी पंचायत मुख्यालयों के मुख्य चौराहों पर सौर ऊर्जा लाइट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

37. विधान सभा क्षेत्र बाली में स्थित टीएसपी क्षेत्र में नई पंचायत समिति के गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. महानरेगा में मेट, मिस्त्री व श्रमिक के भुगतान एवं सामग्री मद के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

39. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम डूंगरवाडा, बिचपुरी, अमावरा भवरा, सुकार, रिवाली में एनीकटों का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

40. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी में अनुसूचित जाति

व अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में सड़क निर्माण व सामुदायिक भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गावों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों हेतु आवास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्थित गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलाकर चम्बल नदी पर इन्टेकवाल बनाकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. गावों में सर्वे कराकर प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय व स्नानघर का निर्माण एवं उसमें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. गांवों में शुद्ध पेयजल, नाली निर्माण हेतु जनसंख्या के अनुपात में देय राशि को बढ़ाकर जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

45. विधान सभा क्षेत्र दूदू के उपखण्ड दूदू व फागी में आगजनी की घटनाओं से होने वाली जन-धन की हानि से बचाने के लिए दूदू और फागी उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. ग्रामीण स्तर की विलेज रोड पर भारी वाहन के आवागमन से रोड क्षतिग्रस्त होने की भरपाई हेतु पंचायतों को चुंगी लगाने का अधिकार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

47. निर्बन्ध राशि योजना पुन: प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. पंचायती राज में चौदहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त के नियमों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

49. प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट तीनों पंचायत समिति में अधिकतर आबादी जहां अभी तक विकास नहीं हुआ है, उक्त

आदिवासी क्षेत्रों में मगरा विकास योजना लागू करने व बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. निर्बन्ध योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि को पुन: प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. महानरेगा योजना अन्तर्गत मेट एवं मिस्त्री को अकुशल श्रमिक मानकर अकुशल श्रमिक निधि से समय पर भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजनान्तर्गत खेल मैदान विकसित करने हेतु आवश्यक संसाधन उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. महानरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की तरह सामग्री भुगतान भी नियत समय पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

54. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज ट्यूबवैल की देखरेख नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा बनाई गई सड़कों में घटिया सामग्री प्रयोग में लेने से क्षतिग्रस्त सड़कों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी):

56. कोटा जिले में नरेगा के लगभग 08 माह से लम्बित निर्माण सामग्री का भुगतान अविलम्ब कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

57. राजस्थान में सभी ग्राम पंचायतों को पंचायत कोष से ग्रेवल डालने की अनुमति के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विधायक कोष से स्वीकृत हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल अभी तक भी नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में नरेगा में जोब कार्ड नहीं बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

60. गांवों में अच्छी डामर सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

61. ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज के विकास की नयी योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

62. विधान सभा क्षेत्र भादरा के हर गांव में बच्चों को नशे की लत से बचाने हेतु पुस्तकालय एवं खेल मैदान का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

63. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों में घरों के गन्दा पानी के निकासी हेतु नाली निर्माण एवं सी.सी. सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में गम्भीर पेयजल संकट होने से गांवों में पेयजल हेतु हैण्डपम्पों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के प्रत्येक गांव में श्मशान घाट हेतु भूमि आबंटन कर चारदीवारी तथा टीन शैड का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जिनुरू बांध के नीचे जहां ओवर फ्लो का पानी जाता है, पर सी.सी. रपट कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

68. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के गांवों के बीच भर रहे गंदे पानी की निकासी हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. नरेगा में वृक्षारोपण व खेल मैदान बनाने हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

70. पंचायतों में दक्ष प्रशिक्षित कम्प्यूटर कार्मिकों को लगाने एवं कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों पर समय पर सी.सी. जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की कल्याणपुर, माण्डियावास ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता घटिया होने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. महानरेगा में हुए कार्यों के बकाया भुगतान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण योजना में कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

75. पंचायत सहायकों के सेवा नियम बनाने एवं वेतन वृद्धि करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. मनरेगा में पुराने ग्रेवल सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. पंचायत समिति में रिक्त पद भरने एवं सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

78. ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखकर गुणवत्ता में सुधार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में रोजगार सहायकों को नियमित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. उदयपुर क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना में सामग्री मद में भुगतान जल्दी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नरेगा में पक्का निर्माण हेतु राशि बढ़ाई जाकर पुलिया व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

82. प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्य में उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री पर जीएसटी लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. मनरेगा में करवाये गये कार्यों की सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. ग्राम पंचायतों को 300 वर्ग फीट जमीन का आवासीय पट्टे देने की सीमा को बढाकर 1200 वर्ग फीट तक बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. पंचायत समितियों में तकनीकी अधिकारी, ग्राम सेवकों व अन्य पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति की देराजसर, लिखमीसर सहित राजीव गांधी केन्द्र से वंचित पंचायतों में राजीव गांधी सूचना केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

87. सिरोही व शिवगंज तहसील की हर ग्राम पंचायत में मैरिज गार्डन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. सिरोही व शिवगंज तहसील के प्रत्येक गांव में नाली निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

89. मनरेगा में मजदूरों को पूरा भुगतान न मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में खेल मैदान के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

91. सिरोही व शिवगंज के हर गांव में श्मशान व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

92. ग्राम पंचायत आहोर में सीवरेज कार्य करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत आहोर के तालाब का सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. ग्राम पंचायत भवरानी के तालाब को आदर्श तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. पंचायत समिति आहोर में अग्नि शमन वाहन देने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

96. विधान सभा क्षेत्र मावली की प्रत्येक पंचायत में जल संरक्षण का कार्य मंजूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

97. पंचायत कार्यालयों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों की एक प्रति अनिवार्य रूप से पंचायत समिति कार्यालय में सुरक्षित रखवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. जालौर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय में एक अग्नि शमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. ग्राम विकास अधिकारियों के पंचायत कार्यालयों में नियमित उपस्थिति का समय निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र जालौर की नवगठित पंचायतों में पंचायत भवन, ग्राम विकास अधिकारी आवास एवं अन्य आवश्यक भवनों का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पद भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

102. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जन सहभागिता योजना GGY के अन्तर्गत श्मशान बाउण्ड्री, राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता की नियुक्ति कर रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में गौरव पथ से वंचित ग्राम पंचायतों में गौरव पथ नाली सहित स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जैतारण व रायपुर पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, नरेगा सहित सभी सरकारी योजनाओं में लम्बित प्रकरणों/आवेदनों की स्वीकृति व भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अग्निशमन वाहन व अम्बेडकर भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

107. गांवों के विकास हेतु पक्की सीसी सड़कें, नालियां व अन्य स्थाई प्रकृति के कार्य नरेगा योजना से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. किसानों द्वारा कृषि भूमि पर किये जाने वाले कृषि कार्यों को मनरेगा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. नरेगा में सामग्री मद का भुगतान पिछले 07-08 महीनों से नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुराने रास्ते चल रहे हैं और राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उन पर नरेगा योजना से ग्रेवल सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाडी):

111. ग्रामीण क्षेत्र में जल संचय के लिए जल संरक्षण के विशेष कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

112. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं चरागाह विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में ग्रामीण विकास विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

114. नरेगा कार्यों में वर्षा जल संरक्षण पुनर्भरण योजनाओं एवं गोचर विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता एवं अनिवार्यता से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने के प्रोजेक्ट बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जोधपुर में अरणा झरना के सन्निकट भूरिया भाकर पहाड़ियों की तलहटी में ग्राम पंचायत के प्रस्तावों के अनुरूप विकसित वर्षा जल

संरक्षण, गोचर विकास एवं गौ संवर्द्धन के माडल को अन्य ग्राम पंचायतों की गोचर भूमि पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. प्रदेश की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर यहां उन्नत किस्म की घास एवं लोक औषधीय वनस्पतियों के चारागाह विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

118. ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मिनी सचिवालय में परिवर्तित कर पूरा स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. गांवों की आबादी भूमि व चरागाह भूमियों को पंचायत के कब्जे में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

121. डांग विकास बोर्ड में गंगापुर तहसील को नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में मांड क्षेत्र में जल कुण्डों के निर्माण में नरेगा योजनान्तर्गत विशेष राशि स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. नरेगा योजनान्तर्गत पेयजल कार्य निर्माण में भी मशीनों के उपयोग पर पाबन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

124. राज्य की ग्राम पंचायतों में नरेगा में पक्के कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की कई पंचायतों के प्रस्ताव व चरागाह भूमि पर गौशालाएं बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बनाकर विकास कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

127. नरेगा योजना में स्थाई परिसम्पत्तियां निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. प्रदेश में ग्राम पंचायतों को और अधिक विकास कार्यों हेतु पर्याप्त बजट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. प्रदेश में महानरेगा योजना से निर्मित ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. प्रदेशभर में पंचायती राज में लगे संविदा कर्मियों के स्थायी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. प्रदेश में विधायक मद से सार्वजनिक सभा भवन, वाचनालाय, विश्राम भवन बनाने के लिए एक गांव में 20 की सीमा से बढ़ाकर 51 किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

132. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में ठेकेदारों को सामग्री मद की राशि का भुगतान अत्यधिक विलम्ब से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में विकास अधिकारी द्वारा बिना निविदा जारी किये अत्यधिक दर से प्रिन्टिंग सामग्री क्रय करने एवं अनावश्यक सामग्री क्रय कर पंचायत समिति को आर्थिक हानि पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के विकास अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी को किस्त जारी होने में अत्यधिक विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

136. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की बीपीएल सूची वर्ष 2002 में शेष रहे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता सूची वर्ष 2011 में नहीं जोड़ने एवं प्रतिवर्ष नये नाम जोड़ने हेतु अपील का प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत परम्परागत नाड़ी की खुदाई के साथ-साथ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जनता बसावट के आधार को देखते हुए अन्य कार्यों की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना में 10%, 30% व 50% अंशदान जन सहयोग से प्राप्त होने पर भी सीमित कार्यों का स्वीकृति का प्रावधान मार्गदर्शिका में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग पंचम के अन्तर्गत मरुस्थलीय जिलों में ग्रेवल सड़क के निर्माण का प्रावधान मार्गदर्शिका में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में भूमि सुधार के कार्यों में खालों का निर्माण एवं कवरिंग इत्यादि का प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

141. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राज्य सरकार की श्री योजना के अन्तर्गत समग्र विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों को तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों को आनलाइन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों के स्थान पर नये पंचायत भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

146. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन सामुदायिक भवनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक भवन रामावाला बासना, सामरेड एवं टोडाभीम के भवनों की चारदीवारी का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

148. टीएसपी क्षेत्र में नरेगा के अन्तर्गत पानी को रोकने के लिए एनीकट बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. टीएसपी क्षेत्र में नरेगा में 40% सामग्री व 60% श्रम के रूप में कार्य निकाले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. टीएसपी क्षेत्र में नरेगा का श्रम व सामग्री का भुगतान 15 दिन के अन्दर कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. टीएसपी क्षेत्र में गरीब आदिवासी रहते हैं, उनको समय पर रोजगार मिले व नरेगा में 200 दिन दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

152. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में आने वाली कई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण व जर्जर पंचायत भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत चयनित आदर्श गांवों के विकास के लिये विशेष सर्वे कराकर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में बीपीएल में चिन्हित अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कई आवासों में बकाया शौचालयों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में मनरेगा के तहत हुए निर्माण कार्यों के भुगतान करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

157. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में गौरव पथ, सी.सी. रोड उनके साथ बनाई गई नालियों के संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

158. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में नरेगा योजना के तहत निविदा प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये प्रचास्प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में संचालित जन सहभागिता योजना व ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरेगा के अन्तर्गत चरागाहों, खेल मैदानों एवं श्मशान भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवारी एवं शैड निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

163. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नरेगा के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारी लगाने अथवा SFC व FFC से प्राप्त राशि से सफाई कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में SFC (पंचम) तथा FFC से प्राप्त राशि से प्रत्येक राजस्व ग्राम में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नरेगा के अन्तर्गत चरागाहों, खेल मैदानों एवं श्मशान भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवारी एवं शेड निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

166. प्रदेश के ग्रामीण विकास परियोजना (मनरेगा) में श्रमिकों को पूर्ण वेतन दिया जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

167. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत सुमारी के ग्राम आल्या परमार व ग्राम पंचायत पिपलीया खुर्द के उमरिया को एस.सी. बस्ती में इन्टरलाकिंग कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र डग के केलू खेड़ा से नार घट्टी ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत डोडी, केलू खेड़ा से बनी का खेड़ा, नंदपुर तक ग्रेवल सड़क मय पुलिया का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र डग पंचायत समिति भवानी मण्डी के मुराया कलां से एम.पी. सीमा तक ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण, गुराडिया कलां से राजपुरा मय पुलिया निर्माण ग्रेवल सड़क, जाझनी से महादेव मन्दिर झटीका खेड़ा का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र डग में चरागाह भूमि पर खाई बंदी या तार फेंसिंग कार्य व पौधरोपण का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र डग में अपना काम अपना खेत योजना के तहत प्रत्येक किसान को मेड़बन्दी के साथ-साथ एक कुआं निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम):

172. विधान सभा क्षेत्र भीम व प्रदेश में मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को 50 दिवस अतिरिक्त कार्य देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

173. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आबंटित बजट राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

174. विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांवों और ढाणियों में दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 के मध्य खोदे गये ट्यूबवैलों एवं उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांवों और ढाणियों में 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 के मध्य खोदे गये सभी ट्यूबवैलों पर हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

176. मनरेगा के तहत वृक्षारोपण व कृषि कार्यों से जोड़ने हेतु नीतिगत बदलाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र नोखा की ग्राम पंचायत बंधाला पंचायत समिति पांचू में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार व तकनीकी रूप से व्यर्थ कार्यों पर लाखों रुपये बर्बाद करने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्रामीण क्षेत्र की खेल-प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम):

179. विधान सभा क्षेत्र भीम में PMGYS के तहत महत्वपूर्ण सड़कों नन्दावट-सारोठ-रतनपुर, देवगढ़ से 40 मील (SH 56) व पीपली का बाड़िया से बाट तक के (एन.एच. 158) को चौड़ाईकरण/नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र भीम व राज्य में चल रही ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राजस्व ग्राम के अनुसार मनरेगा कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

181. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की लूनियावास ग्राम पंचायत द्वारा एसएफसी तथा एफएफसी के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की लूनियावास ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये समस्त विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

183. विधान सभा क्षेत्र करौली के गांवों के उन्नयन एवं उन्नति के लिए विशेष पैकेज व डांग क्षेत्र में विशेष पैकेज देकर सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र करौली में अनेक सड़कें काफी समय से अधूरी होने तथा मरम्मत में घटिया सामग्री काम में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्वच्छ भारत मिशन और महानरेगा के तहत कराये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

186. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में चल रही ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

187. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की नयी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के तेजरासर गांव में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सड़क निर्माण कार्यों में इन्टरलाकिंग टाइल का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

191. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की झौथरी पंचायत समिति में NRLM प्रवृति के कार्यों में हुई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

193. महानरेगा के तहत संचालित योजनाओं में OBC व General को भी व्यक्तिगत लाभ स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।